Friday 15, Nov,1974

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण
SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

Preservation 1-9-96
Fumigated On 30-7-85
Parliament Library

[खंड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 3, शुक्रवार, 15 नवम्बर, 1974/24 कार्तिक, 1896 (शक)

No. 3 November 15, 1974/Kartika 24, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGESS
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
·61 मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये केन्द्र द्वारा सहायता	Central Aid for Drought Hit Areas of Madhya Pradesh	1
·62 पर्यटक गाड़ियों को चलाने में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उठाई गई हानि	Loss suffered by ITDC on running Tourist Vehicles	3
·64 इंडियन एयरलाइन्स के यात्री यातायात में कमी	Fall in passenger traffic of Indian Airlines.	5
·65 तस्करों की नजरबन्दी से निर्यात में वृद्धि	Increase in Exports due to detention of smugglers.	9
·67 निर्यात बाध्यताएं पूरी न करना	Non-Fulfilment of Export Obligations .	10
·68 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार तस्कर	Smugglers Arrested Under MISA .	11
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**MRITTEN ANSMERS TO QUESTIONS**	
41 हुन्जा का पाकिस्तान में विलय	Merger of Hunza into Pakistan . .	16
42 एगमार्क सील वाले खाद्यान्न के अपमिश्रित नमूने	Adulterated Food Samples of Agmark Seal	16
43 सोवियत रूस से आयात किए गए पोलियो के टीकों का प्रभाव समाप्त हो जाना	Loss of Potency of polio Vaccine imported from USSR	17
44 इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर	Agreement signed at Islamabad between India and Pakistan	18
45 औषधियों के मानक और किस्म नियंत्रण विषेयक नाथवानी उप-समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करना	Implementation of Nathwani Sub-Committee on Standard and Quality Control of Drugs	18

किसी नाम पर अंकित यह (+) इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign (+) marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
46	बोनस पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन	Report of Bonus Review Committee .	20
47	पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Journalists. .	20
48	पाक-अधिकृत काश्मीर में चीनी सेना की सक्रियता	Mobilisation of Chinese Army in Pakistan Occupied Kashmir	21
49	भारत-अमरीका संयुक्त आयोग का गठन	Formation of Indo-U.S. Joint Commission	21
50	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों का पुनर्गठन	Reorganisation of Health Service Programme in Rural Areas . .	21
51	पिल नामक खाई जाने वाली गर्भ निरोधक औषधियों का प्रयोग	Use of Oral Contraceptives known as Pill	22
52	चीन द्वारा तिब्बत में एक नया आणविक केन्द्र बनाया जाना	Construction of new nuclear station in Tibet by China. . . .	23
53	देश में चेचक से हुई मौतें	Deaths due to Small Pox in the country .	23
54	काश्मीर के मामले पर भुट्टो द्वारा युद्ध की धमकी	Bhutto's threat of War over Kashmir .	26
56	रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भर्ती आवश्यकतायें	Recruitment Requirements of Defence Public Sector Undertakings. . .	26
57	भारत-पुर्तगाल संबंध	Indo-Portuguese Relations . .	27
58	पाक वायु सेना की आक्रमण क्षमता	Attacking Capability of Pak Air Force .	27
59	बीड़ी और सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 को क्रियान्वित करना	Implementation of the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966	28
60	भारत के विदेश सचिव को नेपाल की यात्रा का निमंत्रण	Invitation to Indian Foreign Secretary to visit Nepal	28
63	'रा' (कच्ची) चीनी का आयात	Import of Raw Sugar . . .	29
66	सरकारी कार्यालयों में नई भर्ती पर प्रतिबन्ध	Ban on new recruitment in Government Offices	29
69	कपड़े के निर्यात में ह्रास	Fall in Textile Export .	30
70	दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रकाश की व्यवस्था	Lighting Arrangement at Delhi Airport .	30
71	बम्बई में कपाड़िया बन्धुओं के परिसरों पर छापों के दौरान पकड़ा गया लेखा बाह्य धन	Unaccounted Money found during Raids on Premises of Kapadias in Bombay .	31

ता०प्र० संख्या S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
72	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई कपड़ा बनाने वाली मशीनें	Textile Machines imported by STC .	31
73	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ में कमी	Decline in profits of Nationalised Banks .	32
74	तस्करों के विरूद्ध कार्यवाही	Action against Smugglers . . .	33
75	बड़े व्यापार गृहों द्वारा जमा किये गये पटसन के स्टाक	Jute Stocks accumulated by larger Business Houses	34
76	हाल ही में पकड़े गये तस्करों की सम्पत्तियों का मूल्यांकन	Evaluation of Properties of Smugglers held recently	35
77	एयर इंडिया में बर्खास्त किये गये विमान चालक	Pilots dismissed in Air India.	36
78	मुद्रास्फीति को रोकने के लिये आर्थिक उपाय	Fiscal Measures to check inflation.	36
79	सरकारी उपक्रमों में भर्ती के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	Report of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on Recruitments in Public Sector Undertakings .	37
80	अमरीका से बोइंग जैट विमानों की खरीद	Purchase of Boeing Jets from USA .	38

ता० प्र० संख्या

U.S.Q. No.

401	कस्तूरबा मैडिकल कालिज ट्रस्ट तथा एकेडमी आफ जनरल एजुकेशन, मनीपाल के प्रबन्ध के बारे में शिकायत	Complaint regarding Management of Kasturba Medical College Trust and Academy of General Education, Manipal	39
402	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers . .	40
403	उत्तरी पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों (जोन) में माल गाड़ियों के परिचालन के लिए क्षत्रीय आधार पर पारस्परिक आदान प्रदान के समझौते की योजना	Scheme of Zonal Reciprocal Agreement for Operation of Goods Vehicles in Northern, Eastern and Central Zones .	41
404	हूंजा रियासत को पाकिस्तान में मिलाकर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन	Contravention of International Law by Merger of Hunza State in Pakistan .	42
405	कोचीन में सुपर टैंकर बर्थ	Super Tanker Berth at Cochin.	42
406	बोनस पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के सबंध मे इन्टक का अनुरोध	INTUC on Bonus Review Committee Recommendations	43

आ० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
407	दिल्ली स्थित फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया जाना	Termination of Services of Employee by Ford Foundation at Delhi . .	43
408	न्यूनतम मजूरी अधिनियम की क्रियान्विति का पुनरीक्षण करने के लिये राज्य स्तर पर त्रिपक्षीय समितियां स्थापित करना	Setting up of Tripartite Committees at State Level to Review Implementation of Minimum Wages Act . . .	44
409	अवैध घोषित की गई हड़तालें	Strikes Declared Illegal . .	44
410	बंगला देश से भारत में अनधिकृत प्रवेश पर रोक	Check on Unauthorised Entry from Bangladesh into India . .	44
411	दिल्ली के अस्पतालों में निश्चेतनकारी (अनैस्थीसिया) औषधियों की कमी	Shortage of Anaesthesia Medicines in Delhi Hospitals	45
412	गोआ में कृषि श्रमिकों के लिये कल्याण योजनायें	Welfare Schemes for Agricultural Labourers in Goa	45
413	राजस्थान के स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन केन्द्रों के लिये निर्धारित राशि	Amount Earmarked for Health and Family Planning Centres of Rajasthan . .	45
414	कर्मचारी भविष्य निधि का विनियोजन	Investment of Employees Provident Fund .	46
415	जांच के लिये निर्माण स्थल से नमूना लेने की मांग	Demand for Taking Test Samples at Place of Manufacture	47
416	समाचारपत्र उद्योग में श्रमिक विरोधी प्रक्रियाएं	Anti Labour Practices in Newspaper Industry	47
417	बिजली संकट के कारण दिल्ली में पांच दिवसीय सप्ताह	Five Day Week in Delhi due to Power Crisis	48
418	पंजाब में खेतिहर श्रमिकों के लिये कल्याणकारी योजनाएं	Welfare Schemes for Agricultural Labourers in Punjab	48
419	ग्रामों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of Family Planning Programme in Villages	48
420	दिल्ली परिवहन निगम द्वारा सेवाओं का सुधार	Improvement of Service by DTC .	49
421	ईरान द्वारा आस्थगित भुगतान पर अशोधित तेल की सप्लाई	Supply of Crude by Iran on Deferred payment	49
422	भारतीय इस्पात विश्व में सबसे सस्ता	Indian Steel Cheapest in the World .	50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
423	चौथी योजना में मध्य प्रदेश को परिवार नियोजन हेतु धन का नियतन	Allotment of Funds to Madhya Pradesh for Family Planning in Fourth Plan .	50
424	इंडिया फायरब्रिक्स एण्ड इंस्यूलेशन कम्पनी, हजारीबाग के श्रमिकों द्वारा ज्ञापन	Memo from Workers of India Firebricks and Insulation Company, Hazaribagh .	51
425	एजुकेशनल रिसोर्सेज सेंटर, नई दिल्ली की गतिविधियां	Activities of Educational Resources Centre, New Delhi.	51
426	उर्वरकों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Import of Fertilizers	52
427	उत्तर भारत के एककों को इस्पात की सप्लाई बंद करना	Steel Supplies Suspended to Northern India Units	52
429	पूंछ क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना द्वारा एक चौकी की स्थापना करना तथा बंकरों का निर्माण	Setting up a Post and construction of Bunkers By Pakistani Troops in Poonch Sectors	53
430	उत्तर बंगाल में खराब किस्म का भोजन खाने से बच्चों की मृत्यु	Deaths of Children After taking Bad Quality Food in North Bengal . .	53
431	पारादीप में एक शिपबिल्डिंग यार्ड की स्थापना करना	Setting up of Shipbuilding Yard at Paradip	53
432	बम्बई की जाली फर्मों को स्टेनलेस स्टील का कथित आवंटन	Allied allocation of Stainless Steel to fake firms of Bombay	54
433	फ्रांस के सहयोग से नई सरफेस टू सरफेस मिसाइलज़ का निर्माण	Manufacture of New Surface to Surface Missiles with French Collaboration .	54
434	हाई स्पीड डीजल के प्रयोग में बचत	Saving in Use of HSD .	54
435	स्पंज आइरन आधारित छोटे इस्पात संयंत्र	Sponge Iron Based Mini Steel Plants .	55
436	22 शरणार्थी परिवारों को वापस लेने से पाकिस्तान का इन्कार	Pak refusal to take back 22 displaced families	55
437	कानपुर के कारखानों द्वारा कूड़ा कचरा (गंदगी) गंगा में डाला जाना	Discharging of Effluents in Ganga by factories of Kanpur	56
438	वेतन वृद्धि रोक के विरुद्ध केरल में कर्मचारियों द्वारा विरोध	Protest by Workers in Kerala against Wage Freeze	56
439	बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना में उत्पादन	Production of Bailadila Iron Ore Project.	56
440	राष्ट्रीय वेतन नीति	National Wage Policy .	57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
441	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा परिवार नियोजन के लिये नये विकल्प	New Devices for Family Planning by National Physical Laboratory . .	57
442	महिला श्रमिकों को कम मजूरी दिया जाना	Less Wages to Women Labourers . .	58
443	विदेश मंत्री द्वारा रूस का दौरा	Foreign Minister's visit to USSR .	58
444	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में सेन्टर आफ इंडिया ट्रेड यूनियनस तथा आल इंडिया ट्रेड यूनियनस कांग्रेस से संघों द्वारा हड़ताल	Strike by CITU and AITUC Unions in Durgapur Steel Plant . . .	59
445	केरल में श्रमिक न्यायालय	Labour Courts in Kerala . .	59
446	गुजरात के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एम० बी० बी० एस० डाक्टर	M.B.B.S. Doctors in Primary Health Centres of Gujarat	60
447	वर्ष 1972–74 के दौरान इंडिया आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित इस्पात	Steel produced by IISCO during 1972-74 .	60
448	नौवहन में भारतीय नामों का प्रयोग	Use of Indian Terms in Shipping .	61
449	दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत प्राइवेट बस चलाने वालों का व्यवहार	Behaviour of Private Bus Operators under DTC Operation . . .	62
450	निरोध की कीमत में वृद्धि	Increase in price of Nirodh	62
451	भारत में शिपयार्डों का निर्माण करने हेतु स्थानों का चयन करने के लिये योरूप के विशेषज्ञ दल का दौरा	Visit by Expert Team from Europe to select sites for Shipbuilding Yards .	62
452	बम्बई की कुछ एजेंसियों द्वारा विदेशों को प्लेज्मा भेजा जाना	Sending of Plasma abroad by some Agencies of Bombay	63
453	बीड़ी मजदूरों की मजूरी	Beedi Workers Wages .	63
454	ईरान के शाह द्वारा भारत की यात्रा	Visit by Shah of Iran to India.	64
455	देश में मलेरिया के मामलों में वृद्धि होना	Increase of Malaria cases in the country	64
456	विश्व सामान्य चिकित्सा परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् की मान्यता समाप्त करने की धमकी	Threat by World General Medical Council to de-Recognise Indian Medical Council.	65
457	भूतपूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री के पासपोर्ट का जब्त किया जाना	Impounding of passport of Former Union Law Minister	65

अता०प्र०संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
458	मारुति लि० को इस्पात कोटे का आवंटन	Allocation of Steel Quota to Maruti Ltd. .	66
459	कालिन्दी बेसिन में जलमग्न होने वाले क्षेत्र से खनिजों का निकाला जाना	Extraction of Minerals from Area to be submerged in Kalindi Basin. . .	66
460	अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को हुआ घाटा	Loss suffered by Inland Water Transport Corporation	66
461	अल्यूमीनियम का आयात	Import of Aluminium .	67
462	राज्यों के बीच परिवहन बाधाओं को हटाना	Removal of Transport Barriers between States	67
463	देश के ऊपर से विमान उड़ानों के बारे में पाकिस्तान के साथ वातचीत का प्रस्ताव	Proposal for talks with Pakistan on over flights	68
464	बंगला देश की अकाल पीड़ित जनता को भारत की सहायता	India's help for Famine Stricken Bangladesh People	68
465	सप्लाई ठेकों की ऊंची दरों के लिए फैडरेशन आफ एसोसिएशन्स आफ स्माल इण्डस्ट्रीज़ द्वारा अभ्यावेदन	Representation by Federation of Association of Small Industries for Higher Rates of Supply Contracts . .	69
466	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को अन्य नगरों में लागू किया जाना	Extension of C.G.H.S. Scheme in other Cities	69
467	चीन द्वारा सुदूर मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों का परीक्षण	Testing of Long Range Missiles by China	70
468	विभागीय स्तर पर चलाये जाने वाले उपक्रमों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान	Payment of Bonus to Departmentally Run Undertakings and other Central Government Offices	70
469	गुजरात में कुपोषण के कारण रतौंध रोग	Night Blindness caused by Malnutrition in Gujarat	70
470	श्रीराम रेयंस कोटा में कार्य करने वाले कर्मचारियों को कैमीकल फैक्टरी सम्बन्धी लाभ	Chemical Factories Benefit to Employees working in Sriram Rayons Kota . .	71
471	लेखा-बाह्य इस्पात का जब्त किया जाना	Seizure of Unaccounted Steel .	71
472	आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को मुफ्त चिकित्सा सहायता	Free Medical Aid to People Living in Tribal Areas . . .	71
473	रत्नगिरि परियोजना का महाराष्ट्र से गुजरात में अन्तरण	Shifting of Ratnagiri Project from Maharashtra to Gujarat	72

अता०प्र०संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
474	छोटे इस्पात संयंत्रों का उत्पादन	Production of Mini Steel Plants	72
475	भारतीय वायुसेना की आक्रामक क्षमता में कमी होना	Erosion of IAF Offensive Capability	74
476	सेवा के दौरान सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिये पोलिटेकनिकों की स्थापना	Setting up Polytechnics for Training to Soldiers in Service	75
477	गुजरात में परिवहन सुविधाओं का विस्तार	Expansion of Transport Facilities in Gujarat	75
478	चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिये गुजरात राज्य को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Gujarat for Improvement of Medical Facilities . .	75
479	गुजरात में बिजली की कटौती के कारण जन घन्टों की हानि	Man Hours lost due to power Shedding in Gujarat	76
480	इस्पात की विभिन्न मूल्य निर्धारण नीति के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Group on different Pricing Policy in Steel	77
481	बुलुचिस्तान में पाकिस्तानी गोलाबारी की संयुक्त राष्ट्र द्वारा जांच के सम्बन्ध में अफगानिस्तान का प्रस्ताव	Move by Afghanistan for U.N. Enquiry into Pakistani Bombardment in Baluchistan	78
482	क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय को केरल स्थानान्तरित करना	Shifting of Regional Passport Office to Kerala	78
483	नेट लड़ाकू विमान का विकसित रूप का उत्पादन	Production of Advanced Version of Gnat Fighter	79
484	आन्ध्र प्रदेश अयस्क खानों का वन्द होना	Closure of Andhra Pradesh Ore Mines	79
485	पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिये मजूरी पुनरीक्षण समिति	Wage Revision Committee for Port and Dock Workers	80
486	राजधानी में पोलियो के रोगियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Polio Cases in the Capital	80
487	कर्नाटक में अधिक रक्षा उद्योगों की स्थापना	Setting up more Defence industries in Karnataka	80
488	दिल्ली परिवहन निगम की बसों का सुचारू रूप से कार्यकरण	Efficient Running of DTC Buses	81
489	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा लड़ाकू बमवर्षक विमान की सुधरी किस्म बनाने का प्रस्ताव	Proposal for Manufacture of Improved Version of Fighter Bomber by H.A.L.	81
490	विश्व में उत्पादन की तुलना में भारत में इस्पात का उत्पादन	Production of Steel in India vis-a-vis World Production	82

अता०प्र०संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
491	बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा ऊष्मसह ईंटों की बिक्री	Sale of Refractories by Bokaro Steel Ltd.	82
492	भारत-चीन सम्बन्ध	Sino-India Relations	83
493	छम्ब के विस्थापितों का पुनर्वास	Rehabilitation of displaced persons from Chhamb	83
494	गोआ के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिये अलग रखी गई राशि	Amount Earmarked for Health and Family Planning Centres of Goa . . .	84
495	राजस्थान में कृषि श्रमिकों के कल्याण हेतु योजना	Scheme for Welfare of Agricultural Labour in Rajasthan	85
496	मलयेशिया सरकार द्वारा हिन्दी गीतों पर प्रतिबन्ध	Ban on Hindi Songs by Malayasia Government	85
497	सरकारी उपक्रम द्वारा मिलावटी घी का निर्माण	Manufacture of Adulterated Ghee by Public Sector Undertaking	86
498	ग्रामीण क्षेत्रों में बसे डाक्टरों को आर्थिक प्रोत्साहन	Financial Incentives to Doctors Settled in Rural Areas	86
499	भारत और पाकिस्तान के बीच संचार सम्बन्धों की फिर से स्थापना करना	Resumption of Communication Links between India and Pakistan . . .	86
500	सैनिकों की विधवाओं के लिये दिल्ली में भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Widows of Defence Personnel in Delhi	87
501	सिलचर और जिरीबाम के बीच सड़क संचार में बाधा	Disruption of Road Communication between Silchar and Jiribam . . .	87
502	रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान की अवधि के वेतन की अदायगी	Payment of Wages to Railway Workers during Strike period	88
503	गोविन्द सागर झील, बिलासपुर के लिये मोटर नौकाएं तैयार करना	Assembly of Motor Launches for Gobind Sagar Lake, Bilaspur	88
504	इस्पात की बिक्री पर से नियंत्रण समाप्त करना	Decontrol of Sale of Steel	89
505	पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारतीयों और भारत की यात्रा करने वाले पाकिस्तानियों की संख्या	Number of Indians allowed to visit Pakista n and Vice versa	89
506	पंजाब में स्वास्थ्य परिवार नियोजन केन्द्रों के लिये नियत धनराशि	Amount Earmarked for Health Family Planning Centres in Punjab . . .	89
507	गैर-पत्रकारों के लिये सांविधिक मजदूरी बोर्ड	Statutory Wage Board for Non-Journalists	90
508	छम्ब क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to displaced persons from Chhamb Sector	90

अता०प्र०संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
509	पुनर्बेलन मिलों को बिलेट का कोटा	Billet quota to Rerolling Mills . .	91
510	एल्यूमिनियम का उत्पादन	Production of Aluminium . . .	91
511	उड़ीसा में खेतिहर मजदूरों के कल्याण सम्बन्धी योजना	Scheme for Welfare of Agricultural Labourers in Orissa	92
512	उड़ीसा के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिये उड़ीसा को धन का आवंटन	Allotment of Funds to Orissa for Health and Family Planning Centres in Orissa	93
513	जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिये वेतन में स्वतः वृद्धि	Automatic Increase in Wages to Neutralise Rise in Cost of Living	93
514	मध्य प्रदेश में खनिज निक्षेप	Mineral Deposit in M.P. .	94
515	भिलाई इस्पात संयंत्र में यूनियनों में पारस्परिक विरोध	Inter Union Rivalry in Bhilai Steel Plant	94
516	पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते का उल्लंघन	Violation of Simla Agreement by Pakistan	95
517	चुनावों के दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों हैलीकाप्टरों का उपयोग	Use of IAF Planes/Helicopters during Elections	95
518	राजधानी में मिलावटी वस्तुएं बेचने के आरोप में व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाना	Persons Prosecuted for selling adulterated articles in the Capital	95
519	राजधानी में मलेरिया के मामले	Malaria Cases in the Capital . . .	96
520	मूल्य सूचकांक तैयार करने की पद्धति में परिवर्तन	Change in Method of Compilation of Price Index	97
521	चित्तरंजन कैंसर अस्पताल के भारतीय डाक्टरों द्वारा सिकाफेक का अविष्कार	Invention of Sicafek by Indian Doctors of Chittaranjan Cancer Hospital . .	97
522	इण्डियन एल्यूमीनियम कारपोरेशन, आसनसोल का कार्यकरण	Affairs of Indian Aluminium Corporation Asansol	98
523	भारत-नेपाल सम्बन्धों का पुनर्विलोकन	Review of Indo-Nepalese Ties .	98
524	नौवहन कम्पनियों को ऋण तथा अग्रिम धनराशि	Loans and Advances to Shipping Companies	98
525	सिक्किम को सहराज्य का स्तर देने पर नेपाल में प्रतिक्रिया	Reaction in Nepal over Associate Statehood to Sikkim	101
526	राउरकेला इस्पात संयंत्र के मैनेजमेन्ट का प्राइवेट पार्टियों को ऊंचे मूल्य पर टैन्डरों को देने के बारे में कथित अन्तर्ग्रस्त होना	Alleged involvement of Management of Rourkela Steel Plant with Private Parties in regard to Tenders at High Price	101

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
527	उड़ीसा स्थित चिल्का में नेवल बायज़ ट्रेनिंग सेन्टर का कार्यकरण	Functioning of Naval Boys Training Centre at Chilka in Orissa	102
528	पांचवीं योजना में शिप बिल्डिंग यार्डों की स्थापना	Establishment of Ship Building Yards in Fifth Plan	102
529	पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रों की पुनः सप्लाई	Resumption of U.S. Arms Supply to Pakistan	102
530	गुजरात औषध नियंत्रण विभाग द्वारा नकली औषधियों के घोटाले का पता लगाया जाना	Unearthing of Spurious Drugs Racket by Gujarat Drug Control Department	103
531	बंगला देश से अकाल पीड़ित लोगों का भारत में प्रवेश	Influx into India of Famine Stricken people from Bangladesh . . .	104
532	इस्पात उत्पादों का निर्यात	Export of Steel Products . . .	104
533	हिन्द महासागर में आणविक प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण करने की चीन की योजना	Chinese Plan to test Nuclear Missiles in Indian Ocean	105
534	भारत में तैयार मिग विमानों को मरम्मत के लिये सोवियत संघ भेजा जाना	Sending the Indian assembled MIGs to USSR for repair	105
535	हिन्द महासागर के देशों का आर्थिक संगठन बनाने का प्रस्ताव	Proposal for formation of an Economic Organisation of Indian Ocean Countries . . .	106
536	गर्भ निरोध के लिये टीका	Vaccine for Birth Control	106
537	साइप्रेस संकट के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सभा में बातचीत	Talks in U.N. Session on Cyprus Crisis	107
538	फारस की खाड़ी में जुफेयर तथा हिन्द महासागर में दियागो गार्शिया के स्थान पर अमरीकी नौसैनिक अड्डे	U.S. Naval Bases at Jufair in Persian Gulf and at Diego Garcia in Indian Ocean	107
539	भारत की समुद्री क्षमता के बारे में भूतपूर्व नौ सेना अध्यक्ष द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement made by former Chief of Naval Staff regarding Naritime Capability of India	108
541	भारत की प्रक्षेपास्त्र योजना पर अमेरिकी प्रतिक्रिया	Reaction of USA to India's Missiles Plan	108
542	हिन्द महासागर संबंधी मामले के बारे में समुद्र तटवर्ती देशों से चर्चा	Discussion with Littoral Countries regarding Indian Ocean	109

अता० प्र० संख्या U.S.Q. NO.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PA
543	भारत में पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Expenditure incurred On Pak POWs in India . . .	109
544	बालाघाट जिले में भू-मलंजखंड तांबा निक्षेपों का विकास	Development of Malanjkhand Copper Deposits in Balaghat District . . .	110
545	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा योग पर परीक्षण	Test on Yoga by All India Institute of Medical Sciences	110
546	आसाम में बंगला देश निष्क्रान्त शिविरों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा धन का कथित गश्त	Alleged misappropriation of Money by Incharge of Bangladesh Evacuee Camps in Assam	112
547	दामोदर नदी पर बर्दवान के निकट सदर घाट पर पुल बनाने के लिये सहायता	Assistance for Bridge over Damodar at Sadar Ghat near Burdwan . . .	112
548	भारत तथा ईरान द्वारा एक संयुक्त शिपिंग लाईन की स्थापना	Setting up of a Joint Shipping Line by India and Iran	112
549	भारत ईरान आर्थिक सहयोग	Indo Iranian Economic Collaboration	113
550	सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों की भर्ती में वृद्धि करने के अनुदेश	Instructions to Defence Public Sector Undertakings to increase Intake of SC and ST	113
551	पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कार्मिक संघों द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया जाना	Charter of Demands by Trade Unions in Punjab, Haryana and Himachal Pradesh	114
552	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने हेतु सरकारी क्षेत्र के रक्षा प्रतिष्ठानों में स्पेशल सेल बनाना	Special Cells in Defence Public Under takings to attend to complaints and grievances of S.C. and S.T. Employees . .	115
553	तटवर्ती नौवहन के लिये भाड़े की दरों तथा बंकरिंग अधिभार का पुनरीक्षण	Revision of Freight Rates and Bunkering Surcharge for Coastal Shipping . .	115
554	दक्षिण वियतनाम की अंतरिम क्रान्तिकारी सरकार के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with PRG of Southern Vietnam	116
555	केरल में भू-सर्वेक्षण	Geological Survey in Kerala . . .	117
556	सरकारी निगमों में तालाबन्दी	Lock out in Public Corporations	117
557	चीन द्वारा प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण	Production of Missiles by China .	118

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
558	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रयासों के बारे मे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सुझाव	Suggestions of Health Experts regarding National Health Efforts	118
559	राज्य श्रम मंत्रियों का सम्मेलन	State Labour Ministers' Conference .	119
560	नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राष्ट्र भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये समिति	Body to promote use of Rashtra Bhasha in Ministry of Shipping & Transport . .	120
561	महरौली के फार्म मालिकों द्वारा श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुसार मजूरी न देना	Non-Payment of Wages According to Minimum Wages Act to Workers by Farm Owners in Mehrauli	120
562	भारतीय दूतावासों पर व्यय	Expenditure on Indian Embassies	120
563	दिल्ली में मिलावट रोकने के लिये छापे	Raids for Checking of Adulteration in Delhi.	121
564	चीन का सिक्किम में भारत के विरुद्ध भड़कने का अभियान	Chinese Instigation Campaign against India in Sikkim	121
567	एच. एस. 748 विमान का उत्पादन	Production of H.S. 748 . .	121
568	कोचीन पत्तन पर सुपर टैंकर आयल टर्मीनल के लिये व्यय की मंजूरी	Sanction of Expenditure on Supertanker oil Terminal at Cochinport . . .	122
569	स्टील रीरोलिंग फर्मों द्वारा अपनाई गयी अस्वस्थ पद्धतियां	Unhealthy Practice Resorted to by Steel Rerolling Firms	122
570	चीन द्वारा दूर तक मार करने वाले अन्तरद्वीपीय बालिस्टिक मिसाइलों के लिये आणविक पनडुब्बियों का निर्माण	Building up of Nuclear Submarine for long Range ICBM by China . . .	123
571	पीकिंग में राजदूत की नियुक्ति का प्रस्ताव	Proposal to appoint Ambassador in Peking .	123
572	भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बियों की खरीद	Purchase of Submarines for Indian Navy .	123
573	विदेशों में भारतीय मिशनों पर व्यय	Expenditure on Indian Missions Abroad .	124
574	पारादीप पत्तन के विकास के लिए कर्णधार (स्टेयरिंग) समिति की स्थापना	Setting up of a Steering Committee for Development of Paradip Port	124
575	विलिंगडन और इर्विन अस्पताल का शहीदों के नाम पर पुनः नामकरण	Renaming of Willingdon and Irwin Hospitals of Delhi After Martyrs . . .	125

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
576	आणविक टैक्नोलॉजी के बारे में भारतीय दृष्टिकोण	Indian stand on Nuclear Technology	125
577	बहुदेशीय वल्क कैरियर एवं कारगो पोत का निर्माण	Building of Multi purpose Bulk carrier Cum Cargo Liner	126
578	विभिन्न संयंत्रों में तैयार इस्पात जमा हो जाना	Finished Steel Pile up with various plants	26
579	बोनस पुनरीक्षा समिति के प्रतिवेदन के बारे में मजदूर संघों और औद्योगिक संगठनों में असन्तोष	Dissatisfaction among Trade Unions and Industrial Organisations on Bonus Review Committee Report	126
580	पारादीप बन्दरगाह में यातायात	Traffic handling by Paradip Port .	127
581	उत्तर प्रदेश में खनिज निक्षेप	Mineral Deposits in U.P.	127
582	स्टील स्टाकयार्ड	Steel Stockyards .	128
583	हिन्द महासागर में अमरीका तथा रूस के नौसेनिक अड्डों तथा नौ सेनाओं की मौजूदगी	Presence of American and Russian Naval Base and Navies in Indian Ocean . .	128
584	माना तथा रायग पारगमन शिविरों में शरणार्थियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police Firing at Refugees in Mana and Raigarh Transit Camps . . .	129
585	शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees	130
586	सिक्किम को सह राज्य का दर्जा देने के बारे में विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया	Reaction of various countries over Associate Statehood to Sikkim . . .	130
587	विदेश स्थित भारतीय मिशनों में कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिये उपाय	Measures to reduce staff strength in Indian Missions Abroad	131
588	एकीकृत इस्पात संयन्त्रों के पास कच्चे लोहे और इस्पात का भंडार	Pig Iron and Steel Stocks with Integrated Steel Plants	132
589	इस्पात के परमिटों की काले बाजार में बिक्री का आरोप	Alleged sale of Steel permits in Black-market	132
590	सरकारी इस्पात कारखानों द्वारा इस्पात उत्पादन में कटौती	Steel production cut down by Public Sector Steel Plants	133
591	अप्रैल/अगस्त 1974 में इस्पात का उत्पादन	Steel Production during April-August, 1974	133
592	गत भारत पाक युद्ध के परिणाम स्वरूप शरणार्थियों के पुनर्वास में प्रगति	Progress of Rehabilitation of refugees of last Indo Pak Conflict . . .	134

अता० प्र० संख्या U.S.Q. NO.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
593	कश्मीर में भारतीय क्षेत्र की पाकिस्तान से खाली कराने के लिये बातचीत	Negotiations for vacation of Indian Territory in Kashmir by Pakistan	134
594	भूटान में तिब्बती लोगों पर चल रहे मुकदमे में उनकी ओर से वकालत करने के लिये भारतीय वकीलों ी सेवा लेना	Indian Counsels to defend Tibetans facing trial in Bhutan	134
595	हाथी समिति की सिफारिश के अनुरूप औषध एककों के ब्रांड नामों की समाप्त करने का प्रस्ताव	Proposal for Abolition of Brand Names of Drug Units as recommended by Hathi Committee	135
596	भारत तथा पाकिस्तान के बीच यद्ध के बारे में लेफ्टीनेन्ट जनरल नियाजी का वक्तव्य	Statement of Lt. General Niyazi Re. War between India and Pakistan	135
597	तेजपुर के निकट भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	Accident of IAF Plane near Tejpur .	136
598	कोसी के लाभों से नेपाल वंचित	Nepal deprived of Kosi Benefits	136
599	सिक्किम की सह राज्य का दर्जा देने पर नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शन	Anti Indian Demonstrations in Nepal over Associate Statehood to Sikkim .	136
600	नई इस्पात विकास नीति	New Steel Development Policy .	137
601	चीनी पर उत्पादन शुल्क में राज सहायता	Subsidies in Excise Duty on Sugar	137
602	बाढ़ पीड़ित लोगों के लिये विदेशों सें सहायता	Assistance from Foreign Countries for Flood Affected People	137
603	उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं	Branches of Nationalised Banks in Orissa .	138
604	कर अपवंचन आदि के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Tax Evasion .	138
605	भारत नेपाल सीमा पर पकड़ा गया तस्करी का माल	Seizure of Smuggled Goods on Indo Nepal Border	138
606	नार्वे से तेज गति वाली नौकाएं खरीदा जाना	Procurement of High Speed Boats from Norway	139
607	विजयवाड़ा में विमान उतरने की सुविधाओं के लिये अभ्यावेदन	Representations for Landing Facilities at Vijayawada	139

अता० प्र० संख्या U.S.Q. NO.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
608	चाय उद्योग की सहायता के लिये आवर्तक निधि बनाना	Setting up of a Revolving Fund to Help Tea Industry	140
609	राशन कार्डों पर नियंत्रित कपड़े का वितरण	Distribution of Controlled cloth on Ration Cards	140
610	निर्यात आयात बैंक की स्थापना	Setting up of a Export import Bank	141
611	नागर विमानन दुर्घटनाओं की जांच करते हेतु दुर्घटना जांच आयोग का गठन	Setting up of Accident Investigation Commission to probe into Civil Aviation Mishaps	141
612	पटसन का निम्नतम मूल्य	Floor Price for Jute	142
613	पश्चिम बंगाल में मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिये प्रस्ताव	Proposal for Free Trade Zone in West Bengal	142
614	अन्य देशों से वस्तुओं का आयात	Import of Commodities from other Countries	143
615	राज्य व्यापार निगम द्वारा प्लास्टिक उद्योग को आयातित रसायनों की सप्लाई	Supply of imported Chemicals to Plastic Industry by STC	143
616	आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Authorities	144
617	गोआ में राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखाएं	Branches of Nationalised Banks in Goa	144
618	सोवियत संघ और अमरीका से मीडियम स्टेपल काटन का आयात	Import of medium staple cotton from USSR and USA	144
619	पंजाब में राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखाएं	Branches of Nationalised Banks in Punjab	145
620	भारत और ईरान के बीच व्यापार का विस्तार	Expansion of trade between India and Iran	145
621	वाणिज्य मंत्री द्वारा ब्राजील का दौरा	Visit by Commerce Minister to Brazil	146
622	डेनमार्क से ऋण	Loan from Denmark	146
623	कम्पनियों द्वारा राशियों का बाहर भेजा जाना	Remittances by Companies	146
624	तस्कर व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले विदेशों में रहने वाले भारतीय	Indians in Foreign Countries connected with smuggling	148
625	एयर इंडिया में विमानचालकों की हड़ताल	Pilots strike in Air India	148
626	आयकर अधिकारियों द्वारा छापों के दौरान कीमती वस्तुएं पकड़ा जाना	Seizure of valuables during raids by Income Tax Authorities	148

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
627	जयपुर और उदयपुर हवाई अड्डों का सुधार	Improvement of Jaipur and Udaipur Airports	149
628	गुजरात की निर्यात क्षमता	Gujarat's Export Potential . . .	149
629	विदेशी आयातकर्ताओं द्वारा सूती कपड़ों की खेपों को अस्वीकार किया जाना	Rejection of Cotton Garments consignments by Foreign Importers . . .	149
630	दिल्ली से निर्यात	Exports from Delhi	150
631	मध्य प्रदेश में और अधिक कपड़ा मिलें स्थापित करना	Setting up of more Textile Factories in Madhya Pradesh	151
632	आयात लाइसेंसों के समुचित प्रयोग के बारे में आकस्मिक जांच	Surprise Check re: proper use of Import Licences	151
633	न्यू इंडिया एशोरेंस कम्पनी लिमिटेड में दावा निरीक्षक	Claims Inspectors in New India Assurance Company Ltd.	151
634	कलकत्ता हवाई अड्डे से होकर जम्बो जैट सेवा	Jumbo Jet Service through Calcutta Airport	152
635	जाली करेंसी नोटों का पकड़ा जाना	Seizure of Forged Currency Notes .	152
636	वर्ष 1973-74 के लिये चीनी का निर्यात लक्ष्य	Export Target of Sugar for 1973-74 .	153
637	चीनी का निर्यात	Export of Sugar	153
638	पश्चिम बंगाल में राहत सहायता का दुरुपयोग	Misuse of Relief Assistance in West Bengal	153
639	रूई की खरीद तथा बिक्री	Purchase and Sale of cotton . . .	154
640	पश्चिम बंगाल में जूट कर्मचारियों द्वारा टोकन हड़ताल	Token Strike by Jute Workers in West Bengal	154
641	बैंकों से मुख्य 50 पार्टियों द्वारा लिये गये ऋण	Loans obtained by Top Fifty Parties from Banks	154
642	सी०डी०ए० पटना के कर्मचारियों की नियुक्ति	Posting of employees of CDA Patna .	155
643	कारों का आयात	Import of cars	155
644	तस्करी को रोकने के लिये द्रुत गति से चलने वाची नौकायें	High speed Boats to check Smuggling	156
645	औद्योगिक वित्त निगम के वित्तीय साधन	Financial Resources of IFC	157
646	भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी ट्रेडमार्कों का प्रयोग है	Use of Foreign Trade Marks by Foreign Companies in India.	158

अ ता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
647	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आभूषणों की सप्लाई	Supply of Jewellary by M.M.T.C.	159
648	मुजफ्फरपुर और रकसौल के लिये विमान सेवा	Air Service to Muzaffarpur and Raxaul	159
649	दोहरे कराधान से बचने के लिये चैकोस्लोवाकिया के साथ समझौता	Agreement with Czechoslovakia for avoidance by Double Taxation . . .	160
650	आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये तस्कर, करापवंचक तथा मुद्रासंबंधी कार्य करने वाले	Smugglers Tax Evaders and Exchange Operators arrested under MISA and other Laws	160
651	अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के महानिदेशक को भारत यात्रा के दौरान चर्चित हुए विषय	Subjects discussed during IMF Director General's visit to India . . .	161
652	वस्त्र निर्यात परिषद् की स्थापना	Establishment of Garment Export Council	161
654	राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States	162
655	तस्करी के लिये काले धन का प्रयोग	Use of Black Money for Smuggling	163
656	विदेशी मुद्रा काण्ड में नयनमल शाह और उसके भाइयों का हाथ	Imvolvement of Nayanmal Shah and his brothers in Foreign Exchange Racket	164
657	इंनोकुअस सेविंग क्लाज के कारण दिल्ली और बम्बई की फर्मों द्वारा बड़ी मात्रा में आयात	Imports by Delhi and Bombay firms due to Innocuous Saving Clause . . .	164
658	राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिंये रखा गया आरक्षण	Reservation Provided for S.C. and S.T. in the Services of Nationalised Banks	165
659	स्टैपल फाइबर का वितरण	Distribution of Staple Fibre .	165
660	ऋण नियंत्रण के संबंध में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा दिये गये सुझाव	Suggestion made by NACAER Regarding Relaxation of Credit Squeeze . .	165
661	रुपये के मूल्य में वृद्धि	Appreciation in the value of rupees .	166
662	तस्करों की जमानत पर रिहाई	Release of Smugglers on bail . . .	167
663	टी ट्रेडिंग कम्पनी का निर्माण	Formulation of Tea Trading Company	167
664	स्टेट बैंक आफ इंडिया के भवन का बांकुरा (पश्चिम बंगाल) में निर्माण	Construction of building for State Bank at Bankers Town, West Bengal . .	167
665	अधिकारियों तथा तस्करों के बीच सम्बन्धी का पता लगाने की हिदाइतें	Instructions to find out links between officials and smugglers	168

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
666	आयात/निर्यात लाइसेंसों का दिया जाना	Grant of Import/Export Licences .	169
667	मैसूर के स्वर्गीय महाराजा की व्यक्तिगत सम्पत्ति का मूल्यांकन	Evaluation of personal property of Late Maharaja of Mysore	170
668	सस्ता कपड़ा बनाने वाली मिलें	Mills preparing cheap variety of cloth	170
669	गबन, धोखाधड़ी और दुर्विनियोग आदि के कारण बैंकों को हानि	Amount lost by banks as a result of fraud, cheating and misappropiration etc.	171
670	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का भुगतान	Payment of D.A. to Central Government Employees	172
671	भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी	Smuggling on Indo-Nepal border	172
672	भारतीय व्यापार संतुलन को धक्का लगना	Set back in India's balance of trade .	173
673	हिमाचल प्रदेश में गोविन्द सागर झील के लिये मोटर चालित नौकायें	Motor launches for Govind Sagar Lake in Himachal Pradesh . . .	173
674	मृतक सीमा शुल्क अधिकारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to the family of deceased Customs Official . . .	173
675	सुकर नारायण बखिया के मामले में जारी किया गया जमानती वारंट	Bailable warrant issued in case of Sukar Naran Bakhia	174
676	तस्करों की जमानत	Smugglers on Bail	174
677	नेपाल में स्थापित किये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये वित्तीय सहायता	Financial Aid for International Air Port being set up in Nepal	174
678	उत्पादन शुल्क का अपवंचन	Evasion of Excise Duty	174
679	वर्ष 1970 में भारत में चांदी की तस्करी करने के अपराध में हाजी मस्तान के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही	Legal Proceedings against Haji Mastan for Smuggling Silver out of India in 1970	175
680	बंगला देश से पटसन मंगाना	Procurement of Jute from Bangladesh	176
682	एयरो विमानों के संबंध में धवन समिति के निष्कर्ष	Findings of Dhawan Committee on AVRO Plans	176
683	औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उत्तर प्रदेश बिहार और मध्य प्रदेश में औद्योगिक कारखानों को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance provided by FC to Industrial Units in U.P., Bihar and Madhya Pradesh	177
684	हथकरघा उद्योग के बारे में शिवरामन समिति की रिपोर्ट	Sivaraman Committee Report on Handloom Industry	177
685	पाकिस्तान जाने वाली विमान सेवा को प्रारम्भ करना	Introduction of Air Service to Pakistan	178

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
686	अन्य देशों के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with other countries .	178
687	तेल संकट पर काबू पाने के लिये विदेशी सहायता	Foreign Assistance for Overcoming Oil Crisis	179
688	बैंकों में धोखाधड़ी	Frauds in Banks	180
689	दक्षिण कोरिया व्यापार दल की यात्रा	Visit by South Korean Trade Team	180
690	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में चर्चित विषय	Subjects discussed in the meeting of International Monetary Fund	181
692	उड़ीसा द्वारा भिन्न भिन्न काउण्टों के धागे की मांग	Demand by Orissa for different counts of Yarn	181
693	उड़ीसा के जिलों में राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा अविमान्य ब्याज दरों पर दी गई राशियां	Payment made by nationalised banks on preferential rates of intetest in District of Orissa	182
694	उद्योगों द्वारा करों की चोरी	Evasion of Taxes by industries . .	183
695	राज्य व्यापार तथा खनिज और वस्तु व्यापार निगम द्वारा कच्चे माल की सप्लाई	Supply of raw material by STC and MMTC	183
696	राज्यों के लिये राष्ट्रीय बैंकिंग सेवा आयोग की स्थापना	Setting up of National Banking Service Commission	184
697	अमरीका से रूई का आयात	Import of cotton from USA	184
698	ताइवान के एक जहाज से तस्करी के माल का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled goods from Talwan Ship	184
699	राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट	Overdraft by States	185
700	आयातित कारें	Imported cars . . .	185
701	बैंकों के माध्यम से धनराशि भेजने के लिये भारतीयों को प्रोत्साहन	Incentives to Indian for remitting money through banking channels . . .	186
702	बड़ी इलायची का निर्यात	Export of cardamom . . .	186
703	इद्दिकी बिजली परियोजना के निर्माण के लिये सहायता के बारे में केरल सरकार द्वारा किया गया अनुरोध	Request made by Kerala Government regarding assistance for construction of Idikki Power Project	187
704	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जोधपुर में आयात लाइसेंस घोटाले का पता लगाया जाना . .	Import licences scandal unearthed by CBI in Jodhpur	187
705	गुजरात में तस्करों की नजरबन्दी करने के लिये आदेश	Orders for detention of Smuggler in Gujarat	188

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
706	गोश्रा द्वारा धागों की मांग	Demand for yarn by Goa	188
707	गोश्रा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ब्याज की अधिमान्य दरों के लिये की गई अदायगी	Payment made by nationalised banks on preferential rates of interest in Goa .	189
708	गया गंगा टी एस्टेट को पुनरोपण के लिये अनुदान	Grants for replantation to Gaya Ganga Tea Estate	189
709	औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दरों में वृद्धि	Increase in rates of interest charged by IFC	190
710	जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों के लिये आवास तथा परिवहन व्यवस्था	Accommodation and Transport arrangements for Tourist in Jammu and Kashmir	191
711	जमशेदपुर में हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of Airport in Jamshedpur	191
712	केन्द्रीय मंत्रियों के अतिरिक्त निजी सचिवों के वेतनमान	Pay Scales of Additional Private Secretaries of Union Ministers . . .	192
713	दिल्ली में लुफ्थांसा बोइंग दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट	Report on Lufthansa Boeing crash in Delhi	192
714	हैदराबाद के एक मकान से आयकर अधिकारियों द्वारा पकड़े गये कीमती पत्थर और सोना	Gold and precious stones seized by Income Tax Authorities from a house in Hyderabad	193
715	विभिन्न काउंट के धागे के लिये राजस्थान की मांग	Demand by Rajasthan for different Counts of Yarn	193
716	राजस्थान के जिलों में तरजीही ब्याज दरों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की गई अदायगी	Payments made by nationalised banks on preferential rates of interest in Districts of Rajasthan	193
717	कर अपवंचकों से निपटने के लिये कार्यवाही	Measures to deal with Tax Evaders .	195
718	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया गया महंगाई भत्ता	D.A. paid to Central Government Employees	195
719	तस्करी करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिये विशेष न्यायालय	Special courts to try Smugglers .	196
720	राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात	Exports by STC . .	196
721	क्रिम्पर्स द्वारा अपने निर्यात की तुलना में किया गया नायलोन धागे का आयात	Import of nylon yarn by crimppers against their exports	197
722	लाइसेंस घोटाले के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो	C.B.I. Enquiry re. Licence Scandal	197
723	कपड़ा मिलों द्वारा दिया गया उत्पादन शुल्क	Excise duty paid by textile mills .	198

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
724	विदेशी बैंकों द्वारा मुख्यालय व्ययों की अदायगी	Remittances of head office expenses by foreign banks	199
725	गुजरात वूलन मिल्स को धागे की सप्लाई	Supply of yarn to Gujarat wollen mills	200
726	चीनी पर लगने वाले उत्पादन शुल्क पर छूट	Rebate in Excise Duty on Sugar	200
727	राज्यों में व्याप्त अकाल तथा सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय दल	Central team to States on famine and drought conditions	201
728	उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Orissa	202
729	खंडसारी पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाना	Additional Excise duty on Khandsari	203
730	कम्पनियों द्वारा अपनी पूंजी का बढ़ाया जाना	Raising of Capital by Companies	203
731	व्यापार गृहों के विरुद्ध अपने पब्लिक ऋणों पर ब्याज देने के बारे में शिकायत	Complaint against business houses regarding payment of interest on their public loans	204
732	आमों का निर्यात	Export of mangoes	205
733	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का निर्यात	Export of iron ore by MMTC	205
734	भारतीय माल डिब्बों की खरीद में रूस सरकार की रुचि	Soviet interest in Indian wagons	206
735	मुरादाबाद में छापे के दौरान एक मकान पर बरामद नकद धनराशि और सोना	Seizure of cash and gold during raid on a house in Moradabad	206
736	राजवाड़ा महल, इंदौर का कथित अन्तरण विक्रय	Alleged Transfer Sale of Rajwade Palace, Indore	207
738	संयुक्त राज्य अमरीका से टैक्सटाइल मशीनरी का आयात	Import of Textile Machinery from USA	207
739	सूखा पीड़ित क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता	World Bank's Assistance for projects in Drought Prone Areas	207
740	विदेशों में रहने वाले भारतीयों के पासपोर्ट जब्त करना	Impounding of Passports of Indians Living Abroad	208
741	मुद्रा के परिचालन में कमी होना तथा उसका मुद्रा स्फीति पर प्रभाव	Fall in Money Supply and its effect on inflation	209
742	पकड़े गये तस्करी के माल के लिये भंडारण सुविधा का अभाव	Absence of Facilities for Storage of Seized Smuggled Goods	211

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
743	राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले तस्कर व्यापारी	Smugglers having links with political Parties	212
744	कर अपवंचन का अध्ययन करने के लिये नियुक्त समिति	Committee to Undertake Study on Tax Evasion	212
745	कम मूल्य आंकी गयी सम्पत्तियों का अर्जन	Acquisition of Undervalued properties	213
746	उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण प्रणाली	Distribution System through Fair Price Shop	114
747	निर्यात को बढ़ावा देना	Boosting of exports	215
748	शिलांग हवाई अड्डा	Shilong AIR Field	215
749	विदेश यात्रा के लिये दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign exchange released for travelers abroad	216
750	नई सूती कपड़ा नीति	New Cotton Textile Policy . .	216
751	भारत और पूर्व यूरोपी देशों के बीच व्यापार में वृद्धि	Increase in trade between India and EEC	217
752	दिल्ली हवाई अड्डे पर रात में विमानों के उतरने की व्यवस्था	Night landing at Delhi Airport	21
753	बम्बई में कापड़िया बन्धुओं पर छापे	Raids on Kapadias in Bombay . . .	218
754	बड़े व्यापार गृहों और विदेशियों के अधीन फर्मों द्वारा आर्थिक अपराध	Economic offences by firms under large business houses and foreigners . .	218
755	मथरानी समिति गठित करने का उद्देश्य	Objectives of formation of Mathrani Committee	219
756	भारतीय पटसन निगम को पटसन मिलों की ओर बकाया राशि	Amount due from Jute Mills to JCI . .	221
757	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास आयातित अलौह धातु की मात्रा	Imported non-ferrous metals with MMTC	222
758	निर्यातकर्त्ताओं को सहायता के प्रस्ताव	Proposals to help exporters	223
759	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से सहायता	Assistance from IMF and world Bank .	223
761	तम्बाकू के निर्यात के बारे में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ वार्ता	Discussion with EEC regarding Export of Tobacco	224
762	न्यायालयों में तस्करी संबंधी विचाराधीन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिये कार्यवाही	Steps to expedite cases of Smuggling pending in courts	224
763	कम्पनियों द्वारा विदेशी ट्रेड-नामों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध	Ban on use of Foreign Trade Marks by Companies	225
764	आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Authorities .	226

अता०प्र० संख्या० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
765	पंजीकृत निर्यातकों को विदेशी मुद्रा का नियतन	Allocation of Foreign Exchange to Registered Exporters	227
766	उपभोक्ता वस्तुओं का आयात	Import of Consumer Commodities .	228
767	इंडियन एयरलाइन्स में तालाबन्दी	Lock out in Indian Airlines	229
768	तस्कर गिरोहों के नये नेता	New Leaders of Smugglers Gang . .	229
770	एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षण	Reservation for S.C. and S.T. in Air India and Indian Airlines . . .	230
771	अन्तर्राष्ट्रीय वायुपत्तन प्राधिकरण में सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षण	Reservation in Service for S.C. and S.T. in International Airports Authority ..	230
772	मौसम विज्ञान विभाग और एयर इंडिया कार्यालयों में सेवा संरक्षण	Service Safeguards in Meteorological Department and Air India . . .	231
773	आयात निर्यात लाइसेंस दिये जाने के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को रियायतें	Relaxation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons for grant of Import/export Licences . . .	231
774	कलकत्ता हवाई अड्डे के रास्ते उड़ाने	Flights through Calcutta Airport	232
776	एयर इंडिया में जबरन छुट्टी पर भेजे गये कर्मचारी	Employees Laid off in Air India	232
777	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता	Dearness Allowance Payable to Central Government Employees . . .	233
779	ऋण प्रतिबन्धों में ढील देने के लिये पटसन उद्योग का अनुरोध	Request from Jute Industry for Relaxation of Credit Curbs	233
780	कपड़े के मूल्य में कमी	Fall in prices of cloth	234
781	युसुफ पटेल और उसके साथियों का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of Yusuf Patel and his accomplices	234
782	तस्करों को गिरफ्तार करना	Arrest of Smugglers	235
783	अवैध अफीम का बरामद किया जाना	Seizure of Contraband Opium .	236
784	सितम्बर, 1974 में तेजपुर के निकट विमान दुर्घटना	Plane Crash near Tezpur in September, 1974	237
785	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 1974 में काम करने वाले कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस	Retrenchment Notices to Employees Working in India International Trade Fair, 1974	237
786	सैंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये जाली ऋण और बसूल न किये जा सकने वाले ऋण	Fake Advance and Bad Debts to Small Scale Industries by Central Bank of India	237

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
787	आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये तस्करों के मामलों के साथ निपटने के लिये विशेष सैल बनाना	Special Cell to Deal with Cases Smugglers Arrested Under MISA . .	238
788	अमरीकी सहायता में कटौती	Cut in US Aid	239
789	कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र (जोन)	Kandla Free Trade zone . . .	239
790.	संयुक्त राष्ट्र आपात आपरेशन से भारत को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to India from United Nations Emergency Operation	240
791	आयात में वृद्धि	Rise in Imports . . .	240
792	युगांडा व्यापार प्रतिनिधिमण्डल का दौरा	Visit by Trade Delegation from Uganda	241
793	कपड़ा मिलों को संदिग्ध प्रक्रियायें	Doublous Practices by Textile Mills .	241
794	जीवन बीमा निगम द्वारा निधियों के निवेश के लिये मार्गदर्श सिद्धान्त	Guidelines for Investment of Funds by LIC	241
795	केन्द्रीय बिक्री कर के अपवंचन का पता लगाने के लिये मारे गये छापे	Raids to find out evasion of Central Sales Tax	242
796	रूस से रूई का आयात	Import of cotton from USSR .	243
797	बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित अध्ययन दलों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना	Submission of report by Study Groups set up by R.B.I. in regard to Credit extended by Banks	243
798	वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राशि की सीमा में वृद्धि करने के बारे में राज्य सरकारों का अनुरोध	Request by State Governments to increase the limit set by the Finance Commission	245
799	चाय उद्योग संबंधी टास्क फ़ोर्स द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना	Submission of report by Task Force on Tea Industry	246
800	तस्करी विरोधी अभियान	Anti Smuggling Drive	247
	विशेषाधिकार के प्रश्न	**Questions of privilege**	
(एक)	4 नवम्बर, 1974 को श्री जयप्रकाश नारायण पर पुलिस द्वारा हमले के बारे में गृह मंत्री का वक्तव्य	Home Minister's statement re:assault by Police on Shri Jayaprakash Narayan on 4-11-1974	248
(दो)	पटना में सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में अध्यक्ष को भेजी गई कथित गलत सूचना	Re. alleged incorrect intimation sent to Speaker about arrest of Members at Patna	252
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	253
	राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	256

विषय	SUBJECT	PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	256
अमरीकी नौसैनिक टास्क फोर्स का हिन्द महासागर में कथित प्रवेश	Reported entry of U.S. Naval Task Force into Indian Ocean	256
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee .	260
134 वां प्रतिवेदन	Hundred and thirty-fourth Report .	260
रेल अभिसमय समिति	Railway Convention Committee	260
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report . .	260
सभा का कार्य	Business of the House	260
सीमाशुल्क टैरिफ विधेयक	Customs Tariff Bill	263
प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाया जाना	Extention of time for presentation of Report of Select Committee	263
भार्गव आयोग के प्रतिवेदन के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक	Re. Bhargava Commission's Report Reserve Bank of India (Amendment) Bill	263
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	263
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	263
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga . .	264
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	265
46वां प्रतिवेदन	Forty-sixth Report . .	265
विधेयक पुरः स्थापित	Bills introduced	265
(1) तिलहन और खाद्य तेल उत्पादन विधेयक श्री मधु लिमये का	Oil Seeds and Edible Oils Production Bill by Shri Madhu Limaye	265
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 17 का प्रतिस्थापन), श्री के० एस० चावड़ा का	Constitution (Amendment) Bill (Substitution of article 17) by Shri K.S. Chavda	265
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 366 का संशोधन और नये अनुच्छेद 371 च का अन्तः स्थापन) श्री नारायण चन्द पराशर का	Constitution (Amendment) Bills (Amendment of article 366 and insertion of new article 371F by Prof. Narain Chand Parashar	266
(4) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1974 (अनुच्छेद 56 और 156 का संशोधन) श्री मधु लिमये का	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 56 and 156) by Shri Madhu Limaye	266

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(5) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1974 (अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन), श्री मधु लिमये का	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 75 and 164) by Shri Madhu Limaye	267
संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 83क का अन्तःस्थापन), श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Constitution (Amendment) Bill (insertion of new article 83A) by Shri C.K. Chandrappan	267
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan	267
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga .	269
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S.P. Bhattacharyya	269
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	270
श्री एम० कतामुतु	Shri M. Kathamuthu .	270
श्री अटल विहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee. .	271
श्री रण बहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	271
श्री टी० सोहन लाल	Shri T. Sohan Lal	271
प्रो० मधुदण्डवते	Prof. Madhy Dandavate	272
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiyya	273
श्री जे० माता गोडर	Shri J. Matha Gowder .	273
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi	274

लोक सभा वाद विवाद (संक्षिप्त अनुदित संस्करण)
LOKSABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 15 नवम्बर, 1974/24 कार्तिक 1896 (शक)

Friday, November, 15 1974/Kartik 24, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजकर 3 मिनट पर समवेत हुई।

The Lok-Sabha met at 3 minutes past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए केन्द्र द्वारा सहायता

*61. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखाग्रस्त क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ख) राज्य की सहायता करने के लिए केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है ;

(ग) उस राज्य द्वारा इस सहायता के उपभोगीकरण के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन से मार्गदर्शी सिद्धान्त बताये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार राज्य के 16 जिलों के लगभग 88 लाख की आबादी वर्तमान सूखे से प्रभावित समझी जायगी। इस मामले पर राज्य सरकार की सलाह से और आगे विचार किया जा रहा है।

श्री रणबहादुर सिंह : सूखे से बुरी तरह प्रभावित छत्तीसगढ के अलावा, केन्द्रीय दल ने विन्ध्य प्रदेश के 16 जिलों में से किन जिलों को सूखे से प्रभावित बताया है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : राजनन्दगांव दुर्ग, रायपुर, विलासपुर और शहडोल नामक पांच जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। रीवा, सिधि, झबुआ और बेतुल प्रभावित तो हुए किन्तु उतनी बुरी तरह से नहीं, जितने कि इससे पूर्व उल्लिखित पांच जिले हुए प्रभावित हुए। रामगढ़, सरगुजा, बस्तर मंडला, सेओनी, पन्ना और सतना जिलों में साधारण प्रभाव पड़ा है। उपरोक्त दल ने ऐसा अनुमान लगाया है। किन्तु, बाद में वहां वर्षा हो गई और खरीफ की देर से पकने वाली फसल नष्ट होने से बच गई। वहां रवी की अच्छी फसल होने की सम्भावना है। उक्त 16 जिलों के प्रभावित होने की मूल रिपोर्ट चिन्ताजनक थी। परन्तु सितम्बर–अक्तूबर में हुई वर्षा से मध्य प्रदेश की स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ है।

श्री रणबहादुर सिंह : मध्य प्रदेश का जो भाग सूखे से प्रभावित हुआ था वह धान क्षेत्र है और विलम्ब से हुई वर्षा का धान की खेती को बहुत अधिक लाभ नहीं होता है । इस संदर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की है और राज्य को वास्तव में कितनी राशि भेजी जा चुकी है तथा उससे राज्य के सूखा-ग्रस्त क्षेत्र में लोगों को राहत देने के लिए क्या कार्य शुरू किये गये हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इस समय केन्द्र की ओर से 'सूखा-राहत सहायता' के नाम से कोई सहायता नहीं दी जाती है । वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार इसके लिए सामान्यत: राज्यों को ही धन जुटाना होता है । हां, इस खर्च के लिए राज्यों को कुछ राशि अग्रिम राशि के रूप में दे दी जाती है जिसका हिसाब आने वाले वर्षों में हो जाता है । इस बारे में भी हम राज्य सरकार से विचार-विमर्श कर रहे हैं इसलिए अग्रिम राशि के बारे में भी अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सका है ।

श्री राम सहाय पांडे : जहां तक मुझे याद है, मंत्री-दल के मध्य प्रदेश [illegible] लौटने पर श्री सुब्रह्मण्यम ने, जो उस समय खाद्य मंत्री थे, सहानुभूति प्रकट करते समय, सहायता देने की इच्छा प्रकट की थी । अब वह सौभाग्य से वित्त मंत्री बन गये है । उन्होने अनाज तो नहीं दिया । राहत कार्य के लिए वित्त बहुत जरूरी है । मंत्री महोदय ने राजनन्दगांव का जिक्र किया था वह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और मैं उसके बारे मे बहुत अधिक चिन्तित हूं । क्या सरकार मध्य प्रदेश को अग्रिम राशि शीघ्र देगी ताकि वहां राहत कार्य शुरू हो सके ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि उन्हें खाद्य सप्लाई की दृष्टि से कोई सहायता नहीं दी गई थी । हमने उन्हें खाद्य सहायता दी थी । यह अलग बात है कि वह उनकी दृष्टि में पर्याप्त न हो । जहां तक अग्रिम राशि के नियतन की बात है, इस बारे में केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत कर रही है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बिहार में अभाव की स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने वित्त मंत्री से परामर्श करने के पश्चात् सभा में यह सूचना दी थी कि छठे वित्त आयोग ने सूखे और दैविक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय सहायता के बारे में जो सिफा-रिश दी हैं, उन पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । क्या उस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हमने इस बात पर सामान्य रूप से विचार किया है कि बाढ अथवा सूखे से उत्पन्न स्थिति से कैसे निपटा जाये और सामान्य निष्कर्ष यह है कि फिलहाल वित्त आयोग की सिफारिश से आगे न बढ़ा जाये ।

श्री जगन्नाथ राव : मंत्री महोदय ने बताया है कि केन्द्र सरकार राज्यों को अग्रिम राशि देती है तो क्या केन्द्रीय सरकार इस राशि के उपयोग के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश देती है कि कौन सी लघु सिंचाई योजनाएं पूरी करनी हैं और कौनसी स्थायी सम्पदा बनानी है, अथवा उन्ही के ऊपर छोड़ देती है कि जैसा वे चाह करें ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : अब यह पूरी तरह राज्य सरकारों के ऊपर नहीं छोड़ा जाता । उन्हें वे परियोजनाएं लेनी होती हैं जो योजना मे सम्मिलित हैं ताकि वे बाद में बाढ़ या सूखे का सामना कर सक ।

श्री पी० आर० शिनाय : सूखे के कारण मध्य प्रदेश के रायपुर डिवीजन मे कितने लोग बेरोजगार हुए हैं और उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : रायपुर सहित पांचों जिलों मे लगभग 52 लाख जनसंख्या सूखे से प्रभावित हुई है । रायपुर के पृथक आंकड़े मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सूखा-प्रभावित-क्षेत्र-कार्यक्रम-राशि में से मध्य प्रदेश में वास्तव में कितनी राशि निर्धारित अवधि में खर्च की गई है ? इसमें से कितनी राशि ग्रामीण रोजगार द्रुत कार्यक्रम और लघु सिंचाई आदि कार्यों पर खर्च के लिए है जिससे वहां बहु-फसली कार्यक्रम शुरू हो सके ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न तो विशिष्ट और मूल से सम्बद्ध था । यदि मंत्री महोदय तैयार होकर नहीं आते, तो मैं यही कह सकता हूं कि वह घर पर काम करके तैयार होकर आया करें । बार-बार तिरुपति जाने से कोई लाभ नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा हो यदि वह निश्चित उत्तर दें ।

Shri Bhagirath Bhawan: I would like to know the criterion fellowed by the Central Team in making assessment of the 16 districts visited by the Team; whether they discussed the matter with local workers or the report was drafted exclusively by the officials.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मूल्यांकन का आधार जानना चाहते हैं ।

Shri Bhagirath Bhawan: What is the basis on which the relief fund will be distributed among more and less affected districts ? Some are the districts which are badly effected and which have been reported as less effected . Jhabua is one of such districts. May I know whether assessment will be made again?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इन सभी क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू कर दिया गया है और कार्य चल रहा है । यह कार्य उन्हीं परियोजनाओं तक सीमित है, जो योजना में सम्मिलित है । लघु सिंचाई और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाएं ली जा रही है । महानदी नहर की खुदाई, भू-संरक्षण, पेय जल सम्बन्धी कार्य आदि कार्य किये जा रहे है ।

पर्यटक गाड़ियों का चलाने में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उठाई गई हानि

*62. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने पर्यटक गाड़ियों को चलाने में वर्ष 1972-73 के दौरान 85,000 रुपये की हानि उठाई है ;

(ख) यदि हां, तो निगम द्वारा किस प्रकार की गाड़ियां चलाई जा रही हैं और एक वर्ष में इतनी अधिक हानि होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में इतनी बड़ी हानि न होने देने के बारे में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) : निगम अम्बैसडर कारें, आयातित्त कारें (फोर्ड फाल्कन, फोर्ड फेयरलेन, होल्डन स्टेटसमैन, शिवरलेट), बड़े कोच (वातानुकूलित एवं अवातानुकूलित) तथा मिनि कोच चलाता है ।

1972–73 के दौरान हुई हानि के कारण हैं :—

(i) नयी आयातित 41 फोर्ड फाल्कन तथा फोर्ड फेयरलेन कारों के लिए पूरे वर्ष के लिये मूल्यह्रास के लिये व्यवस्था हालांकि ये वर्ष के दौरान केवल दो महीने ही चली ;

(ii) विभिन्न राज्य परिवहन प्राधिकारियों द्वारा नियत की गयी अलाभकारी दरें जो कि ईंधन तथा अन्य उपभोग्य सामग्री की कीमतों में अत्याधिक वृद्धि के साथ मेल नहीं खाती ;

(iii) सभी राज्यों के लिये अन्तर-राज्यीय पर्मिटों का उपलब्ध न होना । .

(ग) भविष्य में हानि न होने देने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(i) बड़े कोचों के बेड़े में, जोकि डीज़ल से चलते हैं और लाभप्रद हैं, वृद्धि की जा रही है ;

(ii) यात्रा अभिकर्ताओं तथा सरकारी अभिकरणों से और अधिक व्यवसाय प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं ;

(iii) उन राज्य सरकारों को अन्तर-राज्यीय पर्मिट प्रदान करने के लिए मनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है ।

Shri Sarjoo Pandey : Hon'ble Minister has admitted that the Indian Tourism Development corporation has suffered a loss of Rs. 85000/-. Some luxurious Vehicles were run and negligence of certain officers also contributed visit. May I know whether steps are being taken against the negligent officers or not; whether C.B.I. Inquiry is going on into the charges of corruption levelled against the Chairman of this corporation?

Shri Surendra Pal Singh: I did not say that the employees were responsible for the loss. But sometimes they use these Vehicles for their use and it comes to half per cent of total mileage. This percentage is too low to account for. I have already told the other reasons of loss and it makes the position quite clear.

Shri Sarjoo Pandey: I come to know that C.B.I. inquiry is going on against the chairman. What are the specific charges against him? Why have they failed in securing inter state permits? Whether there is a porposal to withdraw luxurious vehicles because they consume more petrol?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): We have received the C.B.I. report in this connection and that is under consideration. At the moment I can say this much that there are no serious charges against the I.T.D.C. Chairman.

Shri Jyotirmay Bosu: When was it received?

Shri Raj Bahadur: As the whole matter is under consideration. I will not now divulge any thing more here.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या घाटे पर विचार करते समय सरकार उन सुविधाओं को भी ध्यान में रखती है जो सरकारी परिवहन विभाग को प्राप्त होती हैं और गैर-सरकारी परिवहन मालिकों को प्राप्त नहीं होती । क्या सरकार को ऐसी शिकायते मिली हैं कि नये टायर बदल दिये जाते हैं और उनमें पुराने टायर लगा दिये जाते है और नये टायर बेच दिये जाते है ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जहां तक टायरों के बदले जाने का प्रश्न है, ऐसा कोई मामला सरकार को नहीं बताया गया है। जहां तक सरकारी और गैर सरकारी परिवहन विभागों को उपलब्ध सुविधाओं का सम्बन्ध है, ये समान है : भारतीय पर्यटन विकास निगम के साथ कठिनाई यह है कि उसे उन

क्षेत्रों में भी गाड़ियां चलानी पड़ती हैं जो लाभप्रद नहीं है। इसलिए वह उतना लाभ नही कमा सकता जितना कि गैर-सरकारी परिवहन मालिक कमा लेते हैं।

Shri M. C. Daga: I would like to know whether it is for the first time that the I.T.D.C. suffered the loss or it has suffered loss in earlier years also.

Shri Surendra Pal Singh: During 1969-70 it earned profit. During 1970-71 suffered loss. During 1971-72 this corporation earned profit and during 1973-74 it earned profit or Rs .18000.

Shri Ramavatar Shastri: May I know whether the Public undertaking committee has made any recommendations on the loss suffered by I.T.D.C. on maintenance of Vehicles; if so, the contents there of and the reaction of Government thereto?

Shri Raj Bahadur: The question of loss to I.T.D.C. might not have been considered by the Public Undertaking Committee, because the Corporation suffered the loss during only last two years. During 1970-71, about 65 vehicles were added to its fleet......

Shri Ramavatar Shastri: I know such a recommendation was made I am asking about that.

Shri Raj Bahadur: I'm not aware of it. You give a separate notice for it and, I will reply.

इंडियन एयरलाइन्स के यात्री यातायात में कमी

†

***64. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष इंडियन एयरलाइन्स के यात्री यातायात में 27 प्रतिशत से भी अधिक कमी हुई है और यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) क्या यात्री यातायात में कमी के कारण इंडियन एयरलाइन्स को काफी हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी; और

(घ) निगम के कार्यकरण में सुधार लाने तथा लाभ में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा है ।

विवरण

(क) अप्रैल से सितम्बर 1974 की अवधि के दौरान वाहित यात्रियों की संख्या में 1973 की उसी अवधि के मुकाबले में 9.9 प्रतिशत की कमी आयी है। तथापि, उसी अवधि में प्राप्त सीट-अनुपात में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वाहित यात्रियों की संख्या में यह कमी कारपोरेशन के बेड़े में से वाईकाउंट तथा डकोटा विमानों का क्रमश: निकाल देने तथा विमानन इंधन की कीमत में अत्यधिक वृद्धि के संदर्भ में अलाभकारी तथा वाणिज्यिक रूप से महत्वहीन मार्गों को छोड़ देने से प्रस्तुत की गयी धारिता में कुल मिला कर हुई कमी के कारण आयी है। चार अतिरिक्त बोइंग-737 विमानों के आजाने

से प्रस्तुत की जाने वाली धारिता 1.11.74 से उत्तरोत्तर बढ़ायी जा रही है जिससे वाहित यात्रियों की संख्या तथा अर्जित राजस्व में तदनुरूपी वृद्धि होनी चाहिए ।

(ख) से (घ) इंडियन एयरलाइंस ने अनुमान लगाया था कि 2 मार्च 1974 से केवल विमानन इंधन की कीमत में अत्यधिक वृद्धि के ही कारण इस वर्ष 1974-75 के दौरान 16.5 करोड़ रुपये की हानि होगी । तथापि 18 सितम्बर 1974 को घोषित विमानन इंधन की कीमत में मामूली सी कमी तथा विभिन्न किफायती और उत्पादनकारी उपायों के प्रभावपूर्ण अनुपरण के परिणामस्वरूप यह हानि घट कर 4 करोड़ रुपये से नीचे आ जाने की आशा है ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्योंकि मैं मंत्री महोदय के विवरण से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि यात्री-यातायात में इस गिरावट का कारण इंडियन एयर लाइन्स में आर्थिक बचत अभियान के नाम में लगाये गये आनावश्यक प्रतिबंध तथा नई प्रक्रिया अर्थात गलत-समय सारणियों का लागू करना तथा साथ ही यात्रियों को भोजन देना बन्द करना यात्रियों को भूखे ही यात्रा कराना आदि प्रक्रियायें आरंभ करना तथा हवाई अड्डे पर सामान की ढुलाई के लिये ठेकेदार रखना एवम् हवाई अड्डे से चुंगी कार्यालय तक बस सेवा को बन्द करना आदि हैं ? और क्या यह सच नहीं है कि ये नई पाबन्दियां ही यात्री-यातायात में कमी के कारण हैं ?

श्री राजबहादुर : पहले तो मैं माननीय सदस्य के मन से यह धारणा दूर करने का प्रयास करना चाहूंगा कि यात्री-यातायात में कमी माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित कारणों से नहीं है । प्रत्येक विमान के उपयोग में वृद्धि दिखाई दी है । वस्तुतः उपलब्ध कराये गये स्थानों का बेहतर उपयोग हुआ है वर्ष 1968 में यह उपयोग 62 से 69 प्रतिशत तथा वर्ष 1974 में 68 से 70 प्रतिशत हुआ है । इससे पता चलता है कि माननीय सदस्य द्वारा वर्णित बातें इस संबंध में बाधायें सिद्ध नहीं हुई हैं । परन्तु यह सच है कि ईंधन के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण इण्डियन एयर लाइन्स को विवश होकर अपने दैनिक कार्य संचालन के लिये कुछ उपाय तथा स्रोत ढूंढने पड़े हैं । परिणाम यह हुआ है कि डकोटा तथा वाइकाऊंट जैसे मंहगे विमानों को केवल कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर के मार्ग को छोड़कर, सेवा से हटाना पड़ा । डकोटा का संतुलन-भार 300 प्रतिशत अर्थात यात्रियों की संख्या का तीन गुना है और वाईकाऊंट के मामले में यह प्रतिशतता 144 थी । इस लिये उन्हें सेवा से हटाना पड़ा । यही कारण था कि स्थान कम हो गये तथा इस तरह यात्रियों की संख्या भी कम हो गई । परन्तु शेष विमानों का वस्तुतः अच्छा ही उपयोग किया गया और उनका कार्यकरण भी बेहतर रहा है ।

श्री आर० पी० स्वामीनाथन : मंत्री महोदय इण्डियन इयर लाइन्स को कह दें कि वे उड़ानों में परिवर्तन करने से पूर्व महत्वपूर्ण यात्री-संगठनों तथा उस क्षेत्र के संसदसदस्यों तथा जनता से परामर्श कर लें । केवल लाभ के ही दृष्टिकोण से विचारना ठीक नहीं है । लाभ का पहलू महत्वपूर्ण तो हो सकता है परन्तु यात्रियों को होने वाली असुविधाओं का मामला भी महत्वपूर्ण है तथा इसे भी ध्यान में रखना होगा।

श्री राजबहादुर : लाभ की बातें तो बाद में आयेंगी । पहले तो हमें बिना हानि की स्थिति ही प्राप्त करनी है । हमने चालू वर्ष में 16.5 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया था परन्तु जो उपाय हमने अपनाये हैं उनसे हमें आशा है कि यह हानि 4 करोड़ रुपये से कम ही रहेगी । हमने अनेक कदम उठाये हैं । परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि हम यात्रियों के लिये सुविधाओं के बारे में तथा विभिन्न स्थानों को सुगम-यात्रा पर विशेष ध्यान देते हैं । साथ ही हमें अपने विमानों का अधिकाधिक उपयोग भी सुनिश्चित

करना है । दोनों बातें ही देखनी पड़ती हैं । विमान का अधिकतम उपयोग, विमान कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग तथा अधिकतम बचतपूर्ण उपयोग ताकि उन्हें विभिन्न स्थानों पर रात भर न रुकना पड़े इन दोनों चीजों को यात्रियों की सुविधा के साथ संबद्ध करना होता है और यथा संभव ऐसा ही कर रहे हैं ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है अथवा नहीं कि बोईंग तथा कुछ कैरेवील विमानों को छोड़कर शेष सभी विमान उड़ान-भरना आरंभ करने के साथ ही घाटा दिखाने लगते हैं । किराये में वृद्धि से यातायात घट गया है और इस कारण भी घाटा बढ़ गया है । क्या इण्डियन एयर लाइन्स ने सरकार के पास इण्डियन एयरलाइन्स को लाभकारी संगठन बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव पेश किया है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्री राजबहादुर : यह सच है कि किरायों में वृद्धि के फलस्वरूप कुछ समय तक यातायात में कुछ कमी हुई थी । परन्तु अब यातायात फिर से बढ़ने लगा है । माननीय सदस्य ठीक कहते हैं कि बोईन्ग तथा किसी हद तक कैरेवील को छोड़ कर अन्य विमान जिनका हम उपयोग कर रहे हैं वे सन्तुलन की दृष्टि से वस्तुतः लाभप्रद नहीं हैं—फोक्कर तथा एवरो विमान भी नहीं । परन्तु दूरस्थ क्षेत्रों की आवश्यकताओं का भी तो ध्यान रखना पड़ता है । हम केवल लाभप्रद सेवायें ही तो नहीं चला सकते तथा कुछ अलाभकारी सेवाओं को छोड़ नहीं सकते । कुछ, अलाभकारी सेवाओं को चलाना ही पड़ता है, और वे फोक्कर तथा एवरो विमानों द्वारा ही संभव है । ईण्डियन एयर लाइन्स ने दो अतिरिक्त बोईन्ग विमानों को खरीदने का सुझाव दिया है और इस सुझाव के बारे में सरकार से सिफारिश कर दी गई है ।

श्री जगन्नाथ राव : मंत्री महोदय ने कहा है कि समय-सारिणी बनाते समय वह यह भी देखते हैं कि यात्रियों को रात भर न ठहरना पड़े । परन्तु मैं उन्हें सूचित कर दूं कि 1 नवम्बर से भूवनेश्वर से जेट विमान डमडम हवाई अड्डे पर सांय 6–40 बजें पहुंचता है, परन्तु वहां से दिल्ली के लिये विमान सेवा संख्या 402 (डमडम हवाई अड्डे से) सांय 5–15 बजे ही चल पड़ता है । एक दूसरी उड़ान संख्या 494, सांय 7.55 बजे होनी होती है परन्तु यह बताया जाता है कि उसकी सूचना बाद में दी जायेगी । इस तरह हमें डमडम हवाई अड्डे पर रात भर रुकना पड़ता है । अतः जब तक नया बोइन्ग उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक पुरानी व्यवस्था ही क्यों नहीं बनाये रखते ? इसी प्रकार भूवनेश्वर तथा मद्रास के बीच विमान सेवा के लिये हमें दिन भर मद्रास में रुकना पड़ता है ।

श्री राजबहादुर : कुछ मामलों में कुछ असुविधा हो सकती है । इस विशिष्ट मामले में भूवनेश्वर से सेवायें भली प्रकार जुड़ी नहीं हुई हैं यद्यपि जोड़ने वाली सेवायें हैं । भूवनेश्वर से कलकत्ता तथा कलकत्ता-दिल्ली सेवा के बारे में इंडियन एयर लाइन्स विचार कर रही है ।

श्री के० मालन्ना : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इंडियन एयर लाईन्स में भी एयर इंडिया की तरह नई स्फिट प्रणाली आरम्भ की गई है और क्या इस प्रणाली से इंडियन एयर लाइन्स का घाटा कम हो गया ? और यदि हां, तो कितना ?

श्री राजबहादुर: नई शिफ्ट प्रणाली आरम्भ करने तथा इस संबंध में और आगे प्रयास करने के बाद हम ने देखा है कि अनुशासन तथा उपस्थिति की स्थिति में काफी सुधार हुआ है । उसके अतिरिक्त वर्ष 1973–74 में समयोपरि भत्ते का अनुमान 382 लाख रुपये था जो अब घटकर 264 लाख

रुपये रह गया है तथा चालू वर्ष में सम्भव है यह राशि केवल 30 लाख रुपये ही रह जाये । । इस प्रकार यह बचत 3.5 करोड़ रुपये की होगी ।

फिर ठीक समय पर सेवाओं को चलाने की स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है । जहां गत वर्ष सितम्बर में ठीक समय पर चलने वाली सेवाओं की प्रतिशतता 37.31 थी इस वर्ष सितम्बर में यह प्रतिशतता 74.85 रही है । कुछ अन्य बातों में भी सुधार हुआ है । विमान कर्मचारियों के लिये रात्रि ठहराव 35 से घटकर 12 रह गये हैं । इस तरह करोड़ों रुपये की बचत हुई है । अन्य स्तरों पर भी सुधार हुआ है ।

प्रो० मधु दण्डवते: क्या यह सच नहीं है कि इंडियन एयरलाइन्स के विमानों से यात्रा करने वाले अनेक यात्रियों ने शिकायतें दर्ज कराई है कि जिन आर्थिक कठिनाइयों का आपने अभी-अभी जिक्र किया है उनके अलावा गत एक या दो वर्षों में सुविधाओं तथा सेवाओं पर अत्याधिक बुरा प्रभाव पड़ा है । उदाहरणार्थ, हवाई अड्डे से नगर तक पहुंचाने के लिये परिवहन सेवा सुविधा बन्द कर दी गई है, और विशेषतया कलकत्ता में परिवहन के अभाव को यात्रीगण अत्याधिक अनुभव करते रहे हैं । अनेक स्थानों पर कोई वैकाल्पिक सेवा भी उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

इसके अतिरिक्त, जहां उड़ानों के लिये आप किराये के रूप में 700 रुपये से 800 रुपये तक लेते हैं उनके दौरान जलपान तथा खाना देना आपने बन्द कर दिया है जिसके फलस्वरूप भी सेवा पर कुप्रभाव पड़ा है और यात्रियों की शिकायतें बढ़ गई हैं । क्यों यह सच नहीं है कि इंडियन एयरलाइन्स में केवल विमान परिचारिकाओं की मधुर मुस्कान के अतिरिक्त अन्य कोई सुधार नहीं हुआ है ।

श्री राजबहादुर : मैंने तथ्य तथा आंकड़े पेश किये हैं । जहां तक परिवहन सेवा का संबंध है, इंडियन एयरलाइन्स के भार बड़े हवाई अड्डों पर ही यह सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहा है, परन्तु शेष स्थानों पर जहां उसकी सेवायें चलती हैं, परिवहन सुविधा अब भी पहले की भांति ही उपलब्ध है ।

खान-पान की वस्तुयें दिल्ली से आगरा या दिल्ली से जयपुर तक की एक-आध घंटे की उड़ानों में देना संभव नहीं है परन्तु बड़े मार्गों पर हम खान-पान वस्तुयें काफी मात्रा में देते हैं और आप इस से भी महमत होंगे कि खाद्य के अभाव में हमें कुछ मितव्ययता से भी काम करना चाहिये ।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय का यह उत्तर बड़ा ही विचित्र है कि केवल चार बड़े हवाई अड्डों को छोड़ कर शेष सभी स्थानों पर बस सुविधा उपलब्ध है जबकि यह समझ में नहीं आता कि इन चार मुख्य हवाई अड्डों से बस सेवा क्यों हटाई गई है ।

दूसरा प्रश्न यह है वह देश में खाद्य की कमी की बात करते हैं, उन्होंने मुद्रास्फीति का रोना भी रोया है यदि देश में खाद्य सामग्री का अभाव है तथा सरकार मितव्ययता से कार्य करना चाहती है, तो वह किरायों को इसी अनुसार काफी कम कर दे । परन्तु सरकार तो निरन्तर यात्री किराये बढ़ाती जा रही है जोकि अब बहुत ही बढ़ गये हैं । गत तीन वर्षों में दिल्ली से बम्बई का किराया 240 रुपये से बढ़कर 440 रुपये हो गया है जबकि सेवाओं की स्थिति खराब हो गई है । फिर काफी मात्रा में खाद्य वस्तुओं से उनका क्या अभिप्राय है ? उनके इस उत्तर से कुछ अर्थ नहीं निकलेगा कि मेरे लिये तो कुछ भी काफी नहीं है । यदि वह स्वयं अपने लिये ही काफी खाद्य सामग्री पा जायें तो भी शायद उनकी बुद्धिमता पर प्रभाव पड़े ।

श्री राजबहादुर : मैं यह बात तो फौरन स्वीकार कर लूंगा कि मेरे मित्र श्री पीलू मोदी के लिये कितनी भी मात्रा काफी नहीं होगी। परन्तु वह यह अवश्य मानेंगे कि इंडियन एयर लाइन्स खाद्य के मामले में उनसे भेदभाव नहीं बरतेगा।

जहां तक परिवहन सेवा का संबंध है, वह वस्तुतः बिल्कुल ही बन्द नहीं कर दी गई है। वैकल्पिक प्रबन्ध किये जा रहे हैं भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी संस्थायें दिल्ली में बसें चला रही है। कलकत्ता में एक सहकारी संस्था ने माल-ढुलाई का काम हाथ में ले लिया है। साथ ही हम भी माल-ढुलाई की सुविधा भी प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं।

किरायों में वृद्धि के बारे में मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। ईंधन की लागत जून, 1973 से 670 रुपये प्रति किलो लिटर से बढ़ कर मार्च, 1974 में 1660 रुपये हो गई है, अब केवल 100 रुपये तक ही मूल्य गिरे हैं क्योंकि उनसे कुछ बकाया राशि वसूल की जा रही है। इसके इलावा इंडियन एयर लाइन्स ईंधन लागत के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के राजस्व में 11 करोड़ रुपये का तथा बिक्री कर के रूप में राज्य सरकारों को 4 करोड़ रुपये राजस्व में योगदान देता है। अब यदि इस 11 करोड़ रुपये तथा 4 करोड़ रुपये को हिसाब में रखा जाये तो आप देखेंगे कि इंडियन एयर लाइन्स कितना अच्छा कार्य कर रहा है (व्यवधान) यदि आप चाहें तो मैं इस उत्तर को दोहरा दूं। ठीक समय पर सेवा में सुधार हुआ है। समयोपरी भत्ते का खर्चा बहुत घट गया है।

श्री पीलू मोदी : जब तक यात्रियों की किस्म में सुधार नहीं होता तब तक सेवाओं के स्तर में भी सुधार नहीं होने वाला।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : इससे किसी को इन्कार नहीं होगा कि इण्डियन एयर लाइन्स के कार्यकाल में बहुत सुधार हुआ है। कहा जाता है कि यात्री यातायात घट गया है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने किस स्तर से कब से कब तक हिसाब लगाया है!

श्री राजबहादुर : अप्रैल से सितम्बर तक का।

तस्करों की नजरबन्दी से निर्यात में वृद्धि

*65. **श्री के० मालन्ना :**

श्री एन० ई० होरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तस्करों के विरुद्ध वर्तमान अभियान को ध्यान में रखते हुए निर्यात में वृद्धि के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख) इस प्रकार की परिस्थितियों में, तस्करों के विरुद्ध वर्तमान अभियान का देश के निर्यातों पर प्रत्यक्ष प्रभाव का अनुमान लगाना सम्भव नहीं होगा।

श्री के० मालन्ना : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या तस्करों की गिरफ्तारियों के बाद से हमारे निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ा है ।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मेरे विचार से माननीय सदस्य 'ग्रांसुका' संशोधन अधिनियम के बाद चलाये गये नये अभियान के संदर्भ में पूछ रहे हैं । परन्तु वह अभियान तो सितम्बर, 1974 में तथा उसके बाद चलाया गया था । परन्तु हमारे पास जो आंकड़े वाणिज्यिक गुप्तचर सेवा तथा सांख्यिकी के महानिदेशक से प्राप्त हुए हैं वे अगस्त तक के ही हैं । इसके अतिरिक्त मौखिक उत्तर देने संबंधी भी मेरी कुछ कठिनाइयां हैं । इस समय तो चालू अभियान के प्रभाव के आंकड़े देना संभव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री जी० वाई० कृष्णन अनुपस्थित है । श्री धामनकर ।

निर्यात बाध्यताएं पूरी न करना

*67. **श्री धामनकर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक उद्योग अपनी निर्यात बाध्यताएं पूरी करने में असमर्थ रहे हैं और उन्हें अपने निर्यात लाइसेंसों में कटौती का सामना करना पड़ा था; यदि हां, तो ऐसे दोषी उद्योगों की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या निर्यात बाध्यता के कारण कुछ मामलों में आपात विक्रय करने पड़े जिससे एकक मूल्य प्राप्ति में घाटा हुआ; और

(ग) क्या इसको देखते हुए सरकार द्वारा नीति का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है ।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) एक ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत विशिष्ट उद्योगों में लगे हुए बड़े पैमाने के कुछ औद्योगिक एकक, जिन्हें अपने उत्पादन का कम से कम 5 प्रतिशत निर्यात करना है और उनके निर्यात निष्पादन में गिरावट आने की दशा में उनके आयातित कच्चे माल की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में समायोजन किए जाते हैं । इस योजना में आने वाले बहुत से एककों का निर्यात निष्पादन 1973-74 में विहित सीमा तक नहीं था और तदनुसार उनके आयात आबंटनों में विसर्पी क्रम में कटौतियां की गई ।

आयात बिक्रियों और इससे एकक मूल्य प्राप्ति में कमी के कोई मामले सरकार को नहीं आए हैं।

इस सम्बन्ध में नीति का प्रति वर्ष पुनर्विलोकन किया जाता है ।

श्री धामनकर : गत वर्ष योजना के अन्तर्गत ऐसे कौन-कौन उद्योग थे जिनके लिये उत्पादन का 5 प्रतिशत निर्यात करना आवश्यक था और क्या इन योजनाओं के अन्तर्गत कोई छोटे तथा मध्यस्तरीय उद्योग भी आते हैं ।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : इस योजना के अन्तर्गत वे सभी उद्योग आते हैं जो सम्बद्ध रैड बुक के परिशिष्ट X में आते हैं । सभी छोटे उद्योग इससे बाहर हैं और बड़े उद्योग जिन्हें उत्पादन करते 5 वर्ष स कम हुये हैं वे भी इसके अन्तर्गत आते हैं ।

श्री धामनकर : क्या बड़े उद्योगों के उत्पादन में सभी का कारण कच्चे माल की कम सप्लाई है अथवा ऋण सुविधायें बन्द कर दिये जाने के कारण हैं ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह कहना कठिन है कि ऋण सुविधाओं पर प्रतिबन्ध लगाने से उत्पादन कहां तक प्रभावित हुआ है । परन्तु यह सर्वविदित है कि ऋण सुविधाओं पर प्रतिबन्ध लगाने से इन कारखानों के उत्पादन तथा कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है । अब इन विशेष योजनाओं के अन्तर्गत ये कारखाने इस दायित्व से बिना शर्त बाध्य नहीं हैं। यदि, वे आयात संपूर्ति चाहते हैं, तो उन्हें एक निश्चित प्रतिशतता प्राप्त करनी आवश्यक होती है और यदि वे आयात संपूर्ति नहीं चाहते, तब वे इस दायित्व के अन्तर्गत नहीं आते ।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि बहुत से मामलों में, जैसाकि साईकिल उद्योग, निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिये हानि उठाकर निर्यात करना पड़ता है । यदि हां, तो क्या सरकार ने वार्षिक हानि का कोई मूल्यांकन किया है जो इस प्रकार के निर्यात से होती है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : माननीय सदस्य ने कहा है कि साईकिल उद्योग को भारी घाटा हुआ है । मेरें विचार में उद्योग को कोई घाटा नहीं हुआ है ।

श्री पी० आर० शिनाय : यह एक उदाहरण मात्र है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे किसी विशेष उद्योग के किसी घाटे के बारे में पता नहीं है ।

"आंसुका" के अन्तर्गत गिरफ्तार तस्कर

*68. **श्री समर गुह :**

श्री बीरेन एंगटी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "आंसुका" के अन्तर्गत कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) क्या इस अधिनियम और अन्य समपार्श्वी उपायों के परिणामस्वरूप तस्करों के जाल को तोड़ने के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकी है ;

(ग) क्या प्रमुख तस्कर, हाजी मस्तान ने आरोप लगाया है कि उसकी गतिविधियों में राजनीतिज्ञों और मंत्रियों का भी हाथ था ;

(घ) क्या सरकार के पुलिस, निवारक और प्रवर्तन विभागों के पास राजनीतिज्ञों और प्रशासन के ऐसे लोगों की सूचियां हैं जिनको तस्करों से नयिमित एवं समय-समय पर धनराशि प्राप्त हो रही थी ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अन्तर्गत 19 तस्कर-व्यापारी नजरबंद किये गये थे। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार तस्कर व्यापार में और विदेशी मुद्रा संरक्षण के प्रतिकूल गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने पर आन्तरिक सुरक्षा

अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 1974 के अन्तर्गत 5-11-74 तक राज्य सरकारों द्वारा 550 से भी अधिक व्यक्तियों को नजरबंद किया गया है ;

(ख) तस्कर-विरोधी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, सरकार द्वारा किये गये उपायों को, जिनमें अध्यादेश के अन्तर्गत की गई कार्यवाही भी शामिल है प्रभाव यह हुआ है कि तस्कर-व्यापारियों के गिरोहों में भारतीय संबंध टट गया है ;

(ग) इस बारे में सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है ;

(घ) और (ङ) जिन अधिकारियों के बारे में यह पता चलता है कि वे तस्कर-व्यापारियों से मिले हुए हैं, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती है। जहां-कहीं पर्याप्त साक्ष्य होता है वहां उनके विरुद्ध कानून में की गई व्यवस्था के अनुसार मुकदमा भी चलाया जाता है। सरकार के पास ऐसे राजनीतिज्ञों की कोई सूची नहीं है जिनके बारे में तस्कर-व्यापारियों से समय-समय पर धन प्राप्त करते रहने का आरोप है।

श्री समर गुह : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा नाम भी इस प्रश्न के पूछने वालों में है। मंत्री महोदय ने जानबूझकर तथ्यों को दबाने तथा भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को बचाने का प्रयास किया है। यदि प्रश्न का भाग (ग) देखें जो इस प्रकार है।

"क्या प्रमुख तस्कर हाजी मस्तान के कार्यों में राजनीतिज्ञों तथा मंत्रियों के अन्तर्ग्रस्त होने का समाचार है"

और मंत्री महोदय ने कहा है..........

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कृपया प्रश्न का भाग (ग) देखें।

श्री समर गुह : इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

Shri Madhu Limaye : Kindly see direction B.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उत्तर पूरा दिया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye: Let me lead direction at 13. This reads.

"13(A) सभा में प्रश्नों के जो उत्तर दिये जायेंगे वे पूर्ण होंगे और जहां तक संभव हो, प्रत्येक भाग का प्रथम उत्तर दिया जायेगा।

यदि, उत्तर की ओर उनका ध्यान दिलाने पर, अध्यक्ष संतुष्ट हैं कि इससे यह शर्त पूरी नहीं होती तो वह मंत्री महोदय को पूरा उत्तर देने के लिये निदेश दे सकता है।"

Now I come to my Question No 74. They have admitted political Connections and certain unstarred Questions have been replied in this regard . Now look to the answer given to Question No 74. That should be clubbed with this... **(Interruptions).** Kindly understand my point. The reply to Question No 74 is in affirmative and the reply to the other Question is that there is no specific information in that regard....**(Interruptions).** One reply has been given by the Minister of Commerce and the other by the Minister of Finance...**(Interruptions)** Sir, what is this fun?

Shri Atal Bihar Vajpayee: My submission is that the Question No 74 should be clubbed and the reply should be got read.

Shri Madhu Limaye: Sir, in Question No. 74 I have asked the reasons for the delay and the reply has been given that a statement has been laid on the table. There is no reference to the reasons in the Statement laid on the table....

Mr. Speaker: You kindly sit down and let him reply.

Shri Madhu Limaye: He is telling a lie. What is this? There are two Contradicting replies by the Commerce and the Finance Ministers. Answers have been given regarding political connections. Shri Nityanand Kanoongo, Shri Bhanushankar Yagnik are involved as the activities of Coolie Mastan. They are recommending a telephone,... they are telling a lie. There should be limit.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के कई भाग हैं और आरोप यह लगाया गया है कि भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है । आप क्या चाहते हैं ।

श्री प्रणबकुमार मुखर्जी : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है हमें सही जानकारी नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह समाचार समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। प्रश्न संख्या 74 के उत्तर में यह प्रकाशित हुआ है । दूसरे सदन में स्पष्ट बताया गया है...... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा स्पष्ट प्रश्न है और माननीय सदस्य कहते हैं कि यह समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है । आप उत्तर दे सकते है ।

Shri Madhu Limaye: Question is the same. Sometimes such questions are sent to Ministry of commerce and some times to Finance Ministry. What is our fault?

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Minister of Commerce is also present here.

Shri Madhu Limaye: I read the Question:

"क्या समाजवादी संसद सदस्यों ने वर्ष 1970 में कई ऐसे प्रश्न पूछे थे जिनमें कुली मस्तान जैसे तस्करों के राजनैतिक सम्पर्कों के बारे में जानकारी मांगी गई थी,"

यदि हां, तो सितम्बर, 1974 तक तस्करों तथा तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रश्न वित्त मंत्री से पूछा गया है । आप इन दोनों प्रश्नों को एक साथ कैसे मिला सकते हैं ।

वित्त मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं कुछ कहना चाहता हू, प्रश्न का भाग (ग) इस प्रकार हैं :

"(ग) क्या प्रमुख तस्कर हाजी मस्तान के कार्यों में राजनीतिज्ञों तथा मंत्रियों के अन्तर्ग्रस्त होने का समाचार है,"

इसके उत्तर में यह बताया गया है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है । अतः इसमें राजनीतिज्ञों अथवा मंत्रियों के अन्तर्ग्रस्त होने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। मेरे विचार से मेरा सम्बन्ध प्रश्न संख्या 68 से है । प्रश्न के भाग (ग) के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है । केवल इस आधार पर कि कुछ समाचार पत्रों द्वारा कोई जानकारी दी जाता है...... (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंण्डवतें : उन्होंने केवल समाचारपत्रों की बात नहीं की है उन्होंने वर्ष 1970 में इस सभा में दिये गए एक प्रश्न के उत्तर का संदर्भ दिया है ।

श्री मधु लिमये : इसका उत्तर चार वर्ष पर्व दिया गया था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री सूखाड़िया पर 25 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया गया था । मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है.... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । ये दो प्रश्न जो भिन्न-भिन्न मंत्रालयों से पूछे गये हैं-- एक प्रश्न वित्त मंत्रालय से दूसरा वाणिज्य मंत्रालय से पूछा गया है । आपको दोनों प्रश्न एक ही मंत्रालय से पूछने चाहिये थे ।

Shri Madhu Limaye: Sir; you, Kindly go through the record. I have addressed to Finance Ministry. When, the subject matter is the same, both the questions can be called together.

Shri Atal Bihari Vajpayee: If the subject matter is the same and move moreover, the Minister's concerned and present we can take both the Questions together. Would you allow contradictory replies to two Questions?

Mr. Speaker: I have allowed both the Questions.

श्री पीलू मोदी : उन्होंने प्रश्न वित्त मंत्रालय से पूछा है ।

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय को मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिये ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : 20 अप्रैल, 1970 को यह बात मेरे ध्यान में लाई गयी जहां तक आरोप का सम्बन्ध है, सरकार का ध्यान आरोप की ओर दिलाया गया हैं, यह बताया गया था कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल ने बम्बई के हाजी मस्तान मिर्जा को पारपत्र देने की सिफारिश करते हुये एक प्रमाणपत्र दिया था और महाराष्ट्र के एक मंत्री ने, जो केन्द्रीय मंत्रीमन्डल में भूतपूर्व मंत्री थे, एक प्रमाणपत्र दिया था जिसमें हाजी मस्तान मिर्जा को समाज सेवक के रूप में टेलीफोन देने की सिफारिश की गई थी । (**व्यवधान**) अतः विचारणीय बात यह है । वर्ष 1970 में हाजी मस्तान को कोई नहीं जानता था निःसन्देह वह बहुत प्रसिद्ध तस्कर है । अब उसे सभी जानते हैं । उस समय वे मिर्जा को नहीं जानते थे । (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye: Sir, there have been at least 9 Questions on this subject. This Question was asked in April and repeated in December. You may recalled that Shri Nitya Nand Kanoongo refused to acknowledge his signatures. Later on, the matter was taken to the court and the court said that he had beyond redemption. They are telling a lie and Sir, you are tolerating that.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है ? मेरा सम्बन्ध उसी से है..... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दें । उन्हें ही स्थिति स्पष्ट करनी है ।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उससे बड़ी निराशा हुई है । वह यह नहीं कह सकते कि उनका सम्बन्ध इतना ही है। सरकार के साथ उनका भी संयुक्त दायित्व है । उन्हें अपना दायित्व निभाना चाहिये ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : प्रश्न विशिष्ट रूप से यह पूछा गया है कि क्या राजनैतिक व्यक्ति भी इस मामले में अन्तर्ग्रस्त हैं ?

श्री समरगुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

मंत्री महोदय ने अभी अभी कहा है......

अध्यक्ष महोदय आप इस तरह क्यों समय बर्बाद करते हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : ऐसे कार्यों में मंत्रियों तथा राजनैतिक व्यक्तियों का अन्तर्ग्रस्त होना बहुत गम्भीर आरोप है । यहां केवल पारपत्र अथवा टेलीफोन की सिफारिश करने की बात ही नहीं रह जाती अपितु मुख्य बात ऐसे कार्यों में भाग लेने तथा उनसे लाभ उठाने की है । निश्चय ही ऐसे आरोप का कोई आधार नहीं है । इसलिये हमने यह कहा है कि हमें जानकारी नहीं है । इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कह सकता, मैं यह नहीं कह सकता कि प्रमुख व्यक्ति इन कार्यों में भाग ले रहे हैं । सरकार के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि किसी मंत्री अथवा राजनैतिक व्यक्ति ने इन कार्यों में भाग लिया हो । हमारे पास कोई ऐसी सामग्री नहीं है ।

श्री समरगुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ पूछिये, व्यवस्था का प्रश्न न उठाइये क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान मैं व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूँ ।

श्री समरगुह : यह प्रश्न किसी अन्य दिन के लिये स्थगित कर दिया जाना चाहिये । इस समय जो उत्तर दिया गया है उसमें तथा 1970 में दिये गये उत्तर में बहुत बड़ा विरोधाभास है क्योंकि 1970 में राजनीतिज्ञों राज्य के राज्यपाल और राज्य के एक मंत्री का अन्तर्ग्रस्त होना स्वीकार कर लिया गया था । अब सरकार कहती है कि किसी राजनैतिक व्यक्ति अथवा मंत्री का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः मैं अनुरोध करता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है यह किसी अन्य दिन के लिये स्थगित कर दिया जाना चाहिये । अब 12 बजने में 2, 3 मिनट शेष हैं ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : तस्करों के विरुद्ध अभियान से लोग प्रसन्न हैं । प्रतिदिन समाचार-पत्रों में इस कार्य से सम्बन्ध व्यक्तियों के नाम आते हैं । मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि राजनीतिज्ञों के तस्करों से सम्बन्ध हैं अथवा नहीं इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर सरकारी तंत्र द्वारा विचार किया जा सकता है । इसमें कोई सन्देह नहीं है । प्रत्येक मामला सभा के समक्ष लाया जाना चाहिये और इस पर सभा में विचार होना चाहिये । इस मामले में किसी व्यक्ति के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाना चाहिये । इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिये । इस मामले की इस ढंग से चर्चा नहीं होनी चाहिये । यह कोई छोटा मोटा माला नहीं है । प्रत्येक सम्पर्क के बारे में सभा को पता होना चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं कुछ कहना चाहता हूं । आप हमें इस मामले में उचित निदेश दें । श्री कानूनगो तथा श्री सूखाड़िया का नाम इस सम्बन्ध में सामने आये हैं ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जो भी राजनीतिज्ञ ऐसे मामलों से सम्बन्धित पाया जाये उसे तस्कर सहित आसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाना चाहिये...... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । जैसे ही यह प्रश्न आरम्भ हुआ इसने हमें विवाद में डाल दिया है । मंत्री महोदय ने अपना उत्तर पढ़ दिया है । सदस्य भी अपने प्रश्न पूछ रहे हैं । मेरा विचार है कि इसे किसी अन्य दिन के लिये स्थगित कर दिया जाये ।

श्री मधु लिमये : प्रश्न संख्या 74 भी ।

प्रो० मधु दंडवते : इसे प्रश्न संख्या 74 के साथ मिला दिया जाना चाहिये ।

ग्रध्यक्ष महोदय : पक्ष और विपक्ष दोनों का यही मत है कि यह किसी अन्य दिन के लिये स्थगित किया जाना चाहिये । अतः यह स्थगित कर दिया जाना चाहिये । इसमें कोई कठिनाई नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: You will have to clarify what the hon. Minister has said. Recommending of a telephone to a smuggler in the name of a social worker may be included in the activities of a Minister Sir, you are to decide whether there is no link between the recommendation of a telephone and the smuggling.

श्री रामसहाय पांडे : श्रीमन्, उन्होंने कहा है......

ग्रध्यक्ष महोदय : मैंने किसी सदस्य का नाम नहीं पुकारा है । इसमें से कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

Merger of Hunza into Pakistan

***41, Shri Ishwar Chaudhry:**

Shri Gajadhar Majhi:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the reaction of Government to the merger of Hunza, a part of Kashmir, with Pakistan and the action taken or proposed to be taken in this regard; and

(b) whether Government consider the Simla Agreement alive even after the above incident?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) According to Radio Pakistan broacdcast of September 24, 1974, Pakistan Government has decided to end the separate entity of the principality of Hunza and to merge its administration with the northern areas of Jammu & Kashmir which are under illegal occupation of Pakistan. This action of the Government of Pakistan constitutes a material and unilateral alteration in the situation regarding one of the northern territories of J&K for which it has no right or sanction and is thus in violation of paragraph 1 (ii) of the Simla Agreement. This matter has already been taken up with the Government of Pakistan.

(b) Government's position on the Simla Agreement has been reiterated in the past. We feel that if there are any deviations from the side of Pakistan, it should be our duty to point out those deviations and try to make Pakistan adhere to the Simla Agreement in letter and spirit.

एगमार्क सील वाले खाद्यान्न के अपमिश्रित नमूने

42. **श्री नरेन्द्र कुमार सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत दो वर्षों में एगमार्क सील वाले ऐसे कितने खाद्यान्न नमूने पकड़े गये जिन्हें अपमिश्रित पाया गया ;

(ख) क्या मंत्रालय ने स्थानीय अधिकारियों को एक परिपत्र जारी करके कहा है कि एगमार्क सील वाली खाद्य वस्तुएं बेचने वाले दुकानदारों पर स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के साथ परामर्श किये बिना मुकदमा न चलाया जाए ; और

(ग) यदि हां, तों इसका औचित्य क्या है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन मंत्रालय में **उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :** (क) 1972 और 1973 में दो।

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा सभी खाद्य (स्वास्थ्य) अधिकारियों को एक परिपत्र जारी कर दिया गया है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि यदि किसी एगमार्क वाले खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई जाए तो इस निदेशालय से परामर्श करें ताकि मुकदमा दायर करने से पहले ऐसे खाद्य पदार्थ में मिलावट के कारण और स्रोत का पता लगाया जा सके ।

(ग) प्रभाणीकरण को अपनी एगमार्क सील लगाने से पूर्व विपणन और निरीक्षण निदेशालय खाद्य पदार्थों का परीक्षण करता है । इसलिए उस स्थान के केमिस्ट इन्चार्ज, जहां समान पैक किया जाता है और सरकारी विश्लेषक के परिणामों में किसी प्रकार के अन्तर होने की गुंजायश नहीं होनी चाहिए। फिर भी, यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो यह जरूरी है कि उस खाद्य पदार्थ में मिलावट के वास्तविक स्रोत का पता लगाया जाए।

सोवियत रुस से आयात किए गए पोलियो के टीकों का प्रभाव समाप्त हो जाना

***43. श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सरजू पांडे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से प्रकाशित एक समाचार पत्र के 24 सितम्बर, 1974 के अंक में यह आरोप लगाया गया है कि सोवियत रूस से आयात किए गये लाखों रुपयों के मूल्य के पोलियो के टीके विषम भण्डारण स्थितियों के कारण बेकार हो रहे हैं और इसके कारण कुछ मामलों में उनका प्रभाव 99 प्रतिशत तक समाप्त हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) देश में इस्तेमाल की जा रही खाई जाने वाली पोलियो वैक्सीन के गुण-किस्म पर केन्द्रीय औषद्य मानक नियंत्रण संगठन ने संचारी रोगों के राष्ट्रीय संस्थान के साथ मिल कर एक सर्वेक्षण किया। अखिल भारतीय आधार पर दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता तथा भोपाल, अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थाओं, औषधालयों, वितरकों, कैमिस्टों तथा रोग-क्षमीकरण केन्द्रों से वैक्सीन कें 95 नमूने लिये गये थे । 95 में से 46 नमूनों का प्रभाव 20 प्रतिशत से ले कर 99 प्रतिशत तक समाप्त हो चुका था । जिन संस्थानों के पास वैक्सीन को भण्डार में रखने की समुचित व्यवस्था थी वहां वैक्सीन के प्रभाव को सन्तोषजनक पाया गया । इस सर्वेक्षण के बाद खाई जाने वाली पोलियो वैक्सीन के सम्बन्ध

में एक नोट, जिस में वैक्सीन को भण्डार में रखने के तरीके, उसके सेवन के बारे में क्या-क्या सावधानियां बरती जायें आदि का उल्लेख था, प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारियों, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना, रेलवे, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, सेना आदि को भेजा गया था। सम्बन्धित अधिकारियों तथा बच्चों के मां-बाप को भी हिदायतें भेज दी गई थीं। औषध नियंत्रक (भारत) ने भी इस मामले के बारे में राज्य औषध नियंत्रकों को पत्र लिखा था। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें वैक्सीन की सप्लाई सम्बन्धी तरीकों, भंडार में रखने की स्थितियों तथा क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, इन सब बातों से अवगत कराया। सहायक औषध नियंत्रक, बम्बई द्वारा आयात की गई वैक्सीन के गुण-किस्म पर भी नियंत्रण रखा जा रहा है और जिन नमूनों की अब तक जांच की गई है उन्हें सन्तोषजनक पाया गया है। संचारी रोगों के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा नमूने लेने अर उनकी जांच करने का कार्य निरन्तर नियमित रूप से किया जा रहा है। केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना ने पोलियो वैक्सीन को अपने भण्डारों अथवा औषधालयों में रखने की प्रणाली को समाप्त कर दिया है तथा वैक्सीन को उसी दिन इस्तेमाल किया जा रहा है जिस दिन वह प्राप्त की जाती है।

इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

*44. **अर्जन सेठी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान सरकार और हमारी सरकार के बीच इस्लामाबाद में हाल ही जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुये हैं, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या पाकिस्तान के साथ फिर से राजनीतिक संबंध स्थापित करने के बारे में बातचीत हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) 14 सितम्बर, 1974 को पाकिस्तान सरकार के साथ (1) डाक सामग्री का आदान-प्रदान फिर शुरू करने (2) दूर संचार सेवा की स्थापना एवं पुन: प्रारम्भ (3) दोनों देशों के राष्ट्रिकों को यात्रा की सुविधाएं प्रदान करने से सम्बद्ध समझौतों के (4)और धर्म-स्थानों की यात्रा के लिये किये गए प्रोतोकोल के मूल पाठ सदन के पुस्तकालय में रख दिया गया है।

(ख) और (ग) : जी नहीं। भारत का यह रवैया सुविदित है कि पहले सामान्यीकरण के उपायों पर अमल करने की दिशा में कुछ तात्विक प्रगति होनी चाहिये तभी राजनयिक सम्बन्ध अर्थवान हो सकते हैं।

Implementation of Nathwani sub-Committee on Standard and Quality Control of Drugs

*45, **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether various States have implemented in full the report of the Nathwani Sub-Committee on standard and quality control of Drugs;

(b) whether Government have accepted various recommendations made by the above Committee; and

(c) the outlines of the main recommendations and the action so far taken by Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) The Nathwani Sub-Committee appointed by Drugs and Equipments Standard Committee had examined various existing legislations on Drugs with a view to bring about their consolidation and uniform enforcement. As the legislations involved were Central Acts with which only the Central Government was concerned, question of State Governments implementing the recommendations of the Sub-Committee does not arise. However, certain observations made by the Sub-Committee regarding reorganisation of the Drugs Control machinery have been implemented by 5 States only, viz. Maharashtra, Gujarat, Karnatka, West Bengal & Kerala.

(b) & (c) The main recommendations made by the above Sub-Committee are as under:—

(1) The Opium Act, 1878 and the Dangerous Drugs Act, 1930 relate to Narcotics which are covered by International conventions and therefore it would be desirable to consolidate these two Acts into a single Act.

(2) To consolidate the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 with any other legislation but enforcement thereof should continue to remain with the Excise authorities as heretofore.

(3) The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954. the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the Poisons Act, 1919 in so far as it relates to non-agricultural and non-industrial Poisons could be codified into one legislation.

(4) Amalgamation of Prevention of Food Adulteration Act, 1954 with the Drugs and Cosmetics Act, 1940 may not be feasible from the administrative point of view and difference in distribution pattern and administrative control machinery. Sub-Committee, however, felt that academic background and experience of Drugs Inspectors and Drugs Control authorities could be utilised to make control over foods more effective. Similarly, anlytical facilities for drugs and food items could be combined or coordinated.

(5) The Pharmacy Act applies only to dispensing of drugs under the Modern System of Medicine and since the main object of the Pharmacy Act, like the Medical, Dental and Nursing Acts, is to regulate the practice and profession of Pharmacy it would be desirable to have it as an independent statute.

The above recommendations were considered by the Drugs and Equipments Standard Committee and following actions have so far been taken:—

(1) Already under consideration.

(2) As this act is to continue to remain with the Excise Authorities no action is necessary.

(3) The Poisons Act is at present being administered by the Ministry of Home Affairs whereas the Drugs & Magic Remedies Act & Drugs and Cosmetics Act are administered by Health Ministry. Question of condification of all these Acts is not possible unless and until all of them are administered by a single Ministry. Accordingly question of transfer of Poisons Act to Health Ministry is under consideration.

(4) So far in Maharashtra only the Food & Drugs Directorates have been combined into one single administration. The Central Government have however accepted this recommendation and under the Fifth Five Year Plan it is proposed to set up combined Food & Drugs Laboratories in various parts of the country. 12 existing Laboratories testing Food & Drugs would also be augmented during this period.

(5) This recommendation has been accepted. No action is necessary as there is already a separate Act. The Sub-Committee had also suggested certain amendments to the Drugs & Cosmetics Act which have generally been agreed to and have been taken into account while drafting the amendments to the Drugs & Cosmetics Act which are under consideration.

बोनस पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन

***46. श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बोनस पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(ग) उक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर कब तक रख दिये जाने की आशा है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां। समिति की रिपोर्ट 14 अक्तूबर, 1974 को प्राप्त हुई थी।

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है और निर्णय अभी लिये जाने हैं।

(ग) मामले के इस पहलू की भी जांच की जा रही है।

पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड

***47. श्री के० एम मधुकर :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्रकारों के लिये नवम्बर, 1974 में एक मजूरी बोर्ड गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों के लिये एक वेतन बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है।

(ख) वेतन बोर्ड के विचारार्थ-विषयों और कार्मिक के सम्बन्ध में कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

Mobilization of Chinese Army in Pakistan Occupied Kashmir

*48. **Shri N. E. Horo:**

Shri Samar Guha:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether Pakistan has afforded an opportunity of coming closer to China militarily by the merger of Hunza State of Jammu and Kashmir, which was in illegal occupation of Pakistan, with Gilgit and Baltistan;

(b) whether Government of India are also aware that China had constructed strategic roads and deployed the Army in that area; and

(c) if so, the facts thereabout and the reaction of Government thereto?,

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (c) The merger of Hunza State with Pakistan does not materially imply Pakistan coming close militarily to China, as military control of Pakistan already existed in this area. Government are aware of the construction of part of the Karakoram Highway through this area by China. According to information available, some Chinese troops are known to be employed on this construction work. The unilateral action of Pakistan in materially altering the situation in respect of Hunza is in violation of Simla Agreement and has no legal sanction. Government have also made it clear to the Governments of Pakistan and China that the so-called agreements between them regarding Pakistan occupied Kashmir are illegal, invalid and totally unacceptable to us.

भारत अमरीका संयुक्त आयोग का गठन

*49. **श्री हरी सिंह :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तथा भारत की सरकारों ने दोनों देशों की व्यापार, संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये एक संयुक्त आयोग गठित करना स्वीकार किया है; और

(ख) यदि हां, तो अमरीका तथा भारत के उक्त संयुक्त आयोग सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) संयुक्त आयोग, जिसके तत्वावधान में तीन उप-आयोग होंगे, भारत और अमरीका के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक, वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकीय, तथा शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को प्रोत्साहन देने की सम्भावनाओं का पता लगाएगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों का पुनर्गठन

*50. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण जनता के लिये एक विस्तृत स्वास्थ्य कार्यक्रम आरम्भ तथा तैयार किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लोगों को न्यूनतम आवश्यकताओं के लिये, विशेषकर जो ग्राम और पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने पर मुख्य रूप से बल दिया गया है जो इस प्रकार हैं :—

(1) प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के लिये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना;

(2) 10,000 की आबादी के लिये एक उप केन्द्र खोलना;

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों के भवनों तथा मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य के उप-करण सम्बन्धी कमियों को समन्वित रूप में दूर करना;

(4) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये प्रतिवर्ष 12,000 रुपये के मूल्य की औषधियों की व्यवस्था करना;

(5) प्रत्येक उप केन्द्र के लिये प्रतिवर्ष 2,000 रुपये के मूल्य की औषधियों की व्यवस्था करना;

(6) हरेक 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक केन्द्र को 30 पलंगों वाला अस्पताल बनाना; ये अस्पताल निरोधक और स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के अलावा नियमित आम विशेषज्ञ सेवाएं भी प्रदान करेंगे।

'पिल' नामक खाई जाने वाली गर्भ निरोधक औषधियों का प्रयोग

***51. श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अक्तूबर, 1974 के एक स्थानीय दैनिक में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि 'पिल' नाम से प्रचलित खाई जाने वाली गर्भ निरोधक औषधि प्रयोक्ता के शरीर में प्रोटीन की कमी का एक संकेत दे सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार और जनसाधारण की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन (मंत्री डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान में प्रयोग की जा रही खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों में हार्मोन होते हैं जो गर्भावस्था के दौरान काफी मात्रा में मौजूद रहते हैं। ऐमिनों अम्ल के स्तरों में बहुत ही कम परिवर्तन

होते हैं जो खाई जाने वाली गोलियों के प्रयोग के दौरान उत्पन्न होते हैं और इनसे कोई भी चिकित्सीय खतरा नहीं होता है। मार्गदर्शीय गोली परियोजनाओं में, जिनमें खाए जाने वाले गर्भनिरोधकों का प्रयोग प्रारम्भ किया गया है, प्रयोगकर्ताओं में प्रोटीन की कमी का कोई संकेत नहीं मिला है और जनता से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, इस मामले की सावधानीपूर्वक और सतत समीक्षा की जा रही है।

Construction of new Nuclear Station in Tibet by China

***52. Shri R.V. Bade:**

Shri Shashi Bhushan:

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the Press reports to the effect that China is building a new atomic station in Tibet whose radio activity will not only create hazords for India but a big chunk of Indian territory will also come in the range of the Chinese nuclear rockets;

(b) whether China has a plan to conduct tests for launching her missiles in the Indian Ocean hovering them over Indian skies; and

(c) Government's reaction in regard to these Chinese atomic rockets and missiles.

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) and (b) Government have seen Press Reports to this effect but there is no authentic information to corroborate these reports. China is reportedly making preparations for an ICBM test which might be in the Indian Ocean.

(c) Government believe that the defence of our borders can be best ensured by adequate military preparedness based upon conventional weapons. Government's policy is to use nuclear energy for peaceful purposes only.

देश में चेचक से हुई मौतें

***53. श्री नुरुल हुडा:**

श्री नारायण चन्द पराशर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान असम और देश के अन्य भागों में चेचक से हुई भारी संख्या में मौतों की ओर दिलाया गया है;

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी मौतें होने का समाचार मिला है;

(ग) चेचक के इतने बड़े पैमाने पर फैलने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस रोग की रोक थाम के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (घ) पिछले वर्ष खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों में चेचक की घटनाओं में स्पष्टत: वृद्धि हुई है।

प्राथमिक टीके न लगे हुए लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहना, काफी दिनों से चले आ रहे अन्ध विश्वास के कारण कुछ लोगों द्वारा टीके का विरोध करना और अज्ञात रोगियों का पता लगाने के लिए समूचे देश में तीव्र खोज का किया जाना ही चेचक की घटनाओं में वृद्धि के कारण हो सकते हैं। 1974 के दौरान विभिन्न राज्यों में चेचक के रोगियों की संख्या के साथ साथ मृत्युओं की संख्या का एक विवरण संलग्न हैं (परिशिष्ट)।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श से जुलाई, 1973 में चेचक उन्मूलन के लिए एक तीव्र अभियान चलाया गया था। उपर्युक्त जिन चार राज्यों में यह रोग स्थानिक मारी के रूप में फैला हुआ था वहां इस कार्यक्रम को चलाने की बात पर मुख्य रूप से बल दिया गया और इस अभियान का उद्देश्य चेचक के रोगियों का सक्रिय रूप से पता लगाना और जहां पर चेचक फैलने का पता लग चुका हो वहां इस रोग की रोकथाम करना था। चेचक निरोधी तीव्र अभियान के अधीन राज्य सरकारों ने जो स्वास्थ्य कार्यक्रमों को चलाने के लिए मुख्यत: उत्तरदायी हैं रोगियों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य कार्मिकों को नियुक्त कर दिया है तथा परिवहन की सुविधाएं भी दे दी हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को सहायता देने के लिये शीघ्र उपाय बरते हैं ताकि वे वर्तमान स्थिति का मुकाबला कर सकें। जिन राज्यों में यह रोग स्थानिकमारी के रूप में फला हुआ है वहां पर चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिए तैनात सामान्य कर्मचारियों के अतिरिक्त वरिष्ठ महामारी वैज्ञानिकों के अधीन निगरानी दलों की संख्या 22 से बढ़ा कर अब 94 कर दी गई है और जहां पिछले साल 15 निरोधी दल काम कर रहे थे अब 133 दल काम कर रहे हैं। इन दलों को काफी संख्या में अतिरिक्त गाड़ियां भी दे दी गई हैं ताकि वे आ जा सकें। वैक्सीन, द्विशिरा वाली सुइयां और स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री काफी मात्रा में दी गई है और इनकी पर्याप्त मात्रा रिजर्व रखी जाती है।

विवरण

भारत में जनवरी से 26 अक्तूबर 1974 तक सूचित किए गए चेचक के राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार मामलों और मृत्युओं का विवरण।

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1974	
		मामलों की संख्या	मृत्युओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	245	35
2.	असम	5804	916
3.	बिहार	1,24,127	21,414
4.	गुजरात	5	2
5.	हरियाणा	71	16

1	2	3	4
6.	हिमाचल प्रदेश	6	—
7.	जम्मू व काश्मीर	760	107
8.	केरल	4	2
9.	मध्य प्रदेश	2,240	276
10.	महाराष्ट्र	448	40
11.	मणिपुर	10	2
12.	मेघालय	485	51
13.	कर्नाटक	11	3
14.	नागालैण्ड	47	6
15.	उड़ीसा	2,058	444
16.	पंजाब	39	4
17.	राजस्थान	61	11
18.	तामिलनाडु	14	4
19.	त्रिपुरा	—	—
20.	उत्तर प्रदेश	36,325	5,203
21.	पश्चिम बंगाल	11,011	2,050
22.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—
23.	अरुणाचल प्रदेश	2	1
24.	चण्डीगढ़	—	—
25.	दादरा व नागर हवेली	—	—
26.	दिल्ली	146	27
27.	गोआ, दमण तथा द्विव	—	—
28.	लक्ष मिनिकोय अभिनद्विव द्वीप समूह	—	—
29.	मिजोरम	—	—
30.	पांडिचेरी	—	—
	योग—	1,83,929	30,614

काश्मीर के मामले पर भुट्टो द्वारा युद्ध की धमकी

***54. श्री अनादि चरण दास :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में "भुट्टो टाक्स आफ वार ओवर काश्मीर" शीर्षक से प्रकाशित समाचर की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या भारत ने पाकिस्तान को बता दिया है कि उसका काश्मीर पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) हमने इस आशय की खबरे अखबारों में देखी हैं। लेकिन प्रधान मंत्री भुट्टो ने सचमुच जो कुछ कहा है उसका सारांश रेडियो पाकिस्तान की 25 सितंबर की रिपोर्ट में दिया गया है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान शिमला करार के प्रावधानों के अनुसार भारत से काश्मीर के संबंध में वार्ता के लिए तैयार है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि बातचीत द्वारा मामला सुलझाया जाय । उहोंने यह भी कहा कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता और न उसे भारत द्वारा युद्ध करने का कोई कारण दिखाई पड़ता है ।

(ख) और (ग) : काश्मीर के संबंध में भारत का यह अभिकथन कि पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर के एक भाग पर अवैध अधिकार कर लिया है सर्वविदित है ।

रक्षा सम्बन्धी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भर्ती आवश्यकताएं

***56. श्री शक्ति कुमार सरकार :**

श्री एस० एम० सिद्दय्या :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को यह सलाह दी गई है कि वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अन्य सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के 'प्लेसमेंट' अधिकारियों को वार्षिक रूप से अपनी भर्ती आवश्यकताएं पेश करें ताकि इन उपक्रमों में आरक्षित तकनीकी पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों में से भर्ती की स्थिति में सुधार लाने में सहायता मिल सके;

(ख) क्या वे उपक्रम भी विभिन्न तकनीकी संस्थानों 'प्लेसमेंट' अधिकारियों से भी सम्पर्क स्थापित करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह पद्धति कब से अपनाई जा रही है और इसके क्या ठोस परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(क) जी हां, श्रीमन् । जुलाई, 1972 में रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस आशय की सलाह दी गई थी ।

(ख) तथा (ग) यद्यपि ये उपक्रम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा इस विषय पर जारी किए गए निदेश के अनुसार विभिन्न एजेंसियों को देते है । सम्भवतः तकनीकी संस्थानों के प्लेसमेंट अधिकारियों की सहायता किन्हीं कारणों से उनके द्वारा प्राप्त नहीं की गई है । उन्हें पुनः सलाह दी गई है कि जब भी इस प्रकार के तकनीकी पदों को भरने की आवश्यकता हो तो अपनी तकनीकी पदों की आवश्यकताएं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के प्लेसमेंट अधिकारियों को अवश्य सूचित करें ।

भारत-पुर्तगाल सम्बन्ध

***57. श्री एम० एम० जोजफ :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 अक्तूबर, 1974 के एक अंग्रेजी पत्र समाचार के अनुसार पुर्तगाल की राज्य परिषद ने एक कानून बनाया है जो कि पुर्तगाली संविधान से "पोर्चुगीज इंडिया" (पुर्तगाली भारत) के उल्लेख को समाप्त करता है; और

(ख) क्या इससे दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों को पुनः स्थापित करने में सहायता मिलेगी ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) पुर्तगाल की सरकार ने एक आदेश जारी करके पुर्तगाल के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह भारत के साथ एक समझौता करके भारत में उन प्रदेशों पर उसकी पूर्ण संप्रभुता स्वीकार करे जिन पर पहले पुर्तगाल का कब्जा था ।

(ख) जी, हां ।

पाक वायु सेना की आक्रमण क्षमता

***58. सरदार महेन्द्र सिंह गिल :**

श्री वी० मायावन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 अक्टूबर, 1974 के एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पुनः निर्मित पाकिस्तानी वायु सेना की तुलना में भारतीय वायु सेना की आक्रमण क्षमता 1971 की लड़ाई के बाद काफी कम हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) ऐसे मूल्यांकन पर कोई टिप्पणी करना लोक हित में नहीं होगा। तथापि, सरकार सीमा के पार गतिविधियों पर लगातार ध्यान देती रही है और दे रही है और उनका सामना करने के लिए उपयुक्त उपाय कर रही है ।

बीड़ी और सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 को क्रियान्वित करना

*59. **श्री धामनकर :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बीड़ी उद्योग फैडरेशन ने बीड़ी तथा सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 को सभी राज्यों में समान रूप से तथा साथ-साथ क्रियान्वित करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अखिल भारतीय बीड़ी उद्योग फैडरेशन द्वारा दिए गए उपरोक्त सुझाव तथा अन्य सुझावों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) अखिल भारतीय बीड़ी उद्योग फैडरेशन ने 16 अप्रैल और 8 अगस्त, 1974 को दो ज्ञापन प्रस्तुत किये थे। उनका मुख्य सुझाव बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम 1966 और उसके अधीन बनाई गई नियमावली के उपबन्धों में उनके द्वारा प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों पर गौर करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति की नियुक्ति और उन संशोधनों के कियें जानें तक अधिनियम को लागू करने से रोकने के संबंध में था । उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि उपर्युक्त संशोधनों/तरमीमों को अंतिम रूप देने के बाद इस अधिनियम का सभी राज्यों में एक साथ प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

(ख) एक त्रिपक्षीय समिति की नियुक्ति और अधिनियम की क्रियान्विति को रोकने संबंधी सुझावों को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है । इस अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है और आवश्यक कार्यवाही उनके द्वारा की जानी है ।

भारत के विदेश सचिव को नेपाल की यात्रा का निमंत्रण

*60. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के विदेश सचिव को हाल में नेपाल सरकार द्वारा वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनसे किस प्रकार की वार्ता हुई और उसका परिणाम क्या निकला ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) नेपाल के राजदूत ने उस निमंत्रण को दोहराया था जो पहले भी उन्होंने विदेश सचिव को नेपाल की यात्रा के लिए दिया था । अपनी व्यस्तताओं के कारण विदेश सचिव इस यात्रा पर नहीं जा सके हैं ।

राव (कच्ची चीनी) का आयात

*63. श्री सी० जनार्दनन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु सफेद चीनी में बनाने के लिये राव (कच्ची चीनी) का आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा तथा मूल्य कितना है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी कार्यालयों में नई भर्ती पर प्रतिबन्ध

*66. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कार्यालयों में नई भर्ती और रिक्त पदों के भरने पर प्रतिबंध लगाया है ।

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने कुछ संस्थाओं को हो रहे घाटे को पूरा करने के लिये उन्हें दी जा रही सहायता देना बन्द करने का भी निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) सभी 'चालू कार्यों' तथा विभिन्न मंत्रालयों की कमचारियों संबंधी वास्तविक आवश्यकताओं की समीक्षा किये जाने तक मितव्ययता के एक उपाय के रूप में, टाइपिस्टों, आशुलिपिकों के पदों तथा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले गठित संवर्गों के पदों को छोड़कर गैर-तकनिकी तथा गैर-प्रचलनात्मक रिक्त पदों को नई भर्ती द्वारा भरने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है । तथापि, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा कर्मचारी निरीक्षक एकक द्वारा किये गए अध्ययनो के परिणाम स्वरूप अथवा अन्यथा रूप में फालतू पायें गयें कर्मचरियों के समायोजन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है ।

(ख) तथा (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के कतिपय उपक्रमों को कुछ ऐसे विशिष्ट उत्तरदायित्व के कार्य सम्पादित करने के लिये, जिनके परिणामस्वरूप कम्पनियों द्वारा लाभ अर्जित किये जाने के बावजूद उन्हें हानि होती है, अथवा कुल मिलाकर उनको न हानि होती है और न लाभ, जो आर्थिक सहायता दी जाती है, उसे अब समाप्त कर दिया गया है । आशय यह है कि उपक्रम सरल कार्य के साथ-साथ कठोर कार्य भी करे तथा विशिष्ट हानियों को अन्यत्र लाभों में से सहायता देकर पूरा करें । इस प्रकार के उदाहरण हैं राज्य व्यापार निगम, जिसे रबड़ की खरीदारी पर होने वाली हानियों की प्रतिपूर्ति के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है, इंडियन एयर लाइन्स, जिसे अलाभकर मार्गो पर चलाई जानें वाली प्रचालन सेवा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है तथा शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया जिसे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में प्रचालन सेवा चलाने के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है ।

कपड़े के निर्यात में ह्रास

*69. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े के निर्यात में ह्रास हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ह्रस रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ग) उस ह्रास का क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार कोई ऐसा फार्मूला तैयार कर रही है जिससे निर्यात के लिये उत्पादन करने हेतु आयातित कपास उचित दरों पर कपड़ा मिलों को उपलब्ध हो सकेगी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सितम्बर, 1974 तक सूती वस्त्रों के निर्यातों के मूल्य में कोई गिरावट नहीं है । तथापि, निर्यातकों के पास मौजूद निर्यात आदेशों के आधार पर अक्तूबर, 1974 के दौरान और उसके बाद गिरावट की प्रवृति आने का पूर्वानुमान है ।

(ख) तथा (ग) सूती वस्त्रों की अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों के बीच अन्तर जो कि मुख्यत. भारत में रुई की अपेक्षाकृत ऊंची कीमतों, जिनसे कि हमारे उत्पाद अप्रतियोगी बन जाते हैं, के कारण पैदा हुआ है और भारी स्टाकों व विभिन्न देशों द्वारा किये गए मुद्रास्फीति निवारक उपायों के कारण कम मात्रा में खरीद से सूती वस्त्रों के हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सूती वस्त्रों के हमारे निर्यातों को प्रतियोगिता प्रदान करने के लिये 1-10-74 से नियंत्रित कपड़े के उत्पादन और निर्यात के लिये एक संयुक्त दायित्व योजना प्रारम्भ की गई है । योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 5 रु० मूल्य के मिल-निर्मित सूती थानों और तैयार कपड़ों और 7.5 रु० मूल्य के मिल निर्मित सूती परिधानों के निर्यातों के आधार पर 1 वर्ग मीटर नियंत्रित कपड़े के उत्पादन का समंजन करके अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन की व्यवस्था है । निर्यात उत्पादन के लिये अलग से मीडियम स्टेपल रुई के कुछ आयातों की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि रुई की स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच प्रतिकूल कीमत अवकलन को निष्प्रभावी बनाया जा सके । निर्यात बाजार के वर्तमान हालातों में, यह संभव है कि संयुक्त दायित्व योजना के वांछित परिणाम न निकल सकें । अतः उद्योग हमारी वस्त्र निर्यात कीमतों और विश्व कीमतों के बीच अवकलन को समाप्त करने के लिये अपनी ओर से और उपायों पर विचार कर रहा है ।

(घ) जी, हां ।

दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रकाश की व्यवस्था

*70. श्री सी० के० जाफर शरीफ :

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने वाली कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के विमान चालकों ने 'अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण' से यहां के उड़ान-पथों और धावन-पथों पर अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के बारे में शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानन पत्तन प्राधिकरण को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पालम विमानक्षेत्र पर धावन-पथ प्रकाश व्यवस्था के कार्य चालन में कुछ कमी प्राधिकरण की दृष्टि में आई थी। प्राधिकरण द्वारा इसका तुरन्त उपचार किया गया और अब धावन-पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य-चालन संतोषजनक है।

बम्बई में कपाड़िया बन्धुओं के परिसरों पर छापों के दौरान पकड़ा गया लेखाबाह्य धन

***71. श्री माधुर्य्य हालदार :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1974 के तीसरे सप्ताह में बम्बई में कपाड़िया बन्धुओं के परिसरों पर लेखा-बाह्य धन का पता लगाने के लिये छापे मारे गये थे ;

(ख) क्या उक्त छापे में संदेहास्पद पत्र और अन्य सामग्री पकड़ी गई थी और यदि हां, तो पकड़े गये कागजातों, लेखाबाह्य नकद धन और अन्य वस्तुओं के बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या परिसरों के मालिकों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें किसी विधि न्यायालय के सामने पेश किया गया है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) आय-कर अधिकारियों ने अगस्त 1974 में, कपाड़ियाओं के स्थानों की कोई तलाशी नहीं ली। इनका कर-निर्धारण बम्बई के आय-कर आयुक्त (सेंट्रल) के अधिकार क्षेत्र में होता है।

(ख) तथा (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई कपड़ा बनाने वाली मशीनें

***72. श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965 में आयात की गई कपड़ा बनाने वाली मशीनें अभी तक राज्य व्यापार निगम के पास पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से रुके पड़े धन का व्यौरा क्या है, इससे राज्य व्यापार निगम को कितनी हानि हुई और इन मशीनों की इस समय क्या हालत है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) जी हां।

राज्य व्यापार निगम ने 1965 में 6 साइजिंग मशीनें आयात की थीं। प्रत्येक मशीन का बही मूल्य 19.16 लाख रुपये है। मशीनें अभी बेची जानी हैं तथा इसलिये इस अवस्था में राज्य व्यापार निगम को कोई भी हानि होने का प्रश्न नहीं उठता। मशीनें पैकिंग केसों में पैक पड़ी हुई हैं, जिनकी दशा संतोषजनक जान पड़ती है। ये मशीनें कब तक नहीं बेची जा सकीं

क्योंकि आयात करने वाली कम्पनी मशीनों के लिये भुगतान करने में असमर्थ रही तथा बाद में इस उद्योग के अन्य एककों को उन्हें बेचने में कानूनी कठिनाइयां आ गईं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ में कमी

*73. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ में कुल आय की प्रतिशतता के रूप में कमी हुई है और उत्पादकता घट गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा और कारण क्या हैं ; और

(ग) इन बैंकों के कार्याकिरण में सुधार लाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) 31-12-71, 31-12-72 और 31-12-73 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की आय, व्यय और लाभ संबंधी आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :--

(करोड़ रुपयों में)

	1971	1972	1973
सकल आय	330.53	388.73	488.66
	(23.9)	(17.6)	(25.7)
सकल व्यय . . .	322.07	381.24	481.01
(बोनस सहित) . . .	(23.9)	(19.4)	(26.2)
लाभ कर एवं स्टाफ को . . .	8.46	7.55	7.65
बोनस के लिये व्यवस्था के बाद . .	(22.6)	(−10.8)	(1.3)
सकल आय से लाभ की प्रतिशता . .	2.6	1.9	1.6

नोट : कोष्ठ में दिये गये आंकड़े गत वर्षों में प्रतिशतता में हुई घटबढ़ को प्रदर्शित करते हैं।

आय की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों का लाभ पिछले तीन वर्षों में घटा है। जिसका मुख्य कारण आय की वृद्धि-दर में व्यय की वृद्धि-दर का बढ़ जाना है। व्यय में वृद्धि कुछ तो जमा रकमों और ऋणों पर व्याज का भुगतान बढ़ जाने से हुई और कुछ प्रतिष्ठान व्यय में वृद्धि हो जाने से।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की गतिविधियों का कुल मिलाकर हाल के वर्षों में काफी विस्तार हुआ है। 1971 '973 के वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 2880 कार्यालय खोले, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों तथा बैंक रहित स्थानों में हैं। नयी खोली गयी शाखाओं को लाभार्जन शुरु करने में काफी समय लग जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये गये ऋण की मात्रा में भी काफी वृद्धि की है। उससे कर्मचारियों की संख्या, प्रशिक्षण व्यय, ऋणों की अपेक्षाकृत बड़ी

संख्या पर अतिरिक्त पर्यवेक्षण-व्यय आदि की काफी वृद्धि हुई है। स्टाफ के वेतन और भत्ते मुख्यतः पंचनिर्णयों/यूनियनों के साथ समझौता द्वारा विनियमित होते हैं तथा मूल्य-सूचकांक से भी प्रभावित होते हैं, जबकि जमा रकमों पर दिया गया व्याज भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अधीन नियंत्रित होते हैं। तथापि, बैंकों की गतिविधियों में हुई वृद्धि और इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि बैंक बड़े पैमाने पर शाखाओं के विस्तार की सम्पूर्ण व्यवस्था अपने निजी संसाधनों से करते हैं, कुल मिलाकर उनके लाभ की स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है।

(ग) व्यय की बढ़ोतरी के स्तर को व्यवसाय में वृद्धि के उपयुक्त अनुपात और आय की बढ़ोतरी की संगति में रखने की आवश्यकता का ज्ञान बैंकों को है। इसके साथ ही सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य की स्थिति की लगातार समीक्षा करते रहते हैं और खर्च में बचत तथा बैंकों की कार्यचालन क्षमता को उन्नत बनाने के लिये समय-समय पर समुचित मार्गदर्शन और सलाह देते रहते हैं। बैंकों ने बजट प्रणाली भी प्रारम्भ कर दी है और बैंक अपने कार्यसंचालन में प्रभावकारी व्यय नियंत्रण प्रणाली और अधिक अच्छी निधि व्यवस्था प्रारम्भ करके अपनी लाभकारिता और उत्पादकता को उन्नत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बैंक बेहतर तरीके से कर्मचारी क्षमता का उपयोग करने के साथ-साथ अपनी प्रणालियों को सरल एवं तर्कसंगत बनाकर अपनी उन शाखाओं का काम सुधारने की तरकीब निकाल रहे हैं जो अब तक घाटा देती रही है।

तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही

***74. श्री भागीरथ भंवर :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक समाजवादी संसद सदस्य ने वाणिज्य मंत्री से 1967 से लेकर 1970 तक यह सुझाते हुये पत्र व्यवहार किया था कि नेपाल से भारत में हो रहे स्टेनलेस स्टील, नायलोन, पोलिस्टर धागे तथा कपड़ों और शराब आदि की, जो किसी तीसरे देश की वस्तुयें हैं, तस्करी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये ;

(ख) क्या उस समाजवादी संसद सदस्य ने 1970 में कई ऐसे प्रश्न संसद में पूछे थे जिनमें कुली मस्तान जैसे तस्करों के राजनीतिक संबंधों को प्रकाश में लाने की मांग की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो तस्करों और तस्करी के विरुद्ध सितम्बर 1974 तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। इन मामलों से संबंधित कतिपय अतारांकित प्रश्नों का उत्तर 1970 में लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा दिया गया था।

(ग) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है :

विवरण

भारत-नेपाल तस्करी की समस्या का सामना करने के लिये सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं। इनमें ये शामिल हैं :

1. जनवरी 1969 में भारत-नेपाल सीमा पर कस्टम्स प्रिवेन्टिव यूनिटों का जाल फैला दिया गया जिसे बाद में 1970 तथा 1971 और बढ़ा दिया गया। इस समय भारत-नेपाल सीमा पर सात कस्टम्स डिवीजन कार्यरत हैं। इन प्रिवेन्टिव यूनिटों की गश्त के लिये जीपें रखी गई हैं और भूतपूर्व सेना अधिकारियों को भर्ती किया गया है। इन प्रिवेन्टिव यूनिटों को रिवाल्वर और राइफलें भी दी गई हैं।

   भारत-नेपाल सीमा पर लगाये गये अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिये पटना और इलाहाबाद में कस्टम्स में प्रशिक्षण के लिये विशेष प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

(2) भारत नेपाल तस्करी के संबंध में आसूचना, रोकथाम के उपायों और तस्करी विरोधी अभियान के समन्वय के संबंध में जनवरी 1970 में राजस्व आसूचना निदेशालय में विशेष कार्य अधिकारी के एक पद का सृजन किया गया था।

(3) समस्त भारत-नेपाल सीमा कलक्टर आफ कस्टम्स (प्रिवेंन्टिव) की एकीकृत कमान के अन्तर्गत कर दी गई है जिसका मुख्यालय पटना में है।

(4) समय-समय पर श्री 5 की सरकार, नेपाल का सहयोग लिया गया है और उनके द्वारा किये गये उपाय भारत-नेपाल तस्करी पर अंकुश लगाने में सहायक हुए हैं।

बड़े व्यापार-गृहों द्वारा जमा किये गये पटसन के स्टाक

*75. **श्रीमती रोज़ा विद्याधर देशपाण्डे :**

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री या बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार बड़े व्यापार-गृहों ने गत नौ महीने से कच्चे पटसन की मंडी को अपने हाथ में लेने के लिए पटसन के स्टाक जमा कर रखे हैं :

(ख) यदि हां, तो उन बड़े व्यापार-गृहों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इससे पटसन के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो॰ डी॰ पी॰ चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) निम्नोक्त पटसन मिलों के पास 1 अक्टूबर, 1974 को लगभग 9 महीनों की खपत के स्टाक पड़े हुए थे :—

1. अगरपाड़ा (डंकन ग्रुप)
2. चम्पदानी (जैरमभाई ग्रूप)

3. श्री गोरी शंकर (भगत ग्रुप)

4. गैन्जेज (जे० के० ग्रुप)

इसके अतिरिक्त निम्नोक्त ट्वाइन एककों के पास भी ऐसे ही स्टाक थे:—

1. फाइबर प्रोसेसर्स (लोहिया ग्रुप)

2. अरुण जनरल (कुमारी ग्रुप)

पिछले मौसम के दौरान बड़ी मात्रा में खरीदी तथा कम फसल होने की प्रत्याशा में चालू मौसम के दौरान स्टाक बनाने के प्रयासों के फलस्वरूप सामान्य रूप से मिलों के पास इस समय भारी स्टाक पड़े हैं। चूंकि स्टाक रखने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और चूंकि मिलों द्वारा की गई खरीदों से कीमतें बनाये रखने में सहायता मिली है, इस लिए फिलहाल सरकार कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझती।

(ग) जबकि मिलों द्वारा की गई खरीदों के फलस्वरूप तथा मौसम के शुरू में कम आवक के कारण लगभग सितम्बर, 1974 के अन्त तक कच्चे पटसन की कीमतें स्थिर नहीं, उसके पश्चात् आवक के सुधार के कारण कीमतों में कुछ गिरावट आई है।

Evaluation of Properties of Smugglers held recently

***76. Shri Madhavrao Scindia:**

Shri M. G. C. Data:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) names of the smugglers arrested so far, state-wise since the Ist August, 1974; and

(b) the value of property of each of them evaluated and the action taken or proposed to be taken further in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukheree) : (a) The names of persons who have been detained under Central Government's orders issued under the provisions of Maintenance of Internal Security Act (Amendment) Ordinance, 1974, promulgated on 17-9-1974, are given in the Annexure I. In addition to these persons, orders of detention under the Ordinance have also been issued by the respective State Governments in respect of more than 500 other persons.

(b) The cases of smugglers and their associates are being centralised with special units for investigation in depth from the direct taxes angle. In some cases searches have also been conducted. It is too early to determine at the moment the value of the properties of these persons particularly as the investments in various properties are held benami

STATEMENT

1. Haji Masthan Mirza of	Maharashtra
2. Champalal Punjaji Shah of	Maharashtra
3. Nainmal Punjaji Shah	Maharashtra
4. Yusuf Abdulla Patel	Maharashtra

5.	Rajabali Hirji Meghani	Maharashtra
6.	Ghamandiram Kewalji Gowani	Maharashtra
7.	Nathalal Rupsi Shah	Maharashtra
8.	Kantilal Nanchand Shah	Maharashtra
9.	Varadharaj Munuswamy	Maharashtra
10.	Arnind Liladhar Dholakia	Maharashtra
11.	Lalit Liladhar Dholakia	Maharashtra
12.	Lallu Jogi	Daman
13.	Sukar Naran Bakhia	Daman
14.	Bhana Kalpa Patel	Daman
15.	Nanubhai D. Desai	Gujarat
16.	Ratilal Devabhai Navik	Gujarat
17.	K.S. Abdulla	Kerala
18.	S.M.A. Siddique	Tamil Nadu
19.	V.M.G. Mariappa Vandayar	Tamil Nadu

एयर इण्डिया में बर्खास्त किये गये विमानचालक

*77. **श्री नुरुल हुडा :** क्या **पर्यटन श्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत हड़ताल में भाग लेने के कारण बर्खास्त किये गये एयर इण्डिया के विमानचालकों की संख्या कितनी है ;

(ख) श्रभी तक कितने विमानचालक हड़ताल पर हैं, श्रौर

(ग) इस हड़ताल को समाप्त कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।

पर्यटन श्रौर नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तीन।

(ख) श्रौर (ग) व्यक्तिगत रूप से प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर देने के बाद जिसमें उन्होंने इस बात की सहमति प्रदान कर दी है कि परिचालनों की प्रणाली तथा कार्मिकों के कार्य-विनियोजन का स्वरूप निर्धारित करने का कार्य प्रबंधक वर्ग का श्रधिकार है, सभी 184 लाइन पाइलट कार्य पर लौट श्राये हैं।

मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रार्थिक उपाय

*78. **श्री एस० ए० मुरुगननतम् :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुद्रा स्फीति को रोकने हेतु गत जुलाई में किये गये श्रार्थिक उपायों के प्रभाव का पुनर्विलोकन किया है; श्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) अर्थ-व्यवस्था में स्फीतिकारी दबावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर किये गये विभिन्न राजस्व-विषयक उपायों के प्रभावों की लगातार समीक्षा की जाती रहती है। लेकिन अभी इतनी जल्दी, जुलाई 1974 में किये गये राजस्व-विषयक उपायों के पूरे प्रभाव का जायजा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये उपाय केवल कुछ ही महीनों से ही लागू हुए हैं। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इन उपायों से और इसके साथ किये गये अन्य उपायों से स्फीतिकारी प्रवृत्ति का बल कम हुआ है जिससे अर्थ-व्यवस्था जकड़ी हुई है। मुद्रा-पूर्ति की वृद्धि की दर में स्वागत-योग्य कमी हुई है; चालू वित्तीय वर्ष में 25 अक्टूबर, 1974 तक (अन्तिम शुक्रवार के आंकड़ों के अनुसार) इसमें केवल 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये जाने वाले निवल ऋण में भी इस अवधि में तुलनात्मक दृष्टि से कम अर्थात् 192.6 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 505 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। थोक मूल्यों के सूचक अंक (आधार 1961-62-100) में भी, जो 21 सितम्बर, 1974 को समाप्त हुए सप्ताह में 330.4 था, बाद के चार सप्ताहों में लगातार कमी हुई है और वह इस अवधि में 2.3 प्रतिशत नीचे आ गया है।

सरकारी उपक्रमों में भर्ती के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

*79. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री एस० एम० सिद्दय्या :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को कुछ ऐसे मामलों का पता चला है जिनमें कुछ सरकारी उपक्रमों तथा सांविधिक/स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी संघों ने सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी नियमों पर आपत्ति की है ;

(ख) क्या उनका ध्यान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 के प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 3.101 की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को ठीक करने के लिए वित्त मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) कुछ प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा उद्यम कार्यालय के ध्यान में यह बात लायी गयी थी कि कुछ उद्यमों में मजदूर यूनियनें प्रवरता के आधार पर पदोन्नतियों पर लागू होने वाले आरक्षण संबंधी आदेशों का दायरा सीमित रखने पर आपत्ति उठाती रही है।

(ख) जी हां।

(ग) मजदूर यूनियनों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर श्रम एवं रोजगार विभाग, कार्मिक विभाग और विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है। अन्त में इसी निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि प्रवरता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित

जनजातियों के लिए आरक्षण हेतु राष्ट्रपति की ओर से एक निदेश-पत्र जारी किया जा सकता है। इस संबंध में विधि मंत्रालय ने यह भी बताया है कि किसी सरकारी उद्यम में पदोन्नति की प्रक्रिया में परिवर्तन करने से पहले मान्यता-प्राप्त ट्रेड यूनियनों के साथ और यदि ऐसी यूनियनें न हों तो कामगारों के सभी वर्गों के साथ यथासंभव पूरी तरह से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिये, किन्तु कानूनी दृष्टि से इस परामर्श के बाद उनकी सहमति का होना जरूरी नहीं है। निस्संदेह इस निदेश-पत्र के मार्ग में, अलग-अलग मामलों में कर्मचारी यूनियनों के साथ किए गये कानूनी रूप से आबद्कर करार/समझौते, अर्थात् प्रबन्धकों और यूनियन के बीच किये गये कानूनी रूप से आबद्धकर वर्तमान करार यदि बाधक होते हैं, तो उसके आधार पर इस निदेश पत्र के कार्यान्वयन में रुकावट या देरी की जा सकती है। ऐसे मामलों में इस प्रकार के करार/समझौते से संबंधित परिस्थितियों और शर्तों की लगभग अलग अलग जांच करनी होगी।

विधि मंत्रालय की सम्मति को ध्यान में रखते हुए एक अनुपूरक निदेश-पत्र का मसविदा, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, प्रवरता के आधार पर पदोन्नतियों में आरक्षण सम्बन्धी विषय शामिल हैं, पहले ही तैयार करके सरकारी उद्यमों के प्रशासनिक मंत्रालयों को भेज दिया गया है और उन्हें इसे आगे उद्यमों को जारी करने के लिए कहा गया है। मंत्रालयों/विभागों को यह भी सलाह दी गयी है कि यदि किसी उद्यम में यूनियनों की तरफ से शुरू में कोई विरोध हो तो प्रबन्धकों को उन्हें सरकारी नीति के संबंध में समझा देना चाहिये। इस पर यूनियनें भी अपना आवश्यक सहयोग देने में पीछे नहीं रहेंगी।

अमरीका से बोइंग जैट विमानों की खरीद

*80. **श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन बोइंग जैट विमानों की खरीद के लिए अमरीका के साथ किये गये करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : करार का मोटे तौर पर ब्यौरा इस प्रकार है :—

विमान का मूल्य :

प्रत्येक विमान का मूल रूप 5,473,551 अमरीकी डालर है। इस के अतिरिक्त इंडियन एयरलाइन्स अपने अभीष्ट परिवर्तनों के लिये 7830 डालर प्रति विमान अदा करेगी। बोईंग कम्पनी ने प्रति विमान 88,500 अमरीकी डालरों का ऋण-पत्र (क्रेडिट-मीमो) दिया है जिसका उपयोग 31 दिसम्बर, 1978 तक बोईंग उत्पादनों एवं सेवाओं के क्रय के लिये किया जायेगा।

वितरण :

सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर, 1974 में एक-एक विमान की डिलिवरी दी जायेगी, पहले दो विमानों की डिलिवरी क्रमश: 26 सितम्बर और 28 अक्टूबर 1974 को सीटेल, वाशिंगटन में दी गई थी और ये विमान भारत में क्रमश: 2 अक्टूबर और 3 नवम्बर, 1974 को पहुंच गये। तीसरे विमान की डिलिवरी सीटेल में 13 नवम्बर, 1974 को देय है और आशा है कि विमान 19 नवम्बर, 1974 को भारत पहुंच जायेगा।

अदायगी :

इन तीन विमानों के लिये अग्रिम अदायगी इस प्रकार की जानी थी

अदायगी की देय तारीख	सितम्बर 74 विमान	अक्टूबर 74 विमान	नवम्बर 74 विमान
15 दिसम्बर, 1973 .	30 प्रतिशत	30 प्रतिशत	$21\frac{2}{3}$ प्रतिशत
16 फरवरी, 1974 . .	—	—	$8\frac{1}{3}$ प्रतिशत
	30 प्रतिशत	30 प्रतिशत	30 प्रतिशत

प्रत्येक विमान के क्रय मूल्य का शेष 70 प्रतिशत विमान के वितरण पर किया जाना निश्चित हुआ था।

अग्रिम धनराशि की अदायगी नियत तारीखों पर कर दी गई थी और जो दो विमान प्राप्त हो चुके हैं उनके संबंध में विशेष राशि का भुगतान उनकी प्राप्ति पर किया जा चुका है।

ध्वंस हुए विमान के स्थान पर लिया जाने वाला विमान :

इन तीन विमानों के अतिरिक्त, इंडियन एयरलाइन्स ने 31 मई, 1973 को ध्वंस हुये बोईंग-737 विमान के स्थान पर नया विमान लेने के लिये बोईंग कम्पनी से एक बोईंग-737 विमान की खरीद का करार भी किया है। इस विमान का मूल्य 50,09,506 डालर है जिसमें इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वांछित परिवर्तनों के लिये 7,830 डालर की लागत भी शामिल है। इस विमान के लागत मूल्य को मुख्यतः बीमे की राशि से पूरा किया गया है। विमान भारत में 1 अक्टूबर, 1974 को प्राप्त हो गया।

कस्तूरबा मेडिकल कालेज ट्रस्ट तथा एकेडमी आफ जनरल एजूकेशन, मनीपाल के प्रबन्ध के बारे में शिकायत

401. **श्री विजय पाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को (एक) कस्तूरबा मेडिकल कालिज ट्रस्ट मनीपाल तथा (दो) एकेडमी आफ जनरल एजूकेशन मनीपाल (कर्नाटक) के प्रबंध के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) कस्तूरबा मेडिकल कालेज ट्रस्ट, मनीपाल और अकादमी आफ जनरल एजुकेशन मनीपाल द्वारा की जा रही विभिन्न गैर-कानूनी गतिविधियों के बारे में एक शिकायत मई, 1974 में प्राप्त हुई थी। चूंकि पूर्व-स्नातक चिकित्सा शिक्षा राज्य सरकार का एक विषय है और कस्तूरबा मेडिकल कालेज मनीपाल कर्नाटक में स्थित है, इसलिए इस शिकायत की एक प्रतिलिपि उपयुक्त कार्यवाही के लिए कर्नाटक सरकार को भेज दी गई है।

Import of Fertilisers

402. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of Supply and Rehabilitation be pleased to state:

(a) the quantity of fertilisers imported during 1972-73 and 1973-74;

(b) the expenditure incurred thereon in Indian currency and foreign exchange separately; and

(c) the rate of the imported fertiliser?

The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri R.K. Khadilkar): (a) & (b) The quantities of fertilisers imported by Ministry of Supply during financial years of 1972-73 and 1973-74 and also the expenditure incurred thereon in Indian currency and Foreign Exchange is given below:

Year	Qty. imported in Million M/T	Approximate value	
		In Indian currency rupees in crores.	In Foreign Exchange dollars in million.
1972-73	3.09	181.575	242.10
1973-74	1.84	164.37	219.16

(c) The range of rates paid for different varieties of imported fertilizers are given in Annexure (A)'

STATEMENT

Annexure 'A'

Statement showing Range of rates paid for different varieties of imported fertilisers

Item	Year	Range of price in terms of $
1	2	3
1. Urea	1972—73	56.80 to 77.50 FOB Jute Bags. 54.40 to 70.50 FOB P. P. Bags. 62.00 to 86.25 C&F P.P. Bags. 43.50 to 63.50 FOB Bulk.
	1973—74	107.00 to 112.53 FOB Jute Bags. 108.09 to 131.70 C&F P.P. Bags. 83.27 to 91.60 FOB Bulk.
2. Am. Sulphate	1972—73	—
	1973—74	35.00 to 45.30 FOB Bulk.
3. D.A.P.	1972—73	92.00 to 104.50 FOB Bulk.
	1973—74	112.75 to 117.25 FOB Bulk.
4. M.O.P.	1972—73	C$33.00 to C$34.81 FOB Bulk.
	1973—74	C$ 42.50 to C$43.54 FOB Bulk.

1	2	3	
5. A.N.P.	1972—73	66.00 to 80.40 66.40	FOB Jute Bags. FOB Bulk.
	1973—74	100.80 92.32	FOB Jute Bags. FOB Bulk.
6. C.A.N.	1972—73	39.50 to 40.75 67.50 to 74.40	FOB Bagged FOB Bagged
7. N.P.K.	1972—73		
15:15:15		62.39 to 69.70	FOB Bulk.
10:26:26		65.90	FOB Bulk.
12:32:16		66.90 to 91.93	FOB Bulk.
	1973—74		
15:15:15		86.29 to 93.91	FOB Bulk.
11:11:11		103.28	FOB P.P. Bags.
17:8:9		146.30	FOB P.P. Bags.
8. S.O.P.	1972—73 1973—74	61.00 83.53	FOB Bagged. FOB Bagged.
9. M.A.P.	1972—73	96.00	FOB Bulk.
10. AS.N.	1973—74	75.90	FOB Bagged.

Note :-Prices indicated above are contracted prices. In certain cases some increase has been allowed which has not been included in these prices.

उत्तरी, पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों (ज़ोन) में माल गाड़ियों के परिचालन के लिए क्षेत्रीय आधार पर पारस्परिक आदन-प्रदान के समझौते की योजना

403. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल गाड़ियों के परिचालन के लिए दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में चालू की गई योजनाओं जैसी क्षेत्रीय आधार पर पारस्परिक आदान-प्रदान समझौते की योजना उतरी, पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों में भी आरम्भ करने के प्रश्न पर संबंधित राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना कब आरम्भ की जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) माल गाड़ियों संबंधी उत्तरी क्षेत्र करार, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् जम्मू व कश्मीर पंजाब, हरियाणा, चडीगढ, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है, पर पहले ही संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र ने हस्ताक्षर और कार्यान्वित कर लिया है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मालगाड़ियों के लिए पूर्वी और केन्द्रीय क्षेत्रीय परमिट योजनाओं के बारे में पारस्परिक करार पर कार्यवाही की जा रही है।

(ख) उत्तरी क्षेत्र परमिट योजना, पहले ही 1-1-74 से लागू हो चुकी है ज्योही संबंधित राज्य सरकारें, मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत अपेक्षित कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर लेगी, त्यों ही अन्य दो योजनाओं को अन्तिम रूप देना संभव होगा।

Contravention of International Law by Merger of Hunza State in Pakistan

404. Shri Shrikrishna Agrawal: Will be Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Pakistan has taken over the administration of 'Hunza' State situated North of Pakistan;

(b) whether such action of Pakistan is not a contravention of International Law;

(c) if so, the reaction of the Government of India thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) According to Radio Pakistan broadcast of September 24, 1974, Pakistan Government has abolished the separate entity of the principality of Hunza and merged its administration with the northern areas of Jammu & Kashmir which are under illegal occupation of Pakistan.

(b) & (c). This action of the Government of Pakistan constitutes a material and unilateral alteration in the situation regarding one of the northern territories of **J & K** for which it has no right or sanction and is, therefore, an illegal act under international law.

This action of the Government of Pakistan is also in violation of paragraph I (ii) of the Simla Agreement. The matter has already been taken up with the Government of Pakistan.

कोचीन में 'सुपर टैंकर बर्थ'

405. **श्री बयालार रवि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन के 'सुपर टैंकर बर्थ' के लिए मैसर्स इंजीनियरस' इंडिया लिमिटैड द्वारा तैयार किया गया और पत्तन न्यास द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) 40 फुट डुबाव वाले 80,000 डी डब्लू टी के टैंकरों के लिए सुविधाएं दी जाती हैं । भविष्य में 1,15,000 डी डब्लू टी तक के तेल वाहक पोतों के आने की व्यवस्था भी की गई है । योजना के अनुसार कोचीन तट को पार करने के बाद आन्तरिक जलधारा उत्तर की ओर बोलघाटी और बालारपट द्वीपों के बीच जलमार्ग में ले जाती है । इस तरह बनाये गए नये जल मार्ग के पश्चिम की ओर तेल घाट का स्थान होगा ।

(2) तेल जेटी से कच्चे तेल की पाईप लाईन कुछ दूर तक जेटी से उत्तर की ओर ले जाई जायेगी और तब दो पुलों तक पंहुचाई जायेगी —एक जो वालारपट तथा मुलावुकड को जोड़ता है और दूसरे बोलघाटी और एर्नाकुलम को । तेल पाईप लाईन, एर्नाकुलम तट तक ले जाने के बाद एर्नाकुलम तट के साथ साथ विछा कर मौजूदा तेल जेटी पर कच्चा तेल पाईप लाईन से जोड़ दी जायेगी ।

(3) पाईप लाइन की उतार दर प्रति घंटा 5.000 टन है ।

(4) वालारपट तथा भुलावुकड के बीच के पुल का स्थान इस तरह निर्धारित किया गया है जो कम से कम दो और घाटों के निर्माण के लिए काफी जगह मिल सके । पुल दो गलियों के लिये होगी और एक गली आई० आर० सी० क्लास ए० ए० । दोगली आई० आर० सी० क्लास ए० लदान वाली होगी ।

(5) बालूलारघट, कैंडल द्वीप और विमनाथिवु के बीच जलीय जगह का निर्कषित माल से सुधार किया जायेगा । भूमि सुधार करके बनाया गया नया क्षेत्र लगभग 140 हेक्टेयर है । इसके अतिरिक्त अन्य 127 हैक्टेयर भूमि क्षेत्र वालूलारघट कैंडल द्वीप विमनाथिवु, में तथा वोलघाटी पर निर्कषित माल से निचले क्षेत्र की भराई कर के विकसित किया जायेगा ।

(6) पहुंच जलमार्ग, जो इस समय 6,400 मीटर लम्बा है, का गट से कुल 9 कि० मि० की लम्बाई तक विस्तार करना होगा । यह पहुच जल मार्ग मौजूदा 450 फुट की चौड़ाई से 600 फुट तक चौड़ा और 47 फुट तक गहरा करना होगा । अन्दरूनी जलमार्ग गट से घाट तक 45 फुट तक निकर्षण करना होगा ।

(7) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, शुरू होने के बाद कार्य पूरा होने में 3½ वर्ष लगेंगे ।

(8) 12.24 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा के पुर्जों सहित परियोजना की कुल अनुमानित लागत 33.29 करोड़ रुपए है । परियोजना की निबल अनुमानित लागत विकसित भूमि की बिक्री के द्वारा हुये आय के बाद 25.15 करोड़ रुपए होगी ।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारियों के परामर्श से विचाराधीन है ।

बोनस पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में "इन्टक" का अनुरोध

406. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इण्टक" ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह बोनस पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही न करे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) इस प्रकार का कोई सुझाव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Termination of Services of Employees by Ford Foundation at Delhi

407. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether the officers of the Ford Foundation at Delhi terminated the services of the employees working there in violation of the trade union laws;

(b) if so, the number of employees whose services were terminated and the reasons for termination of their services; and

(c) the action taken by Government to see that justice is done to them?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) to (c) There was a representation some time ago from Ford Foundation Karmchari Panchayat about the alleged retrenchment of 70 employees. According to the information made available by the Delhi Administration who are principally concerned, the matter was discussed by them with the parties. The management took the stand that these persons were not employees of the Food Foundation but were private employees of the officers concerned. The union representative (s) were advised by the Delhi Administration to produce valid documentary evidence in support of their contention that the retrenched employees were the employees of the Ford Foundation. According to the Delhi Administration the union representative(s) have not produced the relevant documentary evidence. The matter could be pursued further by the aggrieved employees or their representative(s) with the Delhi Administration.

न्यूनतम मजूरी अधिनियम की क्रियान्विति का पुनरीक्षण करने के लिए राज्य स्तर पर त्रिपक्षीय समितियां स्थापित करना

408. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1974 के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिए राज्य स्तर पर त्रिपक्षीय समितियां स्थापित की जायें; और

(ख) क्या इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) ऐसा कोई सुझाव नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अवैध घोषित की गई हड़तालें

409. **श्री एच० एन० मुखर्जी** :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान सरकार ने कितनी हड़तालों को अवैध घोषित किया ; और

(ख) कर्मचारियों की हड़ताल का सामना करने के लिए सरकार द्वारा ऐसा उपाय अपनाने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल .ोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के बाद वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

बंगला देश से भारत में अनधिकृत प्रवेश पर रोक

410 **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगलादेश प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये बाहर जाने के परमिटों (एग्जिट परमिटों) के बहाने हाल में जो प्रवासी

भारतीय सीमा पार कर आये हैं उनको वापस भेजने तथा भविष्य में बंगलादेश से भारत में प्रवासियों के अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगाने के लिए सरकार का विचार कौन सी तात्कालिक कार्यवाही करने का है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : भारत सरकार ने यह प्रश्न बंगलादेश सरकार के साथ उठाया है और बंगलादेश सरकार इस बात पर सहमत है कि वह भविष्य में ऐसे यात्रा परमिट देना बंद कर देगी । सीमा सुरक्षा दल को भी सचेत कर दिया गया है कि बंगलादेश से होने वाले अनाधिकृत प्रवेश को रोका जाय । जो लोग रोक लिये गये हैं उनके पूर्वजों की जांच कर लेने के बाद उन पर उचित कार्रवाई की जायेगी ।

दिल्ली के अस्पतालों में निश्चेतनकारी (अनैस्थीनिय) औषधियों की कमी

411. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में निश्चेतना के लिए आवश्यक औषधियों की भारी कमी है ;

(ख) क्या रोगियों को बाजार से इन औषधियों को प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यह कठिनाई दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रहीं हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गोआ में कृषि श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं

412. **श्री पु षोत्तम काकोडकर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान गोआ में कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कितनी प्रमुख कल्याण योजनाओं का अनुमोदन किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नई जमीन पाने वालों की, जिनमें अधिकांशतः भूमिहीन श्रमिक होंगें, अधिकार सम्बन्धी स्थिति को दोष रहित करने और निवेश सम्बन्धी सहायता के लिए कार्यान्वियन तंत्र को सुदृढ़ करने के वास्ते एक योजना की परिकल्पना की गई है । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कृषि एक अनुसूचित रोजगार है । इस अधिनियम के अन्तर्गत, समुचित सरकार समय-समय पर कृषि श्रमिकों के विभिन्न वर्गों की मजदूरी दरें निर्धारित करती है ।

राजस्थान के स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए निर्धारित राशि

413. **श्री ओकिशन मोदी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 के लिए राजस्थान राज्य में जिलेवार स्वास्थ केन्द्रों तथा परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ख) राजस्थान राज्य के ग्रामों तथा कस्बों के लिए कितनी कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ऐ० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन सम्पूर्ण राज्य के लिए योजना-वार किया जाता है न कि जिलेवार, जिलेवार और विभिन्न ग्रामों तथा कस्बों के लिए आवंटन का वितरण स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर राज्य अधिकारियों द्वारा स्वयं किया जाता है ।

1973-74 और 1974-75 के दौरान राजस्थान में स्वास्थ और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए नियत की गई कुल राशि इस प्रकार हैं :—

	1973-74	1974-75
		(रुपये लाख में)
ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र और उप-केन्द्र	130.00*	127.35*
नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र	22.50	11.97
प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र और ग्रामीण उप-केन्द्र		125.00**

*इसके अतिरिक्त 1973-74 के दौरान 12.96 लाख रुपये की ब्लाक सहायता और 1974-75 के दौरान पी० ओ० एल० के लिए और मुख्य मरम्मतों के लिए तथा विभिन्न वाहनों की प्राप्ति के लिए, जिनमें ग्रामीण केन्द्रों के लिए वाहन शामिल हैं, 15.45 लाख रुपये का भी निर्धारण किया गया था ।

**यह व्यवस्था 1974-75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई है । 1973-74 में इसके लिए ऐसी कोई सहायता नहीं थी ।

कर्मचारी भविष्य निधि का विनियोजन

414. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक नियोक्ता को यह निदेश दिया है कि वह अक्तूबर, से 30 नवम्बर, 1974 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि का 43 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, 25 प्रतिशत राज्य अथवा केन्द्र सरकार की गारण्टी प्रतिभूतियों तथा 30 प्रतिशत डाकघर सावधिक जमा योजना तथा अल्प बचत योजनाओं में नियोजित करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :(क) और (ख) अब कर्मचारी भविष्य निधि की धन-राशियों का निवेश 1-10-1974 से निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, अर्थात:—

(i) केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियां 45 प्रतिशत

(ii) राज्य सरकार प्रतिभूतियां और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां 25 प्रतिशत

(iii) डाकघर सावधि निक्षेप और अल्प बचतें 30 प्रतिशत

निवेश का यह पैटर्न छूट प्राप्त और छूटन प्राप्त दोनों ही प्रकार के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है और यह 30-11-1974 तक लागू रहेगा ।

भविष्य निधि संचयनों का पुनर्निवेश (चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा सूचित और जारी की गई प्रतिभूतियों में या किसी राज्य सरकार द्वारा सृजित प्रतिभूतियों में निवेशित) भी ऊपर उल्लिखित पैटर्न के अनुसार किया जाना है ।

Demand for Taking Test Samples at Place of Manufacture

415. Shri B.S. Chowhan: Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state:

(a) the reasons for not accepting the demand to take sample of a commodity at the place of its manufacture in order to test its purity or impurity; and

(b) whether Government will hold the manufacturer of the commodity responsible, in case the saleable sealed commodities are found spurious or adulterated?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque): (a) It is not correct to say that the demand for taking samples at the place of manufacture has not been accepted. In actual practice, the food inspectors do take samples of food articles at the place of their manufacture also.

(b) Yes.

समाचार पत्र उद्योग में श्रमिक विरोधी प्रक्रियाएं

416. श्री वसंत साठे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्र उद्योग में नाना प्रकार की श्रमिक विरोधी प्रक्रियाएं उत्पन्न हो गई हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ज़िला केन्द्रों में समाचार पत्रों के सभी प्रबन्धक अपने कर्मचारियों के प्रति अपने कानूनी दायित्व को पूरा करें, निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारी नियुक्त करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला मुख्यतया राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है । तथापि, जब कभी कोई शिकायत सरकार के ध्यान में लाई जाती है तो समुचित कार्यवाही की जाती है । श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 में, अधिनियम के, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निरीक्षकों की राज्य सरकारों द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है ।

बिजली संकट के कारण दिल्ली में पांच-दिवस सप्ताह

417. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में बिजली के संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के कारखानों और मिलों में पांच-कार्य दिवस सप्ताह प्रणाली चालू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है और इससे दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में खेतिहर श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

418. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में खेतिहर श्रमिकों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कितनी मुख्य कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है ;

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) प्रत्येक योजना को अब तक किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, नयी जमीन पाने वालों की, जिनमें अधिकांशतः भूमिहीन श्रमिक होंगे, अधिकार सम्बन्धी स्थिति को दोषरहित करने और निवेश सम्बन्धी सहायता के लिए कार्यान्वियन तन्त्र को सुदृढ़ करने के वास्ते एक योजना की परिकल्पना की गयी है । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कृषि एक अनुसूचित रोजगार है । इस अधिनियम के अन्तर्गत समुचित सरकार समय-समय पर कृषि श्रमिकों के विभिन्न वर्गों की मजदूरी दरें निर्धारित करती हैं ।

ग्रामों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना

419. **श्री के० मालन्ना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ग्रामों में अधिकांश लोगों को अर्थात् 78.5 प्रतिशत महिलाओं और 70.6 प्रतिशत पुरुषों को परिवार नियोजन उपायों की जानकारी ही नहीं है और दस प्रतिशत से भी कम ग्रामीण जनता निरोधक उपायों का प्रयोग करती है;

(ख) क्या गत दो दशाब्दियों के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम में लगाए गए सभी धन और इसके क्रियान्वयन के लिए बनाए गए विशाल प्रशासनिक ढांचे के बावजूद भी कर्नाटक में इस विचारधारा का प्रसार नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) माननीय सदस्य द्वारा उद्धृत आंकड़े कर्नाटक राज्य में कुछ विवाहित दम्पत्तियों पर किये गये सर्वेक्षण पर आधारित प्रतीत होते हैं । देश के विभिन्न भागों में किये गये अध्ययनों से परिवार नियोजन के तरीकों और गर्भनिरोधकों के वास्तविक प्रयोग से सम्बन्धित ज्ञान के बारे में विभिन्न परिणामों का पता चलता है ।

(ख) और (ग) सभी राज्यों में जन शिक्षा और प्रेरणा कार्यक्रमों को तेजी से चलाया जा रहा है । कार्यक्रम की गति को तेज करने के लिए समय-समय पर इसकी कमियों और उपलब्धियों की समीक्षा की जाती है ।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा सेवाओं में सुधार

420. **श्री वेकारिया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली/नई दिल्ली में बढ़ते हुए यातायात को सम्भालने में असमर्थ है;

(ख) क्या 'मुद्रिका सेवा' और 'सुगम सेवा' इत्यादि सेवाओं के चालु करने पर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली और नई दिल्ली की जनता के लिये तुरन्त और कुशल परिवहन सेवा जुटाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) पेट्रोल, स्नेहकों, फालतू पुर्जो आदि के मूल्यों में वृद्धि के कारण हाल ही में व्यक्तिगत परिवहन स सार्वजनिक परिवहन की ओर झुकाव हो गया है । यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम, नई बसें प्राप्त कर, नये मार्गों पर अधिक अन्तर पर सेवाएं चलाकर और पर्याप्त अनुरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये नये डिपुओं का निर्माण से अपनी सेवाओं में धीरे-धीरे सुधार कर रहा है ।

(ख) 'सुगम सेवा' और 'मुद्रिका सेवा' से यात्रियों को कुछ राहत मिली है । इससे स्पष्ट है कि यात्री जनता ने इन सेवाओं का काफी स्वागत किया है । परन्तु नई सेवाओं के सही प्रभाव का तब तक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जब तक कि सभी मार्गों पर बसें नहीं चला दी जाती हैं ।

(ग) यह आशा की जाती है कि सारे शहर में क्रमिक ढंग से दिल्ली परिवहन निगम की सेवायें चालू कर दी जायेंगी ।

ईरान द्वारा आस्थगित भुगतान पर अशोधित तेल की सप्लाई

421. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान के शाह से उनकी हाल की इस देश की यात्रा के दौरान ईरान द्वारा देश को आस्थगित भुगतान पर अशोधित तेल की सप्लाई के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) जी हां ।

इन शर्तों को विस्तार से बताना जनहित में नहीं है ।

भारतीय इस्पात विश्व में सबसे सस्ता

422. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में सबसे सस्ते इस्पात का उत्पादक है, और

(ख) सरकार ने देश में इस्पात के उत्पादन, प्रबन्ध और वितरण में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) चूंकि विभिन्न देशों की इस्पात उत्पादन की लागत उपलब्ध नहीं है अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि भारत में इस्पात उत्पादन की लागत सबसे कम है ।

(ख) सरकार ने देश में इस्पात के उत्पादन प्रबन्ध और वितरण में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) लोहे और इस्पात तथा सम्बद्ध उद्योगों के योजनाबद्ध ढंग से सर्वतोमुखी तथा कुशल विकास के लिए स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० का गठन किया गया है ।

(2) कोयले तथा बिजली की नियमित आपूर्ति तथा इस्पात कारखानों को कच्चे माल तथा इस्पात कारखानों से विभिन्न स्थानों को तैयार उत्पादों की शीघ्र ढुलाई के लिए ऊर्जा तथा रेलवे मंत्रालय से निकट तथा सतत सम्पर्क रखा जा रहा है ।

(3) उत्पादन में सुधार लाने के लिए बहुत से उपाय किए जा रहे हैं जिनमें अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था, पूंजीगत कार्यक्रमों की व्यवस्था करना (अतिरिक्त सुविधाओं, पुराने उपकरणों को बदलने आदि की सुविधाएं शामिल हैं) उपकरणों के बेहतर उपयोग के लिए रख-रखाव में सुधार करना तथा फालतू पुर्जो, तापसह इंटों और अन्य आवश्यक कच्चे माल की योजनाबद्ध ढंग से प्राप्ति करना शामिल हैं ।

(4) इस्पात के वितरण में सुधार लाने के लिए वितरण प्रणाली में कई सुधार किये गये हैं ताकि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को दृढ़ता से पालन सुनिश्चित किया जा सके, वितरण में निश्चितता लाई जा सके, सामग्री जल्दी से भेजी जा सके, अनावश्यक कागजी कार्रवाई खत्म की जाय और बड़े-बड़े उपभोक्ताओं को इस्पात के आबंटन और वितरण में लगने वाले समय को कम किया जाए ।

Allotment of Funds to Madhya Pradesh for Family Planning in Fourth Plan

423. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the grants given for family planning programmes of Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan, year wise;

(b) the targets achieved in family planning programmes of the State during this plan period; and

(c) the extent to which the birth rate was lowered as a result thereof?

The Deputy Minister for Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque): (a) A statement is attached (Annexure I).

[Placed in the library. See No. L.T.—8469/74.]

(b) A statement is attached (Annexure II.)

[Placed in the Library. See No. L.T.—8469/74.]

(c) The reduction in birth rates at the State level on the basis of performance in Family Planning has not been worked out as data on some of the parameters is not available.

इंडिया फायरब्रिक्स एण्ड इंसुलेशन कम्पनी हजारीबाग के श्रमिकों द्वारा ज्ञापन

424. **श्री हरि किशोर सिंह :** (क) क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सरकार को इण्डिया फायरब्रिक्स इन्स्यूलेशन कम्पनी मरार, रांची रोड, हजारीबाग के श्रमिकों द्वारा कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) फरवरी, 1974 में इण्डिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्स्यूलेशन कम्पनी की कार्रवाई समिति ने इस्पात और खान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था । यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

एजुकेशनल रिसोर्सेज सेन्टर, नई दिल्ली की गतिविधियां

425. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डी-53 डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में स्थित एजुकेशनल रिसोर्सेज सेन्टर की गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो यह गतिविधियां किन-किन क्षेत्रों में है, और

(ग) विदेशी स्रोतों से इस केन्द्र को कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) एजुकेशनल रिसोर्सेज सेन्टर की मुख्य गतिविधि अमरीकी स्कूलों में उपयोग के लिए भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन सामग्री तैयार करना है जिसमें फिल्म स्ट्रिप्स भी शामिल हैं ।

भारत में इस केन्द्र की समीक्षा और नियमन का कार्य भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् को सौंपा गया है ।

(ग) एजुकेशनल रिसोर्सेज सेन्टर को अमरीका स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण विभाग, वाशिंगटन के शिक्षा कार्यालय से अनुदान मिलता है ।

42 LSS/74—6.

उर्वरकों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा

426. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में उर्वरकों के आयात के लिए कितनी राशि की विदेशी मुद्रा का आवंटन किया गया है; और

(ख) अब तक इसके लिये कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और कितनी मात्रा में उर्वरकों का अर्जन किया गया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) वर्तमान उपलब्ध साधनों से आयात के लिए विदेशी मुद्रा की पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जायेगी ।

(ख) अब तक पूर्ति विभाग 220,000 मी० टन यूरिया, 20/22,000 मी० टन एन पी के और 30,000 मी० टन एमोनियम क्लोराइड की सप्लाई के लिए 85.04 मिलियन डालर की कुल धन राशि के ठेके निष्पादित कर चुका है ।

उत्तर भारत के एककों को इस्पात की सप्लाई का बंद करना

427. **श्री टूना उरांव** :

श्री शंकरनारायण सिंह देव :

श्री गजाधर मांझी :

श्री कुमार माझी :

श्री देवेन्द्रनाथ माहाता :

श्री एम० एस० पुरती :

श्री शक्ति कुमार सरकार :

हाजी लुतफल हक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के दुरुपयोग के विरुद्ध अपने व्यापक अभियान में रीजनल आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर द्वारा उत्तर भारत के तीन सौ एककों को इस्पात की सप्लाई बन्द कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक एकक का नाम क्या है और गत तीन वर्षों में, वर्षवार, इन एककों को इस्पात के आवंटन की रुपरेखा क्या है तथा प्रत्येक एकक के विरुद्ध शिकायत की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) एककों द्वारा इस्पात कोटे का दुरुपयोग करने के बारे में रीजनल आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर द्वारा अब तक कौन-कौन से विभिन्न उपाय किये गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पूंछ क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना द्वारा एक चौकी की स्थापना करना तथा बंकरों का निर्माण

429. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :**
श्री महादीपक सिंह शाक्य :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूंछ क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अन्दर पाकिस्तानी सेना ने नई चौकियों की स्थापना की है और बन्करों का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी कई बार गोला-बारी हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) 1-10-74 से 7-11-74 की अवधि के दौरान पूंछ सेक्टर में 7-10-74 को केवल एक बार गोलाबारी हुई थी । हमारी ओर कोई हताहत नहीं हुआ । पाकिस्तानी हताहतों की संख्या की जानकारी नहीं है ।

उत्तर बंगाल में खराब किस्म का भोजन खाने से बच्चों की मृत्यु

430. **श्री माधुर्य हाल्दर :**
श्री अजीत कुमार साहा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि उत्तर बंगाल के 'गुएलकिचन' द्वारा सप्लाई किये गए खराब किस्म के भोजन को खाने के श्चात् सैकड़ों बच्चों की मृत्यु हो गई; और

(ख) यदि हां, तो मरने वाले बच्चों की सही संख्या क्या है और 'गुएलकिचन' द्वारा सप्लाई किये जाने वाले भोजन की किस्म में सुधार करने के लिये क्या तत्काल उपाय किये गए थे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पारादीप में एक शिपबिल्डिंग यार्ड की स्थापना करना

431. **श्री चिन्तामणि पाणिग्राही :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित पारादीप में शिपबिल्डिंग यार्ड की स्थापना के प्रश्न को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में कब तक कोई निर्णय लिया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तकनीकी आर्थिक कार्य दल द्वारा अनुशंसित पालरादीप पत्तन सहित चार निर्माण स्थानों की प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये तीन विदेशी परामर्शकों को रखा गया है। तीनों परामर्शकों से प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट फरवरी, 1975 के अन्त तक प्राप्त होने की सम्भावना है, जिसके बाद निर्णय किया जाएगा।

बम्बई की जाली फर्मों को स्टेनलेस स्टील का कथित आवंटन

432. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बम्बई की दो जाली फर्मों को 4 लाख रुपये के मूल्य का स्टेनलेस स्टील आवंटित किया गया था;

(ख) क्या इस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच करने का आदेश दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष रहे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

फ्रांस के सहयोग से नई सरफेस टू सरफेस मिसाइलज का निर्माण

433. **श्री एस० एन० मिश्र** :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

श्री पी० वेंकटासुब्बैया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने फ्रांस के सहयोग से नई सरफेस टू सरफेस 'मिसाइलज' के निर्माण करने के बारे में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सहयोग की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इनका उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) जुलाई 1971 में भारत डायनामिक्स लिमिटेड में विदेशी तकनीकी सहयोग से जमीन से जमीन पर मार करने वाले टैंक रोधी प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण हो रहा है। सहयोग की शर्तों को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

हाईस्पीड डीजल के प्रयोग में बचत

434. **श्री राजदेव सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाई स्पीड डीजल के प्रयोग में बचत करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई अनुदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को पता है कि इससे देश के सुव्यवस्थित सड़क परिवहन को कितनी हानि पड़ेगी;

(ग) क्या देश के भीतरी भागों से जो 62 प्रतिशत निर्यात माल भारतीय पत्तनों पर केवल माल सड़क परिवहन उद्योग द्वारा ले जाया जाता है उस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(घ) क्या व्यापार विकास को अप्रभावित रखते हुए हाई स्पीड डीजल की खपत कम करने का अन्य कोई उपाय नहीं है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (घ) अगस्त, 1974 में पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सड़क परिवहन गाड़ियों को हाई स्पीड डीजल की खपत में मितव्ययता करने के कुछ निर्देश जारी किये गए। इसमें वाणिज्यिक गाड़ियों के 500 कि०मी० से अधिक चलाने तथा गाड़ियों के नए परमिट देने पर प्रतिबन्ध लगाना भी शामिल है। परिवहन चालकों/संघों से अभिवेदन प्राप्त होने पर सड़क परिवहन सम्बन्धी निर्देशों पर पुनः विचार किया जा रहा है।

स्पांज आइरन पर आधारित छोटे इस्पात संयंत्र

435. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :
श्री के० मालन्ना :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पांज-आइरन पर आधारित छोटे इस्पात संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) आठ राज्य औद्योगिक विकास निगमों को स्पांज लोहे की इकाइयां स्थापित करने के लिये आशयपत्र दिये गए हैं। जब स्पंज लोहा वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध होने लगेगा उस समय लौह-स्क्रैप के साथ-स्पांज लोहे का प्रयोग विद्युत्-चाप भट्टियों में इस्पात बनाने के लिये कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है।

Pak refusal to take back 22 displaced families

436. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news item published under the caption '22 Sharnarthi parivaron Ko Vapas Lene Se Pak inkari" (Pak's refusal to take back 22 displaced families) in local daily dated the 9th October, 1974;

(b) whether Pakistan is backing out of the agreement; and

(c) if so, the steps taken by the Government of India in that connection?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (c) Government have seen press reports to this effect. The information is being verified and a statement will be laid on the Table of the House.

कानपुर के कारखानों द्वारा कूड़ा-कचरा (गंदगी) गंगा में डाला जाना

437. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर शहर के बहुत से कारखाने कूड़ा-कचरा (गंदगी) गंगा नदी में डाल रहे हैं जो जन स्वास्थ के लिये हानिकारक है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या उपाय अपनाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वेतन वृद्धि रोक के विरुद्ध केरल में कर्मचारियों द्वारा विरोध

438. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि सरकार की वेतन वृद्धि रोक नीति के विरोध स्वरूप केरल में राज्य पर्यन्त औद्योगिक कर्मचारी 17 सितम्बर को काम पर नहीं गयें ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने हड़ताल संबंधी रिपोट देखी है ; सरकार बार बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का उसका कोई इरादा नहीं है ।

बेलाडिला लोह अयस्क परियोजना में उत्पादन

439. **श्री बीरेन दत्त :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना में 55 लाख मीटरी टन उत्पादन होने की आशा है जिसमें से 40 लाख मीटरी टन का जापान को निर्यात किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो हमारे इस्पात संयंत्रों की लौह अयस्क की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी किये जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना (निक्षेप संख्या 5) का विकास इस ढंग से किया जा रहा है । जिससे प्रतिवर्ष 55 लाख टन मिट्टी मिश्रित लौह खनिज निकाला जा सके (रन-आफ माइन) इससे प्रतिवर्ष 40 लाख टन लौह अयस्क के ढल्ले और 10 लाख टन लौह अयस्क का चूरा अपलब्ध हो सकेगा । यह अयस्क दीर्घावधि करार के अन्तर्गत जापान को निर्यात किया जायेगा ।

(ख) वर्तमान इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य स्रोतों से की जा रही है और इन्हें बेलाडिला से सम्बद्ध नहीं किया गया है । विशाखापत्तनम् में लगाये जाने वाले इस्पात कारखाने की आवश्यकताओं की पूर्ति बेलाडिला में विकसित की जा रही एक नई खान निक्षेप संख्या 4 से करने की योजना है ।

राष्ट्रीय वेतन नीति

440. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम मंत्रालय में अप-मंत्री महोदय ने न्यूनतम वेतन (केन्द्रीय) परामर्शदात्री बोर्ड की बैठक में वहां कहा है कि जो राष्ट्रीय वेतन नीति बनाई जा रही है उससे वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की आय में अवश्य सुधार आयेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) 23 सितम्बर, 1974 को नई दिल्ली में हुई इस बोर्ड की बैठक में अपने उद्घाटन अभिभाषण में उप श्रम मंत्री ने, जो कि बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, कहा था कि राष्ट्रीय मजदूरी संबंधी नीति अन्ततोगत्वा जो भी रूप धारण करे, कम मजदूरी पाने वाले ऐसे श्रमिकों की जो सामान्यतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन आते हैं, आय में सुधार सरकारी कार्यवाही का स्वीकृत उद्देश्य बना रहेगा । राज्य सरकारों को सलाह दे दी गई है कि वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत आये हुए श्रमिकों की मजदूरी-दरों की, जहां ऐसी पुन-रीक्षा की बारी आ गई है, पुनरीक्षा करें ।

राष्ट्रीय प्रयोगशाला द्वारा परिवार नियोजन के लिए नये विकल्प

441. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री श्रीकृष्ण मोदी :
क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (नेशनल फिजिकल लेबोरेट्री) ने परिवार नियोजन के लिए विकल्प निकाले हैं जैसाकि 28 सितम्बर, 1974 के स्थानीय दैनिक में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये नये विकल्प सफल हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनके प्रचार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं, ; और

(घ) नये विकल्पों सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ऐ० के० एम० इसहाक) : (क) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग शाला के वैज्ञानिकों ने एक तरल क्रिस्टल ताप उपाय का विकास किया है जो डिम्बक्षरण के दिन के निर्धारण करने में सहायता करता है ।

(ख) इस उपाय की प्रभावकारिता की जांच करने के लिये हाल ही में इसके क्लीनिकी परीक्षन आरम्भ किये गये हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इस उपाय द्वारा शरीर में तापमान के बढ़ने के कारण रंग के परिवर्तन से डिम्बक्षरण के समय का पता लग जाता है । शरीर के तापमान का पता लगाने के लिये ये तरत क्रिस्टल ताप उपाय (फ़िल्म) को शरीर के क़िसी भी भाग के जैसे कि मस्तक पर रख दिया जाता है और फ़िल्म पर आने वाले रंग का निरीक्षण कर लिया जाता है । इस रंग से शरीर के बढ़े हुए तापमान का पता चल जाता है जो डिम्बक्षरण हो जाने का सूचक है ।

महिला श्रमिकों को कम मजूरी दिया जाना

442. श्री आर० एन० वर्मन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम मजूरी दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार दोनों प्रकार के श्रमिकों को एक समान मजूरी दिलाने के लिये क्या क़दम उठाने का विचार कर रही है ; और

(ग) महिला श्रमिकों की कार्य स्थिति में सुधार करने के लिये वेतन में भेदभाव के विरुद्ध वैकल्पिक मुआवजे के रूप में अन्य क्या सुविधायें दी जा रहीं हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत समुचित प्राधिकारी की हैसियत में, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में अधिसूचित की गई मजदूरी दरें समान मूल्य के कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समान हैं । तथापि, राज्य कार्य-क्षेत्र में, कभी कभी महिला श्रमिकों को उन मामलों में न्यून मजदूरी दरें दी जाती हैं, जहां उनके द्वारा किया जाने वाला उत्पादन पुरुषों से कम होता है या उन्हें कम श्रम साध्य कार्य दिए जाते हैं ।

(ख) राज्य सरकारों और मजदूरी निर्धारित/संशोधित करने वाले प्राधिकारियों से पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समान पारिश्रमिक के सिद्धान्त को ध्यान में रखने का आग्रह किया गया है और इस सिद्धान्त के कार्यान्वित किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा हर प्रयास किया जाता है । श्रम मंत्रियों ने 27 और 28 सितम्बर, 1974 को हुए अपने 25 वें अधिवेशन में सर्व सम्मति से स्वीकार किया कि ऐसे राज्यों को, जिन्होंने कि अब तक वैसा नहीं किया है, इस मामले में समुचित कार्यवाही करनी चाहिए ।

(ग) चूंकि मजदूरी दरों में भिन्नताएं, जहां कहीं वे विद्मान हैं, लिंग की अपेक्षा कार्यों के वस्तु-निष्ठ लक्षणों पर आधारित हैं, वैकल्पिक मुआवजा देने का प्रश्न सामान्यता नहीं उठेगा ।

विदेश मंत्री द्वारा रूस का दौरा

443. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के विदेश मंत्री से पारस्परिक हितों के मामलों पर बात-चीत करने के लिये भारत के विदेश मंत्री ने सितम्बर, 1974 में रूस का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की बातचीत हुई और उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां । तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने सोवियत सरकार के निमंत्रण पर 8 से 10 सितम्बर, 1974 तक सोवियत संघ की यात्रा की थी । वहां उन्होंने सोवियत विदेश मंत्री के अलावा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महा सचिव से भी बातचीत की ।

(ख) इन वार्ताओं में दोनों पक्षों ने सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर तथा आपसी हित के द्विपक्षीय मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जिससे यह पता चला कि दोनों के विचार बहुत समान हैं ।

यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई सहमत प्रैस विज्ञप्ति की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०-8470/74]

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में सैन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियनस तथा आल इण्डिया ट्रेड यूनियन्स कांग्रेस के संघों द्वारा हड़ताल

444. **श्री रोबिन सेन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की सैन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स तथा आल इंण्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संघों द्वारा छंटनी किये गये ठेका श्रमिकों की बहाली तथा उन्हें दुर्गापूर इस्पात संयंत्र में रोजगार पर लगाने की मांग के समर्थन में 3 अक्तूबर, 1974 की हड़ताल का नोटिस मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो छंटनी किये गये ठेका श्रमिकों के बारे में सरकार का रवैया क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में औद्योगिक सम्बन्ध, पश्चिम बंगाल सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं । हड़ताल के जिस नोटिस का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में श्रम मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है । जिन ठेका श्रमिकों की छंटनी की गई बताई गई है, उनकी बहाली संबंधी मांग को समुचित प्राधिकारी के ध्यान में ला दिया गया है।

केरल में श्रमिक न्यायालय

445. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने श्रमिक न्यायालय हैं ;

(ख) क्या केरल में श्रमिक न्यायालय में न्यायाधीश का पद गत नौ महीनों से रिक्त पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) 30 अगस्त, 1974 को श्रमिक न्यायालय में कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) एक।

(ख) पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायलय, क्वीलोन का पद 19-3-1974 से खाली है, जबकि पिछले अधिकारी सेवा-निवृत्त हुए थे।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार, उपयुक्त नामावली प्राप्त करने में कठिनाई है।

(घ) 6 नवम्बर, 1974 को 3629.

गुजरात के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एम० बी० बी० एस० डाक्टर

446. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एम०बी०बी०एस० डाक्टर हैं और कितने में नहीं हैं ;]

(ख) गुजरात के तालूकों और महालों में कितने सरकारी औषधालयों में एम०बी०बी०एस० डाक्टर हैं ;

(ग) क्या राज्य में एम०बी०बी०एस० डाक्टरों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सरकारी औषधालयों में एम०बी०बी०एस० डाक्टरों को नियुक्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (घ) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वर्ष 1972–73 के दौरान इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित इस्पात

447. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1972, 1973 और 1974 में समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने कितनी मात्रा में इस्पात का उत्पादन किया था ;

(ख) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्मित उत्पादों का कोई जमाव हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो यह कितना जमा हुआ है और उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जून, 1972, 1973 और 1974 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० को इस्पात पिण्ड और विक्रेय इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है ।

(टन)

	जुलाई, 1971 से जून, 1972	जुलाई, 1972 से जून, 1973	जुलाई, 1973 से जून, 1974
	उत्पादन	उत्पादन	उत्पादन
इस्पात पिण्ड	548,631	450,762	437,584
विक्रेय इस्पात . .	441,067	361,878	355,062

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों का विक्रेय इस्पात का स्टाक नीचे दिया गया है :—

(टन)

	30-6-72 की स्थिति	30-6-73 की स्थिति	30-6-74 की स्थिति
विक्रेय इस्पात	4,794	29,839	34,574

पिछले दो वर्षों में स्टाक में वृद्धि होने का मुख्य कारण ठीक प्रकार के रेल के डिब्बों की सप्लाई कम होना है ।

नौवहन में भारतीय नामों का प्रयोग

448. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन के क्षेत्र में भारतीय नामों तथा शब्दों को लोकप्रिय बनाने की ओर कोई ध्यान दिया गया है; और

(ख) इस संयंत्र में अब तक कितनी प्रगति हुई है और संविधान के उपबन्धों तथा राष्ट्र की भाषा के बारे में समय-समय पर जारी किये गये निदेशों को नौवहन के क्षेत्र में लागू करने के संबंध में मंत्रालय की क्या योजनायें हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) पिछले चार वर्षों से हिन्दी शब्दों को व्यापार पोत अधिकारी एवं नाविक प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए लोकप्रिय बनाया जा रहा है । नौवहन महानिदेशालय में व्यापार पोत अधिनियम के अधीन विभिन्न नियम तथा विनियमों का अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद करने के लिये गत कुछ समय से एक हिन्दी सेल कार्य कर रहा है। अब तक नियमों के 12 सेट तथा 86 प्रपत्रों का अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद किया गया है ।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत प्राइवेट बस चलाने वालों का व्यवहार

449. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत प्राइवेट बस चलाने वाले सभी व्यक्तियों का लाइसेंस रद्द कर देने का है क्योंकि वे यात्रियों की कभी परवाह नहीं करते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा उन पर नियंत्रण रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्राइवेट बस मालिक के साथ हुए समझौते की शर्तों के अनुसार उन्हें निगम द्वारा बसों के परिचालन संबंधी जारी किये गये अनुदेशों का पालन करना होता है। जब कभी यात्रियों को न उठाने, बसों को न रोकने अथवा बस रुकने का स्थान से आगे पीछे रोकने जैसी किसी अनियमितता की रिपोर्ट की जाती है तो निगम का प्रबन्ध उनके साथ हुए समझौते की शर्तों के अनुसार संबंधित बस मालिक के विरुद्ध कार्यवाही करता है ।

Increase in price of Nirodh

450. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government have recently raised the price of 'Nirodh' from 15 paise to 35 paise;

(b) Whether this rise in price of 'Nirodh' will adversely affect its sale and retard the family planning programme; and

(c) If so, whether Government are seized of this problem ?

The Deputy Minister for Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque):

(a) The retail price of Nirodh has been raised from 15 paise to 25 paise for 3 pieces with effect from 1st October, 1974.

(b) It is too early to say with effect, if any, Nirodh price revision will have on its sale. However, no adverse affect on the family planning programme is expected as a result of this because Nirodh is also available free of charge at Family Planning Centres.

(c) Does not arise.

भारत में शिपयार्डों का निर्माण करने हेतु स्थानों का चयन करने के लिए योरुप से विशेषज्ञ दल का दौरा

451. **श्री रानेन सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योरुप के किसी विशेषज्ञ दल ने भारत में शिपयार्डों का निर्माण करने हेतु उपयुक्त स्थानों का पता लगाने के लिये हाल ही में भारत के विभिन्न भागों का दौरा किया है; और

(ख) क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) भारत सरकार का यूरोप के तीन विदेशी सलाहकारों के साथ किये गये करारों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न निर्माण स्थलों का मूल्यांकन करने के लिये बनाये गये तकनीकी आर्थिक कार्य दल द्वारा अनुशंसित निर्माण स्थलों का परामर्शकों के विशेषज्ञ-दलों ने दौरा किया है ।

(ख) जी, नहीं। तीनों सलाहकारों से रिपोर्ट फरवरी, 1975 के अन्त तक प्राप्त होने की संभावना है ।

बम्बई की कुछ एजेंसियों द्वारा विदेशों को प्लैज्मा भेजा जाना

452. **डा० सरदीश राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई में कुछ एजेंसियों प्लैज्मा को चोरी छिपे विदेशों को भेज रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) सरकार को इस प्रकार से चोरी-छिपे प्लाज्मा भेजे जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Beedi Workers Wages

453. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the rate of wages for rolling one thousand beedis, being paid to the beedi workers in various States is very meagre in the context of the present rising prices and the same is also not uniform in all the States ; and

(b) if so, whether Government have decided to enact some central legislation to fix uniform wages and other benefits for them?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) No. Sir. A meeting of the State Labour Ministers convened in January 1973 had made recommendations as a step towards uniform and better wages, for increasing the then wages of beedi workers. These were implemented by and large. The Labour Ministers Conference held recently at New Delhi on September 27-28 , 1974 has further recommended that the existing minimum rates of wages in the beedi industry be revised within the range of Rs. 4.50 and Rs. 5.00 for rolling 1000 beedis and that the new rate be brought into effect as early as possible and in any case not later than the 1st May 1975. It was also agreed that the above arrangements would be without prejudice to higher wages already obtaining in any of the States under the existing notifications.

(b) The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 already provides for welfare, health and other benefits in the beedi industry. The Minimum Wages Act, 1948, provides for fixation and revision of minimum wages. There is, therefore, no proposal for undertaking any further legislation.

ईरान के शाह द्वारा भारत की यात्रा

454. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के प्रधान मंत्री और ईरान के शाह, जिन्होंने अक्तूबर, 1974 को नई दिल्ली की यात्रा की थी, के बीच किन विषयों पर बातचीत हुई तथा उसका क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : ईरान के शहंशाह ने 2 से 4 अक्तूबर, 1974 तक भारत की यात्रा की । इस यात्रा के दौरान शहंशाह और भारत की प्रधान मंत्री के बीच आपसी हित के अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर द्विपक्षीय मामलों पर विचार विमर्श हुआ । दोनों नेताओं ने अपने आर्थिक सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और उस पर संतोष व्यक्त किया तथा भारत और ईरान के बीच भावी सहयोग के आयामों पर सहमति प्रकट की ।

ईरान के शहंशाह की यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—8471/74]

देश में मलेरिया के मामलों में वृद्धि होना

455. **श्री भोला माझी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया देश में फिर से महामारी के रूप में फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम के लिये क्या कायवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मलेरिया के रोगियों का गलत इलाज किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कायवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) 1971 के बाद मलेरिया की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है । अन्य बातों के साथ-साथ इस वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

1. कीटनाशकों को समय पर काफी मात्रा में प्राप्त करने और उन का वितरण करने संबंधी कठिनाइयों का होना;

2. कुछ क्षेत्रों में विशेष प्रकार के मच्छरों में परम्परागत कीटनाशकों को पचा लेने की शक्ति का विकास हो जाना;

3. देश के कुछ भागों में मच्छरों द्वारा कई मलेरिया निरोधी दवाइयों को हज़म कर लेना;

4, कई मलेरिया निरोधी दवाइयों की कमी हो जाना, जिनके निर्माण के लिये कच्ची सामग्री विदेश से मंगवानी पड़ती है ।

5. शहरों और उद्योगों की तीव्र गति से वृद्धि होना जिनके परिणामस्वरूप मच्छरों के पैदा होने की स्थितियां पैदा हो जाती हैं ।

मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की समय-समय पर जांच की जाती है और जहां आवश्यक समझा जाये राज्य सरकारों को आवश्यक रोकथाम के उपाय बरतने के लिये सलाह दी जाती है । कीटनाशकों को प्राप्त करने के लिये अग्रिम कार्यवाही की जा रही है डी०डी० टी० और बी० एच० सी० तथा मलेरिया निरोधी दवाइयों को देश में काफी मात्रा में तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। वैकल्पिक कीटनाशकों और मलेरिया निरोधी दवाइयों की खोज पर तीव्र अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं। मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम द्वारा सुझायी गई औषधियों (ड्रग रैजीम) का पालन किया जा रहा है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विश्व सामान्य चिकित्सा परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् की मान्यता समाप्त करने की धमकी

456. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री नरेन्द्र सिंह :

श्री राम सहाय पाण्डे :

श्री धामनकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व सामान्य चिकित्सा परिषद् ने इस आशय की धमकी दी है कि अगर भारतीय चिकित्सा परिषद् भारत में चिकित्सा शिक्षा के स्तर को कम करती जायेगी, तो उसकी मान्यता को समाप्त कर दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो विश्व-स्तर के साथ समानता लाने के लिये चिकित्सा प्रणाली में क्या-क्या सुधार करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) जहां तक भारत सरकार की जानकारी है, ऐसा कोई संगठन नहीं है जिस का नाम विश्व सामान्य चिकित्सा परिषद् हो। वैसे, इंगलैण्ड में एक सामान्य चिकित्सा परिषद् है और भारतीय चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता समाप्त करने संबंधी उक्त परिषद् के किसी प्रस्ताव का सरकार को पता नहीं है।

भूतपूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री के पासपोर्ट को जब्त किया जाना

457. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश से भारत वापस आने के कुछ दिनों बाद 26 जुलाई, 1974 से भूतपूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री के पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) श्री अशोक कुमार सेन, संसद सदस्य, भूतपूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री का पासपोर्ट, पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 (3) (इ) के अधीन जब्त कर लिया गया है क्योंकि पासपोर्ट प्राधिकरण को यह जानकारी मिली थी कि प्रथम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, दिल्ली की अदालत में श्री सेन के खिलाफ एक आपराधिक मामला विचाराधीन है।

मारुति लि० को इस्पात कोटे का आवंटन

458. **श्री मधु लिमये** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड की स्थापना के बाद से उसे प्रति वर्ष आवंटित किये गये इस्पात का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कम्पनी के आवेदन-पत्र में उल्लिखित इन कोटाओं के औचित्य का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) क्या इन कोटाओं का कोई भाग चोर बाजार में बेचा गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कालिन्दी बेसिन में जलमग्न होने वाले क्षेत्र से खनिजों का निकाला जाना

459. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालिन्दी बेसिन में जलमग्न होने वाले क्षेत्र से अधिकाधिक मात्रा में खनिजों को निकालने के लिये कोई द्रुत कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या खनिज निक्षेपों का गुणात्मक और मात्रा संबंधी कोई विश्लेषण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) से (ग) ज्ञात निक्षेपों में लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के लगभग 10–10 लाख टन भंडारों का निर्धारण किया गया है किन्तु सिदी हिल और एकरेक्सा क्षेत्रों जो सम्भवतः तलहटी जल में मग्न हैं, सहित इस इलाके में पाए गए सांकेतित भण्डारों में 100 मिलियन टन तक लौह अयस्क तथा 10 मिलियन टन तक मैंगनीज अयस्क हो सकता है। सम्बद्ध क्षेत्र घने जंगलों में हैं और राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण के साथ-साथ जंगलों की सफाई कराई जा रही है। राज्य सरकार का विचार इन निक्षेपों के शीघ्र समुपयोजन का काम अपने खनन प्रतिष्ठान मैसर्स मैसूर मिनरल्स लि० को सौंपने का है।

अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को हुआ घाटा

460. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम की स्थापना के बाद से उसे कितना घाटा हुआ है:

(ख) क्या उक्त निगम ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई योजना तैयार की है कि अगले पांच वर्षों के दौरान यह लाभप्रद ढंग से काम करने लगे; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जल परिवहन के माध्यम से कितने टनभार माल ढोया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) अनुमान है कि सूचना, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० कलकत्ता के बारे में पूछी गई है। यदि ऐसा है तो प्रारम्भ से लेकर 31-3-1974 तक इस निगम को कुल 771.02 लाख रुपये की क्षति हुई है, जिसमें 1973-74 के लिये अलेखा परीक्षित आंकड़े शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) लगभग 5.53 लाख टन।

अल्यूमिनियम का आयात

461. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्यूमिनियम को देशी कीमत से दुगनी से भी अधिक कीमत पर अल्यूमिनियम का आयात करने का सरकार ने निर्णय किया है;

(ख) क्या उन वर्तमान अल्यूमिनियम संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने का सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है, जो अपनी अधिष्ठापित क्षमता का केवल 61 प्रतिशत ही उपयोग कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) वर्ष 1973-74 तथा चालू वर्ष (1974-75) में, विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा एल्यूमिनियम प्रद्रावकों को बिजली में भारी कटौती के कारण एल्यूमिनियम उत्पादन की निर्धारित क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सका और इसके फलस्वरूप, पिछले वर्षों की तुलना में एल्यूमिनियम के उत्पादन में काफी कमी हुई। केबुल/कंडक्टर निर्माताओं की जरूरत को पूरा करने के लिये, जो निर्यात-उत्पादन हेतु ऊंचे मूल्य का आयातित एल्यूमिनियम प्रयोग कर सकते हैं, अल्पकालीन उपाय के रूप में, इस धातु के आयात का निश्चय किया गया। एल्यूमिनियम की कमी मूलतः एल्यूमिनियम प्रद्रावकों को बिजली की अपर्याप्त पूर्ति के कारण है और सरकार ने एल्यूमिनियम उत्पादन हेतु बिजली की पूर्ति बनाए रखने/बढ़ाने के बारे में संबंधित राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों से बातचीत की है, फिर भी बिजली की पूर्ति में कोई सुधार नहीं हुआ है, अपर्याप्त बिजली की पूर्ति के कारण एल्यूमिनियम धातु की कमी कुछ अधिक समय तक बनी रहने की आशंका है।

Removal of Transport Barriers between States

462. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether Government propose to make rules for removing barriers between States so as to ensure smooth transportation throughout the country; and

(b) if so, the nature of steps proposed to be taken?

Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H.M. Trivedi): (a) and (b) Presumably the Hon'ble Member is referring to impediments in the free flow of inter-State road transport traffic.

Multiplicity of taxes, absence of uniformity in the rates and the method of collection of taxes, need for counter-signatures of permits for operation of transport vehicles and existence of octroi and other check-posts . re the main impediments to the free flow of inter-State traffic. Under the Constitution, the executive responsibility in respect of motor transport rests with the State Governments. Taxation on motor vehicles and on goods and passengers carried in them falls within the purview of State Governments.

In order to remove the various hindrance in the smooth running of inter-State traffic, the Inter-State Transport Commission has initiated zonal permit schemes viz,. Southern, Western, Northern, Central and Eastern for free movement of goods vehicles within the respective zones on all National and State Highways on the basis of payment of tax at a single point and without countersignatures of permits. Of these, the Southern, Western and Northern Zone Permit Schemes are already in operation since 1st January, 1967, 1st January, 1973 and 1st January, 1974 respectively.

Abolition of octroi also falls within the jurisdiction of State Governments. The Central Government have been endeavouring to persuade the State Governments to implement the recommendations of the Road Transport Taxation Enquiry Committee in this regard. Abolition of octroi depends, however, on locating acceptable alternative taxes by the State Governments.

देश के ऊपर से विमान-उड़ानों के बारे में पाकिस्तान के साथ बातचीत का प्रस्ताव

463. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ऊपर से विमान-उड़ानों के बारे में बातचीत के लिये एक टीम भेजने के लिये पाकिस्तान को भेजे गए सरकार के पत्र का पाकिस्तान ने कोई उत्तर नहीं भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) शिमला करार के अनुसार अंतराष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन के समक्ष पड़े 1971 के प्रकरण तथा ऊपरी उड़ानों सहित हवाई संपर्क पुनः आरम्भ करने के बारे में द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने से संबद्ध भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ पहले जो लिखा-पढ़ी की थी, उसके उत्तर में पाकिस्तान अब इस महीने के दूसरे पखवाड़े में इस्लामाबाद में बातचीत करने को सहमत हो गया है।

(ख) एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल 17 नवम्बर के आसपास इस्लामाबाद जाने वाला है।

बंगलादेश की अकाल पीड़ित जनता को भारत की सहायता

464. **श्री जी० वाई कृष्णन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगलादेश की भूखी जनता को भोजन उपलब्ध कराने के लिये, जहां केवल रंगपुर जिले में ही 70,000 से 80,000 लोगों के भूख से मरने का समाचार है, भारत ने किस प्रकार की, और कितनी सहायता दी है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : हमें बंगलादेश की सरकार से न तो इस तरह की सूचना मिली है और न उन्होंने सहायता के लिये ही कहा है।

सप्लाई ठेकों की ऊंची दरों के लिये "फैडरेशन आफ एसोसिएशन्स आफ स्माल इण्डस्ट्रीज" द्वारा अभ्यावेदन

465. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फेडरेशन आफ एसोसियेशन्स आफ स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज" तथा उसकी विभिन्न राज्य शाखाओं से सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा दिये गये सप्लाई ठेकों को पूरा करने के लिये कच्चे माल की कीमतों में उचित वृद्धि के लिए ऊंची दरों को मंजूरी देने में निदेशालय द्वारा आनाकानी करने के कारण फेडरेशन्स की संघटक शाखाओं को कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा निष्पादित स्थायी मूल्य संबंधी ठेकों में मूल्य-वृद्धि आधार को स्वीकार करने के लिये भारत के "फेडरेशन्स आफ एसोसिएशन्स आफ स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज" से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) हालांकि ठेका-शर्तों के अनुसार और कानूनी तौर पर ऐसा करना मान्य नहीं है, तो भी यह निर्णय किया गया है कि गुणावगुण के आधार पर अनुग्रहपूर्वक सहायता देने की दृष्टि से वास्तविक कठिनाई के पृथक-पृथक मामलों पर विचार किया जाए।

Extension of C.G.H.S. Scheme in other Cities

466. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether per family expenditure under the reimbursement system is higher as compared to per family expenditure under the Central Government Health Scheme; and if so, the percentage of such difference during the years 1970, 1971 and 1972;

(b) whether Government will extend C.G.H.S. facilities to all those cities where the number of Government employees is more than five thousand; and

(c) whether it is proposed to provide this facility to ex-M.Ps. and if so, the time by which it will be given effect to ?

The Deputy Minister for Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque) : (a) No such comparative study in respect of expenditure under the C.G.H.S. Scheme and the expenditure under the Central Service (Medical Attendance) Rules has been conducted on an All-India basis. Only a sample survey was conducted in respect of few selected cities for a specified period. This information was furnished to Parliament and was published in the Fifty-Seventh Report (1973-74) of the Estimates Committee of Fifth Lok Sabha.

(b) The C.G.H. Scheme will be extended in a phased manner to cities which have a population of 7000 Central Government Employees subject to the availability of funds.

(c) Lack of resources stands in the way of coverage of ex-M.Ps. under the Central Government Health Scheme. It is, however, open to them to join the Scheme as members of the General Public in selected dispensaries where this facility is available.

Testing of Long Range Missiles by China

467. **Shri Tarkeshwar Pandey : Will** the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the recent press news that China is soon going to test long range missiles which would violate Indian borders and the measures to be taken by Government to face it;

(b) whether our defence scientists are competent to produce missiles; and

(c) if so, the time by which such test are likely to be undertaken ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Government have seen press Reports to this effect. However, there is no authentic information in this regard.

(b) and (c) Government believe that the defence of our borders can be best ensured by adequate military preparedness based upon conventional weapons. Government's policy is to use nuclear energy for peaceful purposes only. It will be appreciated that in the context of this policy the questions as to whether our defence scientists are competent to produce nuclear missiles and if so the time by which such tests are likely to be undertaken are purely hypothetical.

विभागीय स्तर पर चलाए जाने वाले उपक्रमों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

468. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस पुनर्विलोकन समिति द्वारा विभागीय स्तर पर चलाये जाने वाले उपक्रमों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस दिये जाने की मांग पर अनुकूल रूप से विचार नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) बोनस भुगतानों के विभिन्न पहलुओं संबंधी बोनस पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और अभिव्यक्त विचारों का अध्ययन किया जा रहा है।

गुजरात में कुपोषण के कारण रतौंध रोग

469. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के विभिन्न सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पोषण के कारण रतौंध रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में उस राज्य से कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है; और

(ग) इस रोग से कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) गुजरात सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Chemical factories' benefit to Employees working in Sriram Rayons, Kota

470. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Labour be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1627 on the 2nd March, 1973 and state :

(a) whether chemical factories' benefit is not being given by Messrs Delhi Cloth and General Mills Company Limited to the employees working in their Branch Sariram Rayons, Kota, Rajasthan;

(b) whether an agitation is being launched by the employees in support of their demand for the grant of Chemical benefit to them and the mill owner had declared lock out as a result thereof;

(c) whether the management have made retrenchment in large numbers and whether efforts are being made to supress the agitation and the demand by filing several kinds of false cases against many workers; and

(d) if so, the steps being taken by Central Government against the mill owners in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (d) The matter concerns the State Government of Rajasthan who has been asked to send the requisite information.

लेखा बाह्य इस्पात का जब्त किया जाना

471. **श्री डी० के० पंडा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बम्बई और कलकत्ता में विभिन्न व्यापारियों से जब्त किये गये विभिन्न किस्मों के लेखा बाह्य इस्पात की रूपरेखा क्या है तथा उन व्यापारियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इस प्रकार जब्त किये गये इस्पात का निपटान कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को मुफ्त चिकित्सा सहायता

472. **श्री पी० एम० सईद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ज्ञात है कि आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को अभी तक आधुनिक औषधियों के लाभों का पता नहीं है;

(ख) क्या आदिवासी क्षेत्रों में खोले गये अधिकांश सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थानीय जनता को ये औषधियां खुले बाजार से खरीदनी होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय विभिन्न सम्बद्ध राज्य सरकारों से यह अनुरोध करने की वांछनीयता पर विचार करेगा कि आदिवासी क्षेत्रों के व्यक्तियों को औषधियां तथा चिकित्सा सहायतायें मुफ्त प्रदान की जायें ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से चाहे वे आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हों या कहीं और स्थित हों ग्रामीण जनता को इलाज की मुफ्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रत्नगिरी परियोजना का महाराष्ट्र से गुजरात में अन्तरण

473. **श्री मधु दण्डवते** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कारपोरेशन ने रत्नगिरी परियोजना को महाराष्ट्र से गुजरात अन्तरित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने तीन करोड़ रुपये की लागत का आधारभूत आवश्यक ढांचा बना लिया था; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना के अन्तरण के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य सरकार ने निम्नलिखित आधारभूत सुविधाओं संबंधी निर्माण कार्यों के लिये कदम उठाये हैं, जो अन्य के साथ-साथ रत्नगिरी परियोजना की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेंगे :—

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग बम्बई-रत्नगिरी तथा राज्यकीय राजमार्ग कोल्हापुर-रत्नगिरी का सुधार तथा विकास ;

(ii) रत्नगिरी बन्दरगाह का विकास ताकि वह बारहमासी पत्तन बनाया जा सके; तथा

(iii) परियोजना के लिये जल की स्थायी व्यवस्था हेतु जल शोधन संयंत्र के साथ-साथ एक बांध तथा पिक अप वीयर (बांध) का निर्माण ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे इस्पात संयंत्रों का उत्पादन

474. **श्री बी० नरसिन्हा रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटे इस्पात संयंत्रों की संख्या, उनकी क्षमता और उनका उत्पादन कितना है;

(ख) उन छोटे इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी है तथा उनके लिये स्थान कौन-कौन से हैं जिनके लिये लाइसेंस दिये गये हैं और वे अभी तक चालू अथवा स्थापित नहीं किये गये हैं; और

(ग) इस क्षेत्र के विस्तार के लिये यदि कोई दीर्घकालिक नीति बनाई गई है तो वह क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) लाइसेंस देने की उदार नीति के अन्तर्गत मुख्य रूप से साधारण इस्पात के पिण्ड/बिलेट का उत्पादन करने के लिये जिन विद्युत् भट्टियों का लाइसेंस/आशयपत्र दिए गए/पंजीकृत किया गया था। 10-11-1974 को उनकी कुल संख्या 183 थी। इन सभी इकाइयों की कुल वार्षिक क्षमता लगभग 40.8 लाख टन है। लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार चालू हो चुकी सभी विद्युत् भट्टियों का वर्ष 1973-74 का उत्पादन 7.9 लाख टन था, जिसमें मिश्रित तथा ढली वस्तुएं भी शामिल हैं।

(ख) उपर्युक्त इकाइयों की संख्या तथा स्थान का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	राज्य	औद्योगिक लाइसेंस देने की उदार नीति के अन्तर्गत इकाइयां, जिनको लाइसेंस/आशयपत्र दिए गये / पंजीकृत किया गया।		
		जो चालू हो चुकी हैं।	जो अभी चालू की जानी हैं	कुल
1.	असम	–	2	2
2.	आंध्र प्रदेश	2	9	11
3.	बिहार	1	7	8
4.	दिल्ली	–	1	1
5.	गुजरात	3	5	8
6.	हरियाणा	8	5	13
7.	हिमाचल प्रदेश	–	1	1
8.	कर्नाटक	2	6	8
9.	केरल	1	1	2
10.	मध्य प्रदेश	2	13	15

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	11	21	32
12.	उड़ीसा	—	2	2
13.	पंजाब	5	7	12
14.	राजस्थान	—	11	11
15.	तमिलनाडु	1	2	3
16.	उत्तर प्रदेश	17	12	29
17.	पश्चिम बंगाल	6	19	25
		59	124	183

(ग) इसका उद्देश्य पहले से प्राधिकृत-क्षमता को समेकित करना तथा आवश्यक आदान की उपलब्धि को देखते हुए इस्पात बनाने के लिये विद्युत चाप भट्टी उद्योग के और अधिक विकास को विनियमित करना है।

भारतीय वायुसेना की आक्रामक क्षमता में कमी होना

475. **श्री ए० के० किस्कु** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुष्पेन्द्र सिंह ने अपनी पुस्तक "एयर क्राफट आफ दि इंडियन एयर फोर्स (1933–73)" में यह विचार व्यक्त किया है कि गत तीन वर्षों में भारतीय वायु सेना की आक्रामक क्षमता में निरन्तर कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने श्री पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक "एयर क्राफ्ट आफ दि इंडियन एयर फार्स (1933–73)" देखी है। भूतपूर्व चीफ आफ एयर स्टाफ के द्वारा लिखी गई प्रस्तावना में निम्नलिखित दो अंश प्रासंगिक हैं :

(1) "यदि प्रमाण की आवश्यकता पड़ती तो 1971 के युद्ध से सिद्ध हो जाता कि भारतीय वायु सेना अब पूर्ण रूप से विकसित, शक्तिशाली तथा बहुमुखी सेना है जो कि विश्व की अन्य वायु सेनाओं के साथ अपना स्थान ग्रहण करने के योग्य है।"

(2) "और कुछ मामलों में सरकारी सूचना की पहुंच नहीं है; और उन्होंने अपना मत दिया है कि कुछ बातें इस प्रकार क्यों हुई है।"

श्री सुरेन्द्र सिंह ने अपना मत प्रगट किया है। सरकार पूरी स्थिति का लगातार अध्ययन करती रहती है। जब भी आवश्यक होता है तभी अपनी रक्षा तैयारियों को जारी रखने के लिये उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

सेवा के दौरान सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिये पोलिटेकेनिकों की स्थापना

476. **श्री बनमाली बाबू** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सैमिकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से रेजिमेंट केन्द्रों की गतिविधियों के अन्तर्गत सशस्त्र सेनाओं द्वारा नियंत्रित दो पोलिटेकनिकों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है।

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) यह मामला विचाराधीन है। ऐसा विचार है कि ऐसे सैनिकों को जो हाल ही में सेवा मुक्त होने वाले हैं उन्हें तकनीकी व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे इलैक्ट्रीसियन, मैकेनिक मोटर गाड़ी, शीट मैटल वर्कर, बैल्डर, पेन्टर, कार्पेन्टर, कटिंग तथा दर्जी इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाये जिससे कि वह दोनों रोजगार तथा स्वनियोजन प्राप्त करने के योग्य हो सकें। इन प्रशिक्षण संस्थानों को रेजिमेंटल सेंटर में स्थापित करने का विचार है जिससे कि प्रशिक्षण अनुशासित बना रहे। ये संस्थान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नमूने के होंगे तथापि उनका पाठ्य-क्रम तथा प्रशिक्षण कुछ अधिक तीव्र होगा क्योंकि वहुत से जवानों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने के लिये संभवतः आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक पृष्ठभूमि न हो तथा उन्हें अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा देनी होगी।

गुजरात में परिवहन सुविधाओं का विस्तार

477. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने के किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) तथा (ख) पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के (1974-75) के दौरान गुजरात में सड़क परिवहन सेवाओं के विस्तार के लिये 3.23 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया गया है।

चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिये गुजरात राज्य को वित्तीय सहायता

478. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने समाज के निर्धन वर्गों के लिये चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने के लिये कोई योजनाएं आरम्भ की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजनाओं के लिये कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है ; और

(ग) योजनाओं की रूपरेखा क्या है और उनके लिये कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) पांचवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को क्रियान्वित करने के लिये गुजरात राज्य के हेतु 1227 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह अलग से रखा हुआ परिव्यय होगा और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी।

(ग) न्यूनतम आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम के स्वास्थ्य कार्यों का उद्देश्य निम्नलिखित विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना है :—

(1) प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के लिये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना ;

(2) प्रत्येक 10,000 की आबादी के लिये एक उप केन्द्र खोलना ;

(3) मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के रिहायशी मकानों के समेत उनके भवनों की कमियों को पूरा करना ;

(4) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये और प्रत्येक उप-केन्द्र को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये के मूल्य की औषधियों की व्यवस्था करना; और

(5) प्रत्येक 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक केन्द्र को 30 पलंगों वाला अस्पताल बनाना जहां शल्य चिकित्सा, कार्य चिकित्सा, प्रसूति, स्त्री रोग और एनिस्थेसिया संबंधी विशेषज्ञ सेवाओं की व्यवस्था हो।

गुजरात में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये 100 लाख रुपये की रकम निर्धारित की गई है।

गुजरात में बिजली की कटौती के कारण जन-घंटों की हानि

479. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में वर्ष 1973-74 में और नवम्बर, 1974 तक बिजली की कटौती के कारण कितने जन-घंटों की हानि हुई :

(ख) क्या बिजली की कटौती और कच्चे माल की कमी के कारण उक्त अवधि में छोटे उद्योग बन्द हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यह प्राप्त होने के बाद सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

इस्पात की विभिन्न मूल्य निर्धारण नीति के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन

480. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्:**

श्री बसन्त साठे :

श्री जी० वाई० कृष्णन् :

श्री गजाधर मांझी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की विभिन्न-मूल्य निर्धारण नीति की जांच कर रहे अध्ययन दल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ; और

(ग) क्या इससे लघु उद्योग निगम और मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों के माध्यम से की जाने वाली सप्लाई के लिये मूल्यों में अन्तर को न्यूनतम करने में सहायता मिलेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) संभावतः अभिप्राय उस अध्ययन दल से है जिसमें राज्य लधु उद्योग निगमों द्वारा लोहे और इस्पात की स्टाक करने और इन निगमों द्वारा उन मूल्यों पर लोहा और इस्पात बेचने, जिन पर इस्पात कारखाने यह माल बेचते थे, के लाभ के प्रश्न पर विचार किया था। इस अध्ययन दल की रिपोर्ट पर अन्तिम रूप से अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। इस अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

अध्ययन दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :—

(क) मूल्य समकरण योजना में बढ़िया किस्म का सभी प्रकार का इस्पात और कच्चा लोहा शामिल होना चाहिये इसमें ऐसी श्रेणियां भी होनी चाहिये जिनके मूल्य अब बाजार भाव के अनुसार होते हैं।

(ख) राज्य लधु उद्योग निगमों का लाभ 30 रुपये प्रति टन के आधार पर लगाया जाना चाहिये और इसमें उसके मूल्य का 6 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिये। नौ राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, असम त्रिपुरा, मनीपुर पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश में 10 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त लाभ दिया जाना चाहिये।

(ग) उत्पादक के स्टाकयार्डों का लाभ 25 रुपये प्रति टन के आधार पर निश्चित किया जाये और इसमें उसके मूल्य का 5 प्रतिशत जोड़ दिया जाए।

(घ) राज्य लधु उद्योग निगमों और उत्पादकों के स्टाकयार्डों दोनों के लिये कच्चे लोहा हैंडल करने के लिये लाभ 50 रुपये प्रति टन होना चाहिये।

(ङ) संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्यों और राज्य लघु उद्योग निगमों और कारखानों के स्टाकयार्डों के विक्रेय मूल्यों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये।

(च) संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा एक समकरण निधि बनाई जाए जिससे राज्य लघु उद्योग निगमों को माल बेचने के लिये लाभ दिया जाये। प्रतिधारण मूल्य के निर्धारण से उत्पादकों की प्रतिपूर्ति की जाए।

(छ) उत्पादकों के बीजकों के आधार पर जिसमें सप्लाई किये गए माल की मात्रा और मूल्य दिये होते हैं राज्य लघु उद्योग निगमों की सांविधिक (महीने में एक बार) भुगतान किया जाये।

(ज) प्रस्तावित समकरण निधि में अपेक्षित अंशदान सभी प्रकार के साधारण इस्पात (दोषयुक्त माल और कतरने और कच्चा लोहा भी शामिल है) माल पर 10 रुपये प्रति टन बैठता है।

(झ) यदि साथ साथ उद्योगों के लिए राज्य लघु उद्योग निगमों की मार्फत इस्पात सामग्री दी जाती है तो अंशदान की मात्रा का पता लगाने के बारे में इस पर पुनः विचार करना आवश्यक होगा।

Move by Afghanistan for U.N. Enquiry into Pakistani Bombardment in Baluchistan

481. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Afghanistan has submitted a memorandum to the U.N. Secretary General and the Member countries of the U.N.O. asking for a U.N. enquiry into the situation arising out of Pakistani bombardment in Baluchistan; and

(b) if so, the reaction of the Government of India in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) Yes, Sir. The Government of Afghanistan have in a written communication to the Secretary-General the United Nations urged the United Nations to send a mission to Baluchistan to thoroughly assess the alarming situation from the humanitarian viewpoint and to protection of human dignity, caused by the bombardment by the Pakistani armed forces.

(b) Government's attitude to such questions is well-known. We uphold all actions designed to protect human dignity and believe that problems of this nature and best settled by a humanitarian approach and by peaceful discussions between all parties concened.

क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय को केरल स्थानान्तरित करना

482. **श्री वयालार रवि :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय को, जिसे केरल स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया जा चुका था, स्थानान्तरित करने में क्या कठिनाई आ रही हैं, और

(ख) उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) और (ख) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, केरल ने 30 मार्च, 1974 से एक अलग इकाई के रूप में मद्रास में कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इससे पहले मार्च, 1974 में केरल राज्य सरकार से इस बारे में बातचीत की गई थी कि वह एर्नाकुलम में लगभग 8—10 हजार वर्ग फुट जगह कार्यालय के लिए ले लें और केरल सरकार ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, केरल के लिए जो जगह चुनी थी, जो कि 'साऊथ बस स्टैंड बिल्डिंग' नाम की एक इमारत है और कोचीन

कारपोरेशन द्वारा बनवायी जा रही है, उसे देखने मंत्रालय का एक अधिकारी अप्रैल, 1974 में एर्नाकुलम केडिस्ट्रिस्ट कलक्टर की सिफारिश पर गया था। मई 1974 में इस इमारत का दुबारा निरीक्षण किया गया और तब यह भी किया गया कि क्षे० पा० कार्यालय के लिए पहली और दूसरी मंजिल आवश्यक होंगी। इसकी सूचना कोचीन कारपोरेशन को दी गई। कोचीन कारपोरेशन के कमिश्नर को भी तार द्वारा 17 जुलाई, 1974 को यह बता दिया गया था कि उक्त कारपोरेशन ने जो किराया बताया है भारत सरकार उस पर राजी थी।

लेकिन अगस्त, 1974 के अंत में अखबारों में जो खबरें छपी उनसे यह पता चला कि कोचीन कारपोरेशन ने इस उद्देश्य के लिए इमारत किराये पर न देने का फैसला किया है। इस मामले को तुरन्त केरल सरकार के साथ उठाया गया और उनसे कहा गया कि हस्तक्षेप करके यह इस बात का सुनिश्चित करे कि यह इमारत क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के लिए दी जाए क्योंकि केन्द्रीय सरकार उनकी सभी शर्तों को पहले ही स्वीकार कर चुकी है।

एर्नाकुलम में कोई और ऐसी इमारत तत्काल सुलभ नहीं है जिसमें 8-10 हजार वर्ग फुट जगह हो जहां क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किया जा सके। ऐसा समझा जाता है कि कुछ निजी इमारतें जो अभी बन ही रही हैं पूरी हो जाने पर इतनी जगह दे सकेंगी। पर्याप्त और उपयुक्त जगह ढूंढने के लिए राज्य सरकार की और कोचीन चेम्बर आफ कामर्स की सहायता ली गई है।

नैट लड़ाकू विमान के विकसित रूप का उत्पादन

483. **श्री वयालार रवि** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैट लड़ाकू विमान "नैट" का विकसित रूप तैयार है और वह परीक्षण उड़ान पर है ;

(ख) यदि हां, तो अक्त परीक्षण के क्या परिणाम निकले और उसके इस विकसित रूप का बड़े पैमाने पर कब तक उत्पादन, आरम्भ हो जाएगा; और

(ग) इस प्रकार के विमानों को विदेशों में बेचने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों में क्या प्रगति हुई है और इस संबंध में सरकार द्वारा की जाने वाली अग्रेतर कार्यवाही की रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) विकास कार्य सन्तोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है। इस संबंध में आगे और सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

(ग) नैट विमान के संबंध में हमारे से कुछ पूछ-ताछ की गई थी परन्तु अभी तक कोई बिक्री नहीं की गई है। इस मामले की समीक्षा की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश अयस्क खानों का बन्द होना

484. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** :
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में 80 प्रतिशत अयस्क खाने बन्द रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिये मजूरी पुनरीक्षण समिति

485. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिए मजूरी पुनरीक्षण समिति गठित करने का निर्णय किया है: और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम तथा निर्देश-पद क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति ने उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा जिसका श्रम प्रशासन के क्षेत्र का अनुभव होगा और जो वित्तीय विशेषज्ञ अर्थशास्त्री होगा। विचारार्थ विषय को शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है ।

राजधानी में पोलियो के रोगियों की संख्या में वृद्धि

486. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में पोलियों के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 के दौरान कितने मामले दर्ज किए गए और इसके लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०के०एम० इसहाक) : **(क) और (ख)** जी नहीं । पोलियो के जहां 1971 में 3638, 1972 में 965, 1973 में 1930 मामले दर्ज किए गए थे, वहां सितम्बर, 1974 के अन्त तक 895 मामलों की सूचना मिली है । इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए सामान्य उपचारी उपाय किये जा रहे हैं ।

कर्नाटक में अधिक रक्षा उद्योगों की स्थापना

487. **श्री सी०के० जाफर शरीफ :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कुछ और रक्षा उद्योगों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस संबंध में कर्नाटक सरकार ने भी सहयोग दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों का सुचारू रूप से कार्यकरण

488. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हाल में अतिरिक्त कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय बस अड्डे जैसे महत्वपूर्ण बस अड्डों पर अत्यधिक भीड़ के समय पुलिस की सहायता लेने का प्रस्ताव है ताकि यात्रियों की पंक्ति में गड़बड़ी न हो और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) राजधानी में दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन के अन्तर्गत कौन-कौन से रूट मार्ग हैं और उनकी रूट संख्या क्या-क्या है तथा ये बस-सेवाएं कितने-कितने मिनट की हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) दिल्ली परिवहन निगम की सेवाओं में सुधार करने के लिए कई उपाय किये गए हैं । जिनमें नई बसों की अधिप्राप्ति नये डिपुओं के निर्माण से अनुरक्षण में सुधार और सुव्यवस्थित ढंग से मार्गों का पुनर्निर्धारण शामिल है ।

(ख) बसों के उचित परिचालन और टर्मिनलों तथा सभी महत्वपूर्ण बस स्टापों पर व्यवस्था बनाये रखने के लिए उक्त स्थानों (केन्द्रीय सचिवालय सहित) पर पुलिस के सिपाही तैनात करने हेतु पुलिस अधिकारियों से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है ।

(ग) समय सारणी सार 1974, जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है । एक ऐसा प्रकाशन है जोकि मूल्य पर उपलब्ध है और दिल्ली परिवहन निगम के सूचना तथा पूछताछ बूथों और पास जारी करने वाले अनुभागों से प्राप्य है ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा लड़ाकू बमवर्षक विमान की सुधरी किस्म बनाने का प्रस्ताव

489. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा लड़ाकू बमवर्षक विमान की सुधरी किस्म बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इसके डिजाइन तैयार किये जा चुके हैं ; और

(ग) सुधरी किस्म के लड़ाकू बमवर्षक विमान बनाने पर कितनी लागत आएगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) एच० एफ०-24 लड़ाकू विमान की क्षमता में सुधार करने की समस्याओं पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रारम्भिक डिजाइन अध्ययन किए जा रहे हैं ।

(ग) इस अवस्था में विमान की सुधरी हुई किस्म के निर्माण में आने वाली लागत को बताना कठिन है ।

विश्व में उत्पादन की तुलना में भारत में इस्पात का उत्पादन

490. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में इस्पात का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान अब भी काफी नीचे है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1972 में 50 बड़े इस्पात उत्पादकों की सूची में राज्य स्वामित्वाधीन 'हिन्दुस्तान स्टील' का नाम 25वें स्थान पर था जबकि अब वह 31 वें स्थान पर है ; और

(घ) यदि हां, तो देश में इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय लोहा तथा इस्पात संस्थान विभिन्न देशों के इस्पात के उत्पादन के आंकड़े इकठ्ठे करती है : जिनसे अन्य देशों में इस्पात के उत्पादन के मुकाबले में भारत में इस्पात के उत्पादन की तुलना करने के लिए आधार माना जा सकता है। इस संस्थान द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार इस्पात का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान 17वां है । वर्ष 1971-73 से भारत का यही स्थान है ।

(ख) इस्पात क्षेत्र में उत्पादन की दर बहुत हद तक समूची राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर पर निर्भर करती है । और अधिक इस्पात कारखाने न लगा सकने का मुख्य कारण अवस्थापना सुविधाओं तथा वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धि न होना है ।

(घ) पांचवीं योजनावधि में बोकारो इस्पात कारखाने की क्षमता को 47.5 लाख टन पिण्ड तथा भिलाई की क्षमता को 40 लाख टन पिण्ड करने का प्रस्ताव है । ये विस्तार इस्पात की क्षमता में दो बड़े और महत्वपूर्ण विस्तार होंगे इसके अलावा सेलम विशाखापत्तनम तथा विजय-नगर में लगाये जा रहे तीन नये इस्पात कारखानों का काम भी जारी रहेगा ।

बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा ऊष्मसह ईंटों की बिक्री

491. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड 17 दिसम्बर, 1974 को आग तथा पानी से खराब हुई उष्मसह सिलिका उष्पसह ईंटें बेचेगा ;

(ख) क्या ये ईंटें आग से जल गई थीं अथवा पानी से खराब हो गई थी ;

(ग) स्थल पर इंटें देते समय इन उष्मसह/सिलिका उष्मसह इंटों की लागत मूल्य कितना था ;

(घ) क्या इन इंटों का बोकारो स्टील लिमिटेड की कोक भट्टियों अथवा भट्टियों में प्रयोग किया गया था ;

(ङ) क्या बेची जाने वाली इन इंटों को ठीक करके इन्हें इस्पात संयंत्र में ही प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था ; और

(च) यदि अधिकारियों की लापरवाही के कारण सिलिका उष्मसह इंटें आग या पानी से नष्ट हुई हैं, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कायवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (च) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

भारत-चीन सम्बन्ध

492. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-चीन संबंध सुधारने के लिए हाल में कोई निश्चित और ठोस कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या उचित समय पर चीन में भारतीय राजदूत की नियुक्ति का प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) क्या भारत-सिक्किम संबंध सुधारने के साथ यह सम्भावना कम हो गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिन पाल दास) : जैसा कि सुविदित है पिछले कई वर्षों में भारत ने चीन के साथ संबंध सामान्य करने के लिए कुछ निश्चित और ठोस कदम उठाये हैं।

(ख) चीन को राजदूत भेजने के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जा सकता है।

(ग) यह खेद की बात है कि संबंध सामान्य करने की दिशा में भारत द्वारा की गई पहल के प्रति चीन ने अब तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। इसके विपरीत, उसने हाल ही में, भारत-सिक्किम संबंधों की घटनाओं तथा अन्य मामलों पर अपनी अवांछित आलोचना के माध्यम से भारत विरोधी प्रचार अभियान को और भी तेज कर दिया है।

छम्ब के विस्थापितों का पुनर्वास

493. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान छम्ब से विस्थापित लगभग 19,000 लोगों को अभी तक पुनः नहीं बसाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें शीघ्र से शीघ्र बसाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) छम्ब से विस्थापित हुए लगभग 18,400 व्यक्तियों में से, लगभग 1,000 व्यक्ति पहले ही अपने मूल गांवों को, जो भारतीय नियंत्रण रेखा की ओर स्थित हैं, वापस चले गए हैं और उन्हें निर्धारित पुनर्वास सहायता दी जा रही है।

लगभग 50 व्यक्तियों के और 9 परिवार 27 अक्तूबर, 1974 को किशनपुर मनवल शिविरों से उन स्थलों को चले गए हैं जो उनको बसाने के लिए तैयार किए गए हैं। शेष व्यक्ति अभी भी शिविरों में हैं।

(ख) सरकार ने, इन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए निश्चित की गई लगभग 12,500 एकड़ भूमि में से जून 1974 तक लगभग 2,000 एकड़ भूमि का उद्धार करके उसे खेती के लिए तैयार कर लिया था और जुलाई, 1974 तक विस्थापित व्यक्तियों को उद्धार किए गए क्षेत्रों में भेजने का प्रस्ताव था ताकि वे खरीफ की फसल की बुवाई कर सकें। तथापि, विस्थापित व्यक्तियों ने सहयोग नहीं दिया जिसके फलस्वरूप उन्हें पुनर्वास को भेजने का प्रस्ताव स्थगित करना पड़ा और इन भूमियों को स्थानीय सहकारी समितियों को देना पड़ा ताकि पहले से किया गया भूमि उद्धार का कार्य बेकार न हो जाए। सहकारिताओं द्वारा उनके जुताई कार्यों का वास्तविक अनुभव काफी उत्साहवर्धक बताया जाता है। काफी हाल ही में 27-10-1974 को शिविर से 9 परिवारों को इन स्थलों पर भेजा गया था लेकिन कुछ विस्थापित व्यक्तियों द्वारा बाधा संबंधी चालें अपनाये जाने के कारण विस्थापित व्यक्तियों के और परिवारों को पुनर्वास स्थलों पर भेजना स्थगित कर दिया गया है।

(ग) खेती के लिए तैयार की गई भूमियों पर विस्थापित व्यक्तियों को यथा शीघ्र भेजने की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

जैसे ही और भूमि उद्धृत की जाएगी और उसे खेती के लिए तैयार किया जाएगा। विस्थापित व्यक्तियों की और टुकड़ियों को पुनर्वास हेतु नए स्थलों पर भेजा जाएगा।

गोआ के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए अलग रखी गई राशि

494. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्रों हेतु वर्ष 1973-74 तथा वर्ष 1974-75 के दौरान कुल कितनी राशि रखी गई ; और

(ख) गोआ के गांवों तथा कस्बों के लिए कितनी-कितनी राशि रखी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) 1973-74 और 1974-75 के दौरान गोआ में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिये निर्धारित की गई केन्द्रीय सहायता की कुल राशि इस प्रकार है । कस्बों और ग्रामों के लिए धन का आबंटन संघ क्षेत्र के प्रशासन द्वारा किया जाता है ।

	1973-74	1974-75
	(रुपये लाख में)	
ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र और उप-केन्द्र . . .	5.68	6.00
नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र	0.63	0.73
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र	—	9.00@

@1974-75 में यह व्यवस्था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई है । 1973-74 में इसके लिये इस प्रकार की सहायता की व्यवस्था नहीं थी ।

राजस्थान में कृषि श्रमिकों के कल्याण हेतु योजना

495. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के कृषि श्रमिकों के कल्याण हेतु केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कौन-कौन सी बड़ी कल्याण योजनाएं स्वीकृत की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : पांचवीं पंच वर्षीय योजना में, नयी जमीन पाने वालों की जिनमें अधिकांशतः भूमिहीन श्रमिक होंगे, अधिकार संबंधी स्थिति को दोषरहित करने और निवेश संबंधी सहायता के लिए कार्यान्वियन तंत्र को सुदृढ़ करने के वास्ते एक योजना की परिकल्पना की गयी है । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कृषि एक अनुसूचित रोजगार है । इस अधिनियम के अन्तर्गत समुचित सरकार समय-समय पर कृषि श्रमिकों के विभिन्न वर्गों की मजदूरी दरें निर्धारित करती है ।

मलयेशिया सरकार द्वारा हिन्दी गीतों पर प्रतिबन्ध

496. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया सरकार ने 61 हिन्दी गीतों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिन पाल दास) : (क) भारत सरकार को इस आशय की खबरें मिली हैं ।

(ख) इसके सरकारी तौर पर कोई कारण बताए नहीं मालूम होते ।

सरकारी उपक्रम द्वारा मिलावटी घी का निर्माण

497. **श्री सरजू पांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें पंजाब के स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने पुष्टि की है कि एक सरकारी उपक्रम के द्वारा निर्मित घी मिलावटी पाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए०के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Financial incentive to Doctors settled in Rural Areas

498. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the year-wise number of doctors who have professionally qualified for practice in the field during the last three years;

(b) the number of doctors out of them who have settled in rural areas; and

(c) whether Government agree to provide special economic incentives to those doctors who have settled in rural areas ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque) : (a)

Year	No. of students qualified in final M.B.B.S.	No. of colleges to which the figures relate.
1971	10,459	87 out of 89
1972	9,357	80 out of 91
1973	9,546	80 out of 93

(The information is provisional)

(b) 8,447 doctors are working in the Primary Health Centres which are in rural areas. The information regarding the doctor who settled in rural areas on their own is not available.

(c) Yes.

Resumption of Communication links between India and Pakistan

499. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) Whether any talks have been held with Pakistan for immediate resumption of communication links between the two countries with a view to further normalising relations with her ;

(b) Whether Pakistan has also been asked to pay compensation for the loss suffered by this country due to the incident which had resulted in snapping of communication links between the two countries, last time ;

(c) Whether Pakistan has given any assurance that such occurrences will not be repeated in future; and

(d) if so, the nature of the assurances given in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) to (d) There have been no direct links between India and Pakistan since 1965. Overflight facilities of civilian aircraft were terminated in February, 1971 after the hijacking of the Indian Airlines plane and its subsequent destruction at the Lahore airport in Pakistan. A case arising from this incident is pending before the International Civil Aviation Organisation.

The Simla Agreement of July, 1972 provides for resumption of airlinks, including overflights, between the two countries. At the September, 1974 talks held at Islamabad on the resumption of postal and telecommunications and of travel. it was decided that the Civil Aviation Delegations of the two countries should get together to discuss the 1971 case as also the resumption of airlinks and overflights. An invitation has been received from the Government of Pakistan for the proposed Civil Aviation talks.

It is expected that the talks between the two Delegations will be held in Islamabad from 18th November, 1974. The various issues arising out of the highjacking incident will be discussed in those talks.

सैनिकों की विधवाओं के लिए दिल्ली में भूमि का आवंटन

500. **श्री विजय पाल सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिकों की विधवाओं को अपने परिवार के भरणपोषण के लिए दिल्ली में भूमि दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके नियम क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली-41 के खैलवाजें गांव की एक ऐसी विधवा ने भूमि के आवंटन के लिए बार-बार अपीलें की हैं: और

(घ) यदि हां, तो क्या उसकी अपील पर विचार किया गया है और उस पर निर्णय लिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे०बी० पटनायक) : (क) और (ख) युद्ध में मारे गये रक्षा कार्मिकों को दिल्ली में अधिवासी जो विधवाएं कृषि भूमि पर पुनर्व्यवस्थापन की इच्छुक हैं, वे दिल्ली राज्य द्वारा बनाए गये नियमों के अधीन दिल्ली राज्य में ऐसी भूमि के आवंटन की पात्र हैं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमन् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सिलचर और जिरीवाम के बीच सड़क संचार में बाधा

501. **श्री नुरुल हुडा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में अभूतपूर्व भूस्खलन के कारण सिलचर और जिरीवाम (मणिपुर) के बीच एक महीने से अधिक समय तक सड़क संचार अस्त-व्यस्त रहा;

(ख) इस समय सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही सिलचर और जिरीवाम के बीच की सड़क की अनुमानित निर्माण लागत क्या है;

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है और धीमी गति से निर्माण होने के क्या कारण हैं; और

(घ) भूस्खलन को हटाने और भविष्य में उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) 15-2-1973 को यह सड़क सीमा सड़क संगठन ने असम लोक निर्माण विभाग से ली थी । किसी नई सड़क का निर्माण नहीं किया जाना है । किन्तु वर्तमान सड़कों का सुधार करना तथा श्रेणी 9 स्तर पर लाना है । सुधार करने और सतह बनाने की लागत 122.02 लाख रुपए होने का अनुमान है ।

(ग) कार्य को 1975-76 के दौरान किए जाने की योजना है ।

(घ) भू-स्खलन को आपाती आधार पर साफ किया गया था । भू-स्खलन क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन भारत के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान तथा केन्द्रीय पानी तथा बिजली आयोग के साथ परामर्श करके किया जा रहा है । इस अध्ययन के पूर्ण हो जाने पर उपायों के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा ।

रेलवे कर्मचारियों को हड़ताल के दौरान की अवधि के वेतन की अदायगी

502. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 मई, 1974 को एक आदेश जारी किया था जिसमें किसी रेलवे में (किसी कारखाने को छोड़कर) नियुक्त कर्मचारियों की मजूरी की अदायगी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों को मजूरी की अदायगी के बारे में मजूरी अदायगी अधिनियम की धारा 5 से मुक्त रखा गया था;

(ख) यह आदेश कब वापस लिया गया;

(ग) क्या 4 मई, 1974 से 28 मई, 1974 के बीच औद्योगिक विवाद अधिनियम को भी निलम्बित कर दिया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उस अवधि में रेलवे हड़ताल में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) यह आदेश 28 मई, 1974 को मंसूख कर दिया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस हड़ताल पर भारत रक्षा नियमों के अधीन प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । इसलिए यह हड़ताल अवैध और उन सभी रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने इसमें भाग लिया, तदनुसार कार्रवाई की गई ।

गोविन्द सागर झील, बिलासपुर के लिए मोटर नौकाएं तैयार करना

503. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गोविन्द सागर झील के लिये प्रस्तावित मोटर नौकाएं तैयार किये जाने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम की कर्मशाला में बने हलके हिस्से गोविंद सागर के निर्माण स्थल पर मार्च, 1974 में पहुंचे, तथा जोड़ने का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ।

इस्पात की बिक्री पर से नियंत्रण समाप्त करना

504. **श्री नारायण चंद पराशर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात की बिक्री पर से नियंत्रण को समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ; और

(ग) बाद में होने वाली बिक्री की प्रक्रिया की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) मुख्य इस्पात कारखानों से इस्पात के प्रेषणों का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति करती है जो इस्पात के अन्ततः उपयोग, जिसके लिए इस्पात की मांग की गई हो, अवधि विशेष में इस्पात की उपलब्धि तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है । जिस काम के लिए लोहे और इस्पात की मांग की गई हो अथवा इसका आवंटन किया गया हो उससे भिन्न काम के लिए उसका उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दण्डनीय अपराध है ।

इस्पात वितरण की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है ।

पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारतीयों और भारत की यात्रा करने वाले पाकिस्तानियों की संख्या

505. **श्री नारायण चद पराशर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर 1974 में कितने व्यक्तियों को भारत-पाकिस्तान सीमा पार करने के बाद भारत की यात्रा करने की विशेष अनुमति दी गई थी;

(ख) इसी अवधि के दौरान कितने भारतीयों को पाकिस्तान की यात्रा करने की अनुमति दी गई है; और

(ग) इस प्रबन्ध के अन्तर्गत उनको अपनी-अपनी इच्छा से देश जाने की विशेष अनुमति देने के क्या मुख्य कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) 229 ।

(ख) 59 ।

(ग) ताकि दोनों देशों के लोग एक-दूसरे के यहां शादी के मौकों पर, या बीमारी के सिलसिले में अथवा सम्बन्धियों के यहां गमी के मौके पर आ जा सकें । इसके अतिरिक्त इस अवसर पर एशियाई हाकी टीम और भारतीय हाकी टीम के बीच कई मैच भी खेले गये थे ।

पंजाब में स्वास्थ्य परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए नियत धनराशि

506. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लिए पंजाब में, जिलावार, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ख) अमृतसर के गांवों और कस्बों के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आर्वटन सम्पूर्ण राज्य के लिए योजना-वार किया जाता है न कि ज़िलावर। ज़िलावार और विभिन्न ग्रामों तथा कस्बों के लिए आवंटन का वितरण स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर राज्य अधिकारियों द्वारा स्वयं किया जाता है। 1973-74 और 1974-75 के दौरान पंजाब में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए नियत की गई कुल राशि इस प्रकार है:--

	1973-74	1974-75
		(रुपये लाख में)
ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र और उप-केन्द्र	81.00*	79.20*
नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र .	6.88	6.15
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और ग्रामीण उप-केन्द्र	--	60.00**

*इसके अतिरिक्त 1973-74 के दौरान 8.71 लाख रुपये की ब्लाक सहायता और 1974-75 के दौरान पी० ओ० एल० के लिए और मुख्य मरम्मतों के लिए तथा विभिन्न वाहनों की प्राप्ति के लिए, जिनमें ग्रामीण केन्द्रों के लिए वाहन शामिल हैं, 9.68 लाख रुपये का भी निर्धारण किया गया था।

**यह व्यवस्था 1974-75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई है। 1973-74 में इसके लिए ऐसी कोई सहायता नहीं थी।

गैर-पत्रकारों के लिए सांविधिक मजूरी बोर्ड

507. **श्री बेकारिया :**

श्री बसंत साठे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने समाचारपत्र उद्योग में कार्य कर रहे गैर-पत्रकारों के लिए सांविधिक मजूरी बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 को संशोधित करने का निर्णय किया गया है ताकि गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए भी एक सांविधिक मज़दूरी बोर्ड की नियुक्ति की व्यवस्था की जा सके।

छम्ब क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का आवंटन

508. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि छम्ब क्षेत्र के 1971 के युद्ध के विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित कृषि भूमि उपजाऊ नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस ओर जम्मू और काश्मीर सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां। राज्य कृषि विभाग और भारत सरकार के पुनर्वास विभाग के कृषि सलाहकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के पश्चात् भूमि का चुनाव किया गया था। जैसा कि आवश्यक है भूमि के नमूनों का भी राज्य कृषि विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा परीक्षण कराया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्बेलन मिलों को बिलेट का कोटा

509. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिलेट का कोटा प्राप्त करने के लिए केवल उन्हीं पुनर्बेलन मिलों के नाम दर्ज किये हैं जो सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये सर्वेक्षण के समय विद्यमान थीं,

(ख) क्या सरकार ने सांख्यकीय प्रयोजन के लिये ऐसी किसी अन्य पुनर्बेलन मिल का नाम भी दर्ज किया है जिसका नाम तकनीकी समिति द्वारा तैयार की गई सूची में नहीं था, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) (क) वर्तमान पुनर्बेलन इकाइयों में से ऐसी इकाइयों को, जिनके पास वर्ष 1965 में तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तर की बेलन सुविधाएं थीं, बिलेट पुनर्बेलकों के रूप में पंजीकृत किया गया है। उपलब्ध बिलेटों की बढ़ी मात्रा इन पंजीकृत पुनर्बेलकों को दी जाती है।

(ख) और (ग) औद्योगिक लाइसेंस देने की उदार नीति के अन्तर्गत जिसकी सरकार ने फरवरी 1970 में घोषणा की थी, ऐसे उद्योगपतियों को जो कारखाना लगाना चाहते थे जिसमें स्थायी परि-सम्पत्ति 100 लाख रुपये से अधिक न हो और वे संयंत्र, मशीनरी तथा कच्चे माल के बारे में कुछ शर्तें पूरी करते हों अपने कारखाने केवल तकनीकी प्राधिकरण के पास पंजीकृत करवाते थे। इस प्रकार का पंजीकरण, जिसमें इस्पात की पुनर्बेलन मिलें शामिल थीं, केवल सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए था 31 अक्तूबर, 1973 से सरकार ने यह छूट वापस ले ली है।

एल्यूमीनियम का उत्पादन

510. **श्री धामनकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 से एल्यूमिनियम के उत्पादन में कमी हो रही है और वर्तमान उत्पादन प्रतिस्थापित क्षमता का केवल 60 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो एल्यूमिनियम उत्पादन में बाधाओं का पता लगाया गया है और पांचवीं योजना में 'आत्मनिर्भरता' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उचित कार्यवाही कर्मक्रम तैयार किया गया है;

(ग) क्या धातु की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए सरकार एल्यूमिनियम का आयात करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) देश में पहले ही स्थापित एल्यूमिनियम प्रद्रावक क्षमता लगभग 2.1 लाख टन वार्षिक है और अगले वर्ष कोरबा में सरकारी क्षेत्र के संयंत्र के चालू हो जाने पर यह क्षमता बढ़कर 3 लाख टन हो जायेगी । इसलिए जितनी स्थापित क्षमता सुनिश्चित की जा चुकी है उससे पांचवीं योजना के दौरान अनुमानित घरेलू जरूरत को पूरा किया जा सकेगा । दुर्भाग्यवश विभिन्न राज्यों में अत्यधिक सूखे और बिजली व्यवस्था की परिचालन कठिनाइयों के कारण बिजली की खपत प्रधान इस उद्योग के वास्तविक उत्पादन पर काफी गम्भीर प्रभाव पड़ा है । परिणामस्वरूप स्थापित क्षमता में वृद्धि के बावजूद, एल्यूमिनियम धातु का वास्तविक उत्पादन 1972 के 1.79 लाख टन से घटकर 1973 में 1.54 लाख टन हो गया और बिजली की कटौती बराबर जारी रहने से, हो सकता है कि 1974 में उत्पादन 1.2 लाख टन से अधिक न हो । केरल के प्रद्रावक को छोड़कर, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु के प्रद्रावक बिजली की कटौती के कारण कम क्षमता पर काम कर रहे हैं । राज्य बिजली बोर्डों से लगातार सम्पर्क किया जा रहा है ताकि बिजली की कटौतियों को यथाशक्ति कम किया जा सके। परन्तु राज्यों से बिजली की समग्र कमी को ध्यान में रखते हुए अनुमान है कि बिजली की खपत प्रधान इस उद्योग पर उसका प्रभाव 1975 तक भी बना रहेगा ।

(ग) तथा (घ) बिजली की कमी के कारण घरेलू उत्पादन क्षमता के लगातार कम उपयोग तथा एल्यूमिनियम उत्पादों के प्राथमिकता प्राप्त प्रयोक्ताओं यथा बिजली बोर्डों की मांग को सीमित घरेलू उत्पादन से ही पूरा करने की दृष्टि से, यह निश्चय किया गया है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० के माध्यम से ई० सी० ग्रेड धातु की बहुत कम मात्रा का आयात किया जाए जिसे केबुल तथा कन्डक्टर निर्माताओं में से ऐसे वास्तविक प्रयोक्ताओं को अधिकार पत्र पर सप्लाई कर दिया जाए जो निर्यात उत्पादन के लिए अधिक मूल्य वाले आयातित एल्लूमिनियम का उपयोग करने की क्षमता रखते है ।

उड़ीसा में खेतिहर मजदूरों के कल्याण सम्बन्धी योजना

511. श्री अनादिचरण दास :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक मंजूर की गई प्रमुख कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन योजनाओं के क्रियान्वयन का अद्यतन योजना-वार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, नई जमीन पाने वालों की, जिनमें अधिकांशतः भूमिहीन श्रमिक होंगे, अधिकार सम्बन्धी स्थिति को

दोषरहित करने और निवेश सम्बन्धी सहायता के लिए कार्यान्वयन तन्त्र को सुदृढ़ करने के वास्ते, एक योजना की परिकल्पना की गई है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कृषि एक अनुसूचित रोज़गार है। इस अधिनियम के अन्तर्गत समुचित सरकार समय-समय पर कृषि श्रमिकों के विभिन्न वर्गों की मज़दूरी दरें निर्धारित करती है।

उड़ीसा में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए उड़ीसा को धन का आवंटन

512. **श्री अनादिचरण दास :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लिए उड़ीसा राज्य में स्वास्थ्य केन्द्रों और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए नियत कुल धनराशि का ज़िलावार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उड़ीसा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन सम्पूर्ण राज्य के लिए योजनावार किया जाता है न कि ज़िलावार। ज़िलावार और विभिन्न ग्रामों तथा कस्बों के लिए आवंटन का वितरण स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर राज्य अधिकारियों द्वारा स्वयं किया जाता है। 1973-74 और 1974-75 के दौरान उड़ीसा में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए नियत की गई कुल राशि इस प्रकार है:—

	1973-74	1974-75
		(रुपये लाख में)
ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र और उप-केन्द्र .	115.00*	107.70*
नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र	6.00	7.10
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र	—	131.00**

*इसके अतिरिक्त 1973-74 के दौरान 8.39 लाख रुपये की ब्लाक सहायता और 1974-75 के दौरान पी०ओ०एल० के लिए और मुख्य मरम्मतों के लिए तथा विभिन्न वाहनों की प्राप्ति के लिए, जिनमें ग्रामीण केन्द्रों के लिए वाहन शामिल हैं, 10.22 लाख रुपये का भी निर्धारण किया गया था।

**यह व्यवस्था 1974-75 में न्यूनतम आवश्यकत कर्यक्रम के अन्तर्गत की गई है। 1973-74 में इसके लिए ऐसी कोई सहायता नहीं थी।

जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि की प्रतिपूर्ति के लिए वेतन में स्वतः वृद्धि

513. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन निर्वाह व्यय में भारी वृद्धि हो गई है, जैसाकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्तमान मूल्य-स्तर वर्ष 1973 के संगत माह के मूल्य-स्तर से 26 प्रतिशत अधिक है और वास्तविक

आय में भारी कमी होने के कारण कम वेतन भोगी कर्मचारियों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो जीवन-निर्वाह व्यय में वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने के लिए उसके वेतन में स्वतः वृद्धि के लिए किये गये उपायों की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) 1960=100 आधार पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो सितम्बर, 1973 में 248 था, बढ़कर, सितम्बर, 1974 में 334 हो गया ।

(ख) उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में हुई वृद्धियों के लिए क्षति पूर्ण करने के लिए, महंगाई भत्ते में स्वतः/आवधिक अभिवृद्धियों की व्यवस्था करने वाली महंगाई भत्ते की योजनाएं लगभग सभी मुख्य उद्योगों में लागू हैं ।

Mineral Deposit in M.P.

514. Shri G. C. Dixit: Will be Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the names of places in Madhya Pradesh where there is a possibility of finding mineral deposits; and

(b) the names of the places and areas where Union Government have conducted surveys?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) & (b) The search for minerals is a continuous process beginning with systematic geological mapping. The promising areas located during mapping are taken up for specific mineral investigation. Major portion of Madhya Pradesh has already been covered by systematic mapping and as a result a large number of mineral investigations have been conducted, important finds being Copper ore in Balaghat district; bauxite in Shahdol, Mandla, Bilaspur, Surguja, Raigarh, Balaghat and Jabalpur districts; Iron ore in Bastar, Durg and Jabalpur districts: Manganese ore in Balaghat district; Limestone in Bastar, Bilaspur, Durg, Jabalpur, Rewa, Raipur and Satna districts; Dol omite in Bastar, Bilaspur, Durg, Jabalpur and Jhabua districts; Fluorite in Durg District; Sillimanite and Corundum in Sidhi District; Phosphorite in Jhabua District; China Clay and Fire Clay in a number of places in different districts and Coal in Sidhi, Chindwara, Betul, Narsinghpur, Shahdol and Surguja Districts.

Inter-Union Rivalry in Bhilai Steel Plant

515. Shri G. C. Dixit: Will be Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether there is inter-union rivalry in Bhilai Steel Plant; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) and (b) In the Bhilai Steel Plant, only one Union has been recognised as provided in the Madhya Pradesh Industrial Relations Act. There are a number of other Unions which are unrecognised. There is rivalry between the various Unions. There are also two groups in the recognised Union. There is very little that can be done by Government in the matter of Inter-Union and Intra-Union rivalry in a particular plant.

पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते का उल्लंघन

516. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान ने समय-समय पर शिमला समझौते के किन उपबन्धों का अब तक उल्लंघन किया ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : सामान्य रूप से, इस सन्दर्भ में सर्वाधिक चिन्ता का कारण अखबार और रेडियो से विरोधी प्रचार किया जाना है। सितम्बर, 1974 में इस्लामाबाद में विदेश सचिव स्तर की बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि 1 नवम्बर, 1974 से दोनों देशों के रेडियो प्रसारण केन्द्र देशी या विदेशी अखबारों में छपी रिपोर्टों के आधार पर रचित विरोधी प्रचार कार्यक्रम प्रसारित नहीं करेंगे। शिमला समझौते के उल्लंघन के मामले तत्काल पाकिस्तान सरकार के साथ उठायें गये हैं।

Use of IAF Planes/Helicopters during Elections

517. **Shri Ishwar Chaudhry:**

Shri Phool Chand Verma:

Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the names of the persons or parties to whom the aeroplanes or helicopters were provided on hire during elections in 1971 and there-after as also the dates on which these were so provided;

(b) the amount of hire worked out and yet to be recovered in each case, separately;

(c) whether it will be possible to provide helicopters on hire to all political parties during the elections; and

(d) if so, the terms and conditions thereof?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) and **(b)** : No aeroplanes or helicopters were provided to any persons or political parties on hire during the elections in 1971 or thereafter. However, the Prime Minister, in her capacity as Head of Government, is entitled to the use of IAF aircraft for non-official purposes on payment at prescribed rates. The total charges recoverable on this account for the use of aircraft during elections in 1971 and thereafter is Rs. 12, 36, 403.27. Of this, the entire amount payable by the Prime Minister has been recovered, leaving a balance of Rs. 66,713.60 which is recoverable from certain State Governments and news agencies on account of the travel of their representatives with the Prime Minister.

(c) and (d) No. Sir. Do not arise.

राजधानी में मिलावटी वस्तुएं बेचने के आरोप में व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाना

518. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान राजधानी में मिलावटी खाद्य वस्तुएं बेचने के आरोप में कुल कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है; और

(ख) क्या केवल मिलावटी वस्तुओं को बेचने वालों पर ही मुकदमा चलाया जा रहा है अथवा उनके निर्माताओं पर भी मुकदमा चलाया जा रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य श्रौर परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) 1973 में राजधानी में मिलावटी खाद्य वस्तुएं बेचने के श्रारोप में 738 मुकदमें चलाये गये ।

(ख) यदि सील बन्द श्रौर बन्द किये हुए नमूने मिलावटी पाये जायें श्रौर वारन्टों श्रादि के सबूत उपलब्ध हों तो खुदरा व्यापारियों के साथ-साथ सम्बन्धित निर्माताश्रों/वितरकों पर भी मुकदमा चलाया जाता है ।

राजधानी में मलेरिया के मामले

519. **श्री नरेंन्द्र कुमार सांघी :**

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री एम० एस० पुरती :

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **स्वास्थ्य श्रौर परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में मलेरिया के मामले गत वर्ष की तुलना में दुगुने हो गये हैं;

(ख) क्या मलेरिया विरोधी कार्यवाही समेकित रूप से नहीं की जा रही है श्रौर इससे मुकाबला करने का भार स्थानीय प्राधिकरणों पर छोड़ा जा रहा है जिनके पास वित्तीय तथा श्रन्य साधनों की कमी है;

(ग) क्या चिकित्सक विशेषज्ञों के श्रनुसार इस शरद् ऋतु में मलेरिया के चेचक की तुलना में श्रधिक भयानक रूप से फैलने की श्राशंका है; श्रौर

(घ) स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य श्रौर परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां । दिल्ली में मलेरिया की घटनाश्रों में वृद्धि हुई है ।

(ख) इस समय सम्बन्धित स्थानीय निकाय तथा श्रन्य एजेंसियां श्रपने-श्रपने क्षेत्रों में मलेरिया निरोधी कार्य कर रहीं हैं । दिल्ली में समन्वित रूप से मलेरिया निरोधी कार्य करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) जी नहीं । इसकी घटनाश्रों में पहले से ही गिरावट होने लगी है ।

(घ) सम्बन्धित एजेंसियों से श्रनुरोध किया गया है कि वे श्रपने-श्रपने क्षेत्रों में मलेरिया निरोधी कार्यक्रम को तेजी के साथ चलायें । श्रावश्यक निवारणात्मक उपायों की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन तथा मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रास-चेकिंग संगठन स्थिति को समय-समय पर जांच भी करते रहते हैं । शहरी क्षेत्रों की मलेरिया योजना के श्रधीन स्थानीय निकायों को 1974-75 के लिये लार्वा-नाशी तेल की पूरी सप्लाई कर दी गई है । दिल्ली नगर निगम को दिल्ली के ग्राम क्षेत्रों के समेत एक बहुत बड़े भाग में मलेरिया निरोधी काम करने होते हैं । इसलिए उन्हें इस कार्य के लिए पांच श्रधिकारियों श्रौर सात तकनीशियनों की सेवाश्रों के साथ-साथ चार गाड़ियां दी गई हैं ।

मूल्य सूचकांक तैयार करने की पद्धति में परिवर्तन

520. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री रानेन सेन :

श्री एम० कतामुत्तु :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मूल्य सूचकांक जिस पर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का मजूरी-ढांचा आधारित है, तैयार करने की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या पूरे मामले पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित की गई है और यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम तथा निर्देशपद क्या हैं; और

(ग) सरकार अपना निर्णय कब तक दे देगी ।

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन की प्रणाली को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तथापि, 60 चुने हुए केन्द्रों में किए गए परिवार आय तथा व्यय सर्वेक्षणों पर आधारित आधार, 1971=100 पर श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की एक नई सीरीज़ के संकलन का कार्य चल रहा है ।

(ख) ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चितरंजन कैंसर अस्पताल के भारतीय डाक्टरों द्वारा 'सिकाफेक' का आविष्कार

521. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन कैंसर अस्पताल के दो भारतीय डाक्टरों द्वारा आविष्कृत 'सिकाफेक' नामक औषधि से कैंसर रोग की तीसरी अवस्था पर पहुंचे रोगियों को ठीक किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कैंसर की इस प्रभावकारी औषधि का आविष्कार करने वाले डाक्टरों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस औषधि का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) चित्तरंजन स्थित कैंसर अनुसंधान का राष्ट्रीय केन्द्र, कलकत्ता चुने हुए लवणों से तैयार की गई "सिकाफेक" नामक एक औषधि से मानव रोगियों पर अनुसंधान और नैदानिक परीक्षण कर रहा है । इस चिकित्सा के परिणाम का मूल्यांकन किया जा रहा है और कैंसर के इलाज की खोज का इतनी जल्दी कोई दावा नहीं किया जा सकता ।

इण्डियन एल्यूमीनियम कारपोरेशन, आसनसोल का कार्यकरण

522. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री जी० के० ग्रुप के स्वामित्वाधीन इण्डियन एल्युमिनियम कारपोरेशन, आसनसोल के कार्यकरण के बारे में 10 मई, 1974 को पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सदन में दिए गए वक्तव्य के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा दिए गए आश्वासनों को क्रियान्वित् करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : भारतीये एल्यूमिनियम निगम लि० के मामलों की सोद्देश्य जांच की दृष्टि से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत सरकार ने 18 मई, 1974 को एक समिति का गठन किया था। समिति की रिपोट सरकार के विचाराधीन है।

भारत-नेपाल सम्बन्धों का पुनर्विलोकन

523. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री राम सहाय पांडे :
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सविधान में सिक्किम को सहराज्य का स्तर प्रदान करने वाले हाल के संशोधन पर नेपाल के रोषपत्र को देखते हुए सरकार इस समय भारत-नेपाल सम्बन्धों का पुनर्विलोकन कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपनपाल दास) : **(क) और (ख)** सिक्किम की जनता की इच्छा के अनुरूप उन्हें संसद् में प्रतिनिधित्व देने और सहराज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन संबंधी हमारे निर्णय के प्रति नेपाल में जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई, उससे स्वभावतया हमें चिन्ता हुई।

यह सामान्य व्यवहार की बात है कि विदेशों के साथ हमारे संबंधों की समीक्षा घटनाओं को ध्यान में रखकर समय-समय पर की जाती है।

नौवहन कम्पनियों को ऋण तथा अग्रिम धन राशि

524. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रत्येक नौवहन कम्पनी को, वर्षवार, किस उद्देश्य के लिए कितने ऋण तथा अग्रिम धनराशियां दी गयीं,

(ख) 31 मार्च, 1974 को प्रत्येक कम्पनी पर ऋण तथा अग्रिम धन की कितनी कितनी राशि बकाया थी, और

(ग) प्रत्येक कम्पनी ने इस वित्तीय सहायता का किस प्रकार उपभोग किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) राष्ट्रीय नौवहन टनभार में वृद्धि करने के लिए नये और बरते हुए जहाजों के अधिग्रहण के लिए भारतीय नौवहन कम्पनियों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में ऋण की निम्नलिखित राशि स्वीकृत की गई है :—

कंपनी का नाम	वर्ष	स्वीकृत ऋण की राशि
1	2	3
1. सार्वजनिक क्षेत्र		
1. दी शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई . . .	1971-72	35,94,00,000.00
	1972-73	1,13,98,89,191.84
	1973-74	6,00,000.00
		149,98,89,191.84
2. दी मुगल लाइन लिमिटेड	1971-72	—
	1972-73	—
	1973-74	9,27,00,000.00
		9,27,00,000.00
II. निजी क्षेत्र :		
1. डेम्पो स्टीमशिप्स कम्पनी लि०, बम्बई	1971-72	6.96,00,000.00
	1972-73	—
	1973-74	—
		6,96,00,000.00
2. रत्नाकर शिपिंग कम्पनी लि०, कलकत्ता	1971-72	--
	1972-73	7,60,03,000.00
	1973-74	2,00,000.00
		7,62,03,000.00
3. सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी लि०, बम्बई .	1971-72	—
	1972-73	6,70,000,00.00
	1973-74	—
		6,70,00,000.00

1	2	3
4. दी ग्रेट इंस्टर्न शिपिंग कंपनी लि० . .	1971-72	—
	1972-73	8,48,47,734.00
	1973-74	2,40,49,000.00
		10,88,96,734.00
5. सेवन सीज ट्रान्सपोर्टेशन लि०, बम्बई	1971-72	—
	1972-73	5,20,33,950.00
	1973-74	2,00,000.00
		5,22,33,950.00

(ख) 31-3-1974 को प्रत्येक कंपनी पर बकाया ऋण और पेशगियां, और

कम्पनी का नाम	31-3-1974 को बकाया ऋण की राशि
1	2
1. **सार्वजनिक क्षेत्र**	
1. दी शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, बम्बई	162,45,63,348.71
2. दी मुगल लाइन लि०	2,91,27,937.68
	165,36,91,286.39
2. **निजी क्षेत्र :**	
1. चौगूले स्टीमशिप्स लि०, बम्बई	3,09,31,914.49
2. दामोदर वल्क कैरियर्ज लि०, बम्बई .	4,04,60,329.00
3. डैम्पो स्टीमशिप्स लि०, बम्बई . .	4,03,73,375.00
4. दी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग क० लि०, बम्बई . .	19,88,80,131.74
5. इंडिया स्टीमशिप्स कंपनी लि०, कलकत्ता . .	4,75,42,220.90
6. केरल लाइन्स लि०, मद्रास . .	14,89,200.00
7. आर ए जे लाइन्स लि०, मद्रास	46,47,619.64
8. रत्नाकर शिपिंग कंपनी लि०, कलकत्ता . . .	3,66,82,215.00

1	2
9. साउथ इंडिया शिपिंग कारपोरेशन लि०, मद्रास . .	9,53,60,443.29
10. सुरेन्द्रा ओवरसीज लि०, कलकत्ता	2,46,18,983.20
11. सेवन सीज ट्रान्सपोर्टेशन लि०, बम्बई . . .	1,24,20,736.00
12. दी सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कं० लि० . . .	17,21,67,950.28
कुल	70,55,75,118.54

(ग) शिपिंग कंपनियों को दी गई वित्तीय सहायता उसी प्रयोजन के लिए उपयोग की गई है जिसके लिए यह मंजूर की गई थी ।

सिक्किम को सहराज्य का स्तर देने पर नेपाल में प्रतिक्रिया

525. श्री अर्जुन सेठी :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संविधान में सिक्किम को सहराज्य का स्तर प्रदान करने वाले हाल के संशोधन पर नेपाल के रोषपत्र को देखते हुये सरकार इस समय भारत-नेपाल संबंधों का पुनर्विलोकन कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले का संबंध केवल भारत और सिक्किम की जनता से है ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के मैनेजमेंट का प्राइवेट पार्टियों को देने के बारे में कथित अन्तर्गस्त होना

526. श्री अर्जुन सेठी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के मैनेजमेंट की कुछ प्राइवेट पार्टियों को ऊँचे मूल्य पर टेंडरों को देने के बारे में मिली भगत है जिसके परिणामस्वरूप इस संयंत्र को भारी धनराशि की हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा स्थित चिल्का में नेवल वायज ट्रेनिंग सेन्टर का कार्यकरण

527. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष उद्घाटन किये जाने के बाद उड़ीसा स्थित चिल्का में नेवल वायज ट्रेनिंग सेन्टर के कार्य करण को शुरु करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : साधनों पर नियंत्रण के कारण चिल्का में वी० टी० ई० को चरण-वार स्थापित करने का प्रस्ताव है । 1974–79 की अवधि में पहले चरण में 3 करोड़ रुपए व्यय किए जाने की योजना बनाई गई है । उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत पहले कदम के रूप में भूमि अधिग्रहण के लिए कार्रवाई की गई है । अधिग्रहण राज्य सरकार के माध्यम से किया जा रहा है । स्थल बोर्ड ने, जिसमें राष्ट्रीय पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय समिति का एक प्रतिनिधि सम्मिलित है, प्रतिष्ठान के लिए विभिन्न भवनों और सुविधाओं के स्थल के लिए एक योजना बनाई है । इन योजनाओं के आधार पर निर्माण के अनुमोदन के लिए इंजीनियर द्वारा अनुमान तैयार किए जा रहे हैं । भुवनेश्वर में मिल्ट्री इंजीनियरी सर्विस के गेरिजन इंजीनियर ने कार्य आरम्भ कर दिया है । इस परियोजना पर व्यय के लिए 1974-75 में 10 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है ।

पांचवीं योजना में शिप बिल्डिग यार्डों की स्थापना

528. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान देश में शिप बिल्डिंग यार्डों की स्थापना करने के लिए तकनीकी समिति ने संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है; और

(ग) शिप बिल्डिंग यार्डों के लिए किन-किन पत्तनों की सिफारिश की गई है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) सरकार द्वारा बनाए गए तकनीकी आर्थिक कार्य दल ने पांचवीं योजनावधि में नए शिपयार्डों के स्थान निर्धारण के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न स्थलों का मूल्यांकन किया है । तकनीकी आर्थिक कार्य दल द्वारा अनुशंसित चार स्थलों अर्थात् पश्चिम बंगाल में हल्दिया, उड़ीसा में पारादीप, गुजरात में हजीरा, और गोवा में कुली बैंगानी की प्रारम्भिक प्रयोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए तीन विदेशी सलाहकार रख लिए गए हैं । प्रस्ताविक दो नये शिपयार्डों के लिए स्थान संबंधी निर्णय प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद किया जाएगा । इन रिपोर्टों की फरवरी, 1975 के अन्त तक प्राप्त होने की संभावना है ।

Resumption of U.S. Arms Supply to Pakistan

529. **Shri K. M. Madhukar:**
Shri Biren Engti:
Shri B. K. Daschowdhury:
Shri Narendra Singh:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Pakistan is again going to receive arms and ammunition from the U.S.A.;

(b) whether Government have expressed their protest against the aforesaid gesture of U.S.A.; and

(c) if so, the reaction of the U.S.A. thereto?

Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (a) The Government of India have been press reports of Pakistan's attempts to get arms from the United States.

(b) The Government have drawn the attention of the U.S. Government to the adverse impact of arms supply on the process of normalisation in the subcontinent.

(c) The U.S. Government have said that they would not participate in an arms race in the subcontinent.

गुजरात औषध नियंत्रण विभाग द्वारा नकली औषधियों के घोटाले का पता लगाया जाना

530. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री गुजरात औषध नियंत्रण विमान द्वारा नकली औषधियों के घोटाले का पता लगाये जाने के बारे में 22 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3153 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ;

(ख) क्या इन दो महीनों के दौरान किसी राज्य के औषध नियंत्रण विभाग द्वारा किन्हीं नकली औषधियों का पता लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) कुल मिलाकर छह व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में शिकायतें दायर कर दी गई हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) महाराष्ट्र में दिसम्बर, सें नवम्बर, 1974 के दौरान एक मामले का पता लगा था । 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । इस मामलें की पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है । ज्यों ही पुलिस की छानवीन पूरी हो जाएगी, औषध और प्रशासन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन न्यायालय में आवश्यक शिकायतें दायर कर दी जायेंगी ।

शेष राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बंगला देश से अकाल पीड़ित लोगों का भारत में प्रवेश करना

531. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री एम० एस० पुरती :
श्री डी०बी० चन्द्र गौंडा :
श्री गजाधर माझी :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :
श्री बरके जार्ज :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में जिला अधिकारियों द्वारा जारी किये गये बहिर्गमन परमिटों की सहायता से बंगलादेश से भारी संख्या में अकाल तथा बाढ़ पीड़ित लोगों के भारत में प्रवेश करने के विरुद्ध ढाका के पास शिकायत भेजी हैं ;

(ख) क्या ये परमिट वैध नहीं थे, क्योंकि जिला अधिकारियों को इन्हें जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं था और इसके अतिरिक्त उन पर भारतीय उच्चायुक्त की मुहर नहीं लगी हुई थी ; और

(ग) अब तक ऐसे कितने लोग सीमा पार करके भारत में आये हैं और इस संबंध में बंगलादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) बंगलादेश से भारत में प्रवेश चाहने वाले लोगों के मामले को भारत सरकार ने बंगला देश की सरकार के साथ उठाया है ।

(ख) निकासी परमिट वैध यात्रा दस्तावेज नहीं है ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार जून, 1974 से अक्तूबर 1974 के तीसरे सप्ताह तक लगभग 9500 व्यक्ति बंगलादेश से भारत में प्रवेश करने से रोके गए हैं और लगभग 250 व्यक्ति जो बंगलादेश से भारत में आ गए थे उन्हें भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है । बंगलादेश सरकार ने निकासी परमिट जारी न करना स्वीकार कर लिया है ।

इस्पात उत्पादों का निर्यात

532. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अक्तूबर, 1974 के समाचारपत्रों में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है कि इस्पात उत्पादों के निर्यात की नीति निर्धारित करने में अनुचित रूप से विलम्ब करने से देश 50 करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा से वंचित हो गया है ;

(ख) क्या इस्पात मंत्रालय और बाद में एस० ए० आई० एल० इंटरनेशनल ने यह निर्णय करने में चार महीने लगा दिये कि किस तरह से सलाखों और छड़ों का निर्यात करने की अनुमति दी जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की पुनरीक्षित नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है । यह कहना ठीक नहीं है कि निर्यात नीति बनाने में विलम्ब के कारण विदेशी मुद्रा की आय में हानि हुई है । सदा की भांति वर्ष 1974-75 के लिए निर्यात नीति की घोषणा अप्रैल, 1974 में की गई थी ।

समाचार-पत्र में प्रकाशित इस समाचार का संबंन्ध छड़ों और गोल छड़ों के निर्यात से है । निर्यात नीति में छड़ों और गोल छड़ों का निर्यात गुणावगुण के आधार पर करने की व्यवस्था थी । देश की आन्तरिक मांग को देखते हुए जुलाई, 1974 तक निर्यात के लिए छड़ें और गोल छड़ें फालतू नहीं थे । जुलाई, 1974 में स्थिति पर पुनः विचार करने पर छड़ों और गोल छड़ों का कुछ मात्रा में निर्यात करने का फैसला किया गया था । जून, 1974 में "सेल इन्टरनेशनल" की स्थापना की गई थी । यह अभिकरण पुनर्वेलको द्वारा तैयार की गई छड़ों और गोल छड़ों के लिए माध्यमिक अभिकरण है ।

हिन्द महासागर में आणविक प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण करने की चीन की योजना

533. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री एस० एम० बनर्जी ;
श्री एस०ए० मुरुगन्नतम :
श्री वीर भद्र सिंह :
श्री त्रिदिव चौधरी :
श्री वनमाली बाबू :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 अक्तूबर, 1974 के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया कि पीकिंग अपने आणविक प्रक्षेपास्त्र उपकरण की परीक्षण करने के लिए हिन्द महासागर का परीक्षण स्थल के रूप में प्रयोग करने की योजना बना रहा है जिस से प्रक्षेपास्त्र के भारतीय क्षेत्र के ऊपर से जाने की पूरी सम्भावना है, और

(ख) यदि हां, तो इस के प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं। तथापि, इन समाचारों की पुष्टि करने के लिये कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है । ऐसी सूचना है कि चीन अन्तरद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र परीक्षा करने की तैयारियां कर रहा है जो सम्भवतः हिन्द महासागार में ही करेगा ।

(ख) सरकार विश्वास रखती है कि हमारी सीमाओं की रक्षा परम्परागत हथियारों के आधुनिक सैनिक तत्परता द्वारा भली प्रकार से सुनिश्चित की जा सकती है । सरकार की नीति अणु उर्जा को केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की है ।

भारत में तैयार मिग विमानों को मरम्मत के लिये सोवियत संघ भेजा जाना

534. **श्री एन०ई० होरो:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तैयार मिग विमानों को मरम्मत के सोवियत लिए संघ भेजा जा रहा है : और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सभी आवश्यक सामग्री तथा तकनीकी सहायता भारत में उपलब्ध नहीं है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) मिग–21 विमान के ओवरहाल करने के लिए सुविधाएं भारत में इसके निर्माण के लिए सुविधाएं स्थापित करने के वाद स्थापित की गई थी। ओवरहाल पर वास्तविक कार्य 1971–72 के दौरान प्रारम्भ हुआ था और उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच, ओवरहाल किए जाने वाले विमानों का कुछ जमाव था अतः भारत में निर्मित कुछ विमानों सहित कुछ विमानो को रूस में ओवरहाल करने के लिए भेजने का निर्णय किया गया था।

हिन्द महासागर के देशों का आर्थिक संगठन बनाने का प्रस्ताव

535. **श्री हरी सिंह :**
श्री पी० गंगादेव :
श्री अनादि चरण दास :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान के शाह की हाल की भारत यात्रा के दौरान उन से हुई वार्ता में हिन्द महासागर के देशों का एक आर्थिक संगठन बनाये जाने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के संगठन बनाने के लिए किसी और देश के साथ बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) महा गरिमामय ईरान के शाह की यात्रा के दौरान हुई वार्ता में इस बात पर सहमति थी कि समूचे क्षेत्र में जिसमें हिन्द महासागर के तट-वर्ती देश भी शामिल हैं और भी अधिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग की गुंजाइश है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गर्भ निरोध के लिये टीका

536. **श्री हरी सिंह :**
श्री गजाधर माझी :
श्री बसन्त साठे :
श्री धामनकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा हाल में गर्भ निरोध के टीके के लिए किए गए अनुसंधान के बारे में कोई जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार बड़े पैमाने पर गर्भ निरोध के इस टीके का प्रयोग कब तक करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) अखिल भारतीय आर्युविज्ञान स्थान नई दिल्ली में एक गर्भनाल-रोधी (एण्टी-प्लैसेंटल) टीके का विकास किया जा रहा है ।

(ख) यह टीका अभी विकास की अवस्था में है और अभी आम प्रयोग के लिये तैयार नहीं है ।

साइप्रैस के संकट के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सभा में बातचीत

537. **श्री हरी सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में एक भारतीय प्रतिनिधि तथा चार अन्य गुट–निरपेक्ष देशों के प्रतिनिधियों ने साइप्रैस संकट के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से रुचि लेने वाले तथा अन्य पक्ष के साथ बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पांच गुट-निरपेक्ष देशों के साथ बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी, हां ।

(ख) पांच गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा तैयार किये गये एक प्रस्ताव का प्रारूप 1 नवम्बर, 1974 को महासभा में पास कर दिया गया । इसके समर्थन में 117 मत थे, विरोध में कोई नहीं और कोई अनुपस्थिति भी नहीं थी ।

इस प्रस्ताव में सभी देशों से कहा गया कि वे साइप्रैस गणराज्य की प्रभुसत्ता, स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय अखंडता और गुट-निरपेक्षता का आदर करें; साइप्रैस गणराज्य में तमाम विदेशी शस्त्र सेनाओं को और विदेशी सैन्य एवं कार्मिक उपस्थिति को तुरन्त हटाये जाने का अनुरोध किया गया; दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव के सदभाव के माध्यम से बराबरी के आधार पर चल रहे सम्पर्क और बातचीत की प्रशंसा की गई । इस में यह भी कहा गया है कि तमाम शरणार्थी सुरक्षा पूर्वक अपने घरों को लौटाने चाहिये और अथवा व्यक्त की गई है कि इस प्रस्ताव के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से अगर जरूरी हो तो और भी प्रयत्न किये जायें, जिनमें संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा के अन्तर्गत बातचीत करना भी शामिल है, ताकि साइप्रैस गणराज्य का स्वतन्त्रता का मूलभूत अधिकार, उसकी प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता का सुनिश्चित हो सके ।

फारस की खाड़ी में जुफेयर तथा हिन्द महासागर में दियागो गार्शिया के स्थान पर अमरीकी नौ-सैनिक अड्डे

538. **श्री के० लकप्पा :**
श्री आर० बी० स्वामिनाथन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा फारस की खाड़ी में जुफेयर के स्थान पर तथा हिन्द महासागार में दियागो गार्शिया के स्थान पर अपने नौ-सैनिक अड्डे बनाये रखने से भारतीय उपमहाद्वीप को भारी खतर पैदा हो गया है;

(ख) क्या भारत अपनी रक्षा सेवाओं की तैयारी इस खतरे को ध्यान में रखकर कर रहा है;

(ग) क्या भारत इस बारे में अमरीकी सरकार से विरोध प्रकट करने में असफल रहा है; और

(घ) इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) सरकार का विचार है कि हिन्द-महासागर में विदेशी सैनिक अड्डों की स्थापना अथवा विस्तार से तनाव एवं बड़ी शक्तियों में सैनिक स्पर्धा बढ़ती है और इस प्रकार इस क्षेत्र की सुख शान्ति खतरे में पड़ जाती है जिससे सभी सम्बद्ध देशों पर प्रभाव पड़ता है ।

(ख) सरकार अपनी रक्षा नीति को तैयार करते समय और उस पर अमल करते समय सभी सम्बद्ध बातों पर विचार करती है ।

(ग) और (घ): हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र मानने से सम्बद्ध सरकार के विचार सुविदित है और इस मामले में सरकार भी गहरी चिन्ता से अमरीकी प्रशासन को अवगत करा दिया गया है ।

भारत की समुद्री क्षमता के बारे में भूतपूर्व नौसेना अध्यक्ष द्वारा दिया गया वक्तव्य

539. **श्री के० लकप्पा :**
श्री आर० वी० स्वामिनाथन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व नौ-सेनाध्यक्ष ने कहा है कि भारत की दियागो गार्शिया को सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ अमरीकी सैनिक-अड्डा समझना चाहिए और अपनी समुद्री क्षमता का विकास करने के लिए कदम उठाने चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनके मत से पूरी तरह सहमत है और इस स्थिति का मुकावला करने के लिए भारत की नौ-सैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) 'हिन्द महासगर समस्याओं' पर एक पैनल चर्चा में भूतपूर्व नौ-सेनाध्यक्ष द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के समाचारों को सरकार ने देखा है ।

(ख) दिएगो गार्शिया और हिन्द महासागर पर सरकार के विचारों की माननीय सदस्यों को अच्छी प्रकार से जानकारी है । हिन्द महासागर क्षेत्र में राजनीतिक और सैनिक परिवर्तनों तथा हमारे आर्थिक नियन्त्रणों पर ध्यान देते हुए नौसेना विकास योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

भारत की प्रक्षेपास्त्र योजना पर अमरीकी प्रतिक्रिया

541. **श्री के० लकप्पा :**
श्री आर० वी० स्वामिनाथन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अक्तूबर, 1974 के समाचारपत्रों में "भारत की प्रक्षेपास्त्र योजना के प्रति अमरीका सरकार को चिन्ता" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया ।

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) इस बारे में अमेरीकी सरकार द्वारा कोई सरकारी चिन्ता व्यक्त किए जाने की सरकार को जानकारी नहीं है ।

Discussion with Littoral Countries regarding Indian Ocean

542. Shri R.V. Bade:
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri Shashi Bhushan:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether India has discussed with the littoral countries of Indian Ocean the reported Chinese plan to conduct tests for launching her missiles in the Indian Ocean; and

(b) if so, the names of the countries which agree to India's reaction?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) No, Sir.

(b) Does not airse.

Reimbursement of Expenditure Incurred on Pak Pows in India

543. Shri R.V. Bade:
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri M.C. Daga:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the total expenditure incurred on the maintenance of Pakistani Prisoners of War detained in India;

(b) the amount of money out of the above expenditure Pakistan is supposed to pay in terms of Geneva Convention;

(c) whether this issue has recently been discussed with Pakistan; and

(d) if so, the gist of the discussion and the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) Government of India have spent a total of Rs. 35,07,97,000 on Pakistani Prisoners of War and Civilians under Protective Custody up to 30th June, 1974.

(b) Advance of pay to Prisoners of War and monetary allowances to Civilians under Protective Custody amounting to Rs. 3,69,55,000 is recoverable out of the total expenditure at (a) above.

(c) Yes, Sir.

(d) An *aide memoire* on the subject was handed over to the Government of Pakistan in April, 1974 and Pakistan is being constantly reminded in this regard. It has been pointed out that the advances of Pay and monetary allowances were given to Pakistani military prisoners and civilian internees for humanitarian reasons. In accordance with the Geneva Conventions such advances are to be reimbursed.

बालाघाट जिले में मलंजखंड तांबा निक्षेपों का विकास

544. **श्री आर० वी० बड़े :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** 8 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1927 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बालाघाट जिले में मलंजखंड तांबा निक्षेपों के विकास हेतु एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के सबंध में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : खनन संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के इस वर्ष के अन्त तक तथा सान्द्रण और अनुषंगी सुविधाओं संबंधी रिपोर्ट के सितम्बर, 1975 तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

Test on Yoga by All India Institute of Medical Sciences

545. **Shri R.V. Bade :**

Shri Jagannath Rao Joshi :

Shri Atal Bihari Vajpayee;

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether tests have been made by All India Institute of Medical Sciences in regard to the effect of Yoga on health;

(b) the results achieved so far and future scheme in this regard;

(c) whether such tests are also being made or proposed to be made by Government in other States of India;

(d) if so, the names of the places and the time when such tests were conducted or would be conducted, State-wise;

(e) whether such tests were made in foreign countries also and if so, the result thereof ; and

(f) the action being taken by Government to take the benefits of Yoga for health to the common man?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque) : (a) & (b) Yes. The results achieved so far and future scheme in this regard are as follows :—

(i) Practice of Yoga can lead to a better control on the autonomic activities of the body. Thus it has been demonstrated by some Yogis that it is possible to decrease the respiratory, cardiac and metabolic activities of the body at will after the practice of yoga.

(ii) Re gu ar practice of yogasanas helps in improving physical fitness.

(iii) The Institute plans to augment its investigative efforts on the following lines:—

(a) to find out if yogic practices can be used for the cure of physical disorders. In case it is so, then to investigate the scientific basis of these effects.

b) to investigate the possible role of yoga specially of various meditative exe cises in the development of higher nervous functions.

(c) & (d) Under the aegis of the Indian Council of Medical Research and central Council for Research in Indian Medicine and Homeopathy, similar type of yogic research is being conducted in other institutions in the various States. The names of the institutions alongwith the problems taken by them is attached.

(e). Yes. According to information available there are many laboratories in U.S.A., Germany and Russia where such tests on yoga are being conducted. The results shown by them are similar to what has been demonstrated at the All India Institute of Medical Sciences. However, the laboratories outside India have studied the problem by using much wider parameters, having applications in areas of psycholomatic medicine including drug addition and mental tension etc. These principles of yoga which include various types of meditative processes are also being used commercially in business management and increasing the productivity in factories. This is happening in affluent societies of U.S.A and Europe.

(f) The Government is keen to develop and utilise yoga for medical relief purposes. Under the Central Government Health Scheme one yoga camp was held in the Ramakrishna Puram Dispensary II and three camps in the Chitra Gupta Road Dispensary to impart training to Central Government servants on yogic practices. It is proposed to organise an All India Seminar on "Yoga, Science and Man" in the early part of 1974. There is also a proposal under the consideration of the Central Council for Research in Indian Medicine and Homepathy to set up a Central Research Institute for Yoga.

STATEMENT

The names of the Institutions where the problems on Yoga are being taken.

S. No.	Name of the Institutions	Main problems for study.
	ANDHRA PRADESH	
1.	Patanjali Yoga Research Institute, Hyderabad	Effect of Yoga Thepray in the treatment of diabetes, psorlasis Idiopathic epilepsy Hypertension, Respiratory Allergies and Ischaemic heart diseases.
	ASSAM	
2.	Sivanand Math, Gauhati	Study of the effect of Yoga on high blood pressure, coronory heart diseases and peptic.
	DELHI	
3.	Vishwayatan Yogashram, New Delhi.	Effect of Yoga therapy in the treatment of diabetes, asthma, rheumatioid arthrities, gastrointestinal disorders and sinusities.
4.	Delhi Yoga Sabha, New Delhi	Effect of Yoga therapy in the treatment of refraction errors of eyes and diseases of E.N.T.
5.	Lady Hardinge Medical College, New Delhi.	Physiological effects of Yogic practi s.
6.	All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.	Yogic techniques in the development of higher nervous funcrions.
	RAJASTHAN	
7.	Yogic-treatment-cum-Research Centre Jaipur.	Effect of Yoga therapy in the treatment of Bronchial Asthma and chronic colitis.
	TAMIL NADU	
8.	Institute of Neurology, Madras	Biofeedback study of higher nervous functions and its application to therapy of nervous disorders.
9.	Institute of Medical Sciences, Varanasi.	Physiological offects of Yogic practices.

आसाम में बंगला देश निष्क्रान्त शिविरों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा धन का कथित गबन

546. **श्री नुरुल हुडा :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन के अनुसार, आसाम में बंगला देश निष्क्रान्त शिविरों के प्रभारी अधिकारियों ने लाखों रुपयों का गबन अथवा दुरुपयोग किया है;

(ख) क्या उक्त प्रभारी अधिकारियों ने अभी तक लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रथा को रोकने तथा इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति पर अभियोग चलाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी आसाम सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

दामोदर नदी पर बर्दवान के निकट सदर घाट पर पुल बनाने के लिये सहायता

547. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्दवान के निकट सदर घाट पर दामोदर नदी पर पुल बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी राशि मंजूर की गई है या करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों/पुलों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 प्रतिशत ऋण सहायता हेतु पांचवीं योजना में प्रस्तुत प्रस्तावों में इस परियोजना (172 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर) शामिल कर लिया है।

(ग) यह प्रश्न अभी नहीं उठता, क्योंकि उपर्युक्त कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। वास्तव में जबकि सभी राज्यों (पश्चिम बंगाल सहित) से प्राप्त कुल प्रस्ताव 365 करोड़ रुपये के हैं, मसौदा पांचवीं योजना में केवल 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसके अलावा 1974-75 के लिये केवल 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था उपलब्ध है जोकि चालू कार्यों के एक भाग के लिये भी पर्याप्त नहीं है और अकेले जिन पर लगभग 26 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसलिये 1974-75 में की गई व्यवस्था से कोई नया कार्य चालू नहीं किया जायगा।

भारत तथा ईरान द्वारा एक संयुक्त शिपिंग लाईन की स्थापना

548. **श्री वीरेन एगंती :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री बी० के० दासचौधरी :
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान एक संयुक्त शिपिंग लाईन स्थापित करने के लिये सहमत हो गये हैं;

(ख) करार की शर्ते क्या हैं; और

(ग) क्या दोनों देश इस लाईन की तस्करी रोकने के लिये उपयोग करने के लिये भी सहमत हो गये हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) तथा (ख) जी हां। ईरान के साथ एक संयुक्त शिपिंग लाइन स्थापित करने का करार किया जाये। करार के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी नहीं

भारत-ईरान आर्थिक सहयोग

549. श्री वीरेन्द्र एंगती :
श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान ने भारत को आस्थगित भुगतान के आधार पर आसान शर्तों पर कितना ऋण दिया है;

(ख) ईरान द्वारा दिये गये ऋण से स्थापित कुद्रेमुख लौह अयस्क तथा एलुमीना संयंत्र की प्रगति क्या है; और

(ग) क्या भारत-ईरानी आर्थिक सहयोग के क्षेत्र को और बढ़ाया गया है?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) इन ब्यौरों का बताना जनहित में नहीं है।

(ख) और (ग) इन दो संयंत्रों की स्थापना के सभी प्रबंधों को अंतिम रूप देने के लिए भारत और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। हम ईरान के साथ अन्य परियोजनाओं पर भी बातचीत कर रहे हैं जैसे कि संयुक्त नौवहन सेवा। हमारा यह निरन्तर प्रयत्न रहा है कि हम भारत और ईरान के बीच सहयोग के क्षेत्रों को और बढ़ावा दें।

सरकारी क्षेत्र के रक्षा प्रतिष्ठानों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की भर्ती में वृद्धि करने के अनुदेश

550. श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री एस० एम० सिद्धया :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों को कोई अनुदेश दिए हैं कि :—

(1) व्यापार प्रशिक्षुओं के रिक्त स्थान पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों को अधिक संख्या में भर्ती किया जाए जब तक उनकी कमी पूरी नहीं हो जाती;

(2) प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पाने के लिए रोजगार के अवसरों का पता लगाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अनुदेश कब जारी किए गए और अनुदेश जारी किए जाने के बाद गत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कितने व्यापार प्रशिक्षु प्रशिक्षित किए गए और प्रशिक्षण के बाद खपाए गए ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकारी क्षेत्र के रक्षा प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि ट्रेड प्रशिक्षुओं की भर्ती करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के बारे में आरक्षणों को क्रियान्वित करें और दोनों मामलों में प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के बाद ऐसे प्रशिक्षुओं में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की आवश्यकताओं के अनुसार लगाने पर भी विशेष विचार किया जाए।

(ख) उपर्युक्त आशय के अनुदेश जुलाई 1972 में जारी किए गए थे। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षित, अभ्यर्थियों की संख्या और 1970 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूअर्स लिमिटेड, मजगांव डाक लिमिटेड, प्रागा टूलस लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड में लगाए गए अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित है :

	जो प्रशिक्षित किए गए उनकी संख्या		प्रशिक्षण के पश्चात कार्य पर लगाए गए उनकी संख्या	
जोड़	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
2970	507	50	284	19

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड और गोआ शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में ऐसी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के बारे में प्रशिक्षुओं की अभी तक कोई भर्ती नहीं की गई है।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कार्मिक संघों द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया जाना

551. **श्री सरजू पांडे**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कार्मिक संघों ने एक प्रारंभिक समिति का गठन किया है और केन्द्रीय सरकार को यह चेतावनी दी है कि या तो वह उनकी 11 सूत्री मांग स्वीकार करे अथवा 31 अक्तूबर, 1974 से सीधी कार्यवाही का सामना करें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मांगें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) प्रतिवेदित चेतावनी संबंधी प्रारंभिक समिति के बारे में कोई सूचना श्रम मंत्रालय के पास नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने हेतु सरकारी क्षेत्र के रक्षा प्रतिष्ठानों में स्पेशल सैल बनाना

552. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री एस० एम० सिद्धया :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही करने हेतु सम्पर्क अधिकारी के नियंत्रण में स्पेशल सैल गठित करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अनुदेश कब जारी किए गए और सरकारी क्षेत्र के किन रक्षा प्रतिष्ठानों में इस प्रकार के विशेष सैल खोले गए हैं; और

(ग) इनमें से किन प्रतिष्ठानों में इस प्रकार के सैल अब तक नहीं खोले गए तथा इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के सभी रक्षा प्रतिष्ठानों को जनवरी 1970 में राष्ट्रपति का निदेश जारी किया गया था कि प्रशासन के प्रभारी अधिकारी को, अथवा किसी अन्य अधिकारी को इस प्रयोजन के लिए अभिहित किया जाए जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित मामलों के बारे में संपर्क अधिकारी का कार्य करें। उनको आगे यह भी सलाह दी गई थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की शिकायतों और अभ्यावेदनों पर तुरन्त कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों के साथ एक सेल स्थापित किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड को छोड़कर जिसमें अभी उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है शेष सभी सरकारी रक्षा प्रतिष्ठानों में उपर्युक्त संपर्क सेल कार्य कर रहे हैं।

तटवर्ती नौवहन के लिये भाड़े की दरों तथा बंकरिंग अधिकार का पुनरीक्षण

553. **श्री धामन कर :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती नौवहन के लिये वर्तमान भाड़े की दरों तथा बंकरिंग अधिभार को अपर्याप्त और अलाभप्रद समझा गया है, जिसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण भूमिका अदा किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या तटवर्ती नौवहन के लिये भाड़े की दरों तथा बंकर अभिकार का पुनरीक्षण करने के लिये एक तथा फार्मूला बनाया जा रहा है ताकि नौवहन कंपनियों की अपनी पूंजी पर उचित लाभ प्राप्त हो सके; और

(ग) दरों के पुनरीक्षण संबंधी जांच कब तक होगी और उन्हें कब तक लागू किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जबकि तट पर कोयला तथा नमक के लिये वर्तमान भाड़ा दरों में संशोधन करना पड़ सकता है। वर्तमान बंकरिंग अधिभार में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) निकट भविष्य में इसकी आशा है।

दक्षिण वियतनाम की अन्तरिम क्रांतिकारी सरकार के साथ राजनयिक सम्बन्ध

554. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण वियतनाम की अंतरिम क्रान्तिकारी सरकार के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिये कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या तथ्य हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) और (ख) माननीय सदस्य का ध्यान 1 अगस्त, 1974 को राज्य सभा में भूतपूर्व विदेश मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है जिसमें दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के साथ अधिक सीधे संबंध और औपचारिक संपर्क बनाने की भारत की इच्छा प्रकट की गई है। इस वक्तव्य की अनुगामी कार्यवाही के रूप में हाल में सीधे संपर्क और औपचारिक संपर्क के बारे में ठीक-ठीक कार्य-पद्धति तैयार करने के लिए दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत चल रही है।

राज्य सभा में 1 अगस्त, 1974 को वैदेशिक मामलों की एक बहस के उत्तर में विदेश मंत्री के वक्तव्य से दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्किारी सरकार का उद्धरण

जैसा कि सदन को ज्ञात है कि वियतनाम के बहादुर लोग विगत वर्षो में जिस अनुचित सैनिक स्थितियों से मुक्त होने के लिए संघर्ष करते आये हैं उसके प्रति हम बहुत सहानुभूति रखते हैं और प्रशंसा करते हैं। पेरिस समझौता होने से हमें खुशी हुई। लेकिन, हमें खेद है कि इन समझौतों पर पालन नहीं किया गया है और निश्चय ही उनका भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से उल्लंघन होता है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा और खासतौर पर सम्बद्ध राष्ट्रों द्वारा इस बात की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए कि वे इस अभागे प्रायद्वीप में शांति और स्थायित्व को स्थापित करने और उसे मजबूत करने की जो भावना इन समझौतों में निहित है उसके लिए न सिर्फ वे स्वयं कार्य करें बल्कि अपने कार्यों तथा अपने प्रभाव के माध्यम से दूसरों पर भी इसके लिए जोर दें। जैसा कि सदन को याद होगा वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार भी इन समझौतों में एक पक्षधर थी, और पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में से 1। जहां तक हमारा सवाल है हमने लुसाका में इस अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को एक प्रेक्षक की हैसियत से प्रवेश दिये जाने का समर्थन किया था और निस्संदेह उसके प्रवेश का प्रस्ताव रखा था, और अल्जियर्स के गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में उसे पूरी सदस्यता दिलाने का भी हमने प्रस्ताव किया था। हम उनके साथ समानता के आधार पर बैठे थे और गुट निरपेक्ष आन्दोलन में तथा उसकी गतिविधियों में उनके योगदान की हम प्रशंसा करते हैं। हमने यद्यपि अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण सम्पर्क किया है लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि अब वह स्थिति आ गई है जबकि हम अस्थायी

क्रांतिकारी सरकार के साथ ज्यादा सीधा संबंध विकसित करना चाहिए। कोई परस्पर स्वीकृत प्रबंध खोज निकालने के लिए हम उनके साथ संपर्क बनाये हुए हैं ताकि न सिर्फ इंडो-चीन प्रायद्वीप से सम्बद्ध महत्वपूर्ण मामलों पर बल्कि दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भी हम उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर सकें। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस प्रकार के औपचारिक संबंधों के लिए कोई संतोषजनक प्रबंध शीघ्र निकल जायेगा। धन्यवाद।

केरल में भू-सर्वेक्षण

555. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री सी० जनार्दन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में लौह अयस्क निक्षेप की किस्म तथा मात्रा का पता लगाने के लिए किया गया भूसर्वेक्षण अब किस अवस्था में हैं;

(ख) इस सवक्षण के क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस लौह अयस्क का उपयोग करने हेतु इस्पात संयंत्र अथवा कोई अन्य उद्योग स्थापित करने का कोई निर्णय लिया है; और

(घ) इस संबंध में केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं पर क्या निर्णय लिये गए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री, (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) केरल के कोजीकोड जिले के चारखंडों—चेरण्णा, मनमोंडा, नन्दुवेलुर और इलीएटमाला में 31.46 % से 41.24 % लौह मात्रा वाले लौह अयस्क के कुल 440 लाख टन भंडार होने का अनुमान है। पांचवें खंड आलमपाड़ा में भी लौह-अयस्क के लिए खोजकार्य पूरा हो गया है तथा इस इलाके में लौह अयस्क के भंडार और ग्रेड के बारे में रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

केरल के मालपुरा जिले में नीलाम्बुर के निकट कोरट्टीमाला में ड्रिलिंग द्वारा खोज कार्य किया जा रहा है तथा शेष ड्रिलिंग कार्य के 1975 में पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) इन निक्षेपों के समुपयोजन के बारे में, आलमपाड़ा निक्षेप पर रिपोर्ट तैयार हो जाने तथा आधारभूत सुविधाओं और आंतरिक खपत व निर्यात के लिए आर्थिक उपादेयता के संदर्भ में इलाके के समग्र मूल्यांकन के बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है।

(घ) इस संबंध में केरल सरकार से कोई भी योजना इस विभाग को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

सरकारी निगमों में तालाबन्दी

556. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स निगम, एयर इन्डिया और जीवन बीमा निगम जसे कुछ निगम कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने पर तालाबंदी घोषित कर देते हैं; और

(ख) प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को इस प्रकार हल करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) हरेक मामले पर गुण-दोष को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है।

चीन द्वारा प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण

557. **श्री वी० मायावन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के प्रेस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन द्वारा प्रक्षेपास्त्रों के छोड़े जाने तथा परीक्षण के लिए हिन्द महासागर को उपयोग में लाए जाने की संभावना है जो भारतीय क्षेत्र पर से उड़ेंगे।

(ख) यदि हां, तो क्या इसका हमारी सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या इस बात के भी समाचार मिले हैं कि चीन प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण में वृद्धि कर रहा है और उसके द्वारा 1975 में 1,500 तक मार करने वाले 50 प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो खतरे का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं। तथापि, इन समाचारों की पुष्टि करने के लिए कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है। इन गतिविधियों से उप-महाद्वीप की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ग) सरकार के पास इस आशय की सूचना नहीं है।

(घ) हमारे रक्षा उपायों की योजना बनाते समय सभी संबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है और उन पर विचार किया जाता है। सरकार यह भी महसूस करती है कि देश की रक्षा परंपरागत हथियारों द्वारा और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करके सुनिश्चित की जा सकती है। सरकार की नीति अणु ऊर्जा को केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजना के लिए उपयोग करने का है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रयासों के बारे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सुझाव

558. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** :
श्री आर० वी० स्वामिनाथन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रयास ने सफलता के लिए नीति में पूर्णतः परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञों ने और क्या-क्या सुझाव दिये;

(ग) क्या कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) जी हां, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषण कार्यक्रमों को पहले अलग-अलग कार्यक्रमों के रूप में समझा जाता था और इन्हें एकल उद्देश्य कार्यकर्ताओं (यूनी पर्पज वर्कर्स) की एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा था। पांचवीं योजना के दौरान स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषण कार्यक्रमों को एकीकृत करने का विचार है और इस मिले जुले कार्यक्रम को बहु उद्देशीय कार्यकर्ताओं परा-चिकित्सा कार्मिकों के एक नये वर्ग के कर्मचारियों द्वारा चलाया जायेगा तथा इन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को चलाने के लिए बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्य श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

559. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री मूलचन्द डागा :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 27 सितम्बर, 1974 को राज्यों के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन की कार्यसूची क्या थी;

(ग) क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) कितने श्रम मंत्रियों ने सम्मेलन में भाग लिया ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण जिसमें सूचना दी गई है सभा की मेज पर रखा गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8472/74]

(घ) सभी राज्य श्रम मंत्री आमंत्रित थे। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाव, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्रियों ने सम्मेलन में भाग लिया। गुजरात राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व राज्यपाल के सलाहकार ने किया था। जबकि कुछ अन्य कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व अधिकारियों ने किया था।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राष्ट्र भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये समिति

560. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में विभिन्न विभागों, उपक्रमों और संस्थाओं में राष्ट्र भाषा के प्रयोग को लगातार बढ़ावा देने में सहायता करने के लिये कोई सलाहकार समिति अथवा कोई अन्य संस्था है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह किस समय तक नियुक्त की जायेगी।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) मंत्रालय या इसके नियंत्रणाधीन विभागों और उपक्रमों में किसी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है। परन्तु राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति देखने के लिये मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वियन समिति कार्य कर रही है।

(ख) ऐसी समिति बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

महरौली के फार्म मालिकों द्वारा श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुसार मजूरी न देना

561. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन की जांच रिपोर्टों से पता चला है कि महरौली के 12 फार्म मालिक श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुसार मजूरी नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कथित फार्म-मालिकों के नाम क्या हैं; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचनानुसार, जो कि इस मामले में "समुचित सरकार" है, अधिसूचित न्यूनतम मजदूरियों का भुगतान महरौली में कुछ फार्म मालिकों द्वारा न करने के संबंध में उन्हें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनकी जांच की जा रही है।

Expenditure on Indian Embassies

562. Shri Chandu Lal Chandrakar: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the strength of the employees in our Embassies in the various countries; and

(b) the expenditure incurred on their salaries and the total expenditure incurred on the Embassies?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Raids for Checking of Adulteration in Delhi

563. Shri Chandu Lal Chandrakar: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the number of shops on which raids were made in Delhi with a view to checking adulteration during the last one year;

(b) the number of persons arrested on this account;

(c) whether some shops have closed down as a result of these raids;

(d) if so, the number thereof; and

(e) whether many of the shop-keepers from whose shops samples were taken are either absconding or have taken up some other trade?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque): (a) to (e): The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Chinese Instigation Campaign Against India in Sikkim

564. Shri Chandu Lal Chandrakar: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that China have started a special campaign to instigate the people of Sikkim against India.

(b) if so, whether the countries friendly to India have condemned this attitude of China; and

(c) the reaction of Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) A statement of the Chinese Foreign Ministry on September 11, 1974 and commentaries by Cninese press media have been critical of the 35th Constitution amendment dealing with Sikkim.

(b) & (c) The Government of India have maintained that Indo-Sikkim relations lie outside the purview of any other country. This is a position that has been generally accepted internationally.

एच० एस० 748 विमान का उत्पादन

567. श्री वयालार रवि:
श्री इसहाक सम्भली

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच०एस० 748 विमान की मांग के अभाव के कारण हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर डिविजन को अपने उत्पादन कार्यक्रम में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कठिनाई किस प्रकार की है **और इस कारखाने** का भावी उत्पादन कार्य-क्रम क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर प्रभाग के लिए पर्याप्त कार्यभार नहीं है। प्रभाग के लिए नया कार्यभार ढूंढ़ने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

568. **श्री वयालार रवि** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार का कोई प्रतिवेदन कोचीन पत्तन पर सुपर टैंकर आयल टर्मिनल के लिये व्यय की मंजूरी में असाधरण विलम्ब के संबंध में मिला था; और

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है और उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिनिधियों को कोचीन पत्तन में सुपर टैंकर तेल टर्मिनल परियोजना को शीघ्र सरकार की स्वीकृति दिय जाने की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि राज्य के लोगों के लिये इस परियोजना का बड़ा महत्व है और फिर इससे कोचीन की पश्यभूमि में उद्योग और व्यापार के विकास को बढ़ावा मिलेगा। केरल सरकार को जबाब दिया गया था कि परामर्शकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सरकार की ओर से कोई परिहार्य विलम्ब नहीं होगा। इस रिपोर्ट पर संबंधित प्राधिकरणों के साथ सलाहकार से विचार किया जा रहा है।

स्टील रिरोलिंग फर्मों द्वारा अपनाई गयी अस्वस्थ्य पद्धतियां

569. **श्री बेकारिया** :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ स्टील रिरोलिंग फार्मों द्वारा अस्वस्थ्य पद्धतियों के अपनाये जाने के कारण निर्यात बाजारों में राष्ट्रीय राजकोष पर बड़ा कुप्रभाव पड़ सकता है; और

(ख) यदि हां, तो स्टील रिरोलिंग फर्मों को इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) कोई अस्वस्थ्य पद्धति सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीन द्वारा दूर तक मार करने वाले अन्तरद्वीपीय बालिस्टिक मिसाइलों के लिए आण्विक पनडुब्बियों का निर्माण

570. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन द्वारा कथित दूर तक मार करने वाले अन्तरद्वीपीय बालिस्टिक मिसाइलों के लिए आण्विक पनडुब्बियों का निर्माण किया बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) हमारे रक्षा उपायों की योजना बनाते समय एसी सभी गतिविधियों पर विचार किया जाता है। तथापि, सरकार यह महसूस करती है कि देश की सुरक्षा को परम्परागत हथियारों और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर के अच्छी प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकारी नीति अणु ऊर्जा को केवल शान्ति पूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की है।

पीकिंग में राजदूत की नियुक्ति का प्रस्ताव

571. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पीकिंग में भारत के राजदूत की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) राजदूत को कब तक पीकिंग में नियुक्त कर दिया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) से (ग) जैसा कि पहले कई अवसरों पर कहा जा चुका है इस प्रश्न पर भारत सरकार को किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं है और चीन में राजदूत भेजने के प्रश्न पर वह उपयुक्त अवसर पर विचार करेगी।

भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों की खरीद

572. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों की खरीद का प्रस्ताव; जो कि सरकार के विचाराधीन था, पर अंतिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पनडुब्बियां किस देश से खरीदी जाएंगी और इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारतीय नौसेना के पास पनडुब्बियों का पहले ही एक बेड़ा है। पनडुब्बी शस्त्रों में आगे और सुधार करने के प्रश्न पर विदेशों से खरीद द्वारा तथा स्वदेशी निर्माण के माध्यम से, सरकार लगातार ध्यान दे रही है।

(ख) इस संबंध में आगे और ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

विदेशों में भारतीय मिशनों पर व्यय

573. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में भारतीय राजदूतवासों/मिशनों पर व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारतीय राजदूतावासों/मिशनों पर वर्षानुसार और राजदूतावास अनुसार कितना व्यय हुआ; और

(ग) व्यय में कमी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) 1972-73 में 1971-72 के मुकाबले में खर्च कम हुआ था (31.43 लाख रुपये)। इसकी एक तो वजह यह थी कि पाकिस्तान में हमारे मिशन बन्द हो गये थे (35.18 लाख रुपये) और दूसरी वजह थी लंदन स्थित हाई कमीशन का पुनर्गठन (25.82 लाख रुपये), लेकिन यह कमी इतनी ही नहीं बनी रही क्योंकि ढाका में हाई कमीशन स्थापित करने पर हमें कुछ अतिरिक्त व्यय भी करना पड़ा (25.40 लाख रुपये)। बहरहाल वर्ष 1971-72 के मुकाबले में 1973-74 के खर्च में वृद्धि (50.36 लाख रुपये) हुई है जिसके कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) बोगोता, आबुधाबी, पनामा और कातार में नये मिशन खोलना (24.48 लाख रुपये)।

(ii) हनोई, मस्कत और बहरीन स्थित प्रधान कोंसलावासों का स्तर बढ़ा कर राजदूतावास बनाना (10.59 लाख रुपये) और

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट, मुद्रा स्फीति के कारण, स्थानीय स्टाफ के वेतन, मकान भत्ता और विदेश भत्ता में वृद्धि (15.35 लाख रुपये)।

(ख) एक ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8473/74]

(ग) मिशनों में कार्यक्षमता को बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने व्यय में कमी करने का और कार्यअध्ययन और निरीक्षण के आधार पर स्टाफ रखने का निरन्तर प्रयास किया है। विश्वव्यापी मुद्रास्फीति के बावजूद विदेश स्थित हमारे मिशनों पर किया गया व्यय किसी भी मानक के आधार पर किफायती समझना चाहिए।

पारादीप पत्तन के विकास के लिये कर्णधार (स्टेयरिंग) समिति की स्थापना

574. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारादीप पत्तन के विकास के लिये कर्णधार (रिस्टेयरिंग) समिति के गठन का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति का गठन क्या है; और

(ग) समिति के निदेश पद क्या है तथा वह कब तक अपना प्रतिवेदन देगी?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) यद्यपि ऐसी कोई समिति नहीं बनाई गई है, तथापि यह निर्णय किया गया है कि नौवहन और परिवहन मंत्रालय में पारादीप पत्तन संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिये एक अन्तर्मन्त्रालयों की एक बैठक बुलाई जाये। पहली बैठक 8-11-74 को हुई और उसमें वित्त, रेल मंत्रालयों, खान विभाग, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, उड़ीसा सरकार तथा पत्तन न्यास के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऐसी बैठकें पारादीप पत्तन के विकास के रास्ते में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिये सुझाव देने एवं विचार विमर्श करने के लिये आवश्यकता होने पर प्रायः होती रहेंगी।

विलिंगडन और इर्विन अस्पताल का शहीदों के नाम पर पुनः नामकरण

575. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वस्थ्य और परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में इर्विन अस्पताल का नामकरण वाइसराय लार्ड इर्विन के नाम पर किया गया था जिस के समय में भारतीय शहीद सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी तथा उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये;

(ख) क्या इस अस्पताल का नाम सरदार भगत सिंह के नाम पर रखना अत्यन्त उपयुक्त नहीं होगा; और

(ग) वाइसराय विलिंगडन के नाम पर बने विलिंगडन अस्पताल का नामकरण दिल्ली के किसी शहीद के नाम पर किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) इर्विन अस्पताल और विलिंगडन अस्पताल का नामकरण क्रमशः लार्ड इर्विन तथा लार्ड विलिंग्डन के नाम पर किया गया था। उनका दुबारा नामकरण करने का कोई विचार नहीं है।

आणविक टेक्नोलौजी के बारे में भारतीय दृष्टिकोण

576. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से देश भारत सरकार के इस मत से सहमत हैं कि आणविक टेकनोलौजी को प्राप्त करने का सभी देशों का अधिकार है; और

(ख) क्या नये देश आणविक ऊर्जा का आर्थिक विकास एवं मानव कल्याण के लिए उपयोग करने के महत्व और आणविक टेकनोलोजी का शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग कुछ देशों तक ही सीमित स्वीकार करते हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिन पाल दास) : (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा का उपयोग आर्थिक विकास और मानव कल्याण के कार्यों के लिए किये जाने के महत्व पर और इस बारे में भी व्यापक सहमति है--विशेष रूप से विकासशील देशों के बीच--कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का कुल लाभ कुछ देशों तक ही सीमित नहीं रह जाना चाहिए।

बहुद्देशीय बल्क केरियर एवं कारगो पोत का निर्माण

577. **श्री राजदेव सिंह : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० विशाखापत्तनम में हाल ही में 21,800 डी० डब्ल्यू० आई० के एक बहुद्देशीय बल्क केरियर एवं कारगो पोत का निर्माण प्रारंभ किया गया है; और

(ख) क्या इस वर्ग के पोत का निर्माण हिन्दुस्तान शिपयार्ड के गार्डन रीच, कलकत्ता और बंबई के मजगांव शिपयार्डों में किया जा सकता है ?

नौवहन और परिहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां । जहाज की कील 26-6-1974 को बिछाई गई ।

(ख) अन्य शिपयार्डों में केवल गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता ही इस प्रकार के जहाज बना सकता है ।

विभिन्न संयंत्रों में तैयार इस्पात जमा हो जाना

578. **श्री एस० एच० मुरुगनन्तम : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संयंत्रों और स्टाकयार्डों में 3,00,000 टन तैयार इस्पात जमा हो गया है क्योंकि उसके लिए क्रेता नहीं हैं और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा उसका निर्यात करने की संभावनाओं की खोज की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और ान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) एक महीने के उत्पादन के लगभग अर्थात् लगभग 3 लाख टन तैयार इस्पात विभिन्न संयंत्रों और स्टाकयार्डों में पड़ा हुआ है । छड़ों को छोड़कर जिनकी मांग कम हो गई है । तैयार इस्पात को बेचने में कोई कठिनाई नहीं है । फालतू छड़ों का निर्यात करने के लिए प्रबंध किये जा रहे हैं ।

बोनस पुनरीक्षा समिति के प्रतिवेदन के बारे में मजदूर संघों और औद्योगिक संगठनों में असन्तोष

579. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री रमावतार शास्त्री :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक मजदूर संघों और औद्योगिक संगठनों ने बोनस पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर असन्तोष व्यक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य आपत्तियां क्या हैं और सरकार का उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जो कुछ समाचार-पत्रों में छपा है उसके अतिरिक्त इसके विषय में कोई अभ्यावेदन सरकार को विशिष्ट रूप से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पारादीप बन्दरगाह में यातायात

580. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष मार्च मास में 2.74 लाख टन के अभूतपूर्व ट्रैफिक को संभालने के बाद पारादीप बन्दरगाह को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और रेलवे के उत्तरदायित्व सहित उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस गहरे बन्दरगाह का पूर्ण उपयोग करने के लिये सभी संबंधी अभिकरणों में समन्वय स्थापित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एन० त्रिवेदी) : (क) से (ग) । पत्तन की क्षमता के कम उपयोग से पारादीप पत्तन को क्षतियां होती हैं । पतन से लौहायस्क के लाने ले जाने की समस्याओं के बारे में एम० एम० टी० सी० और रेलवे के साथ समय समय पर संपर्क स्थापित किया जाता है, रेलवे, एम० एम० टी० सी० और पत्तन न्यास के बीच प्रभावोत्पादक समन्वय के प्रश्न पर विचार करने हेतु मंत्रालय में 19-8-74 को एक बैठक की गई । 8-11-74 को मंत्रालय में अन्तर्मंत्रालय बैठक में रेलवे और एम० एम० टी० सी० के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुये कि चालू वर्ष में कमी को अधिकतम सीमा तक पूरा करने के लिये लौहायस्क की धरा उठाई के काम को तेज़ किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में खनिज निक्षेप

581. **श्री एच० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से राज्य के कुछ जिलों में विस्तृत खनिज निक्षेपों के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मख्य बातें क्या हैं और केन्द्र सरकार का इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर जिले के सोमराय क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से अपने द्वारा किए जा रहे खनिज सर्वेक्षण की प्रथम प्रावस्था के संबंध में एक रिपोर्ट भेजी है। अब तक के खोज कार्यों से तांबा खनिजीकरण का पता लगा है और कुछ सीसा-जस्ता के भी अंश मिले हैं—हांलाकि इनकी खुदाई इस समय आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं है । सोना होने के संकेत भी मिले हैं । खोज कार्य के दूसरे अभियान, जिसमें अधिक विस्तृत कार्य किया जाएगा, लगभग और दो वर्षों में पूरा होगा अतः इस समय यह कहना संभव नहीं है कि क्या उपर्युक्त निष्कर्ष आर्थिक दृष्टि से उपादेय हैं अथवा नहीं । आगामी खोज कार्यों के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय अभिकरणों से सभी प्रकार की अपेक्षित सहायता का आश्वासन दिया गया है ।

स्टील स्टाक यार्ड

582. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वितरण व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए स्टील स्टाकयाड स्थापित करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थापना, स्टाक की मात्रा तथा प्रशासनिक लागत के बारे में मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रणाली के बारे में उपभोक्ताओं में प्रतिकूल प्रक्रिया हुई है ; और यदि हां, तो उनकी आपत्तियां किस प्रकार की हैं; और

(घ) इन आपत्तियों को सरकार किस प्रकार दूर करना चाहती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) इस्पात की खपत के सभी बड़े केन्द्रों में पहले से ही उत्पादकों के स्याकयार्ड हैं । इन स्टाकयार्डों में इस्पात की और अधिक मात्रा हैंडल करने का फैसला किया गया है । तदनुसार महत्वपूर्ण स्थानों में और अधिक स्थान तथा उपस्करों से हैंडलिंग सुविधाओं में वृद्धि हो गई है ।

(ख) निम्नलिखित 23 केन्द्रों में उत्पादकों के स्टाकयार्ड हैं :—

बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर, जलन्धर, हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलौर, धनबाद, भुवनेश्वर, गोहाटी, पटना, भिलाई, राउरकेला, इन्दौर, कोटा, कोयम्बतूर, कोचीन, श्रीनगर, विजयवाड़ा, नागपुर और इलाहाबाद ।

उत्पादकों के इन स्टाकयार्डों की संख्या 34 हैं और इन में लगभग 2 लाख टन लोहे और इस्पात का स्टाक है जो इन स्टाकयार्डों की एक महीने की बिक्री के बराबर है । इनकी लागत में मुख्यतः हैंडलिंग व्यय, भूमि का किराया और रेल के खर्चे शामिल हैं।

(ग) मुख्य आपत्ति उन उपभोक्ताओं की है जो इस से पहले इस्पात कारखानों से सीधे माल लेते थे और अब जिन्हें नई वितरण नीति के अनुसार स्टाकयार्डों की मार्फत माल दिया जाएगा।

(घ) रेल डिब्बों की क्षमता का इष्टतम उपयोग करने और इस्पात कारखानों से इस्पात की शीघ्र ढुलाई के लिए यह आवश्यक है कि इस्पात की ढुलाई बड़ी मात्रा में की जाय । मुख्यतः यह इसी बात का परिणाम है कि अब स्टाकयार्ड इस्पात की पहले से अधिक मात्रा हैंडल कर रहे हैं । नई वितरण नीति में सभी उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखा गया है ।

हिन्द महासागर में अमरीका तथा रूस के नौसैनिक अड्डों तथा नौसेनाओं की मौजूदगी

583. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द महासागर के क्षेत्र में अमरीका तथा रूस की नौ-सेनाओं एवं नौ-सैनिक अड्डों की मौजूदगी संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) भारत सरकार की उपलब्ध सूचना के अनुसार हिन्द महासागर में कोई सोवियत नौसैनिक अड्डा नहीं है ।

जहां तक अमरीका का प्रश्न है नार्थ वैस्ट कोस्ट (आस्ट्रेलिया), असमारा (इथियोपिया), दीगो गार्सिया, बहरीन और माहे (सेंचलीज़) में अमरीकी नौसेना और थल सेना की सुविधायें विद्यमान हैं।

7 नवम्बर 1974 को अमरीकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार सातवें बेड़े के एक टास्क फोर्स ने जिसमें एयरक्राफट कैरियर, कान्स्टेलेशन, 3 विध्वंसक तथा एक तीव्रगामी सप्लाई जहाज है, हाल ही में हिन्द महासागर में प्रवेश किया है ।

(ख) नौसैनिक टास्क फोर्सों के भेजने तथा और भी इस तरह की सैनिक तेजी से हिन्द महासागर में तनाव और प्रतिस्पर्धा पैदा होगी और इस तरह इस क्षेत्र की शांति को खतरा होगा । इसलिए भारत सरकार ऐसे कार्यों के विरुद्ध है ।

माना तथा रायगढ़ पारगमन शिविरों में शरणार्थियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

584. **श्री समर गुह :**
श्री सरोज मुकर्जी :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना, रायगढ़ तथा अन्य क्षेत्रों के पारगमन शिविरों में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ख) पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के फलस्वरूप हताहत हुए व्यक्तियों की संख्या संबंधी अन्य विवरण क्या हैं और इस घटना के पीछे क्या कारण थे ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) माना और तावा शिविर समूह में हाल ही में दो घटनाएं हुई हैं जिनमें पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी । पहले मामले में, 7/8 सितम्बर, 1974 की रात को माना शिविर में रह रहे प्रवासियों के बीच दल प्रतिद्वन्दता के कारण कुछ अशान्ति थी । एक पुलिस गश्ती दल पर हमला किया गया और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के एक निरीक्षक को छुरा घोंप दिया गया । 45 पुलिस के सिपाही, दो पुलिस अधिकारी, एक मेजिस्ट्रेट तथा चीफ कमांडेंट, माना, घायल हुए । पुलिस को आत्म-रक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी। गोली चलाने के फलस्वरूप, 12 व्यक्ति घायल हुए और 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । बाद में, मृतकों की संख्या 5 हो गई । ऐसा बताया गया है कि जिला मेजिस्ट्रेट ने एक मेजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने का आदेश दे दिया है । स्थिति नियंत्रणाधीन है ।

दूसरी घटना में, प्रवासियों ने 28-9-74 को पुनर्वास विभाग, राज्य सरकार तथा शिविरों के अधिकारियों का घेराव करने का प्रयास किया और कुछ अधिकारियों एवं शिविर कमांडेंट से हाथापाई भी की । परिणामस्वरूप, जिला मेजिस्ट्रेट ने स्थिति का भार संभाला । 27 अधिकारियों को, जिनमें

शिविर कमांडेंट तथा कई पुलिस के सिपाही शामिल हैं, चोटें आई तथा कुछ सरकारी गाड़ियों को क्षति पहुंची। पुलिस को आत्म-रक्षा तथा जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी। तत्पश्चात् प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, 2 व्यक्ति मारे गए बताए गए हैं। स्थिति नियंत्रणाधीन है। ऐसा बताया गया है कि जिला मेजिस्ट्रेट ने एक मेजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने का आदेश दे दिया है।

शरणार्थियों का पुनर्वास

585. **श्री समर गुह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न शिविरों में वर्षों से शरणार्थियों की निरन्तर अनिश्चितता की स्थिति बने रहना ही शरणार्थी-पुनर्वास समस्याओं का मूल कारण है;

(ख) विभिन्न शरणार्थी-शिविरों में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों संबंधी नवीनतम आंकड़ों का विवरण क्या है; और

(ग) इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए क्या योजना बनाई गई है और इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8474/74**]।

(ग) पांचवी योजनावधि के दौरान 21,300 परिवारों को बसाने की योजनाएं बना ली गई हैं। इनमें से, 15,600 परिवारों को कृषि भूमि पर और 5,700 परिवारों को गैर-कृषक व्यवसायों में बसाने की योजना है जो उपयुक्त भूमि और पर्याप्त निधि की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

सिक्किम को सह-राज्य का दर्जा देने के बारे में विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया

586. **श्री समर गुह** :
श्री राम सहाय पांडे :
श्री नूरुल हुडा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम को भारत का एक सह-राज्य बनाये जाने के बारे में विश्व के विभिन्न देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) इस संबंध में विशेष रूप से बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान तथा अन्य पड़ोसी देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सिक्किम के प्रश्न पर भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या अब भारत-सिक्किम संबंधों के मामलों को विदेश मंत्रालय निपटायेगा अथवा गृह मंत्रालय; और

(ङ) ऐसे कदम के पीछे क्या संवैधानिक औचित्य निहित है?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) और (ख) चीन, पाकिस्तान और नेपाल को छोड़कर किसी भी देश ने सिक्किम को भारत के साथ सहयोजित होने के प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। चीन और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया विरोधी रही है, नेपाल में, प्रारंभिक प्रतिकूल प्रतिक्रिया के बाद, वास्तविक स्थिति के बारे में कुछ अच्छी समझ-बूझ बढ़ी है।

(ग) हमारे मिशन प्रमुखों ने और प्रैस को दिए गए पक्षस्पष्टों के द्वारा सरकारी बातचीत में हमारी स्थिति पूर्ण रूप से समझा दी गई है।

(घ) विदेश मंत्रालय पहले की तरह अब भी भारत-सिक्किम संबंधों की निरंतर देखभाल कर रहा है।

(ङ) संवैधानिक संशोधन अब तक चली आ रही वर्तमान स्थिति को औपचारिकता प्रदान करता है। यह सिक्किम के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से वहां की जनता द्वारा व्यक्त इच्छाओं की पूर्ति करता है।

[विदेश स्थित भारतीय मिशनों में कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए उपाय

587. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी से 31 अक्टूबर, 1974 के बीच विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कर्मचारियों की संख्या में कितनी कमी अथवा वृद्धि की गई है;

(ख) क्या विदेश स्थित प्रत्येक मिशन में कर्मचारियो की वर्तमान संख्या वहां के कार्यभार के लिए उचित है; और

(ग) उनमें कर्मचारियों की संख्या घटाकर अपेक्षित न्यूनतम स्तर तक लाने और इस प्रकार से खर्च में कमी करने के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) 1 जनवरी से 31 अक्टूबर, 1974 तक विदेश स्थित भारतीय मिशनों में स्टाफ की संख्या (विदेश मंत्रालय के नियंत्रण में) में वृद्धि और और कमी का ब्यौरा संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8775/74]**

(ख) जी हां।

(ग) मामले की निरंतर समीक्षा की जाती है और विदेश सेवा के निरीक्षक मितव्ययता और हमारे हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टाफ की आवश्यकताओं का जायजा लेने के लिए समय-समय पर मिशनों का दौरा करते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पदों के जारी रखने की समीक्षा की जाती है और जहां कहीं संभव होता है, पदों को घटाया जाता है। मिशन प्रमुखों को वर्तमान वित्तीय कठिनाई के समय में मितव्ययता के लिए निरंतर कहा जाता है।

एकीकृत इस्पात संयंत्रों के पास कच्चे लोहे और इस्पात का भंडार

588. **श्री शशि भूषण** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकीकृत इस्पात संयंत्रों के पास 31 अक्तूबर, 1974 को कच्चे लोहे और इस्पात का कितना भंडार था;

(ख) इन संयंत्रों के पास इतना अधिक माल जमा होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) जमा माल को कम करने और व्यापारियों को अपना माल यथा समय छुड़ाने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए क्या विशेष प्रयत्न किये गये हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) 1 नवम्बर, 1974 को सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में कच्चे लोहे और इस्पात की स्थिति नीचे दी गई है:—

(1) कच्चा लोहा	—	94,990 टन
(2) विक्रेय इस्पात	—	316,615 टन

(ख) स्टाक जमा होने का मुख्य कारण माल की ढुलाई की कठिनाइयाँ हैं। हाल में हुई रेल की हड़ताल से भी इस पर प्रभाव पड़ा है।

(ग) इस्पात की ढुलाई का तर्कसंगत ढंग यह है कि प्रारम्भिक ढुलाई बड़ी मात्रा में की जाय और उत्पादकों के स्टाकयार्डों से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में गौण रूप से ढुलाई की जाए। ढुलाई की यह व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है और आशा है इससे बहुत हद तक यह समस्या हल हो जाएगी।

इस्पात के परमिटों की काले बाजार में बिक्री का आरोप

589. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कई फर्में इस्पात के कोटे का दुरुपयोग कर रही हैं और परमिटों को काले बाजार में बेच रही हैं; और

(ख) क्या जांच से यह पता लगा है कि कागजों पर ही अस्तित्व रखने वाली कुछ फर्मों ने इस्पात का कोटा लिया और उसे काले बाजार में बेचा?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) कभी-कभी वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा इस्पात के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं। देश के विभिन्न भागों में लोहा और इस्पात नियंत्रक के प्रादेशिक कार्यालय खोले गये हैं जिनका काम आबंटित इस्पात सामग्री का सही ढंग से इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। इस्पात के दुरुपयोग के मामलों पर लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के अनुसार कार्रवाई की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/राज्य पुलिस प्राधिकारियों से भी सहायता ली जाती है।

सरकारी इस्पात कारखानों द्वारा इस्पात उत्पादन में कटौती

590. **श्रीमती रोजा विद्याधर देश पांडे :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों ने कोयले की असन्तोषजनक सप्लाई के कारण अपना इस्पात उत्पादन घटा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य बातें क्या हैं और सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) यद्यपि चालू वित्त वर्ष में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के उत्पादन में केवल मात्र कोयले की सप्लाई की असन्तोष जनक स्थिति के कारण कमी नहीं की गई थी तथापि इन कारखानों के उत्पादन को अप्रैल-जून, 1974 में विनियमित तथा कम करना पड़ा। ऐसा दो कारणों से किया गया था। (1) रेल कर्मचारियों की हड़ताल की संभावना। (2) बाद में हड़ताल होने तथा उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिये कच्चे माल के स्टाक का संरक्षण करने के लिये ऐसा किया गया था।

इस्पात कारखानों को कोयले की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये कोयले का उत्पादन करने वाले संगठनों तथा रेलवे के साथ सतत सम्पर्क रखा जा रहा है।

अप्रैल/अगस्त, 1974 में इस्पात का उत्पादन

591. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल से अगस्त, 1974 के बीच इस्पात का उत्पादन 80,000 टन कम हुआ जैसा कि 11 अक्तूबर, 1974 के समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसका संयंत्रवार ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) बिजली की कमी के कारण अप्रैल-अगस्त, 1974 की अवधि में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात के उत्पादन में हानि होने का अनुमान इस प्रकार है :—

	टन
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	28,222
राउरकेला इस्पात कारखाना	14,073
टिस्को . . .	34,030
जोड़	76,325

Progress of Rehabilitation of Refugees of last Indo-Pak Conflict.

592. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total number of those refugees in India at present who had come to India during the last Indo-Pak Conflict;

(b) the steps taken by Government in regard to their rehabilitation and the number of refugees rehabilitated so far; and

(c) the time by which the remaining ones would be rehabilitated?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) The total number of Pak nationals in Rajasthan and Gujarat as on 7-8-74 is reported to be 56467.

(b) The Government of India has been affording temporary relief to the displaced persons from Pakistan. These persons are Pakistan nationals and are entitled to return to Pakistan in safety and honour.

(c) Does not arise.

कश्मीर में भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान से खाली कराने के लिए बातचीत

593. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर के उस भाग को जिसे 'आजाद कश्मीर' कहते हैं पाकिस्तान के अवैध कब्जे से खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या इस विवाद का हल अभी भी समझौते और पारस्परिक बातचीत के माध्यम से होने की संभावना है; और

(ग) पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र खाली कराने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) से (ग) सरकार की यह नीति है कि जम्मू और कश्मीर के एक भाग पर पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लेने से उत्पन्न प्रश्नों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से द्विपक्षीय वार्ता द्वारा किया जाय। ऐसे मामले का निपटारा शिमला करार के अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

भूटान में तिब्बती लोगों पर चल रहे मुकदमें में उनकी ओर से वकालत करने के लिए भारतीय वकीलों की सेवा लेना

594. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय वकीलों की सेवा उन युवा तिब्बतियों की ओर से वकालत करने के लिये ली गई है जिन पर भूटान के राजा की हत्या के षडयंत्र से सम्बन्ध होने के आरोप में भूटान में मुकदमा चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन वकीलों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या उन्हें भूटान में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी नहीं, सरकार को यह जानकारी नहीं है कि इस उद्देश्य के लिये किसी ने कोई वकील नियुक्त किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हाथी समिति की सिफारिश के अनुरूप औषध एककों के 'ब्रांड नामों' को समाप्त करने का प्रस्ताव

595. श्री आर० एन० बर्मन :

श्री सरदीश राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध एककों के ब्रांड नामों पर प्रतिबन्ध लगाने के विरुद्ध डाक्टरों तथा फार्मोकोलोजिस्टों की एक समिति के दृष्टिकोण को औषधों तथा भेषजों सम्बन्धी हाथी समिति ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में हाथी समिति कौन सा वैकल्पिक प्रस्ताव पेश करना चाहेगी?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) औषधि एककों के ब्रांड नामों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में औषध एवं भेषज उद्योग सम्बन्धी हाथी समिति की सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध के बारे में लैफ्टीनेण्ट जनरल नियाजी का वक्तव्य

596. श्री आर० एन० बर्मन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लैफ्टीनेंट जनरल नियाजी ने यह कहा है कि आगामी दो वर्षों में भारत तथा पकिस्तान के बीच युद्ध हो कर ही रहेगा ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त वक्तव्य की ओर ध्यान दिया है; और

(ग) क्या पाकिस्तान द्वारा हमारी सीमाओं पर सम्भावित आकस्मिक आक्रमण करने को विफल करने के लिये पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं।

(ख) और (ग) हमारी सुरक्षा सेनायें सीमाओं पर लगातार सतर्कता रखे हुए हैं और जहां कहीं आवश्यक हो उन्हें सख्त कार्रवाई करने के आदेश हैं।

तेजपुर के निकट भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

597. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1974 के दूसरे सप्ताह में भारतीय वायु सेना का एक विमान तेजपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्ति मारे गये तथा इस दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां श्रीमन्। यह दुर्घटना वस्तुतः 7 सितम्बर, 1974 को हुई थी।

(ख) विमान में सवार सभी आठ कार्मिक मारे गये थे। दुर्घटना के कारणों की जांच पड़ताल करने के लिये एक जांच अदालत के आदेश दे दिये गये हैं।

(ग) अदालत की कार्यवाही को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

"कोसी के लाभों से नेपाल बंचित"

598. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "कोसी" के लाभों से नेपाल वंचित" शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक 18 सितम्बर 1974 के समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना के अन्तर्गत नेपाल को होने वाले लाभों से सम्बद्ध सही स्थिति विगत समय में समुचित अवसरों पर विभिन्न स्तरों पर नेपाली अधिकारियों को पहले ही समझाई जा चुकी है।

Anti-Indian Demonstrations in Nepal over Associate statehood to Sikkim

599. **Shri Shrikrishna Agrawal:**
Shri D. B. Chandra Gowda:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether anti-Indian demonstrations were organised in Nepal following India's decision to give Sikkim the status of an Associate State; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) Yes. Sir. Anti-Indian demonstrations were organised in Kathmandu and some other cities on September 3 and 4 after the Government announced the decision to amend the Constitution to provide for the representation of the Sikkimese people in Parliament, as also to give associate status to Sikkim, in response to the wishes of the Sikkimese people.

(b) We regret that such incidents took place in Nepal over an issue which concerns the responsibilities of the Government of India in Sikkim.

नई इस्पात विकास नीति

600. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री डी० पी० जदेजा :
श्री के० मालन्न

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नई इस्पात विकास नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी पर उत्पादन शुल्क में राज सहायता

601. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1973-74 के मौसम में चीनी के कारखानों को राज्यवार और कारखानावार उत्पादन-शुल्क में कितनी राज सहायता दी गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : संभवतः माननीय सदस्य का आशय चीनी के अतिरिक्त उत्पादन के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क में दी गई छूट से है। इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

बाढ़ पीड़ित लोगों के लिये विदेशों से सहायता

602. श्री एम० एस० पुरती : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में बाढ़पीड़ित लोगों को राहत देने के लिये विदेशों से सहायता मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उन्होंने भारत को किस प्रकार की सहायता दी है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा दी गई सहायता के अलावा बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिये और कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

603. **श्री अनादिचरण दास :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल शाखायें कितनी हैं; और

(ख) उन्होंने 1973-74 के दौरान कुल कितना ऋण दिया है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जून, 1974 के अन्त में उड़ीसा में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 241 कार्यालय थे।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जो दिसम्बर, 1973 के अन्त तक के हैं, उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की बकाया रकम 37.29 करोड़ रुपये थी।

कर अपवंचन आदि के बारे में शिकायतें

604. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की एकडेमी आफ जेनेरल एजूकेशन, मनीपाल और कस्तूरबा मेडिकल कालेज ट्रस्ट, मनीपाल (कर्नाटक) द्वारा कर अपवंचन करने और विदेशी मुद्रा के घोटाले में अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में कोई पत्र मिला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) अकेडेमी आफ जनरल एजूकेशन, मनीपाल और कस्तूरबा मेडिकल कालेज ट्रस्ट, मनीपाल के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों का उल्लंघन करने, कर अपवंचन आदि के आरोप हैं। मामले में आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है।

Seizure of Smuggled Goods on Indo-Nepal Border

605. **Shri Shankar Dayal Singh**: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the quantity of smuggled goods seized during the last one year on Indo-Nepal border and the number of persons arrested in this connection; and

(b) the steps being taking by Government to check this?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) The value of smuggled goods seized during the last one year (September, 1973 to August, 1974) along the Indo-Nepal border, is about Rs. 1.5 crores. 215 persons were arrested in this connection.

(b) (i) Cooperation of His Majesty's Government of Nepal has been sought with a view to check smuggling across the Border;

(ii) for effective control the entire staff deployed along the border has been put under the unified control of a Collector of Customs stationed at Patna;

(iii) jeeps and other necessary anti-smuggling equipment including fire-arms have been provided to the staff for checking the smuggling;

(iv) a post of an Officer on Special Duty was created in the Directorate of Revenue Intelligence in 1970 to act as a Centralised Agency for coordinating the anti-smuggling work related to Indo-Nepal border;

(v) necessary arrangements have been made to impart training to the staff in anti-smuggling work including training in surveillance and use of fire-arms;

(vi) Preventive parties are deployed in the cities near the border to check smuggling besides the mobile preventive parties who are also engaged on similar work;

(vii) with a view to check smuggling action has also been taken to detain smugglers under the Maintenance of Internal Security Act as amended by Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, 1974.

नार्वे से तेज गति वाली नौकाएं खरीदा जाना

606. **श्री गजाधर माझी :**
श्री एम० एस० पुरती :
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने तस्करी विरोधी कार्यों के लिये नार्वे को तेज गति वाली 20 मध्यम नौकाओं के लिये 'आर्डर' दिया है;

(ख) यदि हां, तो किस मूल्य पर; और

(ग) भारत को अब तक ऐसी कितनी नौकायें प्राप्त हो गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां। मैसर्स गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता द्वारा सीमाशुल्क विभाग की ओर से, तस्करी विरोधी कार्यों के लिये, नार्वे से 20 तेज गति वाली माध्यम आकार की लांच नौकाओं की खरीद के लिये आर्डर दिया गया था।

(ख) प्रत्येक लांच नौका का निर्माता पोत प्रापण-प्रत मूल्य 8,55,000 नार्वे जियन क्रोनर है।

(ग) दो लांच नौकायें पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं। चार और नौकायें नार्वे से जहाज भेज दी गई हैं। फरवरी 1975 तक पोत लदान पूरा हो जायेगा।

विजयवाड़ा में विमान उतरने की सुविधाओं के लिये अभ्यावेदन

607. **डा० के० एल० राव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जो हैदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच उड़ने वाले विमानों को विजयवाड़ा में उतरने की पुनः सुविधायें उपलब्ध करने के बारे में हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच भारी मोटर गाड़ी याता-यात होता है तथा आन्ध्र प्रदेश के मंत्री और अधिकारी प्रायः तटवर्ती क्षेत्रों के मार्ग से विजयवाड़ा जाते हैं;

(ग) क्या विजयवाड़ा व्यापार और परिवहन का बहुत बड़ा केन्द्र है और आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद के बाद उसका महत्व है; और

(घ) यदि हां, तो क्या विमान उतरने की सुविधा से मोटर कारों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला काफी पैट्रोल बच सकेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (घ) यातायात अत्यल्प होने के कारण इण्डियन एयरलाइन्स ने विजयवाड़ा के लिये सेवायें बन्द कर दी थीं। विमान सेवायें पुनः चालू करने के लिये इंडियन एयरलाइन्स को प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं। हाल ही में विमानन ईंधन के मूल्य में हुई वृद्धि तथा टर्बो-प्रॉप विमान धारिता में कमी के कारण इंडियन एयरलाइन्स की विजयवाड़ा के लिये विमान सेवा पुनः चालू करने की अभी कोई योजना नहीं है। स्थिति का समय-समय पर पुनरावलोकन किया जायेगा।

चाय उद्योग की सहायता के लिये आवर्तक निधि बनाना

608. **श्री बेकारिया : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग की सहायता के लिये आवर्तक निधि बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो निधि बनाने के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) उक्त निधि किस कार्य के लिये काम में लाई जायेगी?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जी हां। चाय बोर्ड की चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपकरण किराया खरीद योजना के लिये 10.5 करोड़ रु० की अधिकतम सीमा। चाय उद्योग सम्बन्धी टास्क फोर्स ने सिफारिश की है कि इस निधि को आवर्तक बनाना आवश्यक होगा ताकि पुनर्भुगतान राशि उद्योग के लाभों में और वृद्धि करने के लिये उपलब्ध कराया जा सके।

राशन कार्डों पर नियंत्रित कपड़े का वितरण

609. **श्री भोला मांझी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों में राशन कार्डों पर नियंत्रित कपड़ा बेचा जा रहा है और उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : प्राप्त सूचना के अनुसार, कन्ट्रोल का कपड़ा राशन कार्डों पर आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप मिनिकोय तथा पश्चिम बंगाल में बेचा जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने भी उस आधार पर कन्ट्रोल के कपड़े की बिक्री आरम्भ करने का विनिश्चय किया है।

निर्यात-आयात बैंक की स्थापना

610. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री डो० पी० जदेजा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातकर्त्ताओं की सहायता के लिये निर्यात आयात बैंक स्थापित करने की योजनायें बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय देश की समूची बैंक व्यवस्था द्वारा किये जा रहे कार्यों से प्रस्तावित निर्यात आयात बैंक के कार्यों का टकराव नहीं होगा?

वित्त मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : (क) एवं (ख) देश को निर्यात आयात बैंक की आवश्यकता है या नहीं और यदि है तो उसके कार्य क्या हों, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

नागर विमान दुर्घटना की जांच करने हेतु दुर्घटना जांच आयोग का गठन

611. श्री राम सहाय पांडे : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि :

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन दुर्घटनाओं की जांच करने के लिये एक स्वतन्त्र दुर्घटना जांच आयोग गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और अन्य मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) 'दुर्घटना जांच अयोग' में एक आयुक्त एवं एक सहायक आयुक्त होगा जिनकी सहायता के लिये थोड़ा सा सचिवालयीन स्टाफ रहेगा। दुर्घटना जांच आयोग निम्न प्रकार की वैमानिक दुर्घटनाओं का जांच कार्य करेगा ––

(i) ऐसी सभी दुर्घटनायें जिनमें जीवन हानि हुई हो अथवा गम्भीर चोटें आई हों अथवा विमान, भू-उपस्कर अथवा अन्य सम्पति को काफी हानि हुई हो;

(ii) उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य ऐसी सभी दुर्घटनायें अथवा घटनायें जिनकी जांच करना आयोग के विचार में आवश्यक हो, जिनमें निम्न भी शामिल होंगी:––

(क) छोटी दुर्घटनायें;

(ख) बाल-बाल बची हवाई दुर्घटनायें;

(ग) एहतियाती और बलात अवतरण;

(घ) पक्षियों से टक्करें; तथा

(ङ) भूमि पर टक्करें ।

पटसन का निम्नतम मूल्य

612. **श्री एस० एन० सिंह देव :**
श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री तुलकल हक :
श्री दैवेन्द्र नाथ महता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी मौसम के लिये निर्धारित पटसन के निम्नतम मूल्य के लिये कोई सांविधिक मंजूरी दी गई है ;

(ख) क्या निम्नतम मूल्य का संबंध प्राइमरी मार्किट से है ;

(ग) क्या यह सच है कि कलकत्ता में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आयोजित बैठक में पश्चिम बंगाल के सभी मजदूर संघों और किसान संगठनों ने सर्वसम्मति से मांग की है कि 200 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति क्विंटल तक के मूल्यों पर राज्य उत्पादकों से सीधी एकाधिकार खरीद की जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में पटसन उत्पादक राज्यों की अन्य राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) कच्चे पटसन के लिये न्यूनतम कीमतें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन जारी किये गये पटसन (लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 8 के अधीन अधिसूचित की जाती हैं। सरकार ने चालू मौसम में कच्चे पटसन की सांविधिक न्यूनतम कीमत सभी देहाती बाजारों के लिये आसाम बाटम आधार पर एक समान 125 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की है।

(ख) चालू मौसम में देहाती बाजारों के लिये सांविधिक न्यूनतम कीमतें विभिन्न किस्मों की ग्रेड-युक्त पटसन के संबंध में निर्धारित की गई हैं।

(ग) विभिन्न व्यापार संघों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने 27 अप्रैल, 1974 को कलकत्ता में हुए एक सम्मेलन में राज्य द्वारा 200 रु० से 250 रु० तक प्रति क्विंटल की कीमतों पर कच्चे पटसन की एकाधिकार खरीद का समर्थन किया।

(घ) सामान्य तौर पर राज्य सरकारों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमतों की अपेक्षा ऊंची कीमतों की मांग की है।

पश्चिम बंगाल में मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिये प्रस्ताव

613. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिये राज्य सरकार के प्रस्ताव पर उनके तथा राज्य के मुख्यमंत्री के बीच कोई बातचीत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बातचीत के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या कलकत्ता के निकट डमडम में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का विचार त्याग दिया गया है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) कलकत्ता के निकट दमदम में मुक्त व्यापार क्षेत्र की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है।

Import of commodities from other Countries

614. Shri B.S. Chowhan: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of countries from where cars, spare parts of cars, terylene garments and terylene cloth, T.V. sets and spare parts, air conditioners and parts thereof, tape-records and other luxury goods were imported during the last there years with quantity of goods imported from each country; and

(b) the amount of foreign exchange spent for the above imports and how was the payment made?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) & (b) A statement showing the country-wise imports of cars and other items specifically mentioned is attached.

[Placed in the Library. See No. L.T.—8476/74]

राज्य व्यापार निगम द्वारा प्लास्टिक उद्योग को आयातित रसायनों की सप्लाई

615. **श्री वयादार रवि** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्लास्टिक उद्योग, जो आयातित रसायन को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, इस प्रकार के कच्चे माल को बहुत ऊंचे दामों पर राज्य व्यापार निगम से प्राप्त कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस माल की उद्योग को उचित दर पर सप्लाई करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) प्लास्टिक उद्योग के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित रासायनिक पदार्थ, प्लास्टिक माल के विनिर्माताओं को उन कीमतों पर सप्लाई किये जाते हैं जो कीमत नीति समिति द्वारा जिसके अध्यक्ष आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक के, इस संबंध में निर्धारित मार्ग दर्शी सिद्धांतों के आधार पर तय की गई थीं। आयातित माल की ऊंची लागत के कारण कुछ मामलों में ये कीमतें अपेक्षाकृत ऊंची रही हैं।

इन परिस्थितियों में राज्य व्यापार निगम यथासंभव ठीक कीमतों पर माल सप्लाई करने का प्रयास कर रहा है।

आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

616. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने 24 सितम्बर, 1974 को कानपुर में एक प्रख्यात फर्म के गोदाम पर छापा मार कर बिना हिसाब-किताब के डीजल इंजन तथा सिंचाई पम्प बरामद किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) कानपुर में 21 सितम्बर से 26 सितम्बर, 1974 तक की अवधि में दो मामलों में ली गयी तलाशियों में आयकर अधिकारियों ने आयल इंजिन, पम्प तथा मशीनरी के अन्य पुर्जे पाये। एक मामले में जो 42 आयल इंजिन, पम्प तथा मशीनरी के पुर्जे पाये गये वे 5.5 लाख रुपये मूल्य के हैं, जिनमें से 4 लाख रुपये के आयल इंजिन, पम्प आदि का स्टाक आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (3) के अधीन निषेधाज्ञाओं के अन्तर्गत रखा गया था। दूसरे मामले में जो 43 आयल इंजिन, पम्प और मशीनरी के अन्य पुर्जे पाये गये, वे 1.92 लाख रुपये के हैं जिनमें से 1.31 लाख रुपये मूल्य के आयल इंजिन, पम्प आदि निषेधाज्ञाओं के अधीन रखे गये।

उपर्युक्त दोनों मामलों में, धारा 132 (3) के अधीन रोक रखी गयी वस्तुओं को वाद में संबंधित पार्टियों द्वारा पर्याप्त जमानत देने पर छोड़ दिया गया था।

गोआ में राष्ट्रीय कृत बैंकों की शाखाएं

617. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखायें हैं ; और

(ख) उन्होंने 1973–74 में कुल कितना ऋण दिया ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जून 1974 के अन्त में गोआ, दमन और दीव संघ क्षेत्र में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 129 कार्यालय थे।

(ख) सबसे हाल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जो दिसम्बर, 1973 के अन्त के वारे में हैं, गोआ, दमन और दीव संघ क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की बकाया राशि 43.70 करोड़ रुपये थी।

सोवियत संघ से मीडियम स्टेपल काटन का आयात

618. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सोवियत संघ से रुपये का भुगतान करके और अमरीका से देश की आवश्यकता पूरी करने के लिये मीडियम स्टेपल काटन की चार लाख गांठों का आयात करेगी ;

(ख) इसका क्या कारण है कि यह आवश्यकता देश में ही पूरी नहीं की जा सकी ; और

(ग) दोनों देशों द्वारा लिये गये मूल्यों में कितना अन्तर, अमरीका से आयात करने में कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी और मीडियम स्टेपल काटन केवल एक ही देश से आयात न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) हालांकि सरकार ने रुई के आयातों की किसी निर्दिष्ट मात्रा या स्रोत के बारे में फैसला नहीं किया है किन्तु यह महसूस किया गया है कि हमारे अनुमान के आधार पर 1974–75 में मांग और स्वदेश में रुई की प्राप्यता के बीच कमी लगभग 9 से 10 लाख गांठों तक हो सकती है। अतः सूती वस्त्रों के निर्यात उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मीडियम स्टेपल रुई का कुछ आयात करना पड़ेगा। रुई के आयात के स्रोत विभिन्न वाणिज्यक उपादानों पर निर्भर होंगे जिनमें प्राप्यता, कीमतें, उपयुक्त वित्तीय प्रबंध आदि शामिल हैं।

पंजाब में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

619. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में, विशेषकर अमृतसर में, राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल शाखायें कितनी हैं; और

(ख) उन्होंने 1973–74 में कुल कितना ऋण दिया ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जून, 1974 के अन्त में, पंजाब राज्य में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित, सहकारी क्षेत्र के बैंकों की 611 शाखायें कार्य कर रहीं थीं। इनमें 78 शाखायें अमृतसर जिले में अवस्थित थीं।

(ख) सबसे ताज़े उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जो दिसम्बर, 1973 के अन्त के हैं, पंजाब राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों की बकाया रकम 162.73 करोड़ रुपये थी।

Expansion of trade between India and Iran

620. **Shri Shri Krishna Agrawal :**
Shri Narendra Singh :

Will the Minister of Commmerce be pleased to state:

(a) whether Shah of Iran's recent visit to India might result in expansion of trade between the two countries;

(b) if so, the facts in this regard; and

(c) the names of the main commodities likely to be covered thereunder?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) to (c) During the recent visit to India, the Shahanshah of Iran and the Prime Minister of India reviewed the progress of economic, technical and commercial cooperation between their two countries and noted with satisfaction that considerable progress has been made in these fileds, notably in respect of the Kudremukh Iron Ore Project and the Alumina and Joint Shipping Line Projects.

वाणिज्य मंत्री द्वारा ब्राजील का दौरा

621. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में ब्राजील के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये उस देश का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे का क्या परिणाम रहा और जो विचार विमर्श हुआ उसकी रूप-रेखा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां, मंत्री (वाणिज्य) महोदय प्रधानतः लौह अयस्क देशों के जायज हितों को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त संगठन बनाये जाने के प्रश्न के संबंध में ब्राजील गये थे। मंत्री (वाणिज्य) महोदय ने अपने निवास के दौरान भारत-ब्राजील व्यापार के द्विपक्षीय प्रवाह को बढ़ाने की संभावनाओं पर, जिनमें इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त संस्थागत मशीनरी का गठन भी शामिल है, चर्चा की।

डेनमार्क से ऋण

622. **श्री एम० राम० गोपाल रैड्डी :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डेनमार्क ने हाल ही में हमारे देश को 6.7 करोड़ रुपये का ऋण देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां। 2 सितम्बर, 1974 को 50 लाख डनिश क्रोनर (लगभग 6.7 करोड़ रुपये) के ऋण के लिये एक करार पर भी हस्ताक्षर किये गए हैं।

(ख) यह ऋण पूंजीगत सामान, मशीनों के हिस्सों, स्पेयर पुर्जों के आयात और डेनिश विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करने के लिये है। यह ऋण ब्याज मुक्त है और 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 35 वर्षों में चुकाया जाना है।

कम्पनियों द्वारा राशियों का बाहर भेजा जाना

623. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग प्राप्त गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के मामले में लाभांश एवं स्वामित्व के रूप में कुल कितनी-कितनी धनराशि बाहर भेजी गयी है ;

(ख) क्या कुल मिलाकर प्रायः विदेशी सहायता की लागत लाभों से, बढ़ गयी है और गैर-सरकारी निवेश से बचत निवेश के अन्तर को समाप्त करने अथवा विदेशी मुद्रा संबंधी नियंत्रणों को कम करने में सहायता नहीं मिली है ; और

(ग) उक्त संदर्भ में सरकार विदेशी सहायता को किस प्रकार विनियमित करेगी जिससे दोनों पक्षों को सर्वोत्तम लाभ प्राप्त हों ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) लाभांशों, तकनीकी जानकारी और रायल्टी के सम्बन्ध में, 1970–71 और 1971–72 को समाप्त हुए वर्षों तथा 1972–73 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग वाली गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा भेजी गयी रकमें निम्नलिखित हैं (इसी अवधि के अब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं) :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	निम्नलिखित के लिये भेजी गयी रकमें		
	लाभांश†	तकनीकी जानकारी	रायल्टी
1970–71	43.5	20.6	5.2
1971–72	38.9	13.9	5.9
1972–73 (पहली तीन तिमाहियां)	28.2	8.4	5.5

†तेल कम्पनियों के मामलों में इन आंकड़ों में प्रेषण योग्य देन-दारियां दी गयी हैं न कि वास्तविक प्रेषणाएं।

(ख) विदेशी सहयोग की आर्थिक लागत व लाभों का मूल्यांकन करने में, विदेशी मुद्रा के आगम (निर्यात से होने वाली प्राप्तियों) और निर्गम (आयात सहित सभी कारणों से की जाने वाली प्रेषणाओं) तथा अन्य ऐसे तत्वों जैसे बढ़े हुए उत्पादन, आयात, प्रतिस्थापन, रोजगार के अवसरों प्रौद्योगिकी (टेकनोलोजी) में की गयी प्रगति, निर्यात प्रोत्साहन आदि को हिसाब में लेना पड़ता है । विदेशी सहयोग के लिये स्वीकृति देते समय इन सभी पहलुओं पर विचार करना पड़ता है ।

(ग) विदेशी सहयोग के लिये सरकार की मौजूदा नीति अत्यन्त चयनात्मक है । सरकार यह चाहती है कि विदेशी पूंजी इस प्रकार की टेकनोलोजी को देश में लाने का एक माध्यम बने क्योंकि यह टेकनौलोजी न तो सीधे खरीदी जा सकती है और ना ही रायल्टी करार की सीमित व्यापार अवधि में प्राप्त की जा सकती है। विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति बैंकिग वाणिज्य, वित्त, बागान, व्यापार, उपभोक्ता और अधिक लाभ देने वाले उद्योगों के लिये नहीं दी जाती है। केवल निर्यात प्रधान उद्योगों के वास्ते ही छूट दी जाती है ।

42LSS/74—12

तस्कर व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले विदेशों में रहने वाले भारतीय

624. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है जो उन तस्करों से संबंधित है जिन्होने जुलाई से अक्तूबर 1974 तक अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया है; और

(ख) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित मन्त्रालय म राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) 'क' को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

एयर इंडिया में विमानचालकों की हड़ताल

625. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि एयर इंडिया के विमानचालकों को हड़ताल का कोई ठोस परिणाम निकलने तक उनके विमानों की पूरी उड़ाने चालू करने के लिये रक्षा मंत्रालय से कुछ विमानचालकों की सेवायें उपलब्ध की जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) जी नहीं। परन्तु एक ऐसी योजना पर विचार किया जा रहा है, कि जिसके द्वारा वायुसेना के विमानचालकों को उपयुक्त संपरिवर्ती प्रशिक्षण (कन्वंशन ट्रेनिंग) दिया जा सके ताकि आवश्यकता पड़ने पर परिचालन के लिये उपलब्ध हो सकें।

Seizure of Valuables during raids by Income Tax Authorities

626. **Shri Chandu Lal Chandrakar:** Will the Minister of Finance be pleased to state the break-up of diamonds, gold, silver and cash recovered in the raids by the Income Tax Officials during the last three years, year-wise?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): The value of various assets seized by the Income Tax Officials in the searches conducted during the financial year 1971-72 to 1973-74 is as under:

(Rs. in lakhs)

Year	Cash	Jewellery	Bullion	Other assets	TOTAL
1971-72	127.09	34.74	26.29	53.79	241.91
1972-73	155.23	109.40	22.53	166.74	453.90
1973-74	140.83	104.90	3.44	190.99	440.16

जयपुर और उदयपुर हवाई अड्डों का सुधार

627 **श्री लालजी भाई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** जयपुर तथा उदयपुर के हवाई अड्डों के सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में 27 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 904 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन दो हवाई अड्डों को बोइंग 737 विमानों के परिचालन हेतु उपयुक्त बनाने के प्रयोजन से इन अड्डों के धावनपथों आदि के विकास के लिये क्रमशः 38.18 लाख रुपए और 61.56 लाख रुपए की राशि के व्यय अनुमान की स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(ख) इन दो परियोजनाओं पर किस तिथि तथा वर्ष में कार्य आरम्भ करने और पूरा करने की आशा है ?

पर्यटन और ना र वमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) जयपुर तथा उदयपुर हवाई अड्डों पर निर्माणकार्य क्रमशः 17-3-74 और 26-11-73 को प्रारम्भ किया गया था तथा सितम्बर, 1975 तक उन के पूरा हो जाने की आशा है ।

गुजरात की निर्यात क्षमता

628. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात की निर्यात क्षमता की जांच की है:

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात से गुजरात को कितनी आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) गुजरात निर्यात निगम लि० ने केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से राज्य का एक निर्यात सम्भाव्यता सर्वेक्षण किया है तथा अपनी रिपोर्ट गुजरात सरकार को अक्तूबर 1974 में प्रस्तुत की है। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

(ख) सर्वेक्षण के अनुसार जिन मदों की निर्यात संभाव्यता है, वे हैं : हीरे, तेल रहित खली, इंजीनियर की वस्तुएं, कृषि आधारित उत्पाद तथा समुद्री उत्पाद ।

(ग) राज्यवार निर्यात आय के आंकडे संकलित नहीं किये जाते ।

विदेशी आयातकर्ताओं द्वारा सूती कपडों की खेपों का अस्वीकर किया जाना

629. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाखों रुपये मूल्य के सूती कपड़े, जो विदेशों के निश्चित आदेशों के अनुसार बाहर भेजे गए थे, अस्वीकार कर दिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान विदेशों के आयातकर्ताओं द्वारा अस्वीकार किये गए कपड़ों की कीमत का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खपों को अस्वीकार किये जाने के क्या मुख्य कारण हैं और नमूनों के साथ सप्लाई किये गए कपड़ों का मेल न होने के आधार पर कितने प्रतिशत कपड़े अस्वीकार किये गए; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि केवल स्वीकृत नमूनों के समान, उपयुक्त किस्म के माल को ही बाहर भेजा जाए ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस वर्ष अस्वीकार किये गए परिधानों का कुल मूल्य लगभग 1 करोड़ रु० था। अधिकांश अस्वीकृत माल इटली और फ्रांस से आया।

(ग) विदेश स्थित आयातकों द्वारा हमारे परिधान अस्वीकार किये जाने के प्रमुख कारण ये हैं: मार्च, अप्रैल तथा मई 1974 में परिवहन कठिनाइयां उत्पन्न होने के कारण सुपुर्दगियों में विलम्ब, विमान से माल भेजने में विलम्ब तथा आयातकों के पास माल जमा हो जाना। कुछ मामलों में परिधान घटिया क्वालिटी के होने के कारण भी अस्वीकार कर दिये गए।

(घ) निर्यातित परिधानों की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिये वस्त्र समिति द्वारा पोत-लदानपूर्व निरीक्षण और कठोर बना दिया गया है। कुछ वर्गों के सम्बन्ध में न्यूनतम स्टैंडर्ड भी तय कर दिये गए हैं।

दिल्ली से निर्यात

630. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रति वर्ष 365 करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन होता है लेकिन इसमें से केवल 20 करोड़ रुपये के मूल्य के माल का निर्यात होता है;

(ख) क्या निर्माताओं को औपचारिकताएं पूरी करने के लिये अनेक मंत्रालयों से सम्पर्क रखना पड़ता है जिसके फलस्वरूप जहाज से माल भेजने में विलम्ब हो जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले पर ध्यान देने का है ताकि भारत अपना निर्यात व्यापार बढ़ा सके ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) निर्यातों के आकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते।

(ख) तथा (ग) : निर्यात प्रक्रियाओं को सम्भव सीमा तक सरल कर दिया गया है। यदि कोई कठिनाइयां सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं, तो उन पर गौर किया जाता है।

Setting up of more Textile Factories in Madhya Pradesh

631. **Shri G.C. Dixit** : Will the **Minister of Commerce** be pleased to state whether potentialities exist in Madhya Pradesh for more textile factories and if so, the names of the districts where new factories are proposed to be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : The Union Government has not drawn up State-wise plans for development of the Textile Industry. However, while permitting expansion of the cotton textile industry during the fifth Plan period, creation of additional capacity will be encouraged in areas where there is an unsatisfied demand for yarn for handloom and powerloom weavers and areas which have a cotton surplus. Applications recommended by the Government of Madhya Pradesh, which fall within the approved criteria, will receive favourable consideration, as in the case of other States.

Surprise Check re : proper use of Import Licences

632. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have made arrangements for surprise checks regarding the proper use of import licences issued to the actual users by Government;

(b) if so, the broad features thereof; and

(c) whether Government propose to set up any **Central** cell for making the present arrangements more suitable and effective.

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) At present, the various Directors of Industries in the States and other sponsoring authorities inspect the units which are granted import licences and watch utilisation of the material imported under these licences.

(c) No, Sir.

Claims Inspectors in New India Assurance Company Ltd.

633. **Shri Ramdeo Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state;

(a) Whether the New India Assurance Company Limited recruited Claims Inspectors in 1974;

(b) whether the period of their training varies from six months to two years only ;

(c) whether the monthly stipend to 1974 recruited claims Inspectors is Rs. 350/- for the 1st year and Rs. 450/- for the 2nd year;

(d) whether the Trainee Claims Inspectors recruited in 1972 have a training period of three years and their monthly stipend was Rs. 250/- for the 1st year, Rs. 350/- for the 2nd year and Rs. 450/- for the 3rd year; and

(e) whether as a result of this even with better qualifications the 1974 recruits will be confirmed before the recruits of 1972 and will also be getting higher emoluments; and if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (d) Yes Sir.

(e) According to advertisement for selection of Claims Inspectors on both occasions, the specific training period and allowance for the selected candidates were to be determined on the basis of their technical qualifications and past experience. Therefore persons selected in a later batch may get confirmed earlier than those recruited in an earlier batch. This will however not happen as between two persons equally qualified.

कलकत्ता हवाई अड्डे से होकर जम्बो जेट सेवा

634. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण निदेशक ने हाल ही के एक वक्तव्य में यह माना है कि कलकत्ता हवाई अड्डे के अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय विभागों में उड़ाने बढ़ने और कलकत्ता हवाई अड्डे से होकर जम्बो जेट के संचालन की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पूर्वी क्षेत्रों की ओर जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विमानों की संख्या बढ़ाने तथा कलकत्ता हवाई अड्डा होकर एयर इंडिया की जम्बो जेट सेवा का संचालन करने की ओर विशेष ध्यान दे रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निदेशक द्वारा कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया गया था। तथापि, अन्तर्देशीय यातायात बढ़ने की सम्भावना है। सरकार चाहती है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां अपनी हकदारी के अनुसार अधिकतम सीमा तक कलकत्ता का प्रयोग करें। वाणिज्यिक कारणों से एयर इंडिया तब तक कलकत्ता के रास्ते जम्बो विमानों का परिचालन करने की स्थिति में नहीं है जब तक कि वे चौडी बाडी वाले विमानों से अपनी पूर्वी सेवाएं परिचालित नहीं करते।

जाली करेंसी नोटों का पकड़ा जाना

635. **श्री मोहम्मद शरीफ :**
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 में और अक्तूबर, 1974 तक विभिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल कितनी राशि के जाली करेंसी नोट पकड़े गए;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गए;

(ग) क्या कुछ विदेशी एजेंट भी इन गिरोहों के सदस्य हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Export Target of Sugar for 1973-74

636. **Shri R. V. Bade :**
Shri Lalji Bhai :
Shri Yamuna Prasad Mandal :
Shri Prabodh Chandra :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the export target of sugar in quantity and value fixed for 1973-74;

(b) whether this target has been achieved; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) (a) to (c) Targets for exports so far were being fixed on the basis of calender years and for 1973 a target of 2.5 lakh tonnes was fixed. With some spill over in January 1974, 2.49 lakh tonnes valued at Rs. 42.21 crores were exported during the period 1973-74.

चीनी का निर्यात

637. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या चीनी उद्योग को इस बात का सन्देह है कि सरकार इस वर्ष पांच लाख टन चीनी निर्यात करने का अपना लक्ष्य पूरा कर पाएगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब तक की गई प्रगति पर गौर करते हुए भी सन्देह होने का कोई कारण नहीं है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में राहत सहायता का दुरूपयोग

638. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राहत सहायता के लिये दी गई गेहूं को उत्तर बंगाल में बेचा जा रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अकाल पीड़ित पश्चिम बंगाल के लिये दी गई राहत सहायता को राज्य के ऊंचे पदों पर आसीन अधिकारी हजम कर गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और मिलते ही उसे लोक सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

Purchase and Sale of Cotton

639. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the firm of M/s. Chhagan Lal Pandu Lal, Mohan Sadan, 6/4 Snehlata Ganj Indore, is engaged in purchasing cotton at cheap rates in Indore, Khargaun, Ujjain, Dewas, Sajapur Rajgarh, Usangabad and several other Districts of Madhya Pradesh by lending money to farmers;

(b) whether the above firm sells on credit the cotton so purchased to cotton textile mills at a price fifty times more than the price at which it was purchased;

(c) if so, whether in case of failure on the part of textile mills to make payment for the cotton, their immovable property is got transferred in the name of the firm and its partners; and

(d) the number of such incidents that have taken place during the last two years?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पश्चिम बंगाल में जूट कर्मचारियों द्वारा टोकन हड़ताल

640. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

श्री समर मुखर्जी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल में जूट कर्मचारियों ने 20 प्रतिशत बोनस और उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग पर बल डालने हेतु जूट उद्योग की सभी कार्मिक संघों द्वारा प्रायोजित, एक दिन की टोकन हड़ताल की; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सांविधिक न्यूनतम से अधिक बोनस का भुगतान उद्योग की लाभप्रदता पर निर्भर करता है। सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए।

Loans obtained by top fifty parties from Banks

641. **Shri Ishwar Chaudhry :**

Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the top fifty parties who got the maximum loans from banks and whose accounts were enquired into last year:

(b) the findings of enquiry; and

(c) the names of the industries/establishments run by these parties?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) to (c) In July 1974, Reserve Bank of India advised all scheduled commercial banks with deposits exceeding Rs. 25 crores, that they should exercise utmost caution to ensure that the amounts drawn by the borrowers are the minimum required for their immediate legitimate needs and that such amounts are used for purposes for which they are drawn. To begin with, Reserve Bank advised them to make immediate arrangements to which the accounts of the fifty largest borrowers of each bank. In accordance with the practice and usage customary among the bankers and also in accordance with the provisions in the statuts governing the public sector banks, the banks cannot divulge any information relating to or to the affairs of their consituents.

सी० डी० ए० पटना के कर्मचारियों की नियुक्ति

642. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०डी०ए० पटना कार्यालय में कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारियों को भी जिनके बच्चे, पत्नियां और परिवार के अन्य सदस्य पोलिओं, क्षय और कैंसर के मरीज हैं, सी० डी० ए० के पटना स्थित कार्यालय से बाहर नियुक्त किया जा रहा है ?

(ख) क्या दीनापुर स्थित स्थानीय लेखापरीक्षक कार्यालय में काम करने वाले चौथी श्रेणी के एक कर्मचारी तथा गया में काम करने वाले एक लेखाकार के जुलाई, 1973 से आज तक सी०डी०ए० पटना कार्यालय में गलत तथा बदले की भावना से किये गए स्थानान्तरण के कारण उनकी मृत्यु हो गई;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मृत्यु के कारणों की पूरी-पूरी जांच करा ली है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मृत्यु के क्या कारण हैं तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :(क) नियंत्रक रक्षा लेखा पटना के मुख्य कार्यालय और उसके उप-कार्यालयों में अधिकारियों का क्रमानुसार स्थानान्तरण सार्वजनिक हित में आवश्यक है। पोलिओ, क्षय और कैंसर जैसी बीमारियों के आधार पर अपने स्थानान्तरण को रद्द कराने या स्थगित कराने के लिये प्राप्त व्यक्तिगत अभ्यवेदनों पर प्रत्येक मामले में उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) जी नहीं श्रीमान्। गया में काम करने वाले एक लेखाकार और दीनापुर में काम करने वाले चौथी श्रेणी के एक कर्मचारी की क्रमशः 15-6-74 तथा 4-8-73 को मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु किसी भी प्रकार से प्रशासन से सम्बन्धित नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) में दिये गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कारों का आयात

643. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ शर्तों के साथ अन्य देशों से कारों के आयात की अनुमति देती रही है; और

(ख) इन शर्तों के बारे में मुख्य बातें क्या हैं ग्रौर पिछले तीन वर्षों में वर्षनुसार कितनी कारें ग्रायात की गई तथा उन का 'मेक' तथा उनकी लागत क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जिन शर्तों के ग्रधीन कारों के ग्रायात की ग्रनुमति है, उनके सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य बातें इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल हैंड बुक रूल्स एण्ड प्रोसीजर 1974-75 के परिशिष्ट 27 में उल्लिखित हैं।

कारों के ग्रायात के लिये जारी किये गए सीमाशुल्क निकासी परमिट/लाइसेंसों की संख्या तथा विगत तीन लाइसेंस वर्षों के दौरान उनके लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के बारे में जानकारी निम्नोक्त प्रकार है :--

लाइसेंस वर्ष	जारी किये गए सीमा शुल्क निकासी परमिटों/लाइसेंसों की कुल सं०	उनका कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य (रु० में)
ग्रप्रैल 1971-मार्च, 1972	940	146,80,540
ग्रप्रैल 1972-मार्च, 1973	888	232,21,204
ग्रप्रैल 1973-मार्च, 1974 . . .	720	163,70,545

जहां तक विभिन्न मेकों की कारों का सम्बन्ध है, ब्यौरा इस सयम उपलब्ध नहीं है। ग्रमरीका में बनी कारों के सम्बन्ध में 32000 रु० तथा ग्रन्य देशों में बनी कारों के सम्बन्ध में 38000 रु० की लागत, बीमा, भाड़ा ग्रधिकतम सीमा के ग्रध्यधीन रहते हुए ग्रायात की ग्रनुमति दी जाती है।

तस्करी को रोकने के लिये द्रुत गति से चलने वाली नौकायें

644. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी को रोकने के लिये द्रुत गति से चलने वाली गश्ती नौकाग्रों को बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; ग्रौर

(ग) तस्करी को रोकने में सहायता करने के लिये इन नौकाग्रों से कहां तक सहायता मिलने की ग्राशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) नार्वे से ग्रारम्भतः 20 तेज गति वाली मध्यम ग्राकार की लांच-नौकाएं खरीदने के लिये ग्रार्डर दिया गया था।

तेज गति वाली मध्यम आकार की कुल मिलाकर 100 लांच-नौकाएं अभिग्रहण करने का प्रस्ताव है। ऐसा विचार है कि शेष 80 नौकाएं मेसर्स गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता द्वारा, नार्वे की फर्म के तकनीकी सहयोग से देश में ही निर्मित की जायेंगी । या कुछ देश में निर्मित की जा सकती है और अन्य विदेशों में, जिससे कम से कम समय में सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी करना सम्भव हो सके। आरम्भतः मेसर्स गार्डन रीच वर्कशाप कलकत्ता को देश में 10 लांच-नौकाओं का निर्माण करने का आदेश देने का विचार है। शेष नौकाओं के लिये आर्डर देने के प्रश्न को तब लिया जाएगा जब विदेश से खरीदी गई पहली कुछ लांच-नौकाओं के काम का मूल्यांकन कर लिया जाएगा।

(ग) पहले ही प्राप्त कर ली गई दो लांच नौकाओं ने, नियोजित किये जाने के छः दिन के भीतर ही अपना प्रभाव जमाया और बम्बई के समीप 78 लाख रु० मूल्य का अवध माल पकड़ा गया। इस थोड़ी सी अवधि में चार ढो पकड़ी गई जो दुबई से तस्करी का माल लाई, जब कि 1974 के पहले 9 महीनों में ढो पकड़ने के सात मामले हुए थे। इन चार ढो से 41 व्यक्ति, जिनमें 21 विदेशी भी शामिल हैं गिरफ्तार किये गए। इससे प्रकट होगा कि तस्करी को रोकने में ये लांचनौकाएं सम्भवतः बहुत अधिक सहायक होंगी।

औद्योगिक वित्त निगम के वित्तीय साधन

645. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम वित्तीय साधनों की भारी कमी का सामना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निगम की उन कोयला कम्पनियों और संकटग्रस्त कपड़ा उपक्रमों द्वारा देय करोड़ों रुपयों को जिन्हें सरकार ने अपने हाथ में लिया है, बट्टे खाते में डालना पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो कमी के अन्य कारण क्या हैं ; और

(घ) इस कमी पर काबू पाने के लिये निगम को सहायता प्रदान करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (घ) औद्योगिक वित्त निगम, वर्षों से, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, विशेषतः सहकारी क्षेत्र की वस्त्र तथा चीनी मिलों को, अधिक से अधिक वित्तीय सहायता मंजूर करता आ रहा है। वित्तीय सहायता के लिये केवल आवेदन-पत्रों की संख्या में ही केवल वृद्धि नहीं हुई है अपितु परियोजनाओं को जैसी चीनी जैसे कई उद्योगों को स्थापित करने की लागत भी काफी अधिक मात्रा में बढ़ गयी है। इसके परिणामस्वरूप साविधिक ऋणों के वित्त की आवश्यकता बढ़ गयी है। निगम, जो अपने रुपया साधनों के लिये मुख्यतः ऋणों की वापसी अदायगी, बाजार बांडों के जारी किये जाने, रिजर्व बैंक आदि के अल्पविधि ऋणों आदि पर निर्भर करता है, पिछले कुछ समय से कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहा है। निगम के साधनों में वृद्धि के प्रश्न की सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है।

जहां तक सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत वस्त्र अपक्रमों को औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गयी सहायता का संबंध है, सरकार ने अभी तक वस्त्र मिलों के मालिकों को मुआवजे की अदायगी नहीं की है। रुग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकृत) अध्यादेश, 1974 की धारा 17 के अधीन, सरकार द्वारा मुआवजे की अदायगी के बिषय में आयुक्तों की नियुक्ति अपेक्षित है। रुग्ण वस्त्र (मिल) अपक्रम के मालिक के विरुद्ध दावों वाले सभी व्यक्तियों को अपने उपने दावे अनके समक्ष पेश करने होंगे। आयुक्तों की नियुक्तियां हो जाने के पश्चात् तथा उनके द्वारा सभी दावों को अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद यह जानना संभव हो सकेगा कि मुआवजे के रूप में देय रकम निगम के दावों को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी या नहीं।

जून 1974 में समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान निगम ने राष्ट्रीयकरण के समय से लेकर दो कोयला कम्पनियों को दिये गये 40.37 लाख रुपये के ऋणों की रकम को, अपनी प्रारक्षित निधि से अदा न होने वाली और संदिग्ध-ऋणों की राशि के रूप में बट्टे खाते डाला है। निगम अपने लेखा परीक्षकों की सलाह पर वर्ष प्रतिवर्ष उन ऋणों की सम्भाव्य देनदारियों के बारे में पर्याप्त व्यवस्था करता आ रहा है जो ऋण अदा न होने वाले हों। इस प्रकार की आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था सामान्यतः वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने लाभों की रकमों में से की जाती है। इनका निगम के साधनों पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी ट्रेडमार्कों का प्रयोग

646. श्री नवल किशोर सिंह :
श्री शशि भूषण :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, 1973 की धारा 28 (1) (ग) के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों पर (जिसमें वे कम्पनियां भी शामिल हैं जो भारत में किसी भी वर्तमान कानून के अन्तर्गत निगमित नहीं हैं) किसी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रतिफल के लिये अपने ट्रेड मार्क का लायसेंस देने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) क्या भारत में किसी कम्पनी के मामले में जिसने किसी विदेशी कम्पनी के ट्रेड मार्क का उपयोग करने के लिये विदेशी कम्पनी को इक्विटी शेयर दे दिए हैं और इन इक्विटी शेयरों पर लाभांश भेजा जा रहा है, यह ट्रेड मार्क के उपयोग के लिये प्रतिफल (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष) माना जाएगा; और

(ग) क्या भारतीय कम्पनी को यह अनुमति दी जाएगी कि वह विदेशी ट्रेडमार्क का उपयोग जारी रखे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, नहीं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 (1) (ग) में यह व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति या कम्पनी द्वारा किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के लिए किसी भी विदेशी कम्पनी का या ऐसी भारतीय कम्पनी का, जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक अनिवासियों के शेयर हैं, व्यापार चिन्ह इस्तेमाल करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति ले लेना आवश्यक है।

(ख) शेयरों पर लाभांश की अदायगी जो किसी भारतीय कम्पनी ने किसी विदेशी कम्पनी को उसके व्यापार चिन्ह के इस्तेमाल करने के लिए दिये हों, उस व्यापार चिन्ह के सतत उपयोग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभांश के लिए अनुमति समझा जायेगा या नहीं; यह इस बात पर निर्भर होगा कि अनुमति की शर्तें और शेयरों के आवंटन की शर्तें, यदि कोई हों, तो क्या है ।

(ग) प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुणावगुणों के आधार पर किया जायगा जैसे बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से) ऐसे व्यापार चिन्हों का उपयोग आम जनता या राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के हित में है या नहीं ।

Supply of Jewellery by M.M.T.C.

647. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri R.V. Bade :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether charges were levelled against Minerals and Metals Trading Corporation that supply of inferior quality of jewellery was made by them after receiving the price for costly jewellery from some Jewellery exporters;

(b) whether this matter was got investigated by C.B.I. and in the meanwhile an officer of Jewellery Department of the Corporation died in an accident;

(c) the nature of complaints and charges made by the exporters, the results of the C.B.I. enquiry and the action taken in this regard;

(d) whether Government propose to entrust to C.B.I. the work of conducting an enquiry into the general activities of Corporation keeping in view the bungling in the export of jewellery by Minerals and Metals Trading Corporation; and

(e) the names of the countries to which the jewellery was to be exported?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) The Minerals & Metals Trading Corporation is concerned with the supply of rough diamonds to the exporters to the extent of canalisation of rough diamonds. The Corporation is not concerned with Jewellery. A party lodged a complaint that he was supplied inferior quality rough diamonds by the Corporation.

(b) The matter is still under investigation by the Central Bureau of Investigation, Meanwhile, an officer of the Diamonds Department of the Corporation is reported to have died.

(c) The allegation of supply of inferior quality rough diamonds is still under investigation by the Central Bureau of Investigation.

(d) No, Sir.

(e) The Minerals & Metals Trading Corporation exports neither jewellery nor diamonds.

Air Service to Muzaffarpur and Raxaul

648. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K.M. Madhukar :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Muzaffarpur and Raxaul in North Bihar have not so far been linked with air service;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which Muzaffarpur and Raxaul will be linked by air ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) to (c) Due to steep increase in the price of aviation fuel and the decision of Indian Airlines to phase out Viscounts and Dakotas from its fleet, the Corporation was obliged to recast its schedule effetive from 18-3-74 eliminating routes which had consistently been found to be very uneconomic in the past. Muzaffarpur is one of the 17 stations to which air services had to be given up on account of recurring losses. While the position would be reviewed from time to time, there are hardly prospects for the services to Muzaffarpur becoming economic and therefore it may not be possible to resume these in the immediate future. There is hardly any likelihood of Raxaul being connected by air services in the foreseeable future.

दोहरे कराधान से बचने के लिये चेकोस्लोवाकिया के साथ समझौता

649. श्री वीर भद्र सिंह :

श्री वनमाली बाबू :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आय के दौहरे कराधान से वचने के लिए नई दिल्ली में अक्तूवर, 1974 में चेको-चेकास्लोवाकिया के साथ वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) जो वार्ता नई दिल्ली में 14 से 20 अक्तूवर 1974 तक चली, वह निर्णायक नहीं हुई और अगली वार वही वार्ता चालू रहेगी ।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये तस्कर, करापवंचक तथा मुद्रा संबंधी कार्य करने वाले

650. श्री शशि भूषण :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री वयालार रवि :

श्री भोगेन्द्र झा :

सरदार महेन्द्र सिंह गिल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में मारे गए छापों के दौरान वर्गवार कुल कितने तस्करों, उनके सहायकों तथा सहयोगियों, करापवंचकों तथा मुद्रा संबंधी कार्य करने वाले को गिरफ्तार किया गया ;

(ख) प्रत्येक वर्ग में कुल कितने व्यक्ति अभी तक पकड़े नहीं गए है;

(ग) इन छापों के दौरान कुल कितने मूल्य का सोना, चांदी आभूषण तथा अन्य माल बरामद किया गया और इस माल का निपटान किस प्रकार किया जायेगा, और

(घ) इन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :

(क) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रखी जायगी ।

अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के महानिदेशक की भारत यात्रा के दौरान चर्चित हुए विषय

651. **श्रीमती पावती कृष्णन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, के महानिर्देशक ने हाल में अक्टूबर, 1974 में भारत का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन विषयों पर चर्चा की गई ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के महानिदेशक ने और अधिक ऋण देने के लिए शर्त के में भारत सरकार द्वारा नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने पर बल दिया था और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क): जी, हां।

(ख) : यह यात्रा एक सद्भावना यात्रा थी और आपसी हितों के सभी मामलों पर विचार विमर्श कर इस अवसर का लाभ उठाया गया । इस विचार-विमर्श से कोई खास परिणाम नहीं निकला।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

वस्त्र निर्यात परिषद् की स्थापना

652. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री राम सहाय पाण्डे :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्यात कर्ताओं ने सरकार से वस्त्र निर्यात परिषद् गठित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

654. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री अर्जुन सेठी :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :

श्री के० एम० मधुकर :

श्री कोपारिया :

श्री भोगेन्द्र झा :

श्री अरबिन्द एम० पटेल :

श्री आर० एन वर्मन :

श्री गजाधर माझी :

श्री महादीपक सिंह शाक्य :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

श्री आर० बी० बड़े :

श्री रामावतार शास्त्री :

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

डा० कर्णी सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत से राज्यों ने सूखा, दुर्भिक्ष और बाढ़ पीडित लोगों को राहत देने के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है ; और उन्होंने कितनी सहायता की मांग की है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को उनकी मांग के अनुसार सहायता देना मान लिया है; और यदि हां, तो इस बारे में प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) :चालू वर्ष के लिए राज्यों द्वारा मांगी गयी सहायता का ब्योरा इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपयों में)

1. असम	18.56
2. बिहार	20.00
3. गुजरात	48.75
4. हरियाणा	15.00
5. जम्मू और कश्मीर	(कोई विशेष रकम नहीं लिखी है)
6. कर्नाटक	3.00
7. केरल	6.00
8. मध्यप्रदेश	30.00
9. मणिपुर	0.56
10. उड़ीसा	25.33
11. राजस्थान	15.00
12. उत्तर प्रदेश	45.04
13. पश्चिम बंगाल	15.00

(ग) और (घ) : केन्द्रीय दलों द्वारा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान का दौरा किये जाने के बाद केन्द्र ने वहां की सूखे की स्थिति का मूल्यांकन कर लिया है। इन मूल्याकनों पर सम्बद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है । इसी प्रकार असम, बिहार और पश्चिम बंगाल की स्थिति का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय दल जल्दी ही इन राज्यों का दौरा करेंगे । कृषि मंत्रालय से केन्द्रीय दल फसलों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जल्दी ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे । इन मूल्यांकनों के आधार पर, यदि ज़रूरी हुआ तो सम्बन्ध राज्यों से विचार विमर्श किया जायेगा।

तस्करी के लिये काले धन का प्रयोग

655. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तस्करी की गतिविधियों के लिए सरकार के अनुमान के अनुसार काले धन का उपयोग किस सीमा तक किया गया है; और

(ख) तस्करों के विरुद्ध हाल में की गई कार्यवाही के दौरान कितना काला धन वसूल किया गया है अथवा पता लगाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रवण कुमार मुखर्जी) :

(क): देश में तस्कर आयात-निर्यात को चलाने में कितना काला धन लगा हुआ है इसका बिल्कुल सही-सही अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ख): हाल ही में तस्कर आयात-निर्यातकों की जो धर-पकड़ हुई है उसके बाद आयकर विभाग ने कुछ मामलों में तलाशी लेने और पकड़ने की कार्यवाही की है। तस्कर आयात-निर्यातकों के मामलों की गहरी छानबीन की जा रही और अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि इनके मामलों में ठीक-ठीक कितना लेखा-वाह्य धन ग्रस्त है ।

42 LSS/74—13

Involvement of Nayanmal Shah and his brothers in Foreign Exchange Racket

656. **Shri Shiv Kumar Sha:ri :** Will the Minister of **Finance** be pleased tc state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news that Nayanmal Shah and his brother Champat Lal were involved in one billion rupee foreign exchange scandal;

(b) the findings of the enquiry conducted by Government in regard thereto;

(c) whether some other smugglers involved in the foreign exchange scandal have been arrested in the compaign against the smugglers; and

(d) if so, according to information gathered by Government what is the amount of foreign exchange used by them for smuggling and what steps are being taken by Government to punish them ?

The State Minister in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) :(a) Yes, Sir.

(b) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

(c) Yes, Sir.

(d) According to the Kaul Committee report, the amount of foreign exchange used for financing smuggling every year was estimated to be of the order of Rs. 160 to Rs. 170 crores. The Foreign Exchange Regulation Act, 1947, has been replaced by a new Act in January, 1973 and the Customs Act, 1962 has been amended in 1973 inter-alia to provide for more deterrent punishment for serious offences and repeat offences and also to eliminate loopholes noticed in the working of these Acts. Steps have also been taken to strengthen the anti-smuggling machinery. Maintenance of Internal Security Act has been amended to provide for preventive detention of smugglers and persons dealing unauthorisedly in Foreign Exchange.

इंनोकुग्रस सेविंग क्लाज के कारण दिल्ली श्रौर बम्बई की फर्मों द्वारा बड़ी मात्रा में श्रायात

657. **श्री मधु दंडवते:** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी सम्पत्तियों के एकीकरण के बारे में भारत-फ्रांस समझौते में इनोकुग्रस सेविगं क्लाज के कारण रह गई कमियों से बम्बई श्रौर दिल्ली की फर्मों को बड़ी मात्रा में श्रायात करने की श्रनुमति है :

(ख) क्या इस समय केन्द्रीय जांच व्यूरो द्वारा कोई जांच की जा रही है : श्रौर

(ग) यदि हां तो इस जांच की मुख्य बातें क्या हैं श्रौर केन्द्रीय जांच व्यूरो की जांच के क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उतमंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिह) :

(क) जी नहीं। (ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए रखा गया आरक्षण

658. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं तथा पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये रखा गया, आरक्षण किस सीमा तक भरा गया है; और

(ख) इनके लिये आरक्षित कोटे को पूरी तरह से न भरने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) : वर्ष 1971, 1972 और 1973 के दौरान भर्ती किये गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की प्रतिशतता नीचे दी गयी है :—

	1971	1972	1973
अधिकारी	0.46	1.70	5.28
लिपिक	2.24	6.79	14.16
अधीनस्थ कर्मचारी	9.10	15.18	32.32

(ख) : बैंकों ने सूचित किया है कि इन समुदायों के योग्य उम्मीदवार मिल न पाने के कारण तथा इन उम्मीदवारों के लिए स्तर में ढील देने के बावजूद भर्ती के लिये ली गयी परीक्षा में उनके असफल होने के कारण आरक्षित पद भरे नहीं जा सके ।

Distribution of Staple Fibre

659. **Dr. Laxmi arayan Pandeya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum in regard to the distribution of staple fibre from National Alliance of Young Entrepreneurs, and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b) National Alliance of Young Enterpreneurs in their memorandum had suggested that there should be no discrimination between the pure staple fibre spinning units and the cotton units who had switched over to the use of staple fibre in the year 1965-66, in the matter of allocation of staple fibre. The actual distribution of staple fibre is being made to all the spinning units without a distinction about their being purely staple fibre spinning units or cotton spinning units on the basis of their past consumption. In view, however, of the Madras High Court Judgement on the writ petitions filed by pure staple fibre spinning units, it has been decided to give these units another 10% of their past consumption in addition to their normal allocation.

ऋण नियंत्रण के संबंध में राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिये गये सुझाव

660. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने ऋण-नियंत्रण की चयनात्मक छूट तथा अधिक विदेशी ऋणों को प्राप्त करने का सुझाव दिया है ताकि उत्पादन अधिक हो और मूल्यों के संबंध में दबावों को कम किया जा सके ; और

(ख) यदि हा, तो इन प्रस्तावों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा की गयी "भारतीय अर्थव्यवस्था, 1974-75 की मध्यवर्षीय समीक्षा" में यह सुझाव दिया है कि "यदि ऋण को सीमित करने से उत्पादन को सीमित न होने देना तो सावधानी से तथा चयनात्मक आधार पर कुछ उदारता आवश्यक हो सकता है" परिषद् ने उत्पादन बढ़ाने और मूल्य वृद्धिकारी दवाव को कम करने के लिये अधिक विदेशी ऋण लेने और आयात में वृद्धि करने का सुझाव भी दिया है।

(ख) सरकार यह नहीं समझती कि मूल्य वृद्धि की मौजूदा स्थिति में मुद्रा संबंधी नियंत्रण में ढ़ील देना ठीक होगा। किन्तु 29 अक्टूबर, 1974 को रिजर्व बैंक ने 1974-75 के अधिक कामकाज के दिनों के लिए जिस ऋणनीति की घोषणा की है उसमें उत्पादन बढ़ाने और अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण में सुधार लाने के लिए चयनात्मक ऋण देने की व्यवस्था है।

उचित शर्तों पर विदेशी सहायता की उपलब्धि और ऋण शोधन के व्यय भार की सीमा के अन्तर्गत, चालू वर्ष में पहले से ही अधिक ऋण लिये जा रहे हैं। फरवरी 1974 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (आयल सुविधा सहित) से 550 करोड़ रुपयें की सहायता लेकर विदेशी मुद्रा के साधनों को बढ़ा दिया गया है। लेकिन संभावना है कि पेट्रोलियम और अनाज के आयात पर होने वाले खर्च में जो वृद्धि होगी वह विदेशी ऋणों की वृद्धि से अधिक होगी। चालू वर्ष की आयात नीति में इस बात की व्यवस्था है कि ऐसी वस्तुओं का आयात किया जाये जिससे निर्यात बढ़े और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हो।

रुपये के मूल्य में वृद्धि

661. **श्री त्रिदिव चौधरी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि इस देश में बड़े बड़े तस्करों तथा तस्करी के विरुद्ध हाल में की गयी कार्यवाही से रुपये के खुले बाजार में चोरी से चल रही विनिमय की दरों अथवा विदेशों में ऐसे बाजारों में, विशेषकर सिंगापुर, हांगकांग, फारस की खाडी और मध्य तथा पूर्वी एशियाई केन्द्रों जहां चोरी छुपे यह व्यापार उन्नति कर रहे हैं क्षेत्रों में रुपये के मूल्य में वृद्धि हुई हैं; और

(ख) ऐसे व्यापारों को हतोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) इन केन्द्रों में से कुछेक में रुपये के तथाकथित गैर सरकारी भावों में सितम्बर महीने से मामूली गिरावट आने का पता चलता। सम्भव हैं कि यह सरकार द्वारा आन्तरिक सुरक्षा कानून अधिनियम के अन्तर्गत उठाये गये कदमों के परिणामस्वरूप तस्करी तथा अन्य गैर कानूनी कार्रवाइयों में होने वाली कमी का ही परिणाम हो।

(ख) सरकार ऐंसी सभी कार्रवाइयों के खिलाफ बराबर कड़े कदम उठाती रहेगी।

तस्करों की जमानत पर रिहाई

662. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंसुका के अधीन गिरफ्तार किये गये कुछ तस्करों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और उसके विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(ख) क्या चोटी के कुछ तस्करों में से कुछ तस्कर छिप गये हैं और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आंतरिक सुरक्षा अनरक्षण (संशोधन) अध्यायादेश, 1974 के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ने का प्रस्ताव नहीं किया गया है या उन्हें जमानत पर नहीं छोड़ा गया है ।

(ख) जहां तक ऐसे व्यक्तियों का संबंध है जो, अध्यादेश के अन्तर्गत नजरबंदी आदेश जारी होने के बाद, नजरबंद होने से बच निकले हैं, उनके बारे में उपयुक्त सरकार, आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 की धारा 7 के अन्तर्गत सम्पत्ति आदि के अभिग्रहण की कार्यवाही कर सकती है।

टी ट्रेडिंग कम्पनी का निर्माण

663. **श्री टुना उरांव :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टी ट्रेडिंग कम्पनी की स्थापना कब की गई थी और उसका चेयरमैन कौन है;

(ख) यह कैसे कार्य कर रही है; और

(ग) क्या सरकार अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा अधिक आयकर प्राप्त करने के लिए टी पेकिंग ट्रेड का राष्ट्रीयकरण करने की सोच रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) भारतीय चाय व्यापार निगम लि० दिसम्बर, 1971 में निगमित किया गया था । श्री वी० वी० पारिख निदेशक मंडल के अध्यक्ष हैं ।

(ख) निगम ने 1973-74 में ही व्यापारिक कार्यकलापों की शुरुआत की है । इस वर्ष निगम लगभग 3.46 लाख रु० की हानि उठाई है ।

(ग) जी नहीं ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के भवन का बांकुरा (पश्चिम बंगाल) में निर्माण

664. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल में बांकुरा टाउन में एक व्यक्ति के साथ करार किया है और स्टेट बैंक आफ इण्डिया को किराये पर देने हेतु बांकुरा नगर में एक भवन का निर्माण करने के लिए उसे अग्रिम धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि उस विशेष भूखण्ड पर, जिस पर भवन का निर्माण किया जा रहा है, सरकार का स्वामित्व है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस करार को पूरा करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उसने अपनी बांकुरा शाखा के लिए एक इमारत के निर्माण के लिए बांकुरा शहर के एक स्थानीय व्यक्ति को ठेका दिया है और इस प्रयोजन के लिए उसे 2 लाख रुपये का ऋण देना भी मंजूर कर लिया है । ऋण निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा :—

(1) आरंभ में यह पार्टी यह इमारत बैंक को इसके कब्जा दिये जाने की तिथि से 10 वर्ष के लिए पट्टे पर देगी । बैंक को आगे के लिए यह विकल्प भी प्राप्त होगा कि वह इस पट्टे को अवधि का, उन्हीं शर्तों पर लगातार दो बार पांच पांच वर्ष के लिए नवीकरण करा सकता है;

(2) बैंक ग्राउन्ड फ्लोर (निचले खण्ड) के गलीचे क्षेत्र (कारपेट एरिया) के प्रत्येक वर्ग फुट के पचास पैसे, और पहली मंजिल के गलीचा क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग फुट का चालीस पैसे किराया देगा;

(3) मकान मालिक की इमारत के ग्राउन्ड फ्लोर के निर्माण के लिए दी गयी दो लाख रुपये के ऋण की रकम, उसकी भू-सम्पत्ति और मकान की साम्य-बन्धक के रूप में गिरवी रखकर सुरक्षित की जायेगी और

(4) ऋण की रकम की वापसी अदायगी पट्टे की प्रथम 10 वर्षों की अवधि के भीतर स्टेट बैंक आफ इण्डिया के ऋणों पर देय ब्याज दर से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत अधिक की ब्याज दर पर, मासिक किस्तों में वसूल की जायेगी और यह वसूली इमारत के कब्जा लेने के पश्चात देय इमारत के मासिक किराए से की जाएगी ।

(ग) और (घ) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि मकान मालिक के साथ करार करने से पूर्व उसके सम्पत्ति विषयक हक की बैंक के न्यायभिकर्ता (सालीसीटरों) द्वारा जांच कर ली गयी थी और वे उस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि मकान मालिक को उस जमीन का बिक्री का अधिकार प्राप्त है और विचाराधीन सम्पत्ति ऋणग्रस्त नहीं है ।

अधिकारियों तथा तस्करों के बीच संबंधों का पता लगाने की हिदायतें

665. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्पादन तथा सीमाशुल्क एवं प्रवर्तन के क्षेत्रीय आयुक्तों को वह पता लगाने के लिये अपने कर्मचारियों की पूरी तरह जांच-पड़ताल करने के लिये हिदायतें जारी की हैं कि क्या किसी अधिकारी तथा राजनीतिज्ञ का तस्करों के साथ कोई संबंध है ।

(ख) क्या ऐसे अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों की कोई सूची केन्द्रीय सरकार को भजी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने, सभी सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं और उनके अधीनस्थ अन्य विभागाध्यक्षों को यह हिदायतें जारी की हैं कि वे तस्करी विरोधी तथा अन्य संबंधी कार्यों के लिए तैनात सभी स्तरों के अधिकारियों की जांच करें और जिन अधिकारियों की कर्तव्यनिष्ठा संदेहास्पद हों अथवा जिनमें पहल करने और अभियान चलाने की क्षमता का अभाव हो, उन्हें सभी नाजुक स्थलों से स्थानांतरित कर दें। उनको (क) ऐसे अधिकारियों, जिन अधिकारियों की तस्करी में अंतग्रस्त व्यक्तियों से मिलीभगत बतायी गयी हो, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक नियमावली के अधीन तथा जहां संभव हो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन विभागीय कार्यवाही करके और (ख) अनिर्णित पड़े सतर्कता संबंधी मामलों के निपटान की गति को तेज करके प्रशासन को सुदृढ़ बनाने की सलाह दी गयी है।

उपर्युक्त कुछ मामलों के संबंध में कार्यवाही जो विभागाध्यक्षों के अधिकार-क्षेत्र में है, की जा रही है और जबकि कुछ अन्य मामलों में यह कार्यवाही सरकार द्वारा की जानी है। कुछ विभागाध्यक्षों से रिपोर्टें मिल चुकी हैं और अन्य अभी आनी हैं। जो रिपोर्टें मिल चुकी हैं उनकी परीक्षा की जा रही है।

राजनीतिज्ञों के ही संबंध में कोई अनुदेश अलग से जारी नहीं किये गये हैं। तस्करी और इसमें अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों पर समय-समय पर और अभी हाल में जारी किये गये सामान्य अनुदेश प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं, चाहे वह राजनीतिज्ञ हो अथवा नहीं।

आयात/निर्यात लाइसेंसों का दिया जाना

666. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में ऐसी फर्मों की कुल कितने आयात और निर्यात लाइसेंस दिये गये जिनहें अवैध तथा काली सूची में शामिल पाया गया है; और

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं और दिये गये लाइसेंस की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सभी आयात तथा निर्यात लाइसेंसों का विवरण वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज, इम्पोर्ट लाइसेंसिज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज़ में प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाती है। इसी प्रकार जहां आयात तथा निर्यात लाइसेंस अस्वीकार करके कार्यवाही की गई है अथवा आयात तथा निर्यात लाइसेंसों का जारी किया जाना निलम्बित किया गया है, ऐसी फर्मों के नाम भी वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज, इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोट लाइसेंसिज में प्रकाशित किये जाते हैं।

मैसूर के स्वर्गीय महाराजा की व्यक्तिगत सम्पत्ति का मूल्यांकन

667. **श्री एम० कतामुतु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के स्वर्गीय महाराजा, की व्यक्तिगत सम्पत्ति की, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी, कोई सूची तैयार की गई है;

(ख) क्या धन-कर वसूल करने के लिये किसी दावे को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका मूल्य क्या है ?

(क) स्पष्टतः, माननीय सदस्य का संकेत मैसूर के स्वर्गीय महाराजा की सम्पदा के वास्तविक मूल्य का, सम्पदा शुल्क अधिनियम के अधीन शुल्क-निर्धारण की ओर है । मैसूर के स्वर्गीय महाराजा की मृत्यु हाल ही में हुई है और जिन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में सम्पदा-शुल्क देय है उन सब का सम्पदा शुल्क के निमित्त हिसाब देने के लिए जबाबदार व्यक्तियों को सम्पदा शुल्क अधिनियम के अधीन दी गई छः महीने की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है ।

(ख) मैसूर के स्वर्गीय महाराजा के कर-निर्धारण वर्ष 1966-67 तक के सभी कर-निर्धारणों को, जिनमें कर-निर्धारण वर्ष 1966-67 भी शामिल है, अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।

(ग) कर-निर्धारण वर्ष, 1964-65 से 1966-67 तक के जो तीन अन्तिम करनिर्धारण पूरे किये गये हैं, उनके धन-कर निर्धारणों के सम्बन्ध में संग्रहीत रकम 4.02 लाख रुपये है ।

Mills preparing cheap variety of Cloth

668. **Shri Nathuram Ahirwar :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of the textile mills in the country which have manufactured cheap varieties of cloth from the 1st January, 1974 to the 30th September 1974 in accordance with the directions of Government;

(b) the particulars regarding the cheap varieties of cloth manufactured by each of these textile mills during the said period; and

(c) the quantity of cheap cloth supplied to the rural and the urban areas, respectively during the said period and the agencies through which this cloth is distributed in each State?

The Deputy Minster in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a)&(b) Mill-wise and varietywise figures of production of controlled clotht (the reference, to cheap variety of cloth in the question is perhaps, to controlled cloth) during 1st January 1974 to 30th September, 1974 are being compiled and will be laid on the Table of the House.

(c) Between January to September, 1974, 2,98,192 standard bales (of approximately 1,500 square metres each) of controlled cloth were released by the Textile Commissioner to different States and Union Territories for sale through the following channels prescribed under the statutory orders issued under the Cotton Textiles (Control) Order, 1948;

(i) (a) Mills' own retail shops; and (b) Mills authorised retail shops in places where the mill has no retail shop of its own, in semi-urban/semi-rural areas;

(ii) Super Bazars in the co-operative sector;

(iii) National Co-operative Consumers' Federation and the chain of co-operative institutions affiliated to them;

(iv) Fair price shops run under the aegis of the State Governments; and

(v) Any other agency in the co-operative sector specified by the State Government concerned.

It is not possible to state the amount of controlled cloth supplied to rural and urban areas separately.

गबन, धोखाधड़ी और दुर्विनियोग आदि के कारण बैंकों को हानि

669. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री लालजी भाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बैंकों को गत तीन वर्षों में गबन, धोखाधड़ी और दुर्विनियोग आदि के कारण हुई धनराशि की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक उसमें से कितनी धनराशि वसूल कर ली गई है;

(ग) भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या उक्त प्रकार की घटनाएं अधिकारियों की जानकारी में लाने पर कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन और पारितोषिक दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो कर्मचारियों ने कितने मामलों में इस प्रकार किया और उन्हें उपयुक्त पारितोषिक दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती शुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र की गयी सूचना के अनुसार, 1971, 1972 और 1973 वर्षों में सभी प्रकार की धोखाधड़ियों की, जिनमें प्रत्येक मामले में 10,000 रुपये और उससे अधिक रकम के गबन और दुर्विनियोग के मामले भी शामिल हैं, कुल मिला कर 426 घटनाएं हुईं । इन घटनाओं में लगभग 528 लाख रुपये की रकम अन्तर्ग्रस्त थी । चूंकि गबन की गयी रकम की वसूली एक लम्बी प्रक्रिया है जिसके विस्तृत जांच-पड़ताल, विभागीय और पुलिस संबंधी जांच-पड़ताल, न्यायालयों आदि में अभियोग चलाना आदि शामिल है, अतः रुपये की वसूली काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद ही हो पाती है । इसलिये जब तक सभी तरीके आज़मा न लिये जायें तब तक यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि बैंक की सारी अन्तर्ग्रस्त रकम पूरी तरह डूब गयी है । अतः इन धोखाधड़ियों के संबंध में वसूल की गयी वास्तविक रकम के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है । तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो सूचना उपलब्ध है उससे पता चलता है कि इन मामलों के संबंध में अब तक 40 लाख रुपये की रकम वसूल की जा चुकी है ।

(ग) जहां तक इन धोखाधड़ियों को रोकने के उपाय करने का संबंध है, उसके बारे में लोक सभा के 30 अगस्त, 1974/भाद्र 8, 1896 (शक) के अतारांकित प्रश्न संख्या 4043 के भाग (ग) के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(घ) और (ङ) धोखाधड़ियों की रोकथाम और बैंकों के हितों की देखभाल बैंक के सभी कर्मचारियों का कर्तव्य है, अतः प्रबन्धक गण सामान्यतः अपने किसी कर्मचारी को अपना कर्तव्य निभाने के सिलसिले में किसी प्रकार का कोई विशिष्ट इनाम नहीं देते हैं ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का भुगतान

670. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी संगठनों ने कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की किश्तों की अदायगी में हुए असाधारण विलम्ब और अनिवार्य जमा योजना में 50 प्रतिशत की कटौती का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार अप्रैल, 1974 के पश्चात कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की देय हुई किश्तों की स्वीकृति में विलम्व होने के विरुद्ध अभिवेदन किए गए हैं । कुछ कर्मचारी संगठनों ने भी अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की 50 प्रतिशत अनिवार्य जमा का विरोध किया है ।

(ख) महंगाई भत्ते की जो किश्तें देय हो चुकी हैं, उनको देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की 50 प्रतिशत अनिवार्य जमा के संबंध में, सरकार का इस मुद्रा स्फीति विरोधी उपाय को वापिस लेने का विचार नहीं है ।

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

671. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर बिहार के कुछ सीमावर्ती नगर जैसे मोतिहारी, रक्सौल, बेत्तिहा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुवनी, भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी कार्यों के लिये केन्द्र बने हुए हैं;

(ख) क्या उक्त नगरों में गत दो मास के दौरान कोई छापा मारा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले, और 'आंसुका' के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम तथा उनकी संख्या क्या है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) उत्तर बिहार के ये नगर भारत-नेपाल तस्कर-व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ।

(ख) और (ग) पिछले दो महीनों में इन नगरों में 13 छापे मारे गये । इन छापों में 2810 रु० मूल्य की घड़ियां, 1300 रु० मूल्य का स्टेनलेस स्टील और वस्त्र तथा 1,30,000 रु० मूल्य के सोने के आभूषण पकड़े गये । इस संबंध में आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 द्वारा यथा संशोधित आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत श्री जगरनाथ प्रसाद नामक व्यक्ति को नजरबन्द किया गया है ।

भारतीय व्यापार संतुलन को धक्का लगना

672. **श्री वनमाली पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को व्यापार संतुलन की स्थिति को ग्रोर धक्का लगा है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसके उत्तरदायी कारण क्या हैं; ग्रौर

(ग) उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां । प्रतिकूल व्यापार संतुलन ग्रप्रैल-ग्रगस्त, 1973 के दौरान 57 करोड़ रुपये से बढ़कर ग्रप्रैल-ग्रगस्त, 1974 में 142 करोड़ रुपये हो गया है ।

(ख) ग्रसंतुलन में वृद्धि के लिए उतरदायी मुख्य बातें थीं : ग्रधिकांश ग्रायातों की ग्रन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि तथा ग्रधिक ग्रायात ग्रावश्यकताएं ।

(ग) स्थिति को ठीक करने के लिए उठाये जा रहे मुख्य कदम हैं : ग्रधिकतम सम्भव सीमा तक देश से निर्यातों का विस्तार तथा ग्रायात प्रतिस्थापन में ग्रधिक से ग्रधिक वृद्धि करने के साथ-साथ ग्रायातों को ग्रावश्यक वस्तुग्रों तक प्रतिबन्धित करना ।

हिमाचल प्रदेश में गोविन्द सागर झील के लिए मोटर चालित नौकाएं

673. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले में गोविन्द सागर झील के लिए दो मोटर चालित नौकाएं चालू करने की दिशा में ग्रब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मोटर चालित नौकाग्रों (लौंचेज़) के ढांचों (हल) के पूर्व–निर्मित ग्रंश मार्च, 1974 में गोबिन्द सागर स्थल पर पहुंच चुके हैं ग्रौर पुर्जे जोड़ने का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होने की ग्राशा है ।

मृतक सीमा-शुल्क ग्रधिकारियों के परिवारों को वित्तीय सहायता

674. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करों द्वारा जून 1974 में गुजरात में बापी-दामन सीमा के निकट मारे गये सीमा शुल्क ग्रधिकारियों के परिवार को सरकार द्वारा ग्रभी तक वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी गई है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो मृतक ग्रधिकारी के परिवार को ग्रनुग्रहपूर्वक ग्रनुदान तथा देय उपलब्ध कराने में ग्रसाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । वित्तीय सहायता की 30,000 रु० की एक बड़ी रकम विधवा को पहले ही ग्रदा की जा चुकी है । यह रकम, परिवार-पेन्शन तथा उपदान की उस रकम के ग्रतिरिक्त है जिसके लिये विधवा नियमों के ग्रधीन हकदार है । मृत व्यक्ति के परिवार को देय ग्रन्य ग्रदायगियों ग्रर्थात पेन्शन, सामान्य भविष्य निधि ग्रादि को चुकता करने से संबंधित प्रश्न के बारे में महालेखा परीक्षक, गुजरात से परामर्श करके ग्रन्तिम रूप से

निर्णय किया ही जाने वाला है और आशा है इसे बहुत शीघ्र तय कर लिया जायेगा। इसके अलावा स्व० श्री० पारेक के पुत्र को अनुकम्पा के आधार पर 1-8-74 से 425-800 रु० के वेतन मान में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक नियुक्त किया गया है ।

Bailable Warrant issued in case of Sukar Narain Bakhia

675. **Shri K.M. Madhukar :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether a balable warrant was issued against Shri Sukar Narain Bakhia, a notorious smuggler of Bombay, who was arrested in September last; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) & (b) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

तस्करों की जमानत

676. **श्री डी० के० पंडा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आंसुका" (मिसा) के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये तथा नजरबन्द किये गये कुछ तस्करों को पहले भी गिरफ्तार किया गया था तथा वे जमानत पर छुटे हुये थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां। उन्हें न्यायालयों ने जमानत पर रिहा कर दिया ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

नेपाल में स्थापित किये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये वित्तीय सहायता

677. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में नेपालगंज में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना को भारत सरकार भी कोई वित्तीय सहायता दे रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्पादन शुल्क का अपवंचन

678. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में विभिन्न उद्योगों द्वारा उत्पाद शुल्क के अपवंचन की प्रतिशतता की औसत के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ख) इस अपवंचन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) विभिन्न उद्योगों द्वारा पूरे देश में या विशेषकर कुछ राज्यों में किये जा रहे उत्पादनशुल्क की कुल उगाही के अपवंचन के औसत प्रतिशत अनुपात के बारे में अध्ययन कराना संभव नहीं हो सका है। केन्द्रीय उत्पादनशुल्क (स्व-निकासी कार्यविधि) समीक्षा समिति ने भी, जिसने उत्पादनशुल्क के अपवंचन के प्रश्न पर विशेष रूप से विचार किया था, बताया है कि यद्यपि काफी अधिक अपवंचन होने के प्रमाण हैं किन्तु समिति अपवंचन की मात्रा बताने में असमर्थ है और उसका अनुमान लगाने की अनिच्छुक है ?

(ख) इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर इस समय विचार किया जा रहा है ; इस बीच उत्पादन पर नियंत्रण को मजबूत बनाने और पर्याप्त गुप्त सूचना तथा निवारक उपाय अपनाने के लिए उपयुक्त आदेश जारी कर दिये गये हैं।

वर्ष 1970 में भारत से चांदी की तस्करी करने के अपराध में हाजी मस्तान के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

679. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से चांदी की तस्करी करने के प्रयास के अपराध में हाजी मस्तान के विरुद् वर्ष 1970 में बम्बई न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके विरुद् पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण चालान वापस ले लिया गया था; और

(ख) क्या राजस्व आसूचना विभाग ने एक वरिष्ठ अधिकारी को जिसने मस्तान के विरुद् मुकदमा दर्ज कराया था, इसके तुरन्त बाद एक छोटी कलक्टरी में स्थानांन्तरित कर दिया गया था ?

वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) लगभग 14,72,141.50 रु० मूल्य की 4170 किलोग्राम अनुमानित वजन की चांदी की 135 सिलियों के तस्कर निर्यात का प्रयत्न करने के संबंध में श्री हाजी मस्तान मिर्जा तथा दस अन्य व्यक्तियों के विरुद् 1-7-70 को चीफ प्रेज़िडेन्सी मजिस्ट्रेट, बम्बई के न्यायालय में एक आपराधिक षड्यंत्र की शिकायत दायर की गई थी। हाजी मस्तान के विरुद् साक्ष्य नहीं मिलने के कारण उसे उक्त न्यायालय द्वारा 11-10-72 को रिहा कर दिया गया था।

(ख) 1970 के आरम्भ में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चालू की गई प्रारम्भिक जांच के बाद, जुलाई 1970 के अन्त में राजस्व गुप्तचर्या विभाग के एक वरिष्ठ कर्मचारी के स्थानान्तरण का आदेश जारी किया गया था। स्थानान्तरण के इस मामले का हाजी मस्तान मिर्जा के मामले की जांच-पड़ताल से कोई संबंध नहीं था और यह स्थानान्तरण दुराचरण एंवं प्रशासनिक चूक के आधार पर किया गया था। उक्त अधिकारी को एक बड़े सीमशुल्क गृह में स्थानान्तरित किया गया था परन्तु उक्त अधिकारी ने लिखित रूप में यह अनुरोध किया था कि वह उक्त सीमाशुल्क गृह में स्थानान्तरित नहीं होना चाहता इसलिये स्थानान्तरण आदेश को बदल दिया गया था।

बंगला देश से पटसन मंगाना

680. **श्री रानेन सेन:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू वर्ष में अनुमानतः पटसन का कितना उत्पादन होगा और सरकार द्वारा इसका नया वसूली मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या मिलें तथा भारतीय पटसन निगम दोनों ही बाजार से पटसन नहीं खरीद रहे हैं; और

(ग) क्या बंगला देश से पटसन प्राप्त नहीं हुआ है जबकि कुछ पटसन थाइलैण्ड से खरीदने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) देश में 1974-75 में पटसन तथा मेस्टा की लगभग 45.50 लाख गांठों का उत्पादन होने का अनुमान है। सरकार द्वारा 1974-75 मौसम के लिए कोई वसूली कीमत तय नहीं गई की है किन्तु देहाती केन्द्रो में आसाम बाटम आधार पर 125 रु० प्रति क्विंटल की एकसम न्यूनतम सांविधिक कीमत निर्धारित की गई है ।

(ख) मिलें तथा भारतीय पटसन निगम बाजार से पटसन खरीद रहे हैं ।

(ग) हालांकि सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान करार के अन्तर्गत बंगलादेश से कच्चा पटसन आयात किया जा रहा है किन्तु इस समय थाइलैण्ड से कच्चा पटसन आयात किये जाने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

एवरो विमानों के संबंध में धवन समिति के निष्कर्ष

682. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बनाये जा रहे एवरो विमानों की उड़ान क्षमता की जांच के बारे में धवन समिति ने इस बीच अपनी जाँच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक एवरो विमानों के प्रयोग को स्थगित कर दिया गया है और यदि हाँ, तो क्या समिति से शीघ्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिये अनुरोध किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ?

(ग) जी, नहीं । समिति अपनी रिपोर्ट को यथासंभव शीघ्रतम अंतिम रूप प्रदान करने का भरसक प्रयत्न कर रही है ।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उत्तर प्रदेश बिहार और मध्य प्रदेश में औद्योगिक कारखानों को दी गई वित्तीय सहायता

683. **श्री राजदेव सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने वर्ष 1973 के अन्त तक राजस्थान के 13 कारखानों को 17.82 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी थी; और

(ख) यदि हां तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के औद्योगिक कारखानों को कितनी सहायता दी है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में अवस्थित परियोजनाओं के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 31 दिसम्बर, 1973 तक संस्वीकृत कुल वित्तीय सहायता नीचे लिखे अनुसार दी :—

करोड़ रुपये में

राज्य	संस्वीकृत वित्तीय सहायता (31-12-1973 को)	
	परियोजनाओं की संख्या	राशि
1	2	3
1. राजस्थान	14	17.42
2. उत्तर प्रदेश	58	42.29
3. बिहार	30	24.65
4. मध्यप्रदेश	17	10.85

हथकरघा उद्योग के बारे में शिवरामन समिति की रिपोर्ट

684. **श्री एस० एन० मिश्र :**
श्री घामनकर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा उद्योग के बारे में शिवरामन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है और उन्हें लागू कर दिया है;

(ख) वे कौन-कौन सी सिफारिशें हैं जिन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) सिफारिशों के सम्बन्ध में शीघ्र विनिश्चय करने के लिए 31-10-1974 को अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय अन्तः मंत्रालय समिति स्थापित की गई है । इस समिति ने कार्य करना शुरू भी कर दिया है ।

Introduction of Air Service to Pakistan

685. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government of India propose to introduce air service to Pakistan; and

(b) if so, the outlines thereof and the expenditure to be incurred on this account and also the benefits thereof?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) In pursuance of the Joint Communique signed with Pakistan on September 14, 1974, an Indian delegation is shortly leaving for Pakistan to discuss the 1971 case arising out of the hijacking and destruction of an Indian Airlines plane and the question of resumption of air links including overflights as envisaged in the Simla Agreement. Further developments will depend upon the outcome of these talks.

Trade Agreement with Other Countries

686. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state

(a) the names of the countries with which India has concluded trade agreements during the period from 1st January, 1974 to 31st October, 1974; and

(b) the names of items India will export to and import from each of those countrie under these agreements ?

The Deputy Ministsr in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh (a) During the period from 1st January, 1974 to 31st October, 1974 trade agreements exchange of letters have been concluded/signed/renewed/extended with Kuwait, Democratic People's Republic of Korea, Bulgaria, Iraq, Senegal, finland, France, Afghanistan, USA, Republic of Korea. Iran, Austria and Bangladesh.

(b) Complete copies of agreements containing the list of items of imports and ex - Rports with Democratic People's Repubiic of Korea, Bulgaria, Afghanistan Republic of Korea and Bangladesh are available in the Parliament library. The trade agreement with Iraq provides for the import of Dates, Sulphur and other items (excluding oil) from that country and export of Tea, and other items (excluding complete project reports) from India.

The agreement signed with Kuwait is a trade and economic agreement which seeks to consolidate and further economic and trade relations between the two countries.

The trade agreement with India and Senegal is yet pending approval of the Republic of Senegal and its provisions have not been made public.

The exchange of letters with the Government of Finland contemplates setting up of Joint Commission for promotion of Indo-Finish Trade and economic co-operation.

The trade Protocol with France is in the nature of steps for the promotion and diversification of Indo-French trade & economic co-operation.

The details of trade agreement with India and iran have not so far been made public.

The details of agreement between India and USA concerning cotton textiles are as follows :—

(i) The Agreement is valid for a period of 4 years commencing from October 1, 1973.

(ii) The quota of textiles for the first year (*i.e.* October 1973 September 1974) would be 152 million Syds. Within the aggregate limit the following group limits shall apply for the first agreement year :

Group I (Yarn & Fabrics) . . . . 119 million Syds.
Group II (Made up and garments) . . . . . 33 million Syds.

Within the Groups, in regard to certain categories, specific limits are applicable.

(iii) For the subsequent years of the Agreement the quota level would be increased by 7% of the preceding year's level

(iv) Handloom fabrics, hand made cottage industry products of handloom and 'India Items' (traditional Indian cottage industry products) would not be subject to above quota restrictions.

The salient features of agreement between India and Austria which will run for a period of 4 years from 1st January, 1974 are as below :—

(i) The total quota for the export of cotton textiles from India to Austria in the first year will be 728 tonnes as against 525 tonnes for October, 1972 September, 1973 under the last Agreement.

(ii) The growth rate would be 6 per cent as provided under the GATT International Arrangement on textiles.

(iii) Handloom will be outside the quota restrictions.

तेल संकट पर काबू पाने के लिये विदेशी सहायता

687. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल आयात की बढ़ती हुई लागत और उसके परिणामस्वरूप हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी संसाधनों पर पड़ने वाले भारी दबाव को कहां तक उचित सीमा के अन्दर रखा गया है;

(ख) इस संकट पर काबू पाने के लिए पेट्रोलियम निर्यातक दशों के संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों तथा अभिकरणों ने हमारी कितनी सहायता की है; और

(ग) हमारे विकास सम्बन्धो प्रयत्नों को कोई अघात पहुंचाये बिना इस निरन्तर तथा बिगड़ती हुई स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तेल तथा विदेशों से मंगायी जाने वाली अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाने से हमारे विदेशी मुद्रा सम्बन्धी संशाधनों पर भारी दबाव पड़ा है लेकिन, हमने अभी तक इन्हें अपने काबू से बाहर नहीं होने दिया है ।

(ख) कई प्रस्ताव और कार्यक्रम पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के विचाराधीन हैं । इस संबंध में जो एक बड़ा ठोस कदम उठाया गया है वह है तेल की सुविधाएं देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा एक विशेष निधि की स्थापना किया जाना जिससे हमने कुछ रकमें निकाली हैं ।

(ग) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) जहां तक संभव हो वहां तक पैट्रोलियम पदार्थों की अनावश्यक खपत पर प्रतिबंध लगाना ।

(ii) देश में कच्चे तेल का अधिक से अधिक उत्पादन करना ।

(iii) ईंधन के उपयोग में कार्यकुशलता को बढ़ाना तथा वैकल्पिक ईंधनों को अधिक मात्रा में उपलब्ध करना ।

(iv) अधिशेष पेट्रोलियम, तेल और लुब्रीकेन्ट पदार्थों सहित अन्य चीजों का निर्यात अधिक से अधिक बढ़ा कर निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि करना ।

(v) कुछ कच्चा तेल इराक और ईरान से ऋण के आधार पर मंगाने की व्यवस्था करना ।

बकों में धोखाधड़ी

688. **श्री वरके जार्ज :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों में चोरी और डकैती के मामलों की संख्या धोखाधड़ी के मामलों से बहुत कम है;

(ख) क्या बैंक में धोखाधड़ी के मामलों में खोयी गयी राशि में से मुश्किल से 10 प्रतिशत राशि शीघ्र ही वसूल की जा सकती है जबकि अन्य मामलों में इस राशि की वसूली बहुत अच्छी है, और

(ग) खोई गई राशि की शीघ्र वसूली की व्यवस्था करते हुए बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) धोखाधड़ी, चोरी, लटमार और डकैतियों में अन्तर्ग्रस्त रुपये की वसूली विभिन्न बैंकों, पुलिस अधिकारियों आदि द्वारा तुरन्त अस्थाई परिस्थितियों पर निर्भर होती है। यद्यपि धोखाधड़ी और चोरी/लूटमार/डकैती ग्रस्त रकम की वसूली की प्रतिशतता की तुलना द्वारा किसी सार्थक निष्कर्ष पर पहुंच पाना कठिन है, तथापि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि धोखाधड़ी में गंवाए रुपये की वसूली की स्थिति लूटमार, डकती और चोरी में गए रुपयों की वसूली जितनी अच्छी नहीं है।

(ग) बैंक की धोखाधाड़यों में गंवाए गए धन की तत्परता से वसूली के लिये किये गए उपायों एवं व्यवस्था मात्र से ही बकों में धोखाधडी की घटनाओं की संख्या कम करने में सहायता नहीं मिलेगी। धोखाधड़ी की सम्भावनाओं को कम करने के लिये किये गए उपायों का उल्लेख 30 अगस्त, 1974/8 भाद्र, 1896 (शक) के अतारांकित प्रश्न संख्या 4043 के भाग (ग) के उत्तर में किया गया है।

जैसे ही किसी धोखाधड़ी का पता चलता है, वाणिज्यिक बैंक धोखाधड़ी में गए धन की तत्परता से वसूली करने के लिये अनेक कदम उठाते हैं। इनमें सम्बद्ध पार्टियों की जमा रकमों/खातों को फ्रीज करना, अतिरिक्त बन्धक/दृष्टिबन्धन प्राप्त करना, जमा रकमों और खातों को जब्त करना, बीमा कम्पनियों को दावे प्रस्तुत करना, दीवानी मुकदमे चलाना, सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध फौजदारी शिकायतें करना आदि शामिल हैं।

दक्षिण कोरिया व्यापार बल को यात्रा

689. **श्री बनमाली बाबू :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में दक्षिण कोरिया के व्यापार दल ने भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) कोरिया गणराज्य का एक आर्थिक मिशन 26 अक्तूबर से 3 नवम्बर 1974 तक भारत की यात्रा पर आया था। यह मिशन व्यापार सम्बन्धी वार्ताओं के लिए नहीं आया था। इसका उद्देश्य, भारत तथा कोरिया गणराज्य

के बीच विद्यमान व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए मौके पर वस्तु स्थिति का अध्ययन करना था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मिशन ने सरकार के और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के व्यावसायों तथा उद्योगों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और कुछ औद्योगिक एककों का दौरा किया।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में चर्चित विषय

690. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सितम्बर 1974 की बैठक में सम्मिलत हुए थे;

(ख) क्या उस बैठक में विकासशील देशों द्वारा तेल एवं उर्वरक के ऊंचे मूल्यों के संबंध में अनुभव की जा रही कठिनाइयों पर चर्चा हुई थी ;

(ग) क्या इन वित्तीय संस्थानों से धन लेने के लिए ब्याज की दर को घटाने के लिए भारत ने कोई सुझाव दिया था; और

(घ) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उस पर क्या प्रतिक्रिया है।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) (क) से (ग) मेरे पूर्ववर्ती सितम्बर, अक्टूबर, 1974 में हुई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने अपने वक्तव्य में संसार में तेल, रासायनिक खाद, अनाज और कच्चे माल की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण विकासशील देशों म उत्पन्न हुई समस्याओं और इनकी वजह से शोधन शेष के ढांचे में हुए अभूतपूर्व परिवर्तन का जिक्र किया था। उन्होंने विश्व के पूंजी बाजार में ब्याज की ऊंची दरें बने रहने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की थी जिससे ऋण की लागत बढ़ जाती है और इससे विश्व बैंक जैसी विकास एजेंसियों को धन प्राप्त करने की ऊंची लागत के अनुरूप ऋणों की दरें बढ़ानी पड़ती है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तेल सम्बन्धी सुविधाओं की ऊंची लागत के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की थी जिसे बहुत-से देश अन्तिम उपाय के रूप में इस्तेमाल करने के सिवाय बड़ी मुश्किल से ही काम में ले सकते हैं।

(घ) इन बातों पर अन्य मंत्रियों ने भी जोर दिया था और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भी इन को नोट किया था।

उड़ीसा द्वारा भिन्न-भिन्न काउन्टों के धागे की मांग

692. **श्री अनादि चरण दास** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उड़ीसा की विभिन्न काउन्टों के धागों की मांग थी ;

(ख) यदि हां, तो कुल मांग कितनी थी;

(ग) पिछले दो वर्षों में उस मांग को कितनी हद तक पूरा किया गया;

(घ) क्या पिछले एक वर्ष में उड़ीसा के बहुत-से छोटे बुनकरों तथा फैक्ट्रियों को अपेक्षित मात्रा में माल नहीं प्राप्त हुआ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (च) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा के जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अधिमान्य ब्याज दरों पर दी गयी राशियां

693. श्री अनादि चरण दास:
श्री पी० गंगादेव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के जिलों से अधिमान्य ब्याज दरों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों को अदायगी के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) कुल कितना धन मंजूर किया गया और उड़ीसा के विभिन्न जिलों के कितने छोटे उद्योगों एवं बेरोजगारों को लाभ हुआ है ; और

(ग) कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और उनके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) माननीय सदस्य सम्भवत: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उड़ीसा राज्य के प्रत्येक जिले में विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन दिए गए अग्रिमों का उल्लेख कर रहे हैं। इस विषय में उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं।

(ख) और (ग) विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन दिए गए ऋणों के विषयक आंकड़ों संकलन की वर्तमान प्रणाली में ऋणों का क्षेत्रवार ब्यौरा और विचाराधीन आवेदनों की संख्या के आकलन की व्यवस्था नहीं है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में दिए गए अग्रिम —दिसम्बर, 1973 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति।

(लाख रुपयों में)

जिले का नाम	खातों की संख्या	बकाया राशि
1. पुरी	—	—
2. गंजम	236	0.59
3. बौधकोंडमल्स	127	0.40
4. कोरापुट	504	1.23
5. कलाहांडी	284	0.29
6. कटक	143	0.36
7. बालासौर	574	1.40
8. मयूरभंज	621	0.84
9. कियोझार	122	0.23
10. घेनकनाल	120	0.22
11. सुन्दरगढ़	—	—
12. संभलपुर	—	—
13. बोलनगीर	124	0.46
जोड़	2855	6.02

उद्योगों द्वारा करों की चोरी

694. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से देश भर में उद्योगों द्वारा करों की चोरी की व्यापक जांच करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) उद्योगों द्वारा कर-अपवंचन की छानबीन और उसको रोकने के उपाय देश भर में किये जा रहे हैं । जिन कारखानों में उत्पादन-शुल्क लगने योग्य माल बनता है और जिन के बारे में कर-अपवंचन का संदेह है उनके मामले में अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन संबंधी और रोकथाम संबंधी नियंत्रण बढ़ा देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । जब और जहां आवश्यकता होती है, राज्य सरकार के कर्मचारियों की सहायता भी ली जाती है ।

राज्य व्यापार तथा खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा कच्चे माल की सप्लाई

695. **श्री गजाधर माझी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे माल के आयात के लिए अधिकार-पत्र जारी करने संबंधी अपनी नीति पर पुनर्विचार किया है :

(ख) क्या ऐसी कुछ आलोचना हो रही है कि राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम सारणीबद्ध कच्चा माल समय पर उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है जिसके कारण विशेष रूप से निर्यात क्षेत्र में उत्पादन कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार की नीति की मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अक्तूबर 1973 में तेल संकट और मुद्रा स्फीति की प्रवृत्तियों के कारण, कतिपय कच्चे माल के संबंध में विश्व बाजारों में अभाव पैदा हो गया । इससे कतिपय माल की सप्लाई न होने अथवा उसमें विलम्ब के बारे में कुछ आलोचना हुई । यह स्थिति अब काफी सुधर गई है ।

(ग) मार्गीकृत मदों के संबंध में प्राधिकार पत्र जारी करने के मामले में सरकार की नीति के अनुसार, प्राधिकार पत्र इस प्रकार जारी किये जाते हैं :—

(1) पंजीकृत निर्यातकों (कुछेक मार्गीकृत मदों के मामले को छोड़ कर अथवा उनके नामित व्यक्तियों को, जहां ये मदें संबंधित निर्यात उत्पादों के आधार पर शापिंग सूची में शामिल होती हैं ;

(2) जब किसी मद को नया-नया मार्गीकरण किया जाता है तब छः महीने की अवधि के लिये सभी वास्तविक प्रयोक्ताओं को, ताकि मार्गीकरण करने वाली एजेंसी नई-नई मार्गीकृत मदों को आयात के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कर सकें; और

(3) ऐसे मामलों में, जहां मार्गीकरण एजेंसी आयात किए जाने वाले कच्चे माल की कम मात्रा तथा विविध विशिष्टियों आदि जैसे कारणों की वजह से 'निरापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करती है।

राज्यों के लिये राष्ट्रीय बैंकिंग सेवा आयोग की स्थापना

696. **श्री वेकारिया** : क्या **वित्त मंत्री** राष्ट्रीयकृत बैंको में भर्ती नियमों के बारे में 5 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5815 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया भी सरकार द्वारा प्रस्तावित बैंकिंग सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में आयेंगे; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) प्रस्तावित बैंकिंग सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र को स्टेट बैंक आफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों सहित सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों तक बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक को प्रस्तावित आयोग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि रिजर्व बैंक का देश की केन्द्रीय बैंकिंग संस्था के रूप में योगदान और कार्य दूसरे वाणिज्यिक बैंकों से पृथक और भिन्न है।

अमरीका से रुई का आयात

697. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अमरीका से रुई का आयात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित मीडियम स्टेपल की रुइयों के आयात की जरूरत पड़ सकती है जो मांग और पूर्ति के बीच अन्तराल और सूती वस्त्रों के निर्यात के प्रत्याशित परिमाण पर निर्भर होगी। हालांकि हमें जिस मीडियम स्टेपल रुई की जरूरत है उसे सं० रा० अमरीका सप्लाई कर सकता है फिर भी उसके सं० रा० अमरीका तथा / अथवा अन्य स्रोत से आयात किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

ताइवान के एक जहाज से तस्करी के माल का पकड़ा जाना

698. **श्री राम सहाय पांडे:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में बम्बई के समुद्र में ताइवान के जहाज "एम० एल० अप्लौचाउ" से 50 लाख रुपये से अधिक की कीमत का निषिद्ध माल पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गए माल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) हाल ही में बम्बई में एम० वी० एप्लीचाउ की तलाशी लेते समय 86 लाख रु० से अधिक मूल्य का निषद्ध माल पकड़ा गया जिसमें केसेट टेप रिकार्डर, कैलकुलेटर, कार स्टेरियो केसेट रिकार्डर, टेक्स्टाइल्स कलाई घड़ियां तथा लौंग शामिल हैं । उक्त जलयान के कप्तान और मुख्य अधिकारी को गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और बाद में प्रत्येक को 7 लाख रु० की जमानत पर रिहा किया गया । एम० वी० एप्लीचाऊ जलयान भी पकड़ लिया गया है । आगे जांच-पड़ताल जारी है ।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट

699. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री लुतफल हक :
श्री देवेन्द्र नाथ महाता:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1 अप्रैल, 1974 के बाद ओवर ड्राफ्ट करके रुपया निकलवाया है और ऐसे ओवर ड्राफ्टों संबंधी भिन्न-भिन्न आंकड़े क्या हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्यों के प्रति अपनाई जाने वाली नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1974 से केरल, कर्नाटक और बिहार को छोड़ कर किसी अन्य राज्य की रिजर्व बैंक से लगातार 7 दिन से ज्यादा का ओवर ड्राफ्ट नहीं रहा । इन राज्यों का लगातार ओवर ड्राफ्ट बने रहने के कारण मई, 1974 में इन राज्यों को की जाने वाली अदायगियां तब तक रोक देनी पड़ी जब तक उन्होंने केन्द्र की सहायता से ओवर ड्राफ्टों की रकम बेबाक नहीं कर दी । केरल के मामले में ये अदायगियां तीन दिनों तक और कर्नाटक के मामले में एक दिन तक रोकनी पड़ी । जब अदायगियां रोकी गयी, उस उमय कर्नाटक का ओवर ड्राफ्ट 17.32 करोड़ रुपये का था और केरल का 15.08 करोड़ रुपये का । चालू वर्ष में बिहार राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में राज्य सरकार के साथ बातचीत चल रही है । 9 नवम्बर, 1974 को राज्य का ओवर ड्राफ्ट 16.34 करोड़ रुपये का था ।

(ग) भारतीय रिजर्व बक से ओवर ड्राफ्ट लेकर, उन रकमों को बजट संबंधी साधनों के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत न देने की चालू नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन की सम्भावना नहीं है।

Imported cars

700. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) the total number of cars imported during the last three years;

(b) the number of such imported cars with the Central Ministries and the State Governments, separately; and

(c) the reasons for importing these cars in view of the present economic crisis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) A statement showing the total number of the cars imported during the last three years is attached.

(b) and (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

STATEMENT

Statement showing imports of Passenger motor cars (other than buses or special vehicles) whether or not assembled during 1971-72 to 1973 74.

Year	Total No. of cars imported
1971-72	321
1972-73	51
1973-74	54

Figures are provisional and subject to revision.

Source :—Monthly Statistics of the Foreign Trade of India Vol. II Imports published by the Director General of Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta.

Note :—The above figures do not include information in respect of cars imported/brought as :—

1. Passenger baggage.
2. Goods sent by the Governments of Foreign Countries to their diplomatic personnel stationed in India. The various organisations of the United Nations also come under this category; statistics in respect of above categories are not recorded in the Monthly Statistics of Foreign Trade of India, Vol. II published by the Director General of Commercial Intelligence & Statistics, Calcutta, from which the above figures have been compiled. However, the number of custom clearance Permits issued for the Imports of Cars under category (1) above (Viz. passenger baggage) was 940, 888 and 720 respectively for the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74.

बैंकों के माध्यम से धनराशि भेजने के लिये भारतीयों को प्रोत्साहन

701. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को बैंकों के माध्यम से भारत में धनराशि भेजने के लिये प्रोत्साहन देने तक सरकारी दरों से अधिक लाभ देने संबंधी कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

बड़ी इलायची का निर्यात

702. **श्री वयालार रवि** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी इलायची की अंतर्राष्ट्रीय मंडी में भारत अपना प्रभुत्व खो बैठी है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और अपने निर्यात के संवर्द्धन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इद्दिकी बिजली परियोजना के निर्माण के लिए सहायता के बारे में केरल सरकार द्वारा किया गया अनुरोध

703. **श्री बयालार रवि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इद्दिकी बिजली परियोजना फेज III के निर्माण के लिए सहायता हेतु केरल सरकार के अनुरोध के बारे में जीवन बीमा निगम ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं. तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) केरल राज्य सरकार ने अगस्त, 1974 में, केरल के बढ़े हुए बिजली संबंधी कार्यक्रमों के लिये पांचवीं योजना की अवधि के दौरान वित्त-व्यवस्था करने के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम से निवेदन किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इद्दिकी विद्युत परियोजना फेज III का उल्लेख था । तब भारतीय जीवन बीमा निगम ने केरल सरकार के प्रतिनिधियों को सूचित किया था कि इन कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था करने के लिये कोई वायदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम की, विभिन्न विद्युत बोर्डों को ऋण देने के लिये नियत निधियों का आबंटन योजना आयोग द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जोधपुर में आयात लाइसेंस घोटाले का पता लगाया जाना

704. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जोधपुर में व्यक्तियों के दो ग्रुपों के स्थानों पर छापे मारने के उपरान्त आयात लाइसेंस घोटाले का पता लगाया है तथा उनके पक्ष में आयात लाइसेंस जारी करने के बारे में संदिग्ध दस्तावेज को जब्त किया है; और

(ख) यदि हो, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) निश्चित सूचना मिलने पर कि जोधपुर के व्यक्तियों के दो ग्रुपों ने धोखे से आयात लाइसेंस / रिलीज आदेश प्राप्त किए थे और माल बेचा था और इस प्रकार लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन किया था, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दो मामले दर्ज किए, इन ग्रुपों से सम्बन्धित 9 स्थानों की तलाशी ली गई और कुछ दस्तावेज कब्जे में लिए गए ।

(ख) इस मामले की अभी जाच चल रही है ।

गुजरात में तस्करों को नजरबन्द करने के लिए आदेश

705. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य ने कितने तस्करों के विरुद्ध नजरबन्दी आदेश जारी किए हैं तथा उनमे से कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों का अभी गिरफ्तार किया जाना है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे सभी व्यक्तियों की सम्पत्ति जब्त करने के लिए आदेश दिए हैं जिनको इस सम्बन्ध में अभी गिरफ्तार किया जाना है;

(घ) क्या गुजरात राज्य में कुछ बड़े व्यापारियों की इन तस्करों से सांठ-गांठ है और वे उनकी सहायता कर रहे हैं, और

(ङ) केन्द्रीय सरकार राज्य में तस्करों के गिरोह का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणवकुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) जी, नहीं । तथापि, राज्य सरकार, उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जो आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 की धारा 7 के अधीन गिरफ्तारी से बच निकले हों ऐसी कार्यवाही करने के लिए सक्षम हैं ।

(घ) सरकार के पास इस संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है ।

(ङ) इस दिशा में सरकार ने कई उपाय किये हैं । इनमें, गुप्त सूचना को अधिक तेजी से प्राप्त करना, तस्करी विरोधी कर्मचारियों की संख्या बढाना जब्त की गयी दो-नौकाओं का नियोजन और तीव्र गति से चलने वाली लांच-नौकाओं की खरीद, वेतार संचार जाल की व्यवस्था तथा-शस्त्र और गोला बारुद एवं अन्य साज-सामान की व्यवस्था करना भी शामिल है । आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971, का एक अध्यादेश द्वारा संशोधन भी उन गतिविधियों में लगे व्यक्तियों जो विदेशी मुद्रा के संरक्षण के प्रतिकूल हों और तस्करी में लगे व्यक्तियों अथवा तस्करी को अवप्रेरित करने वाले व्यक्तियों अथवा तस्करी के माल का व्यापार करने वाले व्यक्तियों के निवारक-निरोध की व्यवस्था करने के लिए किया गया है ।

गोआ द्वारा धागों की मांग

706. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या गोआ ने हाल ही में विभिन्न काऊण्टों के धागों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कुल मांग कितनी है और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस मांग को किस सीमा तक पूरा किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गोश्रा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ब्याज की अधिमान्य दरों के लिये की गई अदायगी

707. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोश्रा में राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा ब्याज की अधिमान्य दरों के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उन दरों की अदायगी की गई है; और

(ख) गोश्रा के विभिन्न जिलों में लघु उद्योगों तथा बेरोजगारों को कुल कितनी राशि दी गयी तथा प्राप्त-कर्त्ताश्रों की कुल संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) सम्भवतः माननीय सदस्य गोश्रा के प्रत्येक जिले में, विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों का उल्लेख कर रहे हैं। सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं।

(ख) विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत किये गये ऋणों का क्षेत्रवार ब्यौरा अभी बैंकों द्वारा तैयार नहीं रखा जाता है।

विवरण

संघ शासित क्षेत्र गोश्रा में विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋण (दिसम्बर, 1973 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति)

(लाख रुपयों में)

जिले का नाम	खातों की संख्या	बकाया रकम
1. गोश्रा	999	3.86
2. दमण	40	0.25
3. दीव	6	0.01
जोड़	1045	4.12

गया-गंगा टी एस्टेट को पुर्नरोपण के लिये अनुदान

708. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने गया-गंगा टी एस्टेट पुर्नरोपण के लिये दिये गये 6 लाख रुपये के राज सहायता-अनुदान के बारे में जांच करने के लिये एक उप-समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हो, तो इस सम्बन्ध में की गई आपत्तियों सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सितम्बर, 1974 में चाय बोर्ड की बैठक में इस मामले का स्थल पर अध्ययन करने के लिये तथ्य जांच उप-समिति स्थापित करने का विनिश्चय किया गया था।

(ख) सरकार की पूर्व स्वीकृति के विना समिति नियुक्ति करने को चाय बोर्ड की शक्तियों के संबंध में उपरोक्त समिति के एक सदस्य द्वारा संदेह प्रकट किया गया है। चाय बोर्ड अपने कानूनी सलाहकारों के परामर्श से इस पर विचार कर रहा है।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दरों में वृद्धि

709. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अपने रुपये के ऋणों के सम्बन्ध में वसूल की जाने वाली ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो 30 जुलाई, 1974 को या उसके बाद मंजूर किये गये सभी ऋणों पर लागू की गई संशोधित दरों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिए गये रुपया-ऋणों पर वसूल किये जाने वाले ब्याज की संशोधित दरें और संशोधन से पहले की दरें नीचे दी जा रही हैं:--

रुपया ऋण	ब्याज की संशोधित दरें		संशोधन-पूर्व ब्याज की दरें	
(1) सामान्य उधार दर	11.25% वार्षिक	एक प्रतिशत वार्षिक की छूट पर	9.5% वार्षिक	1/2 प्रतिशत वार्षिक की छूट पर
(2) अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में अब स्थित औद्योगिक परियोजनाओं को दिये गये रुपया ऋणों पर ब्याज दर	9.5% वार्षिक		8.0% वार्षिक	
(3) जूट उद्योग निर्यात्तोन्मुख सूती कपड़ा मिलों और होटल परियोजनाओं को उद्धार ऋण पर ब्याज दर (शुद्ध प्रभावी दर में एक प्रतिशत वार्षिक की दर से रियायत से होने वाले अन्तर को केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से पूरा किया जाता है)	11.25% वार्षिक	2 प्रतिशत वार्षिक की छूट पर	9.5% वार्षिक	1-1/2 प्रतिशत वार्षिक की छूट पर

नोट : मूलधन की किश्तों के भुगतान और ब्याज की अदायगी ठीक समय पर करने पर यह छूट दी जाती है।

ब्याज की संशोधित दरें 30 जुलाई, 1974 को अथवा उसके बाद संस्वीकृत सभी ऋणों और इस से पहले संस्वीकृत और उक्त तिथि अर्थात् 30-7-1974 तक निष्पादित न हुए ऋणों पर लागू की गयी हैं।

जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों के लिए आवास तथा परिवहन व्यवस्था

710. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में विशेषकर गुलमर्ग और पहलगाम जैसे स्थानों में, मध्यम श्रेणी के पर्यटकों के लिए वर्तमान आवास और परिवहन व्यवस्था बहुत खराब और अपर्याप्त है जहां कि इस समय दो लाख पर्यटक जाते हैं और जिनकी संख्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बढ़ कर पांच लाख हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या इसका कारण पर्यटन की दोषपूर्ण योजना है ;

(ग) गुलमर्ग में शीतकालीन खेल-कूद परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और ;

(घ) सरकार का विचार जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने वाले मध्यम श्रेणी के पर्यटकों के लिए वर्तमान आवास तथा परिवहन व्यवस्था में सुधार तथा वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क), (ख) और (घ) अपेक्षित सूचना जम्मू तथा कश्मीर सरकार से मंगाई गयी है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) गुलमर्ग हिमक्रीड़ा परियोजना के क्रियान्वयन में मुख्यत: इस प्रोजेक्ट के अपने प्रकार की पहली परियोजना होने, कार्य-योग्य मौसम के बड़ा छोटे होने, निधियों की कमी तथा होटल एवं हवाई यात्री रज्जु-मार्ग जैसे परियोजना के कुछ ऐसे संघटकों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण कुछ देरी हुई है, जिन्हें कि चौथी योजना में क्रियान्वयन के लिए प्रारंभ नहीं किया जा सका । इसीलिए उन्हें पांचवीं योजना में आगे ले जाया गया है ।

जमशेदपुर में हवाई अड्डे का निर्माण

711. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जमशेदपुर में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए योजना आयोग को पुनः मूल्यांकन प्रस्ताव भेजा है और यदि हां, तो इसके लिये चुने गये स्थल का ब्यौरा क्या है ;

(ख) निर्माण की अनुमानित लागत क्या है, और वास्तविक निर्माण कार्य आरम्भ करने की तथा कार्य पूरा होने की सम्भावित तिथियां क्या हैं ; और

(ग) क्या हवाई अड्डे पर एयर इण्डिया के जेट विमानों के उतरने तथा रात में विमान उतरने सम्बन्धी सभी सुविधाएं होंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) जमशेदपुर में लगभग 250 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक हवाई अड्डा बनाने के लिए नागर विमानन विभाग की पांचवीं योजना के पुनरीक्षित प्रारूप में 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । स्थल का अभी चयन किया जाना है परन्तु इण्डियन एयरलाइंस ने अब सूचित किया है कि वे पांचवीं योजना की अवधि में जमशेदपुर के लिए सेवा परिचालित करने की स्थिति में नहीं होंगे । इसलिए फिलहाल इस परियोजना को प्रारम्भ करने की कोई संभावना नहीं ।

Pay Scales of Additional Private Secretaries of Central Ministers

712. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the criteria adopted for revision of the pay scales of the various categories of employees of the Central Government as per the recommendations of the Tihrd Pay Commission;

(b) whether the pay scales of all the categories of employees have been revised on this criteria ?

(c) if so, whether the pay scales of the Additional Private Secretaries to the Union Ministers have been revised on this basis; and

(d) if not, the reasons therefor, and the steps proposed to be taken by Government to revise their pay scales ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) In determining the ay structure of various categories of posts, the Third Pay Commission followed broad criteria, like duties and responsibilities attached to the post, difficulty and complexity of the task to be performed, degree of supervision to be exercised, qualifications prescribed for it and the need for maintaining *inter se* relativities and parties with smilar posts. Govt. decided to accept the recommendations relating to pay scales. Revised scales have been allotted to different posts as recommended by the Commission for those posts or for comparable posts with more or less similar existing pay scales and duties and responsibilities.

(c) Yes, Sir.

(d) Does not arise.

दिल्ली में लुफ्थांसा बोइंग दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट

713. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1973 में पालम (दिल्ली) पर लुफ्थांसा बोइंग विमान की दुर्घटना के बारे में श्री एम० रंगाराजन ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, तथा इसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं। न्यायालय ने दुर्घटना के कारण अनिपुण विमान चालकता, अवतरण करने के लिए पहुंच (एप्रोच) के दौरान अनुमोदित तथा संस्थापित क्रियाविधि से विचलन, उड़ान का अपर्याप्त संचारेक्षण (मौनिटरिंग), नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण और 'गो-राउंड' का कार्य समय पर प्रारंभ न कर पाना बताए हैं, तथा पर्याप्त मौसम सूचना का अभाव तथा भूमि-तल के ऊपर धुंध कुहरे की परत में से गुजरते समय विमानचालक का दृष्टि-भ्रम दुर्घटना के सहायक कारण बताये गये हैं।

रिपोर्ट से पता चलता है कि पूरी उड़ान के दौरान विमान, उसके इंजनों तथा विमानवाहित उपस्करों ने सामान्य रूप से परिचालन किया तथा दिल्ली विमान क्षेत्र पर दिक्चालन तथा अवतरण उपकरणों के कार्य करने में कोई खराबी नहीं थी।

हैदराबाद के एक मकान से आयकर अधिकारियों द्वारा पकड़े गये कीमती पत्थर और सोना

714. **श्री ! म राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1974 में हैदराबाद में एक मकान से आयकर अधिकारियों ने कीमती पत्थर और सोना बरामद किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सोने का मूल्य कितना है और मालिक का नाम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख) सितम्बर, 1974 में मैसर्स बुरुगु महादेव समूह के मामलों में तलाशी के दौरान आय-कर अधिकारियों ने आन्ध्र प्रदेश में लगभग 13.35 लाख रुपये का सोना, आभूषण, नग और हीरे जड़े आभूषण-सेट, चान्दी के बर्तन और खुले नगीने पाये, और उनको आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132(3) के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेश के अधीन रखा गया है ।

विभिन्न काउंट के धागे के लिए राजस्थान की मांग

715. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न काउन्ट के धागे के लिए अभी हाल में राजस्थान में कोई मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो कुल मांग का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान उसे कितनी सीमा तक पूरा किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान के जिलों में तरजीही ब्याज दरों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की गई अदायगी

716. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के प्रत्येक जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तरजीही ब्याज-दरों पर अदायगी करने के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है और ऐसी अदायगी की गई है ; और

(ख) कुल कितनी धनराशि दी गई है और लघु अद्योगों के लिए तथा बेरोजगार व्यक्तियों को राजस्थान के विभिन्न जिलों में कुल कितने व्यक्तियों को धन दिया गया है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) माननीय सदस्य सम्भवतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राजस्थान राज्य के प्रत्येक जिले में विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिये गए अग्रिमों का उल्लेख कर रहे हैं । इस विषय में उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं ।

(ख) बैंक इस समय विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों का क्षेत्रवार ब्यौरा नहीं रख रहे हैं ।

विवरण

(ख) विभेदी बैंक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सरकारी बैंकों द्वारा राजस्थान राज्य में दिए गए ऋण दिसम्बर, 1973 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति ।

(राशि लाख रुपयों में)

जिले का नाम	खातों की संख्या	बकाया राशि
1. जयपुर	185	0.58
2. अलवर	464	4.05
3. भरतपुर	502	3.03
4. सवाई माधोपुर	—	--
5. टोंक	542	1.78
6. भीलवाड़ा	559	8.56
7. अजमेर	1583	6.23
8. नागौर	698	2.94
9. सीकर	777	3.64
10. झूंझनू	1478	28.65
11. चूरु	822	2.73
12. गंगानगर	6	0.10
13. बीकानेर	—	—
14. जैसलमेर	14	0.03
15. बाड़मेर	237	1.15
16. जालोर	160	0.45
17. सिरोही	149	0.56
18. पाली	2	0.01
19. जोधपुर	1697	7.12
20. उदयपुर	322	1.50
21. डूंगरपुर	330	2.48
22. बासवाड़ा	279	0.78
23. चित्तौड़गढ़	1	0.07
24. बूंदी	--	—
25. कोटा	—	1.09
26. झालावाड़	486	1.89
जोड़	11293	78.33

कर-अपवंचकों से निपटने के लिए कार्यवाही

717. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों की तरह आयकर और बिक्री-कर अधिकारी कर अपवंचकों और तस्करों की सम्पत्ति और पकड़े गये सामान को मौके पर ही जब्त करने के लिए कार्यवाही नहीं कर सकते और उन्हें विलम्बकारी कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान स्थिति की मांग के अनुरूप और उपर्युक्त संदर्भ में विशेष सैल गठित करने अथवा संक्षिप्त कार्यवाही अपनाने के लिए विशेष प्रबंध किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणवकुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : आयकर अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों को जब्त किया जा सके । जिन मामलों में मूल्यवान परिसम्पत्ति पकड़ी जाती है उनमें अधिनियम की धारा 132(5) में निहित कार्यविधि के अनुसरण में, प्रकट नहीं की गयी आय का पहले सरसरी तौर पर अनुमान लगाने की और बाद में नियमित कर-निर्धारण करने की कार्यवाही करनी होती है । जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है आंतरिक सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तार तस्कर आयात-निर्यातकों के और अन्य बड़े-बड़े कर-अपवंचकों के मामलों को, तत्परता से गहरी छानबीन के लिये विशेष एककों में अथवा/अन्यथा चुने हुए अधिकारियों को रख कर केंद्रित किया जा रहा है ।

किसी राज्य में की गयी खरीद अथवा बिक्री पर कर लगाना राज्य सरकार के कराधान का विषय है । अंतर्राज्यीय खरीद अथवा बिक्री पर केंद्रीय बिक्री-कर लगाने का प्रशासन भी कानूनन राज्य सरकारों को सौंपा हुआ है, जो कर की वसूली करते हैं और उससे प्राप्त धन को रख लेते हैं । इसलिए, केंद्रीय बिक्री-कर अधिनियम के अधीन दांडित कार्यवाही करने की शक्तियों का प्रयोग भी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया गया महंगाई भत्ता

718. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों की क्रियान्वित के पश्चात् अक्तूबर, 1974 तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ता दिया गया है : और

(ख) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जनवरी 1973 से लेकर अब तक महंगाई भत्ते की छः किश्तें स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें से अन्तिम किश्त 1 अप्रैल 1974 से स्वीकृत की गई थी । प्रत्येक किश्त में देय राशि 300 रु० के वेतन-स्तर तक वेतन का 4 प्रतिशत तथा उसके बाद वेतन का 3 प्रतिशत है, जो इसके अंतर्गत आने वाले वेतन-स्तरों में कुछ परिवर्तनों सहित कम से कम 12 रु० तथा अधिक से अधिक 27 रु० है । 1 अप्रैल 1974 से महंगाई भत्ते की विद्यमान दर 300 रु० के वेतन स्तर तक 24 प्रतिशत है तथा 300 रु० से ऊपर तथा 2250 रु० तक वेतन पाने वाले व्यक्तियों के संबंध में (उच्चतर वेतन-स्तरों पर सीमान्त समायोजन के अध्यधीन रहते हुए ताकि वेतन तथा महंगाई भत्ता, दोनों मिलाकर 2400 रु० से अधिक नहीं हो) वेतन का 18 प्रतिशत है, जिसकी न्यूनतम राशि 72 रु. तथा अधिकतम राशि 162 रु० होगी ।

42 LSS/74—15.

(ख) वर्ष 1973-74 में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी करने के कारण अनुमानतः 93.07 करोड़ रुपए का व्यय अन्तर्ग्रस्त था। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1974-75 में अब तक स्वीकृत अदायगियों के परिणामस्वरूप होने वाला व्यय [जिसमें अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अनिवार्य जमा शामिल हैं] लगभग 314.24 करोड़ रुपये होगा।

तस्करी करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय

719. श्री महेन्द्र सिंह गिल :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिये पृथक विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) क्या तस्करी के मामलों का निपटान करने के लिये सामान्य जांच और न्यायिक प्रक्रिया सफल सिद्ध नहीं हुये हैं और उनमें भी परिवर्तन किये जाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) विधि आयोग ने अपनी 47वीं रिपोर्ट में यह अभिमत व्यक्त किया था कि वर्तमान कानूनी उपाय और व्यवस्था समाज को आर्थिक अपराध करने में लगे व्यक्तियों से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतः अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने इन अपराधों की जांच करने के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना करने और विलम्ब को कम करने की दृष्टि से कार्यविधि में संशोधन करने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात

720. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष में भारत द्वारा किये जाने वाले निर्यात में मात्रा के हिसाब से वृद्धि हुई है और यदि हां, तो उसकी मोटी रूप रेखा क्या है तथा इससे पहले के दो वर्षों के तत्सम्बधी आंकड़े क्या है ; और

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम वर्ष 1974 के लिये अपने निर्यात लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ रहा और यदि हां, तो मात्रा के हिसाब से तथा वित्तीय रूप से इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। वर्ष 1973-74 में 174 का निर्यात परिमाण सूचकांक (आधार 1958-100) जैसा कि वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक-संकलन, कलकत्ता के महानिदेशक द्वारा संकलित तथा प्रकाशित किया गया है, 1972-73 के सूचकांक की अपेक्षा 4.2 प्रतिशत अधिक था। 1971-72 तथा 1972-73 का परिमाण सूचकांक क्रमशः 151 तथा 167 था

वर्ष 1973-74 में परिमाण की दृष्टि से जिन मदों के निर्यात अपेक्षाकृत अधिक हुए उनमें खली (22 प्रतिशत) मसाले (37 प्रतिशत), मछली (35 प्रतिशत) चीनी (144 प्रतिशत) कपास (44 प्रतिशत) और मिल निर्मित थान का कपड़ा (43 प्रतिशत) उल्लेखनीय है।

(ख) वर्ष 1974-75 में राज्य व्यापार निगम का निर्यात लक्ष्य 525 करोड़ रु० का है। 31 अक्तूबर, 1974 तक 546 करोड़ रु० के आर्डर उसके हाथ में थे जिनमें से लगभग 223 करोड़ रु० के निर्यात किये जा चुके थे। काफी, चमड़े के जूते, सेमी-प्रोसेस्ड चमड़ा सिले-मिलाए परिधान, सूती वस्त्र पटसन उत्पाद आदि ऐसी मदें हैं जिन के सम्बंध में मात्रा तथा मूल्य दोनों दृष्टियों से वृद्धि हासिल की गई है।

क्रिम्पर्स द्वारा अपने निर्यात की तुलना में किया गया नायलोन धागे का आयात

721. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्रिम्परों को उनके आर्ट सिल्क के कपड़ों के निर्यात की तुलना में नायलोन धागे का आयात करने की अनुमति देने सम्बंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि क्योंकि क्रिम्परों को देशीय स्रोतों से अपनी आवश्यकतानुसार नायलोन धागे मिलने में कठिनाई हो रही है, इसलिये उन्हें नायलोन धागे का आयात करने की अनुमति दी जाये तो वे भारतीय आर्ट सिल्क के कपड़ों का निर्यात कर के लागत-भाड़ा बीमा पर खर्च होने वाली शत प्रतिशत राशि को अर्जित कर लेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं, नायलोन धागे के आयात की अनुमति चालू आयात व्यापार नियंत्रण नीति के खण्ड 2 में दिए गए उपबंधों के अनुसार केवल संश्लिष्ट वस्त्रों के निर्यात के आधार पर दी जाती है।

लाइसेंस घोटाले के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

722. **श्री समर गुह** :
श्री एम० कतामतु
श्री मूल चन्द डागा :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने लाइसेंस घोटाले, जिस पर संसद के गत अधिवेशन में चर्चा हुई थी, सम्बन्धी जांच पूरी कर ली है ; यदि हां तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या है ;

(ख) यदि नहीं, तो जांच के पूरा होने में हुए विलंब के क्या कारण हैं ;

(ग) जाली हस्ताक्षर करने वाले संसद सदस्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी अथवा करने का प्रस्ताव है ;

(घ) क्या संसद सस्दस्य श्री तुलमोहन राम ने उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का खंडन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच-परिणाम यह है कि 21 हस्ताक्षरों में से 20 हस्ताक्षर जाली है और संबंधित व्यक्तियों द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की कतिपय धाराओं के अन्तर्गत दांडिक अपराध किए गए हैं । तदनुसार, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, इन अपराधों के सम्बंध में तीन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिये दिल्ली के चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्ज शीट फाइल की है। चौथा व्यक्ति इकवाली गवाह बन गया है ।

कपड़ा मिलों द्वारा दिया गया उत्पादनशुल्क

723. **श्री लालजी भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी कपड़ा मिलों द्वारा 1973-74 में उत्पादनशुल्क के रुप में कितना राजस्व अदा किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : वस्त्र-उद्योग द्वारा उत्पादनशुल्क लगने योग्य विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता है । 1973-74 के दौरान इन में से प्रत्येक वस्तु से प्राप्त कुल राजस्व नीचे दिया गया है :—

वस्तु	1973-74 के दौरान प्राप्त राजस्व (अनन्तिम)
1	(2)
	करोड़ रुपये
रेयन धागा	125.36
सूती धागा	34.03
ऊनी धागा	3.27
रेशमी धागा	नगण्य
जूट धागा	2.60
सभी प्रकार के धागे (अन्यथा अविनिर्दिष्ट)	15.60
सूती वस्त्र	95.99
रेशमी वस्त्र	नगण्य
ऊनी वस्त्र	6.29
रेयन अथवा कृत्रिम वस्त्र	37.40
जूट उत्पाद	27.53
सूती वस्त्र (अन्यथा अविनिर्दिष्ट)	0.01
लेपित वस्त्र	0.01
वूल टोप्स	2.64
जोड़	350.73

विदेशी बैंकों द्वारा मुख्यालय व्ययों की अदायगी

724. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने लाभ विदेशों में भेजे हैं तथा उन बैंकों के नाम क्या है जिन्होंने अपनी पूंजी भारत में भी लगा दी है ;

(ख) क्या प्रमुख भारतीय बैंक अपने मुख्यालय के रख रखाव पर धन खर्च करते हैं और यह खर्च उनके राजस्व खाते का एक और होता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी बैंकों द्वारा अपने लाभों के अलावा "मुख्यालय" के नाम पर भारी धन राशि भेजे जाने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने का है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत में कार्य कर रहे ग्यारह विदेशी बैंकों में से निम्नलिखित दस बैंक (बैंक नेशनेल व पैरिस) को छोड़ कर लगभग प्रत्येक वर्ष अपने अपने लाभों को नियमित रूप से प्रेषित कर रहे हैं :—

(1) अमेरिकन एकस्प्रेस इण्टरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन ।
(2) अलगेमेने बैंक नीदरलैण्ड एन० वी०
(3) बैंक आफ अमरीका
(4) बैंक आफ टोक्यो
(5) ब्रिटिश बैंक आफ मिडल ईस्ट
(6) चार्टर्ड बैंक
(7) फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक
(8) मर्केन्टाइल बैंक
(9) मितसुई बैंक
(10) नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक

सभी ग्यारह विदेशी बैंक, बैंकारी विनियम अधिनियम, 1940 धारा 11 (2) की अपेक्षाओं का पालन करते हैं। जिस में यह व्यवस्था है कि किसी विदेशी बैंक की चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि का सफल मूल्य 15 लाख रुपये से कम का नहीं होगा और यदि उस का कारोबार बम्बई अथवा कलकत्ता अथवा दोनों शहरों में हैं तो वह मूल्य 20 लाख रुपये से कम नहीं होगा । इस के अतिरिक्त, विदेशी बैंक पिछले वर्ष के अन्त के रुपये मौजूद, भारत में अपनी जमा रकमों के कम से कम 3.5 प्रतिशत तक की रकम के बराबर विदेशी निधियों को हर रुपया अपने भारतीय कारोबार में भी लगा रहे हैं ।

(ख) सम्भवत: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि भारतीय बैंक अपने मुख्य कार्यालय का खर्च अपनी विदेशी शाखाओं से वसूल करते हैं अथवा नहीं रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उस के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, विदेशों में शाखाओं वाले सभी भारतीय बैंक सामान्यत: इस प्रकार के खर्च की वसूली विदेशी शाखाओं से करते हैं ?

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक, इस बात की जांच कर रहा है कि क्या यह विदेशी बैंकों द्वारा मुख्य कार्यालय के खर्च को प्रेक्षित करने पर, प्रतिबन्ध लगाने के बारें में कोई और उपाय किये जा सकते हैं ।

गुजरात वूलन मिल्स को धागे की सप्लाई

725. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान गुजरात वूलन मिल्स को धागे की कोई सप्लाई की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मात्रा गुजरात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयाप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) ऊनी धागे के उत्पादन, कीमत तथा वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है । इस लिए, प्रश्न में उल्लिखित अवधि के लिए किसी कानूनी आदेश के अन्तर्गत ऊनी धागे की सप्लाई का प्रश्न नहीं उठता। जबकि ऊनी सिस्टंम पर काम करने वाली मिलें अपनी आवश्यकताएं स्वदेशी स्रोतों से पूरी करती हैं, वस्टेंड तथा शाडी क्षेत्रों में जो मिलें हैं, उन्हें आयातित कच्चे माल पर निर्भर करना पड़ता है जिसकी मात्रा विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। समस्त देश में वस्टैड तथा शाडी एकक कच्चे माल की कमी के कारण दो से कम शिफ्टों के आधार पर काम करते हैं तथा गुजरात में भी मिलों की यही स्थिति है ।

चीनी पर लगने वाले उत्पादनशुल्क पर छूट

726. **श्री इसहाक सम्भली :**
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी मौसम में चीनी का उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देने हेतु चीनी पर लगने वाले उत्पादनशुल्क पर छूट देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी छूट दी जाएगी ;

(ग) इसमें उत्पादकों और गन्ना उगाने वालों को कहां तक सहायता मिलेगी ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप राजकोष को कितनी हानि होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणवकुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां । जिन कारखानों में तीन वर्ष से अधिक समय तक कार्य होता रहा है उनके संबंध में छूट देने की एक योजना वित्त मंत्रालय की दिनांक 12-10-1974 की अधिसूचना सं० 146/74 के० उ० शु० के अन्तर्गत अधिसूचित की गई है ।

(ख) चीनी का जो उत्पादन पूर्ववर्ती पांच वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक हुआ हो उसके संबंध में छूट दी गई है । अक्तूबर और नवम्बर 1974 के महीनों के सम्बन्ध में अतिरिक्त उत्पादन के बारे में लेवी की चीनी पर 16 रु० प्रति क्विंटल तक और खुली बिक्री

की चीनी पर 60 रु० प्रति क्विण्टल तक की छूट दी गई है। परन्तु यदि चीनी वर्ष के अंत में, सम्पूर्ण चीनी वर्ष के दौरान किसी कारखाने का उत्पादन पिछले पांच वर्षों के औसत उत्पादन के बराबर अथवा उससे अधिक पाया गया हो, तो वह कारखाना अक्तूबर-नवम्बर 1974 के महीने के दौरान हुए अतिरिक्त उत्पादन के संबंध में लेवी की चीनी पर 6 रु० प्रति क्विण्टल तथा खुली बिक्री की चीनी पर 22 रु० प्रति क्विण्टल की अतिरिक्त छूट का हकदार होगा।

दिसम्बर, 1974 से सितम्बर, 1975 तक की अवधि के दौरान होने वाले अतिरिक्त उत्पादन के संबंध में निम्न प्रकार से छूट दी गई है :

(i) 7.5 प्रतिशत तक के अतिरिक्त उत्पादन पर लेवी की चीनी पर 5 रु० प्रति क्विण्टल और खुली बिक्री की चीनी पर 20 रु० प्रति क्विण्टल ;

(ii) परवर्ती 10 प्रतिशत के अतिरिक्त उत्पादन कर पर लेवी की चीनी पर 10 रु० प्रति क्विण्टल तथा खुली बिक्री की चीनी पर 40 रु० प्रति क्विण्टल ;

(iii) परवर्ती 10 प्रतिशत के अतिरिक्त उत्पादन पर लेवी की चीनी पर 14 रु० प्रति क्विंटल तथा खुली बिक्री की चीनी पर 50 रु० प्रति क्विंटल;

(iv) परवर्ती 10 प्रतिशत के अतिरिक्त उत्पादन पर लेवी की चीनी पर 18 रु० प्रति क्विण्टल तथा खुली बिक्री की चीनी पर 60 रु० प्रति क्विण्टल;

(v) 37.5 प्रतिशत से अधिक के अतिरिक्त उत्पादन पर लेवी की चीनी पर 22 रु० प्रति क्विण्टल और खुली बिक्री की चीनी पर 82 रु० प्रति क्विण्टल।

(ग) उत्पादनशुल्क में यह छूट देने का मुख्य उद्देश्य चीनी कारखानों को, जल्दी पिराई आरम्भ करके ग्रीष्म ऋतु के महीनों में उसे देर तक चालू रखकर पिराई की अवधि बढ़ाने के लिये उस स्थिति में प्रोत्साहन देना है जब क्रमशः कच्चे गन्ने की पिराई किये जाने तथा गर्मी के महीनों में गन्ने के सूख जाने के कारण अपेक्षाकृत कम चीनी प्राप्त हो तथा साथ ही साथ पिराई की सामान्य अवधि में चीनी के उत्पादन की गति को निर्बाध रूप से कायम रखना है। इस कारण उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के लिये चीनी के कारखानों को कुछ हद तक क्षतिपूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त, आंशिक नियंत्रण की नीति में, ऐसे कानूनी न्यूनतम की अपेक्षा जिसके आधार पर लेवी की चीनी का मूल्य निर्धारित किया जाता है, गन्ने के उच्चतर मूल्य अदा करके उत्पादन बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

(घ) चूंकि शुल्क में दी जा रही रियायत प्रोत्साहन छूट के किस्म की है और चीनी के बढ़े हुए उत्पादन से सम्बद्ध है तथा शुल्क के केवल एक अंश से छूट दी गई है इसलिये इसके समग्र प्रभाव को राजकोष के लिये हानिप्रद होने की अपेक्षा लाभप्रद ही माना जा सकता है।

राज्यों में व्याप्त अकाल तथा सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय दल

727. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री ए० के० गोपालन :

श्री डी० डी० देसाई :

श्री पी० गंगादेव :

श्री राम सहाय पाण्डे :

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

श्री बनमाली पटनायक :

श्री अर्जुन सेठी :

श्री आर० बी० बड़े :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर:

श्री अनादि चरण दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में व्याप्त अकाल तथा सूखे का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय अधिकारियों का एक दल विभिन्न राज्यों को भेजा गया था;

(ख) क्या उसने कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) केन्द्रीय दलों द्वारा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान का दौरा किये जाने के बाद केन्द्र ने वहां की सूखे की स्थिति का मूल्यांकन कर लिया है। इन मूल्यांकनों पर सम्बद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार असम, बिहार और पश्चिम बंगाल की स्थिति का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय दल जल्दी ही इन राज्यों का दौरा करेंगे। कृषि मंत्रालय से केन्द्रीय दल फसलों की स्थिति का अध्ययन करने के लिये जल्दी ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इन मूल्यांकनों के आधार पर यदि जरूरी हुआ तो सम्बद्ध राज्यों से विचार विमर्श किया जाएगा।

उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

728. **श्री गजाधर माझी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा राज्य में 3,824 ग्राम पंचायतों में से 2,000 ग्राम पंचायतों में स्थिति बिगड़ी हुई है और राज्य में लम्बे समय से सूखा पड़ने के कारण 80 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने बताया था कि कुल 3826 ग्राम पंचायतों में से 2189 ग्राम पंचायतों पर सूखे का असर पड़ा जिसमें से उनके विचार में 1762 ग्राम पंचायतों पर बहुत बुरा असर पड़ा। केन्द्र से एक दल भेजने के बाद सूखे की स्थिति का मूल्यांकन किया गया। राज्य सरकार के परामर्श से मामले पर और आगे विचार किया जा रहा है।

ADDITIONAL EXCISE DUTY ON KHANDSARI

729. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of Finance be pleased to state whether Government have recently imposed additional Excise Duty on Khandsari and have decided to double its production during the current seasons ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Prananb Kumar Mukherji): Additional duty of excise has not been imposed recently on Khandsari sugar. Since 1.3.1969 the Basic Excise Duty on Khandsari has been 15% *ad valorem* and the additional duty of excise has been 2½% *ad valorem.* However, Khandsari units which are working under the special procedure are riable to pay duty at compounded rates of duty. These rates have been recently stepped up under Finance Ministry Notification No. 80-74-CE dated 30.4.1974.

The powers regarding licensing, production and control of Khandsari units have been delegated to the State Government. None of the State Governments has so far intimated any decision to double the production of khandsari sugar during the current season,

कम्पनियों द्वारा अपनी पूंजी का बढ़ाया जाना

730. **श्री के० मालन्ना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ कम्पनियों को अपनी पूंजी में वृद्धि करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने की अनुमति दी है तथा इन कम्पनियों का नाम क्या है तथा उनकी क्षमता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) पूंजी निर्गम नियंत्रक के कार्यालय द्वारा 28 अक्तूबर, 1974 को जारी की गई प्रेस-विज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित 9 कम्पनियों को पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत 8334.80 लाख रुपये की पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई थी।

कम्पनी का नाम	अनुमोदित राशि (लाख रुपयों में)
1. यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड	614.35
2. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड	240.76
3. रेणुसागर पावर कम्पनी लिमिटेड	125.00
4. एटिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	116.00
5. रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड	90.00
6. वर्धमान स्पिनिंग एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड	69.88
7. गुजरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड	60.00
8. त्रिची डिस्टलरीज एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड	15.00
9. टायरमोल्स कन्सेशनेयर्स प्राइवेट लिमिटेड	4.00
जोड़ :	1334.99

व्यापार गृहों के विरुद्ध अपने पब्लिक ऋणों पर ब्याज देने के बारे में शिकायत :

731. **श्री बयालार रवि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यापार गृहों के विरुद्ध अपने पब्लिक ऋणों पर ब्याज देने के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यापार गृहों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) गैर बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जनता से लिये गए ऋणों/जमा रकमों पर ब्याज की अदायगी न करने की शिकायतें सम्भवतः माननीय सदस्य के ध्यान में हैं। जनता से एकत्र की गई जमा रकमों पर ब्याज न देने के बारे में जिन कम्पनियों के विरुद्ध पिछले लगभग एक वर्ष में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूची अनुबन्ध में प्रस्तुत है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि ये शिकायतें मिलने पर सम्बद्ध कम्पनी के पास टिप्पणी के लिए भेज दी जाती हैं और सम्बद्ध कम्पनी से आई टिप्पणी के आधार पर शिकायत कर्ताओं को समुचित सूचना दे दी जाती है। फिर भी जमा रकमों/ऋणों का लेन देन हर जमाकर्ता/ऋणदाता और कम्पनी के बीच अनुबन्ध के रूप में होता है। अतः, प्रभावित पार्टी को संविदा-भंग के विषय में उपलब्ध उपचारों का सहारा लेना होता है।

विवरण

कम्पनी का नाम	शिकायतों के विषय और संख्या	
	ब्याज की अदायगी न करना	जमाएं अदा न करना
(1)	(2)	(3)
1. डेकन फार्मस् एण्ड डिसटिलरीज लि० कोल्हापुर	10	13
2. एशियन काटन मिल्स प्राइवेट लि० (नागपुर)	11	18
3. माइन एण्ड टी वी इक्विपमेंट प्राइवेट लि० (बम्बई)	15	18
4. एल्विन कोरड्रिल्स प्राइवेट लि० (बम्बई)	—	3
5. इण्डियन एक्सप्रैस (बम्बई) प्राइवेट लि० (बम्बई)	1	6
6. इण्डियन एक्सप्रैस (मदुरै) प्राइवेट लि० (मद्रास)	3	5
7. अनिल हार्डबोड्स लि०, बम्बई	8	15
8. आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लि० (मद्रास)	--	1

(1)	(2)	(3)
9. गुजरात इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लि० (बम्बई)	2	2
10. कम्बाटा इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० (बम्बई)	8	9
11. के०टी० डोंगेरे एण्ड कम्पनी प्रा० लि० (बम्बई)	--	6
12. डेप्रो फूड लिमिटेड (नई दिल्ली)	1	2
13. बंगाल पाटरीज लि० (कलकत्ता)	3	6
14. खण्डेलवाल हरमैन इलैक्ट्रोनिक्स लि० (बम्बई)	2	2
15. एल्यूमिनियम कारपोरेशन ग्राफ इंडिया लि० (कलकत्ता)	1	6
16. मैसूर टूल्स लि० (बंगलौर)	1	3
17. मैसूर चिप बोर्ड लि० (मैसूर)	1	1
18. शाह कन्सट्रक्शन कं० लि० (बम्बई)	2	4
19. घनपाइप एण्ड कन्सट्रक्शन कं० ग्राफ इण्डिया लि० (बम्बई)	1	6
20. पानीपत फूड्स लि० (पानीपत)	7	5
21. टेलीसाउन्ड इण्डिया लि० (दिल्ली)	4	16
22. मद्रास माडर्न बिल्डिंग्स लि० (मद्रास)	3	--
23. ग्रमर फाइनेंस प्राइवेट लि० (बम्बई)	--	1
24. वैनगार्ड इन्वेस्टमेंट लि० (मद्रास)	11	8
25. सतनाम फाइनेन्सर्स प्राइवेट लि० (चण्डीगढ़)	2	2
26. विजय फाइनेन्स एण्ड उद्योग प्राइवेट लि० (दिल्ली)	1	1
27. जिंदल फाइनेंसर्स एण्ड चिट फंड कम्पनी (प्रा०) लि० (ग्रमृतसर)	--	1

Export of mangoes

732. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of Commerce be pleased to state whether mangoes are exported from Madhya Pradesh in large quantity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): Statewise export statistics are not compiled and as such the volume of mangoes exports from Madhya Pradesh is not separately ascertainable.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का निर्यात

733. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री पी० गंगादेव :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम को 1974-75 में ग्रपने लौह ग्रयस्क के निर्यात पर पर्याप्त लाभ होने की पूरी ग्राशा है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुमान किन कारणों पर आधारित है;

(ग) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम को पहले लौह अयस्क के निर्यात पर हानि हो रही थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : (क) आशा है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम को 1974-75 में लौह अयस्क निर्यात से कुछ लाभ होगा।

(ख) लौह अयस्क की निर्यात कीमत में वृद्धि।

(ग) जी हां।

(घ) लौह अयस्क की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें आन्तरिक वसूली लागतों की अपेक्षा जिनमें रेल भाड़ा, पत्तन प्रभार तथा निर्यात शुल्क शामिल है, कम थीं।

Soviet interest in Indian wagons

734. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the Soviet Union has again shown interest in purchasing India made wago ns during the meeting of Indo Soviet-Joint Commission held recently ;

(b) if so, the outcome thereof;

(c) whether the dead lock regarding the prices of the wagons has been resolved; and

(d) if so, the broad features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Siogh): (a) No. Sir.

(b) to (d) Do not arise.

मुरादाबाद में छापे के दौरान एक मकान से बरामद नकद धनराशि और सोना

735. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जून, 1974 को मुरादाबाद में छापे के दौरान एक मकान से 10 लाख रुपये के सोने के बिस्कुट, 25,000 रुपये नकद और 300 तोले सोने की चूड़ियां बरामद हुई थीं;

(ख) क्या बरामद हुई वस्तुएं और नकद राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं कराई गई थी;

(ग) क्या एक पत्रकार ने इस मामले की ओर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाया था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुक अधिकारियों ने मुरादाबाद में 2 जून, 1974 को एक व्यापारिक तथा रिहायशी स्थानों की तलाशी ली थी। तलाशी के बाद बरामद वस्तुओं की जो सूची तैयार की गई, उससे पता चलता है कि कोई वस्तु नहीं पकड़ी गई। इस सम्बन्ध में कुछ आरोप प्राप्त हुए हैं और ये आरोप अखबारों में भी प्रकाशित हुए हैं। मामले की जांच की जा रही है।

राजवाड़ा महल, इंदौर का कथित अन्तरण विक्रय

736. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संशोधित आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ऐतिहासिक राजवाड़ा महल, इन्दौर (मध्य प्रदेश) के खरीदने का विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य को नोट किया है कि राजवाड़ा महल का अन्तरण अथवा बिक्रय 15 लाख रुपये में कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अधीन, किन्हीं परिस्थितियों में किसी भी ऐसी अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण करने का केन्द्रीय सरकार को अधिकार है जिसका उस प्रत्यक्ष प्रतिफल के लिये बिक्री अथवा विनियम के रूप में अन्तरण किया जाता है जो उसके उचित बाजार-मूल्य की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रतिफल की 15 प्रतिशत से अधिक रकम से कम है। इन उपबन्धों का प्रशासन करने वाले सम्बन्धित अधिकारी को, आयकर अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार, पंजीकरण अधिकारी से 'राजबाड़े' महल की 15 लाख रु० में बिक्री के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, और इसके अभिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने का प्रश्न उसके विचाराधीन है।

संयुक्त राज्य अमरीका से टैक्सटाइल मशीनरी का आयात

738. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सयुक्त राज्य अमरीका से कपड़ों का निर्यात करके टैक्सटाइल मशीनरी का आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सौदे की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस प्रकार भी टैक्सटाइल मशीनरी का भारत में निर्माण नहीं किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सूखा पीड़ित क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता

739. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक छः सूखा पीड़ित जिलों के विकास के लिये बड़ी परियोजनाएं स्थापित करने हेतु भारत को सहायता देने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की तथा कितनी सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है;

(ग) परियोजनाओं पर कार्य कब तक आरम्भ होगा; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के लिये बिक्री धन-राशि किस प्रकार जुटाई जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम: (क) और (ख) सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम के लिये सहायता देने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, वाशिंगटन के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा राजस्थान के जोधपुर और नागौर महाराष्ट्र के अहमदनगर और शोलापुर कर्नाटक के बीजापुर और आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिलों में चलाया जाएगा। इस परियोजना में सरकारी निर्माण कार्य और खेती से सम्बद्ध विकास कार्य होंगे जिनमें सिंचाई के लिये छोटे-छोटे निर्माण कार्य, सिंचाई क्षेत्र विकास, सिंचाई से दूर पड़ने वाले क्षेत्रों का प्रबन्ध बारानी खेतों और भेड़ तथा डेरी विकास कार्य शामिल हैं।

इस परियोजना के लिये लगभग 26.25 करोड़ रुपये (350 लाख डालर) की रकम उपलब्ध होने की सम्भावना है बशर्ते कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का निदेशक मण्डल इस रकम का अनुमोदन कर दे।

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत कुछ काम पहले से ही चल रहे हैं।

(घ) खेती से सम्बद्ध विकास कार्यों की 22.50 करोड़ रुपये (300 लाख डालर) से अधिक की लागत की रकम संस्थागत ऋणों से पूरी की जाएगी और बाकी खर्च भारत सरकार तथा सम्बन्धित सरकारों द्वारा पूरा किया जाएगा।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों के पासपोर्ट जब्त करना

740. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :
श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :
श्री कुशोक बाकुला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय के पासपोर्ट जब्त करने का निर्णय किया है जिन्हें प्रतिपूर्ति अदायगियां गिरोहों के माध्यम से भारत में धन का प्रत्यावर्तन करते पाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने पासपोर्ट जब्त किये गए हैं; और

(ग) इस प्रकार के गोहों के माध्यम से धन के प्रत्यावर्तन को रोकने के लिये आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) इस तरह के अपराधों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाई करने के लिये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 में उचित दण्ड की व्यवस्था है।

मुद्रा के परिचालन में कमी होना तथा उसका मुद्रा स्फीति पर प्रभाव

741. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :**
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले पांच महीनों के दौरान जनसाधारण में मुद्रा का परिचालन 299 करोड़ रुपये तक कम कर दिया गया था जबकि गत वर्ष इसी अवधि में इसमें 214 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी;

(घ) क्या कुछ वित्तीय संस्थानों ने यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार को मुद्रा-स्फीति का सामना प्रभावी रूप से करना चाहिये; और

(ङ) यदि हां, तो उन्होंने क्या उपाय सुझाए हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ङ) अप्रैल और सितम्बर 1974 के अन्तिम शुक्रवारों के बीच मुद्रा पूर्ति में 229 करोड़ रुपये की कमी हुई है जबकि गत वर्ष की उसी अवधि में 214 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। सितम्बर 1974 को समाप्त होने वाले पांच महीनों के दौरान जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में 465 करोड़ रुपये की कमी हुई है जबकि गत वर्ष की उसी अवधि में 82 करोड़ रुपये की कमी हुई थी।

जैसाकि नीचे की सारणी में दिखाया गया है, मई से सितम्बर 1974 तक के पांच महीनों में मुद्रा पूर्ति में कमी के मुख्य कारण ये थे—सरकार को दिये जाने वाले निवल बैंक ऋण तथा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये जाने वाले सकल बैंक ऋण के विस्तार में कमी और बैंक क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में कमी।

मुद्रा पूर्ति में घट-बढ़

(करोड़ रुपये)

	1973	1974
	27 अप्रैल से 28 सितम्बर 1973 तक	26 अप्रैल से 27 सितम्बर 1974 तक
	(1)	(2)
क. जनता के पास उपलब्ध मुद्रा .	+214 (+2.2)	—229 (—2.1)
(क) जनता के पास नकद रकम	—82	—465
(ख) मांगते ही मिलने वाली जमा रकम . .	+296	+236

	1	2
ख. मुद्रा पूर्ति की घट-बढ़ को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व		
1. सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	+472 (+5.8)	+261 (+2.9)
(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया, ऋण	+269	+27
(ख) सरकार को अन्य बैंकों से ऋण	+203	+234
2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों से ऋण (क+ख)	+290 (+3.8)	+81 (+0.9)
(क) भारतीय रिजर्व बैंक का वाणिज्यि क्षेत्र को ऋण	+51	—41
(ख) अन्य बैंकों का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	+239	+122
3. बैंक क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां	+31 (+5.2)	—135 (—20.1)
4. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा संबंधी निवल देनदारियां	+18 (+3.9)	+5 (+1.0)
घटाइए 5. बैंक क्षेत्र की गैर मुद्रा संबंधी देनदारियां जिन में से	—597 (+8.3)	+441 (+5.2)
जिसमें से सावधिक जमा	+504 (+11.2)	+553 (+8.8)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े घट बढ़ के प्रतिशतता के द्योतक हैं।

ऐसा लगता है कि आंशिक रूप से, सरकार द्वारा किये गये राजस्व और मुद्रा विषयक विभिन्न उपायों से, अर्थ-व्यवस्था में व्याप्त स्फीतिकारी दबाव कुछ कम हो रहे हैं। सितम्बर के तीसरे सप्ताह से कई बुनियादी वस्तुओं की कीमतें कम हो गयी है। अभी इतनी जल्दी यह नहीं कहा जा सकता कि हाल में कीमतों में जो गिरावट आयी है, वह केवल मौसमी गिरावट है अथवा किसी नयी अधिक अनुकूल प्रवृत्ति की द्योतक है। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति में अभी भी भारी असन्तुलन विद्यमान हैं। इसलिये कीमतों संबंधी स्थिति अब भी बराबर चिन्ता का कारण बनी हुई है।

चूंकि चालू वर्ष में अर्थ-व्यवस्था के लिए उत्पादन की संभावनाएं बहुत अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिये इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये हर कोशिश की जानी जरूरी है कि अर्थ-व्यवस्था में मांग में होने वाली वृद्धि वास्तविक उत्पादन में होने वाली वृद्धि के अनुपात से अधिक न हो। इसलिये इस समय राजस्व और मुद्रा विषयक नीतियों की बुनियादी दिशा में तबदीली करना वांछनीय नहीं है।

हालांकि हाल के महीनों में, बैंकिंग-क्षेत्र की प्रवृत्तियां मोटे रूप से, मुद्रा-विस्तार की गति को धीमा करने के उद्देश्य के अनुरूप रही हैं, लेकिन अभी मुद्रा संबंधी प्रतिबन्धों में ढील देने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि पिछले एक-दो वर्षों में कीमतों में जो बहुत अधिक वृद्धि हुई थी उसमें कमी होने के कोई स्पष्ट लक्षण दिखायी नहीं देते। इसलिये रिजर्व बैंक ने 29 अक्टूबर, 1974 को अधिक कामकाज के आगामी दिनों के लिये जिस ऋण नीति की घोषणा की है उसमें पूंजी-निवेश को बनाये रखने उत्पादन, बढ़ाने और अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण की सुविधाजनक बनाने के लिए ऋण के उपयोग की व्यवस्था करने के साथ-साथ ऋण देने पर लगी पाबन्दियों को जारी रखने के लिए कहा गया है। अधिक कामकाज के चालू दिनों में मुद्रा-पूर्ति में होने वाली वृद्धि को काबू में रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने उन बातों को स्पष्ट किया है जिन पर वाणिज्यक बैंकों को अपनी रकमों के उपयोग की योजना बनाते समय ध्यान में रखना चाहिये और वे शर्तें स्पष्ट की हैं जिन पर रिजर्व बैंक द्वारा उक्त बैंकों को पुर्नवित की और हुंडियों को फिर से भुनाने की सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी।

कीमतों में होने वाली वृद्धि का मुकाबला करने के लिए सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से बहुत से सुझाव प्राप्त होते हैं जिन पर उपयुक्त ध्यान दिया जाता है। सरकार राजस्व और मुद्रा संबंधी विभिन्न उपायों के प्रभाव पर लगातार नजर रखती रही है और बदलती हुई आर्थिक स्थिति के अनुसार जब कभी मौजूदा नीतियों में परिवर्तन करना जरूरी होगा सरकार ऐसा करने में संकोच नहीं करेगी।

पकड़े गये तस्करी के माल के लिये भंडारण सुविधा का अभाव

742. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री के० मालन्ना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये तस्करी के माल के भण्डारण की समुचित व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या इसके परिणास्वरूप सरकार को हुई हानि का कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये तस्करी के माल के उचित भण्डारण के अनुदेश विद्यमान हैं और पकड़े गये माल के भण्डारण के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों की व्यवस्था कुल मिलाकर संतोषजनक है। तथापि, यह संभव है कि किसी विशिष्ट अवधि के दौरान माल पकड़ने के मामलों में एकाएक भारी वृद्धि होने के कारण या सुरक्षा-व्यवस्था में पाये गये दोषों को सुधारने में कुछ विलम्ब हो जाने के कारण ऐसे अवसर हो सकते हैं जबकि थोड़े से समय के लिये भण्डारण व्यवस्था थोड़ी-बहुत अव्यवस्थित हो जाती है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले तस्कर-व्यापारी

743. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 सितम्बर, 1974 को चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि तस्कर-व्यापारियों का राजनीतिक दलों से संबंध है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) पंजाब के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये कथित बक्तव्य के ब्यौरे का पता किया जा रहा है। जिसके प्राप्त होने पर अपेक्षित सूचना सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

कर-अपवंचन का अध्ययन करने के लिये नियुक्त समिति

744. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**

श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन से उत्पन्न समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढ़ने में सरकार की सहायता करने के उद्देश्य से कर-अपवंचन का अध्ययन करने हेतु सरकार ने कोई समिति नियुक्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) भारत सरकार ने, काले धन का पता लगाने तथा आगे अपवंचन द्वारा इसकी वृद्धि को रोकने के लिये, अन्य बातों के साथ-साथ, ठोस तथा कारगर उपायों की सिफारिश करने के लिये, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री के० एन० वांचू की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति, मार्च 1970 में नियुक्त की थी।

(ख) समिति ने दिसम्बर, 1971 को अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो 20 मार्च 1972 को सदन-पटल पर रखी गयी। समिति की अधिकांश सिफारिशों की छान-बीन की गयी है और उनमें से बहुत सारी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। कुछ सिफारिशों को, वित्त अधिनियम 1972 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 वित्त अधिनियम 1973 तथा वित्त अधिनियम 1974 द्वारा कार्यान्वित किया गया है, बहुत सी सिफारिशों का समावेश करते हुए एक व्यापक विधेयक मई 1973 को पेश किया गया था। अब यह विधेयक प्रवर समिति के सामने है।

कम मूल्य आंकी गयी सम्पत्तियों का अर्जन

745. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** :
श्री एम० कतामुतु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर से बचने के लिये कम मूल्य आंकी गयी 50 से अधिक सम्पतियों का अर्जन करने के आदेश जारी कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन सम्पत्तियों का इनके मूल्य सहित संक्षिप्त व्यौरा क्या है और ये कहां स्थित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां। 31 अक्तूबर 1974 तक आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अधीन 69 सम्पत्तियों के अभिग्रहण के आदेश दिये गये थे। इन सम्पत्तियों का प्रत्यक्ष दिखाया गया कुल प्रतिफल 87 लाख 21 हजार रु० है और अनुमानित उचित बाजार मूल्य 171 लाख 14 हजार रु० है। आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रबार इन 69 सम्पत्तियों के स्थान नीचे दिये गये हैं :—

आयकर आयुक्त का अधिकार क्षेत्र	सम्पत्तियों की संख्या
(1)	(2)
अमृतसर	14
आन्ध्र प्रदेश	1
बिहार	1
बम्बई	2
दिल्ली	9
गुजरात	2
कानपुर	5
कर्नाटक	4
लखनऊ	1
उड़ीसा	1
पटियाला	3
पूना	3
राजस्थान	11
तमिलनाडु	11
पश्चिम बंगाल	1
जोड़	69

उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण प्रणाली

746. **श्री धामनकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सूती कपड़े का कुल उत्पादन कितना है और इसमें से कितना उत्पादन नियंत्रित कपड़े के रूप में होना तय किया गया है ;

(ख) क्या उचित दर की दुकानों के माध्यम से इसकी वर्तमान वितरण प्रणाली सन्तोष-प्रद है ;

(ग) क्या इस प्रणाली से ग्रामीण लोगों तथा छोटे-छोटे कस्बों में रहने वाले कम आय वाले व्यक्तियों को पूरा-पूरा लाभ पहुंच सका है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार उपचारात्मक उपाय के रूप में नियंत्रित कपड़े का वितरण राशन कार्डों तथा आय वर्ग के आधार पर करने की व्यवस्था करेगी ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सूती वस्त्र मिल उद्योग में कपड़े का वार्षिक उत्पादन स्तर 400 करोड़ मीटर के लगभग है । 1 अप्रैल, 1974 से मिल क्षेत्र को को कानूनी तौर से 80 करोड़ मीटर नियंत्रित कपड़ा प्रतिवर्ष उत्पादित करना आवश्यक है ।

(ख) से (घ) नियंत्रित कपड़ा केवल निम्नोक्त पांच चैनलों के माध्यम से वितरित किया जाता है :—

(1) (क) मिलों की अपनी खुदरा दुकानें, और

(ख) उप-नगरीय/उप-देहाती क्षेत्रों में मिलों की प्राधिकृत खुदरा दुकानें, यदि कोई हैं ।

(2) सहकारी क्षेत्र में सुपर बाजार ।

(3) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन तथा उससे संबंधित सहकारी संस्थाओं की शृंखला ।

(4) राज्य सरकारों के तत्वावधान में चल रही उचित मूल्य की दुकानें; और

(5) संबंध राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट सहकारी क्षेत्र में कोई अन्य अभिकरण ।

1 अप्रैल, 1974 से नियंत्रित कपड़ा उत्पादित करने के दायित्व में वृद्धि के साथ-साथ वितरण प्रणाली सुदृढ़ करने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के साथ अनेक बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था । इन विचार-विमर्शों के फलस्वरूप यह विनिश्चय किया गया है कि उपरोक्त पांचों चैनलों के माध्यम से नियंत्रित कपड़े का वितरण चालू रखा जाए । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को निम्नोक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं :—

(1) 15000 से 20,000 जनसंख्या वाले उपनगरीय केन्द्रों को कपड़ा पहुंचाने के लिये कदम उठाये जायं ।

(2) राशन कार्ड/घरेलू कार्ड नियंत्रित कपड़े की बिक्री के लिये आधार बनाये जायें ; और

(3) कपड़ा 400 रुपये तक की मासिक आय वाले लोगों को बेचा जाये ।

निर्यात को बढ़ावा देना

747. **श्री बीरेन एंगती :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह हाल ही में एक सम्मेलन में राज्यों के उद्योग मंत्रियों से मिले थे ;

(ख) क्या इसमें राज्यों के सक्रिय सहयोग द्वारा निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिये कोई ठोस प्रस्ताव निकला था ;

(ग) क्या मेघालय की राज्य सरकार ने उन्हें ऐसी कोई ठोस योजना कभी प्रस्तुत की थी जिसके अन्तर्गत बंगलादेश को, जहां वह भारत-बंगला देश व्यापार समझौते की शर्तों के अन्तर्गत सरकारी स्तर पर कोयला चूना पत्थर तेजपत्ता, सुपारी की पत्तियां, आलू तथा ताजे फलों के निर्यात करने हेतु स्वाभाविक मण्डी पाते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चर्चाओं का उद्देश्य हमारे निर्यात प्रयत्नों में राज्य सरकारों की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना था।

(ग) मेघालय राज्य सरकार के कहने पर भारत और बंगला देश के बीच सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान करार में फलों और सब्जियों के, जिनमें आलू अदरक व सन्तरे और साथ ही सुपारी और पान भी शामिल हैं, निर्यात सम्मिलित कर लिये गये हैं।

शिलांग हवाई अड्डा

748. **श्री बीरेन एंगती :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग हवाई अड्डा अब वायु यातायात के लिये खुला है ;

(ख) क्या इस हवाई अड्डे का उपयोग अब केवल एक गैर-सरकारी वायु निगम द्वारा किया जा रहा है ; और

(ग) शिलांग हवाई अड्डे को इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के मानचित्र में सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) शिलांग के निकट बारापानी का हवाई अड्डा डकोटा अथवा उसी प्रकार के विमानों के परिचालन के लिये खोल दिया गया है।

(ख) बारापानी हवाई अड्डे के लिये अननुसूचित उड़ानें परिचालित करने के लिये मैसर्स जामेयर कम्पनी (प्रा०) लि० को अनुमति प्रदान की गयी थी तथा उन्होंने सितम्बर 1974 से बारापानी होते हुए परिचालन प्रारम्भ कर दिया है।

(ग) फिलहाल केवल 4000 फुट धावनपथ परिचालन के लिये तैयार है तथा धावनपथ को 6000 फुट की लम्बाई तक बढ़ाने तथा टर्मिनल भवन के निर्माण आदि का कार्य प्रगति पर है। इंडियन एयरलाइंस द्वारा बारापानी के लिये परिचालन का प्रश्न तब उठेगा जब वहां सभी विकास कार्य पूरे तथा हवाई अड्डा टर्बो-प्रौप विमानों के परिचालन के लिये उपयुक्त हो जायेगा।

विदेश यात्रा के लिये दी गयी विदेशी मुद्रा

749. **श्री बीरेन एंगती :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश-यात्रा के लिये वित्तीय वर्ष 1973-74 तथा चालू वर्ष में सितम्बर, 1974 तक कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी ;

(ख) सरकारी यात्राओं तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा की गयी यात्राओं की संख्या क्या है और वर्ग वार कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी है ;

(ग) क्या विदेश यात्राओं की संख्या तथा विदेशी मुद्रा की राशि कम करने की कोई गुंजाइश थी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) वित्त वर्ष 1973-74 और अगस्त 1974 के अन्त तक विदेश यात्रा के लिये दी गयी विदेशी मुद्रा की रकम निम्नलिखित है :—

1973-74	14,58,81,000 रुपये
अप्रैल 1974 से अगस्त 1974 तक :	8,84,40,000 रुपये

(सितम्बर 1974 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं)

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और जब उपब्ध हो जायेगी सभा-पटले पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, नहीं। विदेश यात्रा के लिये यात्रा के प्रयोजन और उसकी अनिवार्यता के संबंध में कड़ी छानवीन करने के बाद ही स्वीकृति दी जाती है।

नई सूती कपड़ा नीति

750. **श्री श्रीकृष्ण मोदी :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई सूती कपड़ा नीति सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) निर्यात आवश्यकताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और

(घ) क्या इस नीति के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षमता पैदा की जायेगी और कपड़ा मशीनों का आयात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) से (घ) सूती वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में पांचवी योजना लाइसेंस नीति का एलान शीघ्र किये जाने की संभावना है । नीति प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ साथ विकेन्द्रीकृत बुनाई क्षेत्र के लिए सूत की सप्लाई की कमी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त कताई क्षमता स्थापित करने और कट्रोल तथा निर्यात योग्य किस्मों के कपड़े के उत्पादन के लिये अपेक्षित कुछ अतिरिक्त बुनाई क्षमता की स्थापना की व्यवस्था है। कपड़ा मशीनों के आयात की जरूरत के संबंध में स्वदेशी प्राप्यता और उपस्करों के सुपुर्दगी समय के साथ साथ कपड़े की निर्यात योग्य किस्मों के उत्पादन के लिये मशीनों की आवश्यकता के संदर्भ में विचार किया जायेगा।

भारत और पूर्व यूरोपीय देशों के बीच व्यापार में वृद्धि

751. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 से 1974 तक भारत और पूर्व यूरोपीय देशों के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है ?

(ख) यदि हां, तो अन्य देशों से हुई व्यापार वृद्धि की तुलना में उक्त वृद्धि अधिक है ; और

(ग) क्या भारत ने हाल ही में अन्य देशों के समक्ष रुई और सूती कपड़े के बारे में पारस्परिक व्यापार करने के संबंध में में प्रस्ताव रखा था ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : जी हां ।

(ख) इस अवधि के दौरान पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारतीय व्यापार में तकरीबन 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु यह वृद्धि इस अवधि के दौरान अन्य देशों के साथ व्यापार में वृद्धि की अपेक्षा कुछ कम है ।

(ग) कुछ देशों के साथ हमने रुई तथा सूती वस्त्रों के संबंध में द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थायें की हैं और सूती वस्त्रों का हमारा सामान्य व्यापार उन बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत होता है जो 1 जनवरी, 1974 से लागू हैं।

दिल्ली हवाई अड्डे पर रात में विमानों के उतरने की व्यवस्था

752. **श्री सी० के० जाफर शरीफ:**
श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग ने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को यह सुझाव दिया है कि जब तक मुख्य सम्पर्क (मार्ग) (प्रोपर एप्रोच) और धावन पट्टी पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती तब तक के लिये रात में विमान उतरने के लिये दिल्ली हवाई अड्डे को बन्द कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) विमान क्षेत्रों के नियंत्रक ने अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एप्रोच तथा अन्य बत्तियों में कुछ त्रुटियों के बारे में बताया था। त्रुटियां दूर करने के लिये प्राधिकरण ने तुरन्त कार्यवाही की है और यह प्रणाली अब संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

बम्बई में कापड़िया बन्धुओं पर छापें

753. **श्री माधुर्य हालदार :**
श्री ज्योतिर्मय वसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1974 के दौरान बम्बई में कापड़िया बन्धुओं के आहाते में डाले गये छापों के दौरान पकड़े गये अभिशासी दस्तावेजों तथा अन्य सामग्री के बारे में यदि कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है; और

(ख) क्या कापड़िया बन्धुओं का मारुति लिमिटेड, हरियाणा से किसी प्रकार से कोई संबंध है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) आयकर अधिकारियों ने अगस्त, 1974 में कापड़ियाओं के स्थानों की कोई तलाशी नहीं ली, और इसलिये कोई अनुवर्ती कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता इनका कर-निर्धारण आयकर आयुक्त (सेन्ट्रल) के अधिकार क्षेत्र में होता है।

(ख) कापड़िया समूह की तीन कम्पनियों के पास मारुति लि० के शेयर हैं।

बड़े व्यापार गृहों और विदेशियों के अधीन फर्मों द्वारा आर्थिक अपराध

754. **श्री माधुर्य हालदार :**
श्री ज्योतिर्मय वसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बड़े व्यापार गृहों और विदेशियों के अधीन कितनी फर्मों पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क/सीमा शुल्क के अपवचन के आरोप लगाये गये हैं;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने एक लाख रुपये से अधिक धनराशि का अपवंचन किया है;

(ग) प्रत्येक फर्म के विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप हैं;

(घ) क्या करों और शुल्कों का अपवंचन आर्थिक अपराध है और विधि आयोग ने अपने 47वें प्रतिवेदन में सभी आर्थिक अपराधों के लिये कड़ी कार्यवाही करने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित इन फर्मों के मामलों में विधि आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) और (ङ) विधि आयोग ने अपनी 47वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक अपराधों, जिनमें कर अपवंचन भी शामिल है, के लिये सख्त सजा की सिफारिश की थी। उनकी सिफारिशों के अनुसरण में सी० शु० अधिनियम, 1962 और के० उ० शु० एवं नमक अधिनियम, 1944 में, गंभीर और बार-बार किये जाने वाले अपराधों के लिये अपेक्षाकृत अधिक सख्त सजा की व्यवस्था करने के लिये, संशोधन किया गया है। इन अधिनियमों के कार्यान्वयन में पाई गयी त्रुटियों को दूर करने के लिये कुछ अन्य उपबन्धों में भी संशोधन किया गया है।

मथरानी समिति गठित करने का उद्देश्य

755. **श्री माधुर्य हालदार :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये गये सामान्य बीमा कार्य के क्षेत्र में मथरानी समिति गठित करने के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या इस समिति पर लगभग 17 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं और कार्य समाप्त करने के लिये समिति की अवधि को दो बार बढ़ाया गया है;

(ग) मथरानी समिति द्वारा श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 के अधिकारियों की पूरी सूची तैयार करने के बजाय किश्तों में वरिष्ठता सूची तैयार करने के क्या कारण हैं;

(घ) साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले अधिकारियों के संबंध में क्या मानदण्ड तथा/अथवा कसौटी अपनाई गई;

(ङ) यह समिति अपना कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा क्यों नहीं कर सकी; और

(च) समिति द्वारा कितने अधिकारियों को श्रेणीबद्ध किया गया और कितनों की अन्तरवरिष्ठता सूची तैयार की गई और कितनों को छोड़ दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सामान्य बीमा सेवा एकीकरण समिति (मथरानी समिति) स्थापित करने के प्रयोजन और उद्देश्य निम्नलिखित थे :--

(i) ऐसे सिद्धान्तों के सुझाव देना जिनके अनुसार, राष्ट्रीयकृत व्यवस्था के अधीन सामान्य बीमा उद्योग के कर्मचारियों के वेतन-मान तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें अधिशासित होनी चाहिये;

(ii) कार्य के स्वरूप और उत्तरदायित्वों के स्तरों को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत उपर्युक्त पदनाम एकीकृत वेतन-मान और सेवा की शर्तों की सिफारिश करना;

(iii) एकीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट वर्गों के पदों में नियुक्ति हेतु ऐसे कर्मचारियों की पात्रता निर्धारित करने के लिये सामान्य और तकनीकी अर्हताओं तथा साथ ही अनुभव के स्वरूप और अवधि के संबंध में सिफारिश करना;

(iv) निम्नलिखित के लिये मानदण्डों की सिफारिश करना :--

(क) राष्ट्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों को विनिर्दिष्ट ग्रेडों तथा वेतन-मानों में खपाना; और

(ख) राष्ट्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत सभी सुसंगत कारकों को हिसाब में लेने के बाद, वरिष्ठता और वेतन-मानों के विनियमन के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करना।

(v) सहायक शाखा प्रबन्धकों और उनसे ऊपर के ओहदे के अधिकारियों के संबंध में प्रत्येक अधिकारी के लिये उस स्तर की सिफारिश करना जिस पर उसे राष्ट्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत खपाया जाना चाहिये, और ऐसे अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता की सिफारिश करना।

(ख) मथरानी समिति का कार्यकाल तीन बार बढ़ाया गया था, अर्थात् (1) 28 फरवरी, 1974 तक (2) 31 मार्च, 1974 तक और (3) 30 अप्रैल, 1974 तक। जहां तक समिति पर 30 अप्रैल, 1974 तक किये गये कुल खर्च का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी अन्तर्ग्रस्त होने के कारण, समिति ने उन अधिकारियों के संबन्ध ने अलग रिपोर्ट देना अधिक व्यवहार्य पाया जिनकी समिति ने प्रबन्ध के विभिन्न स्तरों के लिये सिफारिश की है।

(घ) समिति ने राष्ट्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकारियों की साक्षात्कार के लिये पात्रता पर विचार करने के लिये सभी अधिकारियों का ब्यौरा प्राप्त करने का फैसला किया, जिसमें ये शामिल :—

(i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हता।

(ii) धारित पदों के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व।

(iii) किसी अधिकारी द्वारा खासकर विकासकार्य पक्ष के अधिकारी द्वारा, प्रयुक्त शक्तियां।

(iv) पर्यवेक्षणाधीन कर्मचारी और प्रत्यायोजित प्रशासनिक एंव वित्तीय शक्तियां।

(v) कार्यनिष्पादन रिपोर्ट।

साक्षात्कार के लिये वस्तुतः केवल ऐसे अधिकारियों को बुलाया गया जिनसे युक्तियुक्त रूप से आशा की जा सकती थी कि प्रस्तुत किये गये उपर्युक्त विवरण के आधार पर वे नयी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रबंध के विभिन्न स्तरों के कार्यों की अपेक्षा पूरी कर सकेंगे।

(ङ) समिति को कुल मिलाकर लगभग 3,700 अधिकारियों को राष्ट्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत खपाने पर विचार करना था। विभिन्न बीमा कम्पनियों की विशेषता उनके आकार, प्रशासनिक व्यवस्था, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और अधिकारियों के वेतन-मानों की विविधता थी। इसलिये समिति के सामने बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों के बीच सापेक्षता स्थापित करने की समस्या थी। समिति को, भिन्न-भिन्न बीमा कम्पनियों के अधिकारियों के बीच और कभी-कभी उसी कम्पनी के अधिकारियों के बीच एक सीमा तक समता स्थापित करने के लिये समान मानदण्ड तैयार करने थे। इस कार्य में कम्पनियों के कार्य निष्पादन का और उद्योग में आमतौर पर उनकी संगत स्थिति का गहन अध्ययन अपेक्षित था। इन सभी बातों का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाने के बावजूद भी वह अपने कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पायी।

(च) समिति ने सर्वोच्च प्रबन्ध पदों, वरिष्ठ मध्यम प्रबन्ध पदों और मध्यम प्रबन्ध पदों के लिये उपयुक्त समझे गये 708 अधिकारियों की तीन सूचियां तैयार कीं। समिति ने जिन अधिकारियों का वर्गीकरण नहीं किया उनकी संख्या लगभग 3,000 थी।

भारतीय पटसन निगम की पटसन मिलों की ओर बकाया राशि

756. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी समितियों की संख्या क्या है और इस वर्ष कच्चा पटसन खरीदने में उनका क्या योगदान रहा;

(ख) क्या भारतीय पटसन निगम ने केन्द्रीय सरकार से इस वर्ष पटसन खरीदने के लिये 30 करोड़ रुपये की राशि मांगी थी किन्तु उसे धन नहीं दिया गया और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पटसन मिलों ने, गत वर्ष और इस वर्ष सितम्बर, 1974 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन्हें सप्लाई किये गये माल पर निगम को देय राशि का 50 प्रतिशत ही भुगतान किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने पटसन मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सभी पटसन उपजकर्त्ता राज्यों में शीर्ष सहकारी समितियां भारतीय पटसन निगम की ओर से कच्चा पटसन प्राप्त करने के लिये सहमत हो गई हैं। इस मौसम में आशा है कि सहकारी समितियां 126 केन्द्रों के माध्यम से कच्चे पटसन की 5.42 लाख गांठें प्राप्त करेंगी जब कि गत वर्ष 115 केन्द्रों के माध्यम से 2.29 लाख गांठें प्राप्त की गई थीं।

(ख) लगभग 15 लाख गांठों की खरीद के लिये भारतीय पटसन निगम ने अपनी ऋण आवश्यकता 48 करोड़ रु० तय की जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत 17 करोड़ रु० की ऋण सीमा से 31 करोड़ रु० अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुये विचार- विमर्शों से पता चला कि अब

अपनाई जा रही ऋण नीति के कारण ऋण की पर्याप्त अतिरिक्त राशियां उपलब्ध नहीं होंगी । जिन बाजारों में कीमतों में कमी आ रही थी उनमें खरीदारियां करते रहने हेतु भारतीय पटसन निगम को अनुमति देने की दृष्टि से ऋण सीमा को कम से कम बढ़ाकर 25 करोड़ रु० कर देने के लिये सरकार की ओर से अनुरोध किये जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 करोड़ रु० का अतिरिक्त ऋण दे दिया है और कुल ऋण 18 करोड़ रु० हो गया है। ऋण सीमा को और बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

(ग) तथा (घ) 1973–74 मौसम में भारतीय पटसन निगम द्वारा मिलों को की गई बिक्रियों की 23.65 करोड़ रु० कुल राशि में से 30-9-1974 को मिलों के पास बकाया राशि 9.48 करोड़ रु० थी। पुनर्भुगतान के लिये किस्तें निर्धारित करके बिलम्बित भुगतानों को उत्तरोत्तर कम किया जा रहा है। जिन बैंकों के पास मिलों के खाते हैं, मिलों से ऋण की वापसी के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से उनकी सहायता मांगी गई है। भारतीय पटसन निगम उन मिलों को स्टाक नहीं दे रहा है जो किस्तों का भुगतान नहीं कर सकी है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास आयातित अलौह धातु की मात्रा

757. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1974 के अन्त तक खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास आयातित अलौह धातुएं कितनी मात्रा में थी तथा उनकी कीमत कितनी थी;

(ख) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम को उक्त स्टाक उठाने के लिये खरीदार नहीं मिल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या निगम ने एक लाख टन रोक फास्फेट का आयात करने का एक क्रयादेश रद्द कर दिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सितम्बर, 1974 के अन्त में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास अलौह धातुओं की अनुमानित मात्रा तथा उसका मूल्य इस प्रकार था :—

	मात्रा मे० टन	मूल्य लाख रु० में
तांबा	10513	3106
जस्ता	6479	967
सीसा	13489	877
टिन . .	190	164
निकल	640	247

(ख) तथा (ग) आधे वर्ष अप्रेल-सितम्बर, 1974 में, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति के कारण तथा वित्त मिलने में कठिनाई की वजह से आगामी तिमाहियों में अपेक्षाकृत कम रिलीज कीमतों की प्रत्याशा के कारण आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा वास्तविक प्रयोक्ताओं को जारी किये गए रिलीज आदेशों के आधार पर उनके द्वारा अलौह धातुओं की कम सप्लाइयां उठाई गई हैं।

(घ) खनिज तथा धातु व्यापार निगम का विचार है कि रोक फास्फेट का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में घरेलू उत्पादन होने के कारण उसका आयात वर्तमान संविदाओं में सम्मिलित मात्रा से एक लाख मे० टन कम किया जाये।

निर्यातकर्त्ताओं को सहायता के प्रस्ताव

758. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकर्त्ताओं को सहायता देने के मुख्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जैसाकि निर्यात संवर्धन के सचिव ने भारतीय निर्यात संगठन संघ की वार्षिक सामान्य बैठक में हाल ही में संकेत दिया है; और

(ख) यदि हां, तो नये नीति की मुख्य बातें क्या हैं और वह कब तक क्रियान्वित की जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार मामले से अवगत है तथा कतिपय प्रस्थापनायें सरकार के विचाराधीन हैं। अन्तर्ग्रस्त विभिन्न बातों की विस्तृत जांच के पश्चात् लिये गये विनिश्चय 1975–76 के लिये पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति के साथ घोषित किये जायेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से सहायता

759. **श्री एस० आर० दामाणी** :
श्री अनादि चरण दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता के बारे में हाल में किए गए विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला है;

(ख) क्या कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मख्य बात क्या हैं और क्या ये प्रस्ताव सरकार की आशा के अनुकूल हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका चालू वर्ष के बजट उपबन्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक वार्षिक बैठकों में संसार के सामने उपस्थित मुद्रा सम्बन्धी समस्याओं के सभी पहलुओं और विकासशील देशों को उपलब्ध किये जाने वाले साधनों पर विचार-विमर्श किया गया । सामान्यत: ऐसी बैठकों में कोई खास फैसले नहीं किये जाते हैं; इस अवसर पर कार्य सूची में जो विषय शामिल किये गये थे उनमें मुद्रा सुधार के बारे में और आगे विचार-विमर्श करने के लिए मंत्रियों की एक अन्तरिम समिति की स्थापना करने और विकासशील देशों को वास्तविक साधन उपलब्ध करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए विकास समिति के नाम से कोष और बैंक की एक मंत्री-स्तरीय संयुक्त समिति की स्थापना करने का प्रस्ताव था । ये दोनों समितियां स्थापित की जा चुकी हैं और भारत इन दोनों का सदस्य है । इन बैठकों में वित्तीय दृष्टि से कोई वचन नहीं दिया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

तम्बाकू के निर्यात के बारे में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ वार्ता

761. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रसल्स और रोम में हुई वार्ताओं के दौरान भारत में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ तम्बाकू के निर्यात के बारे में बातचीत करने का प्रयत्न किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1972-73 में कुल कितना तम्बाकू निर्यात किया गया और उक्त अवधि के दौरान सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा ख) कोटा तथा टैरिफ के मामलों में अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय तम्बाकू के लिए बेहतर स्थान पाने हेतु समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा सदस्य राज्यों के प्राधि-कारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है ।

(ग) 1972-73 के दौरान तम्बाकू का कुल निर्यात 947.6 लाख कि०ग्रा० था तथा इस अवधि के दौरान उससे अर्जित विदेशी मुद्रा 6107 लाख रुपये थी ।

न्यायालयों में तस्करी सम्बन्धी विचाराधीन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिये कार्यवाही

762. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई में न्यायालयों में ऐसे तस्करों के विरुद्ध 600 से अधिक मामले विचाराधीन हैं जिन्हें कुछ वर्षों पूर्व गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिये क्या कार्यवाही करने के सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) क्या पहले उन पर केवल जुर्माना कर दिया जाता था और उन्हें जेल नहीं भेजा जाता था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) बम्बई स्थित विभिन्न न्यायालयों में तस्कर-व्यापारियों के विरुद्ध लगभग 188 मामले अनिर्णीत पड़े हैं।

(ख) विधि आयोग ने अपनी सैंतालीसवीं रिपोर्ट में, आर्थिक अपराधों के मुकदमें के सम्बन्ध में विलम्ब नहीं होने देने की दृष्टि से, विशेष न्यायालय कायम करने और कार्यविधियों में संशोधन की सिफारिश की है। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(ग) 1972 से अब तक जिन 321 मामलों में निर्णय किया गया है उनमें से केवल 62 मामलों में जुर्माना किया गया है और लगभग 175 मामलों में केवल एक दिन की साधारण सजा दी गई है।

कम्पनियों द्वारा विदेशी ट्रेड नामों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

763. **श्री भागीरथ भंवर** :

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियां कोई पैसा लेकर अपने विदेशी नामों का प्रयोग करने की अनुमति देती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकने की दृष्टि से उपभोक्ता उद्योग के क्षेत्र में विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत इस बारे में तत्काल कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 के अधीन विदेशी व्यापार चिन्हों/व्यापारिक नामों को जारी रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों से यह पता चलता है कि कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें विदेशी कम्पनियों ने अपने व्यापार-चिन्हों/व्यापारिक नामों को कुछ अन्य लाभ लेकर प्रयोग करने की अनुमति दी है।

(ख) और (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 के अधीन उन विदेशी कम्पनियों या भारतीय कम्पनियों को, जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक अनिवासियों के शेयर हों, अपने व्यापार-चिन्हों/व्यापारिक नामों का प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की सामान्य या विशेष स्वीकृति लेनी होती है। इस सम्बन्ध में कमार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

764. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री शंकर दयाल सिंह :
श्र एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री डी० के० पंडा :
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयकर प्राधिकारियों द्वारा राज्यवार कितने कर-अपवंचकों पर कितने छापे मारे गये और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कुल कितनी छिपाई हुई परिसम्पत्तियों का पता चलाया गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) विभिन्न आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में आय-कर अधिकारियों द्वारा अप्रैल से सितम्बर, 1974 की अवधि में ली गई तलाशियों की संख्या और इन तलाशियों में पकड़ी गई सम्पत्तियों का मूल्य संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है ।

(ख) प्रत्यक्ष-कर अधिनियमों में कर-अपवंचन के लिए किसी भी व्यक्ति को वैसे गिरफ्तार करने अथवा नज़रबन्द में रखने की कोई व्यवस्था नहीं है । सभी मामलों में पकड़ी गई सामग्री की जांच-पड़ताल की जा रही है । जिन मामलों में नगदी और अन्य कीमती वस्तुएं पकड़ी गई हैं उनमें आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 132(5) के अधीन, अघोषित आय का सरसरी तौर पर अनुमान लगाते हुए आदेश जारी करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है । कानून के अनुसार यथा आवश्यक, आगे की कार्यवाही भी की जायगी । दण्ड लगाने और/अथवा इस्तगासे की कार्यवाही जिन मामलों में आवश्यक होगी, उनमें की जायेगी ।

विवरण

आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई सम्पत्तियों का कुल मूल्य
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	2	—
असम . .	2	—
बिहार	13	20,56,000
बम्बई	53	1,17,36,188
दिल्ली	30	1,18,92,194

1	2	3
गुजरात	16	20,17,774
केरल .	36	10,83,857
कानपुर	86	49,94,250
लखनऊ .	16	29,16,473
भोपाल	2	28,900
मद्रास (तमिल नाडु)	41	40,64,184
नागपुर . .	5	—
कर्नाटक	16	12,23,921
पूना .	51	20,90,426
पटियाला	164	42,32,719
राजस्थान	6	26,45,000
पश्चिम बंगाल	19	19,18,611
अमृतसर	64	65,23,103
उड़ीसा	1	—
कुल	623	5,94,23,600

पंजीकृत निर्यातकों का विदेशी मुद्रा का नियतन

765. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में किये गये अध्ययन से पता चलता है कि पंजीकृत निर्यातकों को आवंटित की जाने वाली विदेशी मुद्रा में कई गुना वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 1972-73, 1973-74, 1974-75 में कितनी विदेशी मुद्रा उन्हें दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) आयात लाइसेंस पंजीकृत निर्यातकों को सम्बद्ध राजस्व वर्ष की आयात व्यापार नियंत्रण नीति के उपबन्धों के अनुरूप ही जारी किये जाते हैं । पंजीकृत निर्यातकों के लिए अलग से कोई विदेशी मुद्रा निर्धारित नहीं की जाती ।

42 LSS/74--17

(ख) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 (27-7-74 तक) के दौरान, पंजीकृत निर्यातक योजना के अन्तर्गत निर्यातकों के नाम जारी किये गये आयात लाइसेंसों और विदेशी मुद्रा आर्डरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

	1972-73	1973-74	1974-75 (27-7-74 तक)
आयात लाइसेंसों का मूल्य	135.99	151.25	39.44†
विदेशी मुद्रा आर्डरों का मूल्य	47.64	68.03	18.59†

† अनन्तिम

Import of Consumer Commodities

766. **Shri Madhavrao Scindia :**
Shri Ishwar Chaudhury :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri S.R. Damani :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the consumer commodities being imported;

(b) the expenditure in Indian currency and foreign exchange incurred on each of the commodities during the last three years separately;

(c) circumstances compelling import of these commodities in each cases;

(d) the names of the commodities import of which is proposed to be banned by Government; and

(e) the specific action being taken by Government with a view to reduce the import of these consumer goods in the coming years?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) to (e) The consumer commodities are mainly mentioned in Part IV of the Import Trade Control Schedule. The import policy governing these items is contained in the import Trade Control Policy (Red Book), Volume I, for the year 1974-75. Import statistics relating to these commodities are published by the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta.

The import of most of the consumer commodities is banned. Import is, however, allowed in cases where it is considered essential. The import policy of consumer items is under constant review and, at the time of formulation of the annual import policy, a complete review is undertaken, in consultation with the technical authorities concerned, and keeping in view the foreign exchange position, the indigenous availability of the item concerned the quality of Indian products, the import substitution needs and the consumer interest, etc.

इंडियन एयरलाइन्स में तालाबन्दी

767. श्री नूरुल हुडा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन इयरलाइन्स में कुछ महीने पूर्व घोषित की गयी तालाबन्दी को अभी तक किन कारणों से पूर्णतः नहीं उठाया गया है;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक और उसके कर्मचारियों द्वारा विवाद आपसी बातचीत से तय कर लिया गया है; और

(ग) क्या तालाबन्दी की घोषणा के बाद कर्मचारियों पर अत्यधिक कार्यभार के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट मिली है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) तालाबन्दी से पूर्व कारपोरेशन की सेवा में 15977 कर्मचारियों में से 10 के सिवाय सभी कर्मचारी या तो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संघों द्वारा नई शिफ्ट प्रणाली के अनुसार काम करने तथा अपव्ययी कार्य पद्धतियों को समाप्त करने के लिए प्रबन्धकवर्ग को सहयोग प्रदान करने का समझौता करने के पश्चात् अथवा कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप में इस प्रकार के शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर कर देने के पश्चात् काम पर लौट आए हैं । इस प्रकार के सभी कर्मचारियों के लिए तालाबन्दी उठा ली गयी है । केवल एक यूनियन ने, अर्थात् एयर कारपोरेशन्स एम्पलाईज यूनियन, जिसकी गैर-तकनीकी वर्गों की सदस्य संख्या 11,000 से अधिक है, अभी समझौते पर हस्ताक्षर करने हैं हालांकि इस यूनियन द्वारा प्रतिनिधित्व किये गये सभी कर्मचारियों ने, सिवाय 10 के, व्यक्तिगत रूप में शपथ-पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा ड्यूटी पर लौट आए हैं । जैसे ही शेष 10 कर्मचारी व्यक्तिगत रूप में शपथ-पत्र दे देते हैं अथवा जब एयर कारपोरेशन्स एम्पलाइज यूनियन का प्रबन्धकवर्ग के साथ कोई समझौता हो जाता है तो उनके बारे में भी तालाबन्दी उठा ली जाएगी ।

(ग) जी, नहीं ।

तस्कर गिरोहों के नये नेता

768. श्री एस०ए० मुरुगनन्तम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तस्कर गिरोहों के नेताओं के भूमिगत हो जाने पर विदेशी तस्कर गिरोहों के नेताओं नें न केवल अपना कार्य-स्थल बदल दिया है बल्कि वे नये नेताओं की भर्ती कर रहे हैं और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा की जानी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सरकार को इस संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं मिली है। तथापि, तस्करों की गतिविधि पर सतत निगरानी रखी जाती है और स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार निवारक कर्मचारी नियोजित किये जाते हैं तथा गुप्त-सूचना कार्य को तेज कर दिया जाता है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण

770. **श्री पी०एम० सईद : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके कार्यालय के अधीन कुछ स्वायत्तशासी निकायों जैसे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने सरकार के उन आदेशों का पालन करने का विरोध किया है जिनके अनुसार पदोन्नति के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया जाना चाहिए ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में प्राप्त हुई कानूनी राय ने भी इस बात का समर्थन किया है कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ऐसे स्वायत्तशासी निकायों द्वारा भी अपनायी जायें; और

(ग) यदि हां, तो क्या सम्बद्ध अधिकारियों को उपयुक्त अनुदेश दे दिये गये हैं और क्या ऐसे सभी संगठनों ने इस नियम का पालन करना शुरू कर दिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति सम्बन्धी आरक्षणों के बारे में सरकारी आदेशों के अनुपालन में कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां व्यक्त की हैं।

(ख) जी, हां। इस आधार पर इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया को आरक्षण सम्बन्धी सरकारी आदेशों का अनुपालन करने के बारे में अनुदेश जारी किये गये थे।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को इन आदेशों के अनुपालन में कुछ कठिनाइयां हो रही हैं जिनका समाधान किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय वायुपतन प्राधिकरण में सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण

771. **श्री पी० एम० सईद : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वायुपत्तन प्राधिकरण और इसके प्रादेशिक कार्यालय के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के मामले में सरकारी अनुदेशों का पालन करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यालयों में इन अनुदेशों का पालन किस तिथि से किया जा रहा है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं और सीधी भर्ती और अथवा पदोन्नति द्वारा भरे गये पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या ठोस उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) प्राधिकरण द्वारा इन अनुदेशों का 23 मई, 1973 से ही पालन किया जा रहा है, जिस तारीख को कि सरकारी आदेश जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए

आरक्षण विषयक अनुदेश दिये गये थे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण को जारी किया गया था। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विशेष कदम उठाये हैं; जैसे रिक्तियों को विशेष करके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित करना, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रियायती स्तर वाले पृथक साक्षात्कारों/परीक्षाओं का आयोजन, इत्यादि।

मौसम विज्ञान विभाग और एयर इंडिया कार्यालयों में सेवा संरक्षण

772. **श्री पी० एम० सईद:**
श्री एस० एम० सिद्दया:

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय ने (1) बम्बई और पूना स्थित मौसम विज्ञान विभाग (2) बम्बई स्थित एयर इंडिया के कार्यालयों में सेवा रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में नमूना अध्ययन किए हैं और इन कार्यालयों में ठीक प्रक्रियाओं के पालन में कुछ कमियां बताई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो बताई गई इन कमियों को दूर करने के लिए क्या ठोस उपाय किए गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी, हां। दोषों को दूर करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आवश्यक कार्रवाई की है तथा इस मामले में अपने कार्यालयों को अनुदेश भी जारी किए हैं। एयर-इंडिया भी इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। तथापि, एयर-इंडिया पदोन्नति में आरक्षणों से सम्बन्धित आदेशों को क्रियान्वित करने के बारे में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं जिन्हें हल किया जा रहा है।

आयात-निर्यात लाइसेंस दिये जाने के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को रियायतें

773. **श्री पी०एम० सईद :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-निर्यात लाइसेंस दिये जाने के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कोई रियायत दी जा रही है जिससे इन समुदायों के आर्थिक विकास के लिए इन्हें यह व्यापार आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो ये रियायतें क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में कितने मामलों में ये रियायतें दी गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता हवाई अड्डे के रास्ते उड़ानें

774. **श्री समर गुह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे से होकर उड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों की उड़ानों की संख्या में गत 4 मास में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त आय हुई ;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के सम्बन्ध में कलकत्ता हवाई अड्डे की सुधरी स्थिति के बारे में अन्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) अधिक अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को कलकत्ता हवाई अड्डे का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) शीतकालीन समय सारणी में, जो कि 1 नवम्बर, 1974 से लागू है, ग्रीष्मकालीन समय सारणी की अपेक्षा एक उड़ान की वृद्धि हुई है।

(ख) अवतरण प्रभारों से प्राप्त आय में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) एक नए टर्मिनल भवन, एक परिचालन खंड, पहुंच मार्गों, आधुनिक रेडियो दिकचालन उपकरण, तथा सुविकसित राडार उपस्कर की व्यवस्था कर दी गयी है। भारत पर्यटन विकास निगम भी पर्यटन सुविधाओं में अभिवृद्धि करने के लिए विमानक्षेत्र पर एक होटल का निर्माण कर रहा है ।

(घ) सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनें कलकत्ता का अपनी अधिकारों की अधिकतम सीमा तक प्रयोग करें।

एयर इंडिया में जबरन छुट्टी पर भेजे गये कर्मचारी

776. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंड़िया ने अपने कुछ कर्मचारियों की सेवाएं जबरन समाप्त कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धकों ने कितने कर्मचारियों की सेवाएं इस प्रकार समाप्त की हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) 1214

(ग) ये कर्मचारी विमानचालकों की हड़ताल के परिणाम-स्वरूप कार्य से हटा दिये गये थे। हड़ताल के समाप्त कर दिये जाने पर एयर इंडिया के प्रबंधक-वर्ग ने कार्य से हटाये हुए कर्मचारियों को 1 नवम्बर, 1974 से पुनः कार्य पर बुला लिया है।

Dearness Allowance payable to Central Government Employees

777. **Shri Jagannath Mishra :**
Shri Shashi Bhushan :
Shri S.M. Banerjee :
Shri Vasant Sathe :
Shri Anadi Charan Das :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of instalments of Dearness Allowance that have become due to the Central Government Employees after April, 1974 and the number of instalments already paid to the employees;

(b) whether the Dearness Allowance due to the Central Government Employees for the months of June and July, 1974 has been paid to the employees; and if not, the reasons therefor;

(c) whether further instalments of D.A. for the months of August and September, 1974 have also become due to the employees; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (d) : According to the Scheme of dearness allowance as recommended by the Third Pay Commission and accepted by Government, dearness allowance is payable on the 12 monthly average of the all India Consumer Price Index for Industrial Workers (1960-100) going up by every 8 points and a review is to be made, should the price level rise above the 12-monthly average of 272. As the Index average crossed 256, 264 and 272, at the end of May 1974, June 1974 and August 1974, respectively, three instalments of additional dearness allowance have become due to Central Government employees after April, 1974. Six instalments of dearness allowance have been sanctioned since 1st January, 1973. The question of sanctioning the instalments which have become due after April, '74 is under the consideration of Government.

ऋण प्रतिबन्धों में ढील देने के लिये पटसन उद्योग का अनुरोध

779. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग ने सकार से ऋण प्रतिबंधों में ढील देने का अनुरोध किया है क्योंकि यदि ऐसा न किया गया तो उत्पादन बढ़ने से पटसन माल के निर्यात में हुई वृद्धि से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय में कमी होगी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक को लिखा गया है।

कपड़े के मूल्य में कमी

780. श्री चन्दू लाल चन्द्रकर :
श्री पी० वेंकटा सुब्बाया :
श्री त्रिदिब चौधरी :
श्री बनमाली पटनायक :
श्री धामनकर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कपड़े के मूल्य में भारी गिरावट आई है ;

(ख) क्या अहमदाबाद की मिलों में 40 करोड़ रुपये मूल्य की कपड़े की गांठें जमा हो गई हैं ;

(ग) क्या कपड़ा मिलों को बाध्य होकर तीसरी पाली बन्द करनी पड़ी ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ऐसी सूचना मिली है कि वस्त्र मिलों ने 7 से लेकर 20 प्रतिशत तक की छूट की दरों पर कपड़ा बेचना शुरू कर दिया है।

(ख) अहमदाबाद में मिलों में कुछ कपड़ा जमा हो गया है, परन्तु ऐसे कपड़े का सही मूल्य आंकना संभव नहीं है।

(ग) ऐसी सूचना मिली है कि अहमदाबाद में लगभग 44 कंम्पोजिट मिलों ने पूर्णतः अथवा अंशतः तीसरी पारी का काम बन्द कर दिया है।

(घ) उद्योग के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया गया है, उन्हें बिक्री कीमत में कम से कम 25 प्रतिशत की कमी करने की सलाह दी गई है। वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में नियुक्त एक अध्ययन दल कपड़े के स्टाकों के जमा हो जाने की समस्या पर विचार कर रहा है और आशा है कि वह निकट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

Arrest of Yusuf Patel and his accomplices

781. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the arrested smuggler Shri Yusuf Patel and his other accomplices were brought to Delhi by a special plane;

(b) whether they have disclosed the names of their other fellow smugglers;

(c) whether goods have been seized by carrying out raids in Delhi on the basis of information given by them; and

(d) if not, the reasons for bringing them to Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Shri Yusuf Abdulla Patel was detained in Baroda jail. He, along with some other detenues, was brought to Delhi by a special plane.

(b) The Government have no information.

(c) In view of (b), the question does not arise.

(d) These detenues were shifted to Delhi to keep them sufficiently away from the main area of their smuggling activities.

Arrest of Smugglers

782. Shri Chandulal Chandrakar :
Shri Chandra Shekhar Singh:
Shri Narendra Singh :
Shri C.K. Chandrappan :
Shri Mati Savitri Shyam :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri N.K. Sanghi :
Shri Vasant Sathe :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of smugglers arrested after the promulgation of the Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance;

(b) the names of prominent smugglers among them and the value of smuggled goods recovered from them;

(c) whether these smugglers were in league with certain foreign smugglers;

(d) whether any foreign smuggler has also been arrested; and

(e) what has been the impact of these operations on economic conditions in the country ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b 19 persons have been detained under detention orders issued by the Government of India under the provisions of the Maintenance of Internal-Security (Amendment) Ordinance, 1974. Their names are given in the Annexure-A. In addition the respective State Governments have detained more than 550 other persons involved in smuggling or activities prejudicial to conservation of foreign exchange.

Information regarding the value of goods recovered from the detenues, after their detention, under the Ordinance, is being collected and will be laid on the table of the House.

(c) According to the intelligence reports some of the persons detained reportedly have links with foreign smugglers.

(d) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

(e) As a result of the steps taken to strengthen the anti-smuggling set-up, including the action taken under the Ordinance, there has been a near lull in the smuggling activities and to that extent their harmful effects on the country's economy have been restrained.

Statement

S. No.	Name of the Detenue
1.	Arvind Niladhar Dholokia
2.	Lalit Dholokia
3.	Nanu Desai @Nanu Customs
4	Champalal Punjaji Shah
5.	Nainmal Punjaji Shah
6.	Kantilal Nanchand Shah
7.	Yusuf Abdulla Patel
8.	Lallu Joggi
9.	Haji Mastan Mirza
10.	Ghamandiram Kewalji Gowani
11.	Nathalal Rupsi Shah
12.	Sukar Naran Tindela @ Bakia
13.	Bhana Kalpa Patel
14.	Ratilal Deva
15.	Varadhraj Munuswami
16.	Rajabally Hirji Meghani
17.	K.S. Abdulla
18.	S.M.A. Siddique
19.	V.M.G. Mariappa Vandyar

Seizure of Contraband Opium

783. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether contraband opium worth Rs. 50 lakhs was seized by the Excise Department in the district of Mandsaur in September, 1974; and

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) It is not a fact that contraband opium worth Rs. 50 lakhs was seized by the Excise Department in the district of Mandsaur in the month of September, 1974. Contraband opium worth Rs. 5000/- approximately was however, seized by the Excise Department in the District of Mandsaur in the month of September, 1974.

(b) Two persons have been arrested and are being proceeded against according to law.

Plane Crash Near Tezpur in September, 1974

784, Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether an aeroplane crashed near Tezpur in Assam in the first week of September, 1974;

(b) if so, the number of persons killed in the said air crash and whether any enquiry has been conducted by Government in regard thereto; and

(c) if so, the result thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c) : No civil aircraft crashed near Tezpur in the first week of September, 1974. A military aircraft was however involved in an accident near Tezpur in September, 1974 and the Defence Ministry are conducting an enquiry into the matter.

Retrenchment Notices to Employees Working in India International Trade Fair, 1974

785. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether as a result of the postponement of the International Trade Fair. 1974 by Government, retrenchment notices are being served for the last several months on the temporary employees working for the Fair;

(b) whether Government do not propose to organise any fair in the near future;

(c) if not, whether Government propose to absorb these temporary employees in their attached and other offices; and

(d) if so, the salient features of Government's proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government propose to permit the Association of Engineering Industries to organise an Indian Engineering Trade Fair in February 1975 in the Exhibition Grounds (Pragati Maidan).

(c) & (d) Efforts are being made to find to the extent possible, alteranative employment for all temporary employees under notice of retrenchment.

सेंट्रल बैंक ग्राफ इंडिया द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये जाली ऋण ग्रौर वसूल न किये जा सकने वाले ऋण

786. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल बैंक ग्राफ इंडिया द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये जाली ऋण ग्रौर वसूल न किये जा सकने वाली ऋण की राशि कुल ऋणों की राशि के 50 प्रतिशत से भी ग्रधिक हो गई :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; ग्रौर

(ग) इस समय कृषि प्रयोजन के लिये कितने प्रतिशत ऋण दिया जा चुका हैं।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से चला है कि छोटे पैमाने के उद्योगों को दिए गए अग्रिमों की कुल बकाया राशि जून, 1974 के अन्त में 67.60 करोड़ रुपये थी जो बैंक द्वारा दिये गये 706.96 करोड़ रुपये के सकल ऋणों का 9.6 प्रतिशत बैठती है। बैंक के विचार में इनमें से अधिकांश राशि वसूली योग्य है और अयोग्य एवं संदिग्ध ऋणों के विषय में बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों के परामर्श एवं अपेक्षा के अनुरूप यथावश्यक पर्याप्त उपचार किये जा रहे हैं। किन्तु बैंकिंग कम्पनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 13 के साथ पठित बैंककारी विनिमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के और उसके अन्तर्गत विहित तुलन-पत्र एवम् लाभ-हानि लेखा के अधीन अशाध्य एवं संदिग्ध ऋणों के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की गयी व्यवस्थाएं प्रकट नहीं की जा सकती हैं।

(ग) इस बैंक द्वारा कृषि के लिए दिए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के ऋणों की कुल बकाया राशि जून, 1974 के अन्त में 73.69 करोड़ रुपये थी जो कि बैंक द्वारा दिए कए कुल ऋण और अग्रिमों का 10.4 प्रतिशत है।

आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये तस्करों के मामलों के साथ निपटने के लिये विशेष सैल बनाना

787. **श्री के लकप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 'आंसुका' के अधीन गिरफ्तार किये गये प्रमुख तस्करों के मामलों के साथ निपटने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर आय कर विभागों में विशेष सैल बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) गिरफ्तार किये गये तस्करों के कितने मामले निपटाये जा चुके हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इस प्रयोजन के लिए ऐसे सैल खोले गये हैं ; और

(ग) अब तक गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उनके मामले कब तक निपटा दिये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये तस्कर व्यापार करने वाले व्यक्तियों और उनके सहयोगियों आदि के मामलों में कार्यवाही के लिए आयकर-विभाग क्षेत्रीय ोर केन्द्रीय, दोनों ही स्तरों पर, एक पृथक एककों का संगठन कर रहा है।

(ख) और (ग) : प्रस्ताव है कि विशेष एकक, अहमदाबाद, बम्बई कोचीन, मद्रास और कलकत्ता में संगठित किये जाएं। इस सम्बन्ध में ब्योरा तैयार किया जा रहा है। जांच-पड़ताल शुरू की जा रही है। इनके पूरा होने में संभवतः समय लगेगा।

अमरीकी सहायता में कटौती

788. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि भारत को दी जाने वाली सहायता में कटौती करने संबंधी विधेयक पर अमरीकी कांग्रेस ने अपना मत दे दिया है :

(ख) यदि हां तो, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इससे भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारत में अमरीकी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर क्या कुप्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) इस स्थिति का सामना करने के लिए कौन स उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी, नहीं । अमरीकी वित्तीय वर्ष 1975 के लिए अमरीकी विदेशी सहायता विधेयक इस समय सं गुक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस के विचाराधीन है। इस सहायता विधेयक में, भारत को कुछ सहायता देने की व्यवस्था है। लेकिन, इस विधेयक का अन्तिम रूप क्या होगा, यह अनुमान लगाना अभी समय पूर्व होगा ।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा नहीं होते ।

कांडला नि ... ीन)

789. **श्री एस० एन० सिंह० देव :**
श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला में निर्वाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने सम्बन्धी मौलिक उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इसके कार्यकरण के बारे में कोई मूल्याकन किया है और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मुख्य उद्देश्य हैं:—

(i) भारतीय निर्यातों का समर्थन करना तथा अधिक विदेशी मुद्रा कमाना,

(ii) कांडला पत्तन पर पहले ही विकसित सु वधाओं का पूर्ण उपयोग करना ; और

(iii) कांडला गांधी धाम क्षेत्र की रोजगार संभाव्यता को बढ़ाना ।

(ख) कांडला विधि व्यापार क्षेत्र में कार्य निष्पादन का आकलन निरन्तर आधार पर किया जाता है। निर्यात निष्पादन में सुधार देखा गया है । सरकार ने
करने और क्षेत्र के विकास की गति में तीव्रता लाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहनों के संबंध में विनिश्चय करने आदि के लिए वा णज्य उप-
के लिए एक उच्चशक्ति प्राप्त संचालन बोर्ड (अब प्राधिकरण का नाम दिया गया है) स्थापित कर दिया है बोर्ड (जिसे अब प्राधिकरण का रूप दे दिया गया है) की तीन बैठकें हो चुकि हैं और उसने क्षेत्र की मौलिक तथा विद्यमान समस्याओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लये ।

संयुक्त राष्ट्र आपात आपरेशन से भारत को वित्तीय सहायता

790. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र आयात आपरेशन से जिसका उद्देश्य तेल संकट ग्रस्त विकासशील राष्ट्रों को वित्तीय सहायता देना है, भारत कितनी सहायता प्राप्त करने का हकदार है;

(ख) अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई है और आगामी वर्ष में कितनी राशि मिलने की आशा है; और

(ग) क्या दाता देशों से पहले ही प्राप्त ऋणों के कारण भारत को उसका पूरा शेयर मिलने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ग) : संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन 29 देशों की एक सूची बनायी है, जिन पर हाल की मूल्य वृद्धि का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र आपात कार्यक्रम को दिये जाने वाले अंशदानों की राशियों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और इसलिए मूल्य-वृद्धि से प्रभावित होने वाले देशो को दी जाने वाली सहायता की अनुमानित रकम के बारे में अथवा उसमें भारत के अनुमानित हिस्से के बारे में इस समय कुछ भी बताना संभव नहीं है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र आपात कार्यक्रम के अंतर्गत भारत को अब तक 70 लाख दालर की सहायता मिली है ।

आयात में वृद्धि

791. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में की गई खरीद में 80 से 400 प्रतिशत तक भारी वृद्धि हुई है जबकी निर्यात में केवल लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ख) यदि हां, तो देश के आयात-निर्यात व्यापार को संतुलित करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है; और

(ग) किन-किन स्रोतों से तथा किस प्रकार अतिरिक्त भार को पूरा किया जा सकता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) : अप्रैल-अगस्त, 1974 की अवधि के दौरान, जिसके संबंध में आंकड़े उपलब्ध है, हालांकि निर्यात अपेक्षाकृत 48 प्रतिशत अधिक रहे किन्तु गत वर्ष के उन्हीं महीनों की तुलना में आयात 54 प्रतिशत अधिक हुए जिसके परिणामस्वरूप 142 करोड़ रु० का प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन रहा। प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन को कवर करने के लिए संभव सीमा तक माल तथा सेवाओं के निर्यात अनुकूलन करने और साथ ही आयात आवश्यक मदों तक सीमित करने और आयात प्रतिस्थानी माल का प्रयोग अधिक से अधिक बाने के लिए उपाय करने क वचार है।

युगांडा व्यापार प्रतिनिधिमंडल का दौरा

792. **श्री वीरभद्र सिंह :**
श्री बनमाली बाबू :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगांडा व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने अक्तूबर, 1974 में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की चर्चा की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां, एक क्रय मिशन ने 9 अक्तूबर, 74 से 15 अक्तूबर, 74 तक भारत का दौरा किया।

(ख) युगांडा मिशर के नेता हमारे उप-वाणिज्य मंत्री से मिले थे तथा दोनों देशों के बीच व्यापार के विकास के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया गया था। मिशन विभिन्न प्रकार की मशीनरी, भेषतह, ग्राम तिजारती माल तथा भारी वाहन खरीदना चाहता था। तदनुसार उन्होंने भारत में सम्बद्ध संगठनों, विनिर्माताओं तथा निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ विचार विमर्श किया तथा अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की खरीद के लिए संभावनाओं का पता लगाया।

कपड़ा मिलों की संदिग्ध प्रक्रियायें

793. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कपड़ा उद्योग द्वारा लगाये गये इन आरोपों की जानकारी है कि कुछ मिलें उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए संदिग्ध प्रक्रियाओं का पालन कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इन आरोपों की सत्यता के बारे में जांच की है ;

(ग) उक्त जांच के क्या परिणाम निकले; और

(घ) उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) ऐसे कोई आरोप सरकार के ध्यान में नहीं लाए गए हैं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

जीवन बीमा निगम द्वारा निधियों के निवेश के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

794. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा निधियों के निवेश के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये नये मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सरकार द्वारा यथा अनुमोदित जीवन बीमा निगम की नई निवेश पालिसी की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:—

1.	जीवन बीमा निगम की नियंत्रित निधि में वार्षिक वृद्धि का प्रतिशत अनुपात
(i) केन्द्रीय सरकार की विपण्य प्रतिभतियां जो इससे कम न हों . .	25
(ii) उपर्युक्त (i) सहित सरकारी गारंटीकृत विपण्य प्रतिभूतियों को मिलाकर केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां, जो इससे कम न हों .	50
(iii) उपर्युक्त (ii) सहित समाजोन्मुख क्षेत्र में, जिसमें सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, पालिसीधारकों द्वारा गृह निर्माण अपनी मालिकी का घर बनाओ योजना आदि शामिल है, जो इससे कम न हो .	75
(iv) निजी क्षेत्र	10
(v) पालिसीधारियों को ऋण .	8
(vi) अचल सम्पत्ति	2
(vii) वह निधि जो व्यय के अनुसार नियोजित होने से निवेश के लिए उपलब्ध नहीं है	5

2. निजी निगमित क्षेत्र में जीवन बीमा निगम को मध्यम क्षेत्र उद्योग में निवेश के उपयुक्त माध्यम का पता लगाने के लिए अधिक सतर्क प्रयत्न करने चाहिए।

3. जी०बी०नि० को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन राज्यों में इसके निवेश का वसूल किये गये प्रीमियमों से अनुपात अखिल भारतीय औसत से कम है, वहां स्थिति को यथा संभव शीघ्र सुधार लिया जाए। इस प्रयोजन के लिए, जी०बी०नि० को नई योजनाएं, तैयार करने की संभावनाओं की खोज करनी चाहिए जो इन राज्यों की आवश्यकताओं और संस्थानिक क्षमताओं के अनुरूप हों। तथापि इन योजनाओं के लिए योजना आयोग की स्वीकृति आवश्यक होगी।

केन्द्रीय बिक्री कर के अपवचन का पता लगाने के लिये मारें गये छापे

795. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में अक्तूबर, 1974 में मारे गये छापों के परिणामस्वरूप कितने केन्द्रीय बिक्री कर के अपवंचन का पता लगा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : केन्द्रीय बिक्री कर का प्रशासन कानूनन राज्यों सरकारों को सौंपा हुआ है जो इसे वसूल करते हैं और वे कर संग्रह को रख लेते हैं। इसलिए प्रश्न में मांगी गई सूचना राज्य सरकारों से मांगी गयी है और मिलते ही उसे समेकित करके सदन-पटल पर रख दिया जायगा।

रूस से रूई का आयात

796. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार से रूई का आयात करने के बारे में एक करार करने के बारे में विचार विमर्श हो रहा था,

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की प्रस्तावित शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या इस बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जबकि हाल ही की भारत-सोवियत संघ व्यापार वार्ताओं के दौरान सोवियत संघ से कुछ मीडियम स्टैपल रूई के आयात की संभावना पर विचार किया गया है, इस संबध में न तो अभी तक कोई विनिश्चय किया गया है और न किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित अध्ययन बलों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

797. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री 23 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3351 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा दिये गये ऋण का उनके (बैंकों) द्वारा पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्यवाही संबंधी अनेक पहलुओं के संबंध में बैंकों द्वारा पर्यवेक्षण की वर्तमान प्रक्रिया को और अधिक सुधारने की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल के निष्कर्ष क्या हैं, और

(ग) सरकार ने अध्यन दल के निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :(क) बैंक ऋण के विषय में अनुवर्ती कार्रवायी के संबंध में निर्देशक सिद्धांत बनाने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अध्ययन दल का विचार-विमर्श अभी चल रहा है। फिर भी इन विषय में और अधिक गहराई से अध्यन पूरा होने तक, इस अध्ययन दल ने हाल ही में बड़े उद्योगों के वस्तुसूची विषयक मानकों (इन्वेंट्री नार्म्स) के बारे में एक अन्तरिम नोट भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया है।

(ख) अध्ययन दल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे गये अन्तरिम नोट में उल्लिखित प्रमुख सुझाव संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अध्ययन दल के वस्तुसूची विषयक मानकों संबंधी अन्तरिम सुझावों को स्वीकार कर लिया है और तदनुसार उसने बैंकों को सलाह दी है कि वे कच्चे माल, तैयार माल और प्राप्यताओं पर दिए गए ऋणों के विषय में इन मानकों को प्रयोग के तौर पर अपना

लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी अनुरोध किया है कि वे इन मानकों को लागू करने में होने वाले अपने अनुभवों के आधार पर उद्योग बार अपनी रिपोर्ट, फरवरी, 1975 के अन्त तक भेज दें। उनसे यह भी कहा गया है कि इस रिपोर्ट में अपनी टिप्पणियां और इन मानकों में सुधार के विषय में कोई सुझाव देने हों तो वह भी प्रस्तुत करें। इस प्रकार मिलने वाली सूचना से अध्ययन दल को अपनी अन्तिम रिपोर्ट तैयार करने में, अपना दृष्टिकोण निर्धारित करने में सहायता मिलेगी।

विवरण

अध्ययन दल ने अपने अन्तरिम नोट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा है कि बड़े उद्योगों की वस्तुसूची (इन्वेंट्री) विषयक मानकों से संसाधनों के संवितरण में और अधिक साम्य सुनिश्चित होगा और चूंकि वर्तमान परिसम्पत्ति में अधिकांशतः बैंक वित्त लगा होता है, अतएव ये मानक उत्पादन के लिए ऋण के आवंटन को भी और बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तदनुसार, अध्ययन दल ने प्रायोगिक तौर पर निम्नलिखित बड़े उद्योगों के लिए वस्तुसूची और प्राप्यों के कतिपय मानकों का सुझाव दिया है :—

(क) सूती कपड़ा

(ख) सिन्थेटिक वस्त्र

(ग) जूट वस्त्र

(घ) औषध-निर्माली (फार्मास्यूटिकल्स)

(ङ) रबर के उत्पादन

(च) उर्वरक

(छ) वनस्पति

(ज) कागज

(झ) लघू इंजीनियरिंग

(ञ) मध्यम इंजीनियरिंग

2. अध्ययन दल का कहना है कि सुझाये गए मानक उपर्युक्त प्रत्येक उद्योग की वस्तुसूची और प्राप्यों के युक्तिसंगत स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्याचालन पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाने के लिए बैंकर इन स्तरों का उपयोग यह मान कर कर सकते हैं कि सम्बद्ध ऋणकर्त्ता के पास सामान्यतः यह स्तर मौजूद होना चाहिए। यदि किसी ऋणकर्त्ता की वस्तुसूची का स्तर अधिक ऊंचा है, तो बैंकर यह समझ लेगा कि फालतू सम्पत्ति के भार से मुक्त हुआ जाय, वशर्ते कि परिस्थितिवश इससे भिन्न कार्रवाई आवश्यक न हो।

3. ऋण अथवा ऋण-सीमा में बढ़ोतरी संबंधी नये आवेदनों पर विचार करते समय बैंकर को सामान्य ढंग से संबद्ध आंकड़े मांगने चाहियें। वर्तमान सम्पत्ति-स्तर की संगणना करते समय प्रस्तावित मानकों को अधिकतम-स्तर का द्योतक माना जायेगा (किन्तु अध्ययन दल द्वारा सुझायी गयी कतिपय परिस्थितियों में छूट संभव होगी)। तदनुसार बैंक-ऋणों द्वारा वित्तपोषण में रह जाने वाले संसाधनों के अन्तर का हिसाब लगाया जायेगा।

4. ऐसे वर्तमान खातों के विषय में, जहां सीमा-विस्तार अपेक्षित नहीं है, अध्ययन दल की आशा है कि बैंकर वस्तुसूची और प्राप्यों के वर्तमान स्तरों की जांच करेगा और अत्यधिक ऊंचे स्तरों में कटौती का प्रयास करेगा। ऋण के अधिक समझे गए भाग पर, दो मास की संक्रांति अवधि के बाद, दो प्रतिशत अधिक ब्याज दर प्रभावित करने का भी सुझाव भी अध्ययन दल ने दिया है।

5. निम्नलिखित परिस्थितियों में इन मानकों से विचलन की अनुमति दी जायेगी :

(क) कच्चे माल का इकट्ठा (बंध) होकर मिलना;

(ख) बिजली में कटौती, हड़ताल तथा उत्पादन-प्रक्रिया में अन्य अपरिहार्य व्यवधान;

(ग) निर्यात के लिए पोत-सुविधा अनुपलब्ध होने अथवा बिक्री में अन्य व्यवधान के कारण तैयार माल का संचय ;

(घ) परिवहन अवरोध;

(ङ) जिस क्रेता के लिए विशिष्ठ रूप से मशीनरी जैसे माल का निर्माण कराया गया हो उसके द्वारा तैयार माल न उठाने के कारण कच्चे माल का इकट्ठा हो जाना ; और

(च) अल्पावधि के विशिष्ठ निर्यात संविदा के लिए कच्चे माल की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा।

वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राशि की सीमा में वृद्धि करने के बारे में राज्य सरकारों का अनुरोध

798. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के भीषण सूखे और बाढ़ों से प्रभावित राज्यों के वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार का वित्त आयोग द्वारा विनाश तथा राहत कार्यों के लिए निर्धारित राशि की सीमा में वृद्धि करने के राज्य सरकारों के प्रस्ताव पर विचार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा किये गये अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) वित्त आयोग ने राहत संबंधी खर्च देने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए जिस वार्षिक रकम की सिफारिश की थी उसे बढ़ाने के लिए किसी राज्य सरकार ने अनुरोध नहीं किया है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

चाय उद्योग सम्बन्धी 'टास्क फोर्स' द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

799. **श्री सुखदेव प्रसाद शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग की प्रगति एवं कार्यकरण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियुक्त 'टास्क फोर्स' ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चाय उद्योग संबंधी टास्क फोर्स की रिपोर्ट के पहले खंड में निहित सिफारिशों का सार दर्शाने वाला एक विवरण लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं० 188 के भाग (ख) के उत्तर में 3 अगस्त, 1974 को सभा पटल पर रखा गया था।

अन्तिम रिपोर्ट में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों का सार संलग्न है। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

विवरण

टास्क फोर्स ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में चाय विकास में आने वाली बाधाओं, चाय नीलामियों और चाय बोर्ड के कार्यों और उसके कार्यकरण के पुनर्गठन का उल्लेख किया है।

सिफारिशों की मुख्य बातें ये हैं :--

चाय विकास

1. चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपकरण किराया खरीद योजना हेतु निर्धारित 10.5 करोड़ रु० की राशि को आवर्तक निधि बनाया जाए ताकि पुनर्भुगतान राशियां उद्योग के लाभों में और वृद्धि करने के लिए उपलब्ध कराई जा सके। योजना को लोचशील और उदार बनाने के लिए सुझाव भी दिये गए हैं।

2. लाभों के वितरण में लघु उपजकर्ताओं का आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऋण सहायता की शर्तों के संबंध में उन्हें अधिक ऋय-अभिमुख बनाने के लिए अनेक छूटें दे दी गई हैं।

3. बड़े और छोटे उपजकर्ताओं के बीच अवकलन आधार पर ऋण प्रदान करने की द्विस्तरीय प्रणाली की प्रस्थापना की गई है। लघु उपजकर्ताओं के लिए दी जाने वाली सुविधाओं में तकनीकी सहायता, तथा विस्तार सेवाओं के अतिरिक्त समुन्नत क्लोन्स और चाय पौधों की उच्च उपज देने वाली किस्मों की सप्लाई तथा साथ ही भूमि विकास, भमि संरक्षण तथा लघु सिंचाई तथा सीढ़ीकार खेत बनाने हेतु राज्य सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से अन्य सहायता शामिल होनी चाहिए।

4. पुनर्रोपण योजना को पुनर्नवीकरण, कटाई-छटाई और आपूर्णन तरीकों के संबंध में लागू किया जाना चाहिए।

5. चाय की खेती के लिए गवेषणा तथा प्रयुक्त गवेषणा के परिणामों की जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक संस्थागत व्यवस्था का सुझाव दिया गया है।

चाय नीलामी और चाय के निर्यात की व्यवस्था

1. टास्क फोर्स ने महसूस किया कि चाय की वर्तमान विपणन प्रणाली के अन्तर्गत नीलामी प्रणाली कुछ अर्से तक और जारी रहेगी। इसने "निलानी प्रणाली के अन्तर्गत बिक्री की क्रियाविधि में और आगे सुधार करने और उसे सुव्यवस्थित करने की गुंजाइश निकाली है। इसे नीलाम की अंग्रेजी प्रणाली के मुकाबले डच प्रणाली के बेहतर होने के बारे में यकीन नहीं हो सका।

2. सरकारी भांडागारों में बांडिगसुविधाओं की व्यवस्था। माल की प्राप्यता और जहाजरानी की सुविधाओं में सम्यक समन्वय।

3. चाय थैलियों, पैकेज चाय तथा इंस्टेंट चाय के निर्यातों को बढ़ावा देकर निर्यातों से अपेक्षाकृत अधिक इकाई मूल्य प्राप्ति हासिल करने की जरूरत।

चाय बोर्ड

टास्क फोर्स ने सिफारिश की है कि चाय बोर्ड की सदस्य संख्या में उपयुक्त कमी की जानी चाहिये ताकि इसे 28 सदस्यों का एक सुगठित निकाय बनाया जा सके। इसने यह भी सुझाव दिया है कि पहले से कार्यरत 4 समितियों के अलावा एक अतिरिक्त समिति का भी गठन किया जाना चाहिए जिसे चाय के विकास, चाय संवर्धन तथा कार्यान्वियन का काम सौंपा जाये। सभी समितियों को उनमें से प्रत्येक को सौंपे गये उत्तरदायित्व के क्षेत्र के मामले में प्रशासनिक और वित्तीय पूरी शक्तियां सौंपी जानी चाहिये जिससे कि कार्यक्रमों का शीघ्र तथा कुशल कार्यान्वियन हो सके।

2. इसने यह भी सुझाव दिया है कि बोर्ड तथा समितियों की वित्तीय शक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि की जानी चाहिए जिससे कि वे अधिक खुल कर कार्य कर सकें और पहल करने की क्षमता का विकास कर सकें। इसके अतिरिक्त इसने सरकार से योजनाओं की अलग-अलग मंजरियां लेने की जरूरत समाप्त करने की पद्धतियों का भी सुझाव दिया है बशर्ते कि बोर्ड पूरे दस्तावेजी बजट प्राक्कलनों के साथ क्रियान्वित की जाने वाली योजना के ब्यौरे प्रस्तुत करे जिन पर अनुगामी वर्ष के बजट प्राक्कलन तैयार करते समय विचार किया जा सके और केन्द्रीय सरकार की 'एक मुश्त' मंजूरी ली जा सके।

3. इसने अनुदान उपलब्ध कराने का उपयुक्त वित्तीय क्रियाविधि की भी सिफारिश की है जिसका बोर्ड द्वारा समय रहते उसका उपयोग किया जा सके।

तस्करी विरोधी अभियान

800. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तस्करों के विरूद्ध अभियान चलाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार तस्करों की गतिविधियों से अवगत थी ; और यदि हां, तो इतने वर्षों तक सरकार की लापरवाही के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके फलस्वरूप सरकार को सीमाशुल्क तथा अन्य रूप में कुल कितनी हानि उठानी पड़ी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार तस्कर विरोधी तंत्र की कार्यसाधकता की सतत समीक्षा करती रही है और उसने उसे सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से समय-समय पर बहुत से उपाय किये हैं। इनमें संगत अधिनियमों में ऐसे संशोधन करना शामिल हैं जिनमें और अधिक सख्त सजा देने तथा इन अधिनियमों के कार्यान्वयन में पायी गई त्रुटियों के निराकरण की व्यवस्था की गई हैं। तस्करी विरोधी कार्य के लिये कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। और अधिक गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। जब्त की गई गाड़ी को इस्तेमाल किया गया है और तेज गति से चलने वाली लांचों को विदेशों से प्राप्त करने के लिये आर्डर दिये गये हैं। बेतार संचार व्यवस्था की योजना तैयार की गई और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

परन्तु, चूंकि तस्कर व्यापार के वित्त प्रबन्धक तथा आयोजक गुप्त रूप से कार्य करते हैं और कोई भी साक्षी अपने जीवन के लिये खतरे को देखते हुए उनके विरुद्ध गवाही देने को तैयार नहीं होता इसलिये उनको पकड़ना संभव नहीं था। उनकी बढ़ती हुई गतिविधियों और उपर्युक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम को एक अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया ताकि तस्कर व्यापार तथा विदेशी मुद्रा के संरक्षण से संबंधित कारणों की दृष्टि से निवारक निरोध व्यवस्था की जा सके।

चूंकि तस्कर व्यापार की सीमा के संबंध में कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये उसके कारण होने वाली सीमाशुल्क संबंधी हानि के बारे में बताना संभव नहीं है।

विशेषाधिकार के प्रश्न

Questions of Privilege

(एक) 4 नवम्बर, 1974 को श्री जयप्रकाश नारायण पर पुलिस द्वारा हमले के बारे में गृह मंत्री का वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : श्री डी० एन० सिंह।

(व्यवधान)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : We have ourselves met Shri Jai Prakash and he said that he was hit by a Lathi blow. A statement from his office says "why should so many men have been injured in trying to protect me if the C.R.P. men had no orders to hit me." Shri Jai Prakash has also said that the lathi blow that he had received on his left shoulder was a light one, because its main force was absorbed by the arm of Nanaji Deshmukh who, seeing the lathi coming towards me, tried to ward it off.........."

Shri Jai Prakash has stated that he had received the lathi blow, but the statement of the Home Minister is contrary to it. (*Interruptions*)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : श्री जयप्रकाश नारायण को तीन जगह चोट लगी हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभी अपने स्थान पर बैठ जायें। 4 नवम्बर को पटना में श्री जय प्रकाश नारायण पर हमला किये जाने के बारे में कुछ प्रस्ताव 14 नवम्बर को प्राप्त हुए और कुछ 15 नवम्बर को प्राप्त हुए। श्री दण्डवते, श्री मधु लिमये, श्री श्यामनन्दरन मिश्र, श्री वाजपेयी, श्री ज्योतिर्मय बसु और श्री समर गुह ने प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमें लगभग एक ही बात कही गई है। वे संसद में गृह मन्त्री के वक्तव्य पर आधारित हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : First of all, please listen to all the Members and then listen to the Minister for Home Affairs. After that a decision could be taken about the admissibility.

अध्यक्ष महोदय : प्रो० दण्डवते पहले ही बोल चुके हैं। मैं अन्य पार्टियों के प्रत्येक सदस्य को दो दो मिनट बोलने की अनुमति दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं कुछ समय और चाहता हूं, क्योंकि मैं इस सदन में गृह मन्त्री के स्पष्ट वक्तव्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पृष्ठ 677 पर उल्लिखित गृह मन्त्री के वक्तव्य में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि अगर गलती से भी पुलिस की लाठी जय प्रकाश को लगी होती, तो मैं उनसे सबसे पहले क्षमा मांग लेता, परन्तु जयप्रकाश जी ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है। आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से पता चलता है कि श्री जयप्रकाश जी ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि मुझे चोट लगी थी, इसका उल्लेख करने में कोई शिकायत करना नहीं चाहता था। 1942 के आन्दोलन के दौरान जब लाहौर के किले में उन्हें ब्रिटिश शासकों ने कठोर यातनायें दीं और बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, उस समय भी एक क्रान्तिकारी होने के नाते उन्होंने कभी भी इसका उल्लेख नहीं किया और उनके साथियों ने ही ये बातें बाहर आकर बताईं।

केन्द्रीय गृह मन्त्री द्वारा विषय को विवादग्रस्त बनाये जाने पर श्री जय प्रकाश ने वक्तव्य दिया है कि उनके कन्धे पर लाठी से प्रहार किया गया। अगर श्री नानाजी देशमुख लाठी के प्रहार को स्वयं नहीं सहन करते, तो उन पर और भी लाठी के प्रहार होते।

अब तथ्य सामने आ गये हैं, इसलिये प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री को माफी माँगनी चाहिए। दूसरे, गृह मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला बनता है। नियम 227 के अन्तर्गत आपको यह अधिकार है कि आप सदन की अनुमति लिए बिना ही विशेषाधिकार समिति को मामला भेज सकते हैं, यदि आप प्रथम दृष्ट्या इस बारे में सन्तुष्ट हों। जब तक समिति जाँच करे, तब तक प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री को क्षमा याचना करनी चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Shri Priya Ranjan Das Munshi has said that the statement of Shri Jaya Prakash is an after thought and he had not given any statement previously. I would like to quote from the Hindustan Times, wherein it is reported "Mr. Narain said that he had even on that day told newsmen about the lathi blow that he had received. His Secretary Mr. Sachidnand showed me newspaper clipping which had mentioned injuries suffered by the Sarvodaya leader." Even on 4th of November, Shri Jaya Prakash had alleged that he had received a lathi blow. He has also said that servered lathi charges aimed at him could not be accidential.

On the contrary Shri Brahmanand Reddy has said that he did not think there was any statement from Jaya Prakashji that he was assaulted or a lathi blow was given to him. There is no statement like that. Please point out one and he would be the first man to express regret.

Reports have also been published in the newspapers of Bihar on 5th of November, 1974. The Prime Minister as also the Home Minister have stated in a very hypocritical manner that if such a thing has happened, they were ready to express regrets. The Prime Minisier has said that he was injured due to stampede. But Shri Jaya Prakash says that there was no question of any stampede. Shri Jaya Prakash would have got serious injuries. if Nanaji Deshmukh had not intervened. These persons are expert in telling lies. This matter should therefore, be referred to the Privileges committee immediately.

Shri Atal Bihari Vajpayee : We had gone to Patna to get first hand information of the incidents of 4th November, 1974. We had met Shri Jaya Prakash also. He had said that he was not severely hunt by the lathi blow as its main force was absorbed by the arm of Shri Nanaji Deshmukh. I have got a signed statement of Shri Jaya Prakash wherein he has stated that no less than five persons were injured while protecting him. Why should so many men have been injured in trying to protect him if the C.R.P. men had no orders to hit him ?

We have come to the conclusion that a conspiracy was hatched to murder J.P. on that day by lathi blows. (*Interruptions*)

The murderers of Gandhiji were hanged, but the people who attacked Shri Jaya Prakash Narayan and yet to be brought to book. The man who was posted for the security of Shri Jaya Prakash Narayan had to pull out revolver when he failed to save him from the onslaughts of C.R.P. men. Shri Jaya Prakash Narayan does not want apology from the Government. This matter should go to the Privileges Committee because the hon Minister has misled the House.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : स्थगन प्रस्ताव पर बहस के दौरान मैंने कहा था कि सत्याग्रही होने के नाते मैं सर्वोदय नेता पर हुए आक्रमण के बारे में शिकायत नहीं करूंगा साथ ही मैंने यह भी कहा था कि यदि गृह मंत्री महोदय को श्री जय प्रकाश नारायण को चोट लगने के बारे में संदेह है तो उन्हें श्री जय प्रकाश नारायण से पूछताछ करने में क्या हिचक है। मंत्री महोदय ने उस दिन इस बात से इन्कार कर दिया था कि श्री जय प्रकाश नारायण ने इस बारे में कोई वक्तव्य दिया था। हालांकि मैं उस दिन सारे समय श्री जय प्रकाश नारायण के साथ रहा और मैंने उन पर लगी चोटों को देखा था परन्तु मैंने इसके बारे में स्वयं कुछ कहना उचित नहीं समझा, पर मैं इतना जानता हूं कि श्री जय प्रकाश नारायण ने उस दिन कहा था कि उन्हें चोट आई है तथा यह बात समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इस तथ्य की उपेक्षा कर दी थी। उन्होंने इस मामले में सदन को गुमराह किया है। श्री जय प्रकाश नारायण के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया गया जिस प्रकार अन्य व्यक्तियों के साथ किया गया। यदि उन्हें पांच व्यक्ति, जिनके नामों का उल्लेख श्री जय प्रकाश नारायण ने अपने वक्तव्य में किया था, बचाने नहीं आते तो उन्हें गम्भीर चोटें आ सकती थीं। इसलिये यह सदन मेरे साथ इस बात पर सहमत होगी कि मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह किया है और जैसा कि श्री बाजपेयी तथा अन्य सदस्यों ने कहा है, श्री जय प्रकाश नारायण पर घातक हमला करने की कोशिश की गई थी। हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम तीन-चार संसद सदस्य वस्तुस्थिति की प्रत्यक्ष जानकारी लेने पटना गये थे। यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जय प्रकाश नारायण पर लाठी पड़ी और उन्हें चोटें आयीं। उन पर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए थे। सरकार ने श्री जय प्रकाश नारायण की सुरक्षा

के लिए सादे वस्त्रों में जिन सुरक्षा कर्मचारियों को रखा हुआ था उन्हें भी लाठी प्रहार में चोटें आयीं। मेरे पास पक्की सूचना है कि श्री जय प्रकाश नारायण पर घातक प्रहार करने की कोशिश की गई थी। श्री जय प्रकाश नारायण ने स्वयं इसके बारे में वक्तव्य दिया है। गृह मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह किया है, इसलिए यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मैंने श्री जय प्रकाश नारायण के उस कथन की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न किया जिसमें उन्होंने पुलिस द्वारा लाठी चार्ज का उल्लेख किया था। जब गृह मंत्री महोदय बोल रहे थे तब भी मैंने यह मामला उठाया था। मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि श्री जय प्रकाश नारायण की ओर से ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया है कि उनके ऊपर लाठी प्रहार किया गया। यदि लाठी की चोट श्री जय प्रकाश पर पड़ जाती, तो वह घातक सिद्ध होती। बहुत से युवकों ने श्री जय प्रकाश को चारों ओर से घेरा तथा स्वयं लाठियों के प्रहार झेले। श्री जय प्रकाश ने स्वयं कहा है कि अली हैदर ने ही अपने प्राणों की बाजी लगाई।

इस घटना के बाद मैंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि यह प्रश्न जय प्रकाश के साथ सहानुभूति का नहीं है। मेरा तात्पर्य केवल राजनीतिक उलझनों से है। श्री जय प्रकाश जैसे भारत के सपूत के प्रति यदि यह सरकार अपनी ओर से गृह मंत्री और प्रधान मंत्री की ओर से क्षमा-याचना नहीं करती है, तो मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि इससे प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया की शृंखला स्थापित हो जायेगी।

मंत्री महोदय ने कहा है कि हमें भावुकतावश श्री जय प्रकाश को बीच में नहीं लाना चाहिये परन्तु श्री जय प्रकाश नारायण छात्रों और युवा समुदाय की भावनाओं के प्रतीक हैं।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैंने 11 नवम्बर को कहा था कि यदि श्री श्यामनन्दन मिश्र श्री जय प्रकाश नारायण की चोट के बारे में मामला न उठायें, तो अच्छा है। मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि यदि श्री जय प्रकाश नारायण को लाठी लगती, तो मैं सबसे पहले क्षमा याचना करता।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने मेरा वक्तव्य पढ़ा।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मुझे अपने वक्तव्य के बारे में बोलना है। (**व्यवधान**)

श्री समर गुह : मंत्री महोदय को तथ्यों के साथ यहां आना चाहिए (**व्यवधान**)

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यदि मैं वह बात पढ़ूं जो माननीय सदस्य ने कही होगी, तो बड़ी बात नहीं है। इसमें विशेषाधिकार के प्रश्न की कोई बात नहीं है। अब जब श्री जय प्रकाश नारायण ने यह कहने का निर्णय कर लिया है कि उन्हें चोट लगी है, तो मेरा कहना है कि हमें अफसोस है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : A Parliamentary Committee should be constituted to perobe into the conspiracy being brewed to assassinate Shri Jayaprakash Narayan.

श्री विक्रम महाजन : यह क्या हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय : श्री डी० एन० सिंह।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हम मंत्री महोदय के अफसोस व्यक्त करने के ढंग की निन्दा करते हैं।

श्री ज्योतिमर्य बसु (डायमंड हार्बर) : क्या मंत्री महोदय को श्री जय प्रकाश को कोई चोटों का अफसोस है अथवा वह श्री जय प्रकाश की हत्या नहीं कर सके इसका ?

अध्यक्ष महोदय : वह सब इसमें शामिल है। श्री डी० एन० सिंह।

Shri Sashi Bhushan (South Delhi) : Why the Home Minister is not sorry for the injuries caused to Government employees ?

(दो) **पटना में सदस्यों की गिरफ्तारी के बारें में अध्यक्ष को भेजी गई कथित गलत सूचना**

श्री डी० एन० सिंह (हाजीपुर) : मैं आपका ध्यान 6 नवम्बर, 1974 के लोक-सभा समाचार भाग-2 की मद संख्या 2012 की ओर दिलाते हुए यह कहता हूं कि पटना के जिला मजिस्ट्रेट के 5 नवम्बर, 1974 के तार में आपको दी गई श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा और मेरी गिरफ्तारी की जानकारी बिल्कुल गलत है।

इन परिस्थितियों में यह निष्कर्ष इस बात से अलग नहीं हो सकता है कि यह गलती जानबूझ कर की गई है।

मैं इस तथ्य का उल्लेख लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम के नियम 222 के अन्तर्गत करने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं।

मेरा एक निवेदन और है। 4 तारीख को क्या हुआ, इसकी जानकारी हमें अभी-अभी मिली है। वहां के अफसर अपना मूल उत्तरदायित्व भूल गए हैं। अतः यह समय है जबकि सभा को इस मामले पर विचार करना चाहिये ताकि अफसरों को उनके कर्त्तव्यों का स्मरण कराया जा सके।

Mr. Speaker : It is 5th instead of 4th. The signature of Shri Dubey, the Magistrate indicates the 4th Nov. I do not know how 5th appears in the telegram?

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is to be seen as to on what date the information was received by you.

Mr. Speaker : I can receive the information only after 4th. We shall inquire as to what the position is.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : उन्हें चार तारीख को प्रातः ग्यारह बजे गिरफ्तार किया गया मगर जेल में प्रविष्टि अगले दिन की है। न ही उन्हें 24 घंटे के अन्दर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया। (**व्यवधान**)

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : क्या इस मामले में आप जांच नहीं करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। मैं इस मामले की जांच कर रहा हूं।

श्री ज्योतिमर्य बसु : मैंने पटना जाने से पूर्व आपको पत्र लिखा था कि 9 सितम्बर को गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जांच के बाद मुझे अवगत करा देंगे

Mr. Speaker : He came on that day but the hon. Member had left.

Shri Madhu Limaye (Banka) : When will you admit my motion on Privilege?

Shri Jyotirmoy Bosu : When will you take my motion which is against Shri L.N. Mishra ?

Shri Bhogendra Jha (Jaynagar) : On the 10th instant hundreds of women were dragged out of train and beaten up. About one thousand persons got injuries. It is very sad. A person named Lok Nath Azad, who served jail sentence since 1940 was stabbed.... (*Interruption*)

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जायें ।

(**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी सदस्य को नहीं बुलाया है। सभा-पटल पर पत्र रखने वाले मंत्रियों की बातों के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

आय कर अधिनियम, धन कर अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 567 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०आ० 615(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8458/74]

(2) धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धनकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 599(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8459/74]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) सा० सा० नि० 1020 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सा० नि० 1157 जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8460/74]

वायुयान अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1034 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 1035 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8461/74]

नाविक भविष्य निधि अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 24 के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 28 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 1057 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8462/74]

एल्युमिनियम (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1974

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत एल्युमीनियम (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०आ० 586 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8463/74]

रंग सामग्री उद्योग की समीक्षा सम्बन्धी टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत रंग सामग्री उद्योग की समीक्षा संबंधी टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन (1974) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8464/74]

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन अधिसूचना

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (4) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 25 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 1151 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8465/74]

आयकर अधिनियम के अधीन अधिसूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये बाजार ऋणों के बारे में और पूंजी निगम (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०आ० 627(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8466/74]

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये बाजार ऋणों के बारे में अधिसूचना संख्या एफ० 5(9)-डब्ल्यू एण्ड एम०/74 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8467/74]

(3) पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पूंजी निर्गम (सम्मत्ति के लिए आवेदन) (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 13 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा० आ० 541 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8468/74]

राज्य सभा से संदेश

Message from Rajya Sabha

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

राज्य सभा ने 11 नवम्बर, 1974 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसके द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जानें का समय राज्य सभा के 91वें सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाया गया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a matter of Urgent Public Importance

हिन्द महासागर में अमरीकी नौसेना टास्क फोर्स का हिन्द महासागर में कथित प्रवेश

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"भारत और अन्य तटीय देशों के विरोध का ही नहीं वरन् संयुक्त राष्ट्र संकल्प का भी घोर उल्लंघन करके अमरीकी नौ सेना के हिन्द महासागर में हाल में प्रवेश के समाचार और इस बारे में सरकार को प्रतिक्रिया"

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : हमारी सूचना के अनुसार 10 नवम्बर 1974 को अमरीकी 7वें बेड़े की एक टास्क फार्स हिन्द महासागर में दाखिल हुई है जिसमें 'यू० एस० एस० कान्सटलेशन' नामक एक विमान वाहक जहाज, 3 विध्वंसक और एक तीव्र युद्ध संभरण जहाज है। इस टास्क फोर्स के पड़ाव की ठीक ठीक अवधि ज्ञात नहीं है हालांकि अमरीकी सरकार के एक अधिकारी प्रवक्ता की कुछ टिप्पणियों से ऐसा लगता है कि यह एक विस्तृत यात्रा होगी।

2. सदन को याद होगा कि अमरीका का सातवां बेड़ा पिछली बार 29 जून, 1974 को हिन्द महासागर में दिखाई दिया था और 30 अगस्त तक वहां रहा। सदन को यह भी याद होगा कि अमरीकी विमान वाहक 'किट्टिहाक' को वहां 11 मार्च, से 21 अप्रैल, 1974 तक रखा गया था। सरकार इन घटनाओं पर अपनी गंभीर चिन्ता और आशंका एक बार पुनः व्यक्त करती है जो कि संयुक्त राष्ट्र उन प्रस्तावों के प्रतिकूल हैं जिनमें हिन्द महासागर को एक शांत क्षेत्र घोषित किया गया है।

3. हिन्द महासागर विषयक संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय तदर्थ समिति हैं जिसका भारत भी एक सदस्य है, हाल ही में महा सभा से यह सिफारिश की थी कि वह बड़े राष्ट्रों से कहे कि इस क्षेत्र में तनाव कम करने तथा शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन करने की दिशा में एक अनिवार्य प्रथम चरण के रूप में

वे हिन्द महासागर के क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति में वृद्धि न करें और उसे अधिक मजबूत न बनाये। इस तदर्थ समिति ने सर्वसम्मिति से एक और प्रस्ताव रखा था जिसमें यह कहा गया था कि हिन्द महासागर के विषय में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए।

4. इस स्थिति में मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने का बराबर प्रयत्न करती रहेगी तथा इस क्षेत्र के दूसरे राज्यों के साथ मिल कर हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सभी संभव उपाय करती रहेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विदेश मंत्री ने अमरीकी नौ-सेना के हिन्द महासागर में प्रवेश की जिन घटनाओं का उल्लेख किया है उनसे पहले भी वर्ष 1971 में बंगला देश संकट के समय भी अमरीका का विमानवाहक युद्ध पोत 'एन्टरप्राइज' बंगाल की खाड़ी में आया था जिसका उद्देश्य बंगला देश और भारत को डराना था। फिर गत अक्तूबर में पश्चिम एशिया के गंभीर संकट के समय अमरीका का कृतक बल जिसमें विमान वाहक 'इनकाक' और पांच विनाशक युद्धपोत हिन्द महासागर में आये थे और उस क्षेत्र में एक महीना रहे थे। इसी प्रकार गत वर्ष में नवम्बर और दिसम्बर में श्री ब्रेजनेव के दिल्ली के दौरे के समय भी अमरीका नौसेना के युद्धपोत हिन्द महासागर में आये थे। क्या सरकार के विचार में अमरीका नौसेना के बार बार हिन्द महासागर में आने का अर्थ इस क्षेत्र में सशस्त्र तनाव पैदा करके डराना धमकाना नहीं है? क्या इस गतिविधि का संबंध भारतीय मुख्य भूमि के ठीक दक्षिण में डियागो गार्शिया में नया अमरीकी सैनिक अड्डा बनाये जाने से नहीं है? क्या ये दोनों मामले एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है। क्या सरकार इस मामले पर विचार नहीं करना चाहती जिसका संबंध इस क्षेत्र में शान्ति से ही नहीं बल्कि जो इस क्षेत्र के अनेक देशों की स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता के लिये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ख़तरनाक है?

अमरीका के रक्षा मंत्री ने हाऊस आफ़ रिप्रेजन्टेटिव्स की हाऊस कमेटी में 30 नवम्बर को कहा था कि अब अमरीका अपनी नौसेना को हिन्द महासागर में बार बार ही नहीं बल्कि नियमित रूप से तथा बड़ी संख्या में भेजता रहेगा। क्या विदेश मंत्री इन वक्तव्यों की ओर ध्यान दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह इस विषय में क्या प्रयत्न कर रहे हैं और उनका अन्य कौन से कदम उठाने का विचार है उन्होंने हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे बनाये जाने के बारे में दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा था कि अब केवल संकल्प पारित करने से काम नहीं चलेगा, अब कार्यवाही करने का समय आ गया है। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है? इस सम्मेलन में केवल दो घण्टे पहले सर्वसम्मिति से एक संकल्प पारित किया गया है जिसमें अमरीका के नौसैनिक कृतक बल के हिन्द महासागर में प्रवेश की निन्दा की गई है। ईरान के शाह, जो हाल ही में भारत के दौरे पर आये हुये थे, ने अपने एक वक्तव्य में यह कहा कि अमरीका को अपनी नौसैनिक शक्ति हिन्द महासागर में इसलिए बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि सोवियत संघ इस क्षेत्र में अपनी शक्ति निरन्तर बढ़ाता चला जा रहा है। यह तो सभी को मालूम ही है कि सोवियत संघ के नौसैनिक काफी लम्बे समय तक बंगला देश के अनुरोध पर हिन्द महासागर में रहे है तथा इस दौरान वह चिटगांव तथा चालना बन्दरगाहों के आस पास से युद्ध के समय नष्ट जहाजों का टूटा-फूटा सामान समुद्री मार्ग से बाहर निकालते रहे हैं। इतना ही क्यों, क्या यह सच नहीं है कि सोवियत संघ की नौसेना

हिन्द महासागर में अपने फौजी अड्डे स्थापित कर वहां कई सैनिक परीक्षण करती रही है ? अतः भारत सरकार को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिये कि हिन्द महासागर जैसे शान्तिपूर्ण क्षेत्र की शांति को भंग करने का उत्तरदायित्व किस का है तथा हिन्द महासागर की शांति बनाये रखने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है। सरकार को इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिये। अक्तूबर में यहां फ्रांसीसी नौसैना थी, अब फ्रांस के मंत्री ने वक्तव्य दिया है कि क्योंकि वह मेडागास्कर का उपयोग नहीं कर सकते हैं अतः इसीलिए उन्हें नये सैनिक अड्डों की खोज करनी पड़ रही है। इन सब की पृष्ठ भूमि क्या है ? सरकार केवल यह कह कर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाती कि वह इस पर चिंतित है, उसे उसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करना होगा, अपनी स्पष्ट नीति बतानी होगी और मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : जहां तक अमरीकी नौसैना के हिन्द महासागर में दाखिल होने का प्रश्न है, हमें इसकी पूरी जानकारी है कि इससे पूर्व भी अमरीकी टास्क फोर्स 1971, 1972, 1973 और 1974 में भी यहां दाखिल हुई थी। अब ध्यान देने योग्य मुख्य प्रश्न हमारे सामने यह है कि इस समस्या को हम प्रभावशाली ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में किस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं ? हमें अन्तर्राष्ट्रीय जनमत को यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर किसी भी बड़ी शक्ति की नौसेना बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य के भ्रमण नहीं करती। फिर इसी बड़ी शक्ति की नौसेना के निरन्तर इस क्षेत्र में बने रहने से हमारे यहां तनाव का वातावरण भी बना रहता है तथा इसका सामना करने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरे माननीय मित्र श्री गुप्त ने आरंभ में ही मेरे नाम का उल्लेख किया। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी अन्य देश के हित की दृष्टि से अपने देश की समस्याओं का अवलोकन नहीं किया करता। मेरे लिए राष्ट्रहित ही सदा सर्वोपरि रहता है। श्री किसिंजर के लिए मैंने जो सम्मान व्यक्त किया है इसका कारण यही है कि हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जो उन्होंने भूमिका निभाई है, वह काभी सकारात्मक रही है। अभी भारत सरकार तथा अमरीकी सरकार के बीच सामाजिक आर्थिक सहयोग की बात हुई थी परन्तु दूसरी ओर अमरीका ने हिन्द महासागर में अपनी नौसेना को सतर्क कर दिया। एक ही समय में यह जानकर परस्पर विरोधी कार्यवाही हमारी समझ में नहीं आई है। खैर, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने अमरीकी सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि हिन्द महासागर में सातवें बेड़े की उपस्थिति तथा डियागो गार्शिया में अड्डे स्थापित करने से दोनों देशों में तनाव बढ़ेगा। दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अपने नौसैनिक बेड़े को हिन्द महासागर में भेजने का उसका उद्देश्य क्या है ? क्या बेड़े को भेजने से पूर्व सम्बद्ध तटीय देशों की अनुमति लेने या उनको सूचना आदि देने की कोई अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटी नहीं है ? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि क्या भारत ने ब्रिटेन की लेबर सरकार को इसके बारे में अनुरोध किया है, क्योंकि हिन्द महासागर में फौजी अड्डे स्थापित करना भारत ही नहीं अपितु ब्रिटेन तथा भारत दोनों ही के हितों के विरूद्ध है। क्या सरकार यह भी बतायेंगी कि ईरान के शाह द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है ? अन्ततः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार अफ्रीकी एशियाई शांति परिषद् जैसाही कोई अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए पहल करगी जिसका उद्देश्य हिन्द महासागर को अन्य नौसेनिक शक्तियों से मुक्त करवाना हो ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : डियागो गार्शिया का प्रश्न तो हमने डा० किसिंजर के साथ उठाया था और हमने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया था कि न केवल सरकार अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र एक मत से इसके विरूद्ध है । दूसरे जहां तक ब्रिटेन के साथ यह मामला उठाने का ताल्लुक है, ब्रिटेन को इसकी पूर्ण जानकारी पहले ही है और हमें पता चला है कि अब वह इस पर पुनः विचार करने जा रहा है ।

जहां तक किसी नौसैनिक शक्ति का समुद्री सीमा में दाखिल होने का प्रश्न है उसके लिए औपचारिक रूप से सम्बद्ध देश को सूचना देनी पड़ती है । हमें अमरीकी दूतावास से इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी । दूसरे जहां तक ईरान के शाह के वक्तव्य का सम्बंध है, उसके बारे में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने भारत तथा ईरान की संयुक्त विज्ञप्ति को देखा होगा । वक्तव्य में इस प्रश्न का विशेष रूप से उल्लेख किय गया है ।

जहां तक सम्बद्ध तटवर्ती देशों का सम्मेलन बुलाने के लिए सरकारी तौर पर पहल करने का प्रश्न है, हम इसके बारे में काफी सतर्क हैं तथा उपयुक्त समय पर हम अपेक्षित कार्यवाही करने में पीछे नहीं रहेंगे ।

श्री बयालार रवि (चिरोयकील) : अमरीकी नौसैना ने डियागो गार्शिया में अपनी सैनिक कार्यवाही आरंभ कर दी है । अमरीका का सांतवां बेडा बंगाल की खाड़ी में काफी समय तक रहा है । क्या यह सब कुछ हमें तथा अन्य तटवर्ती देशों को डराने के लिए नहीं किया जा रहा है ? संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाये रखा जाना चाहिये । अतः इन परिस्थितियों के संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब हाल ही में सोवियत संघ के साम्यवादी दल के प्रधान अमरीका के डा० किसिंजर तथा ईरान के शाह भारत आये थे तो क्या उनके साथ भारत ने इस विषय पर विचार विमर्श किया था और यदि हां तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई ? केवल भाषणों से कुछ होने वाला नहीं है । हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में क्या ठोस कदम उठाने जा रही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य महोदय द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है वह वास्तव में पूर्व उठाये गये प्रश्नों जैसा ही है । मैं इस सम्बद्ध में केवल यही बताना चाहता हूं कि डा० किसिंजर तथा ईरान के शाह के साथ हमारी इस विषय पर बातचीत हुई थी । यह प्रश्न केवल एक राष्ट्र का नहीं है । हमें इसके लिए सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मत तैयार करना पड़ेगा, तथा इसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेगें ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भाव नगर) : यह बहुत गंभीर विषय है और सदन इसके बारे में काफी चिंतित है । यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक सरकार द्वारा इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है । मंत्री महोदय द्वारा दियें गये विवरण से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि बड़ी शक्तियां हिन्द महासागर में अपनी शक्ति बढ़ाने में लगी हुई हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह शक्तियां कौन-कौन सी हैं ? इस क्षेत्र में नौसैनिक शक्ति बढ़ाने तथा सम्बद्ध परीक्षण करने की कार्यवाही कब आरंभ की गई ? जब सरकार को इनके बारे में 1969 में मालूम हो गया था तो फिर आपने उपयुक्त समय पर अपेक्षित कार्यवाही क्यों नहीं की । अन्ततः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में विशेषतयः तथा विश्व में सामान्य रूप से शांति स्थापित करने के लिए बड़ी शक्तियों का शिखर सम्मेलन बुलाने का है ?

42 LSS/74—19.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हिन्द महासागर में किसी देश की नौसैनिक शक्ति के प्रश्न को सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से अलग करके नहीं देखा जा सकता । यह सभी को मालूम ही है कि हिन्द महासागर में अमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा फ्रांस, आदि के सैनिक अड्डे हैं । अब हमारी समस्या केवल यही है कि विश्व की बड़ी शक्तियों के समक्ष इस समस्या को किस प्रकार कारगर ढंग से उठाया जाये, किस प्रकार धीरे-धीरे अन्तर्राष्ट्रीय जनमत जागृत किया जाये । हम इस दिशा में काफी सतर्कता पूर्वक कार्य कर रहे हैं । यह समस्या केवल जोशीले वक्तव्य देने या शोर मचाने से तो हल होने वाली नहीं है । किसी अन्य देश द्वारा चाहें कुछ भी क्यों न कहा गया हो, हम अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर ही निर्णय लेंगें ।

लोक लेखा समिति
Public Accounts Committee
134 वां प्रतिवेदन

श्री नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : मैं 1972-73 के विनियोग लेखे (सिविल) (रक्षा सेवायें), (रेल), तथा (डाक और तार) में दिखाये गये स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों सें अतिरिक्त व्यय के बारे में तथा लोक लेखा समिति के 96 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा दी गई कार्यवाही के बारे में समिति का 134 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

रेल अभिसमय समिति
Railway Convention Committee
तीसरा प्रतिवेदन

श्री बी० एस० मूर्ति (अमालापुरम) : मैं रेल अभिसमय समिति, 1971 के दूसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में रेल अभिसमय समिति 1973 का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य
Business of the House

संसदीय कार्य मंत्री (रघुरामैया) : श्रीमान जी, मैं घोषणा करता हूं कि सोमावार 18 नवम्बर, 1974 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सभा का सरकारी कार्य निम्नलिखित होगा :—

(1) आज की कार्यसूची की कोई ऐसी कार्यवाही जिस पर आज आंशिक रूप से विचार हुआ हो ।

(2) विचार करना तथा पारित करना --

(एक) भारतीय तार संशोधन विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप म ;

(दो) रामपुर रजा पुस्तकालय विधेयक, 1974 राज्यसभा द्वारा पारित किये गये रूप में ;

(तीन) संसद (निरहर्ता निवारण) संशोधन विधेयक, 1973.

(3) रूग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 के निरनुमोदन संबंधी संकल्प पर चर्चा और रूग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1974 पर विचार तथा पारित करना

(4) विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1972 संयुक्त समिति द्वारा पारित किये गये रूप में विचार तथा पारित करना ।

(5) वर्ष 1974-75 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान ।

(6) विचार तथा पारित करने के लिए राज्य सभा द्वारा पारित किये गये निम्नलिखित विधेयक—
(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) विधेयक, 1974;
(दो) पंजाब नगर पालिका (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1974;

(7) लोक प्रतिनिधत्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के विनरनुमोदन संबंधी संकल्प पर चर्चा और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार करना तथा पास करना ।

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास बहुत से नाम आये हैं । मैं उन्हें केवल एक या दो मिनट का समय ही दे पाऊंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : आपकी अनुमति से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की चार किश्तें, तीसरे वेतन आयोग के फारमूले के अनुसार सरकार की ओर बकाया हो गई है । हमें ऐसा मालूम हुआ है कि सरकार उनके 50 प्रतिशत या सम्पूर्ण भत्ते पर रोक लगाने जा रही है । इसी प्रकार के निदेश जीवन बीमा निगम तथा बैंक कर्मचारियों के बारे में भी जारी किये गये हैं । मंत्री महोदय को इसके बारे में वक्तव्य देना चाहिये । दूसरी बात . .

अध्यक्ष महोदय : एक समय पर केवल एक ही विषय उठाया जाना चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी: मेरी दूसरी बात यह है कि बेगम अखतर के शव को लखनऊ ले जाने के लिए हमने रक्षा मंत्रालय से विमान मांगा था जिसके लिए उन्होंने 10,000 रुपये मांगे । बेगम अपने संगीत द्वारा हमारे जवानों का मनोरंजन करती रही ।

अध्यक्ष महोदय : इस का सदन के साथ कोई सम्बंध नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं इस बारे में एक वक्तव्य चाहता हूं क्योंकि इस संबंध में सारे देश में असंतोष है ।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं ।

Shri. Madhu Limaya (Banka) : M/s Sudarshan Trading Co. Anand, M/s Premabhai Maagalbai Tandel have 30,000 and 15,000 shares respectively in the M/s. Maruti Motors as is clear from the reply to a question regarding Maruti Motors. Both these firms belong to smugglers.

Two motion for setting up a Parliamentary Committee to enquire into all aspects or the Maruti Project and also setting up of Commission under the Commissions of Enquiry Act have been admitted by you. I request that discussion on these motions should be held in the next week.

42 LSS/74—20.

श्री वयालार रवि (चिरयिंकाले) : पिछले 53 अथवा 54 दिनों से इंडियन रेयर अर्थंस में हड़ताल चल रही है । प्रबंधकों ने निर्णय कर लिया हैं कि मंहगाई भत्ते की अधिकतम सीमा 300 रुपये निश्चित की जाये । आप ऐसी सीमा निश्चित नहीं कर सकते । प्रबंधक हड़ताल को समाप्त करने के लिये कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप हड़ताल लम्बी होती जा रही है । इस मामले को कार्यसूची में लाया जाना चाहिये ताकि इस पर चर्चा हो सके ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Government is still treating the railway employees as their enemies and 7,018 persons, out of the total 19,882 arrested, are still facing prosecution. About 3,788 persons were either dismissed or removed from service 1,022 persons are still under suspension. There are 2,80,243 cases of break in service. In addition, thousand of temporary workers were removed from service. In this connection, I have given a motion under rule 184, which has been admitted by you. Government should act with goodwill. My motion should be discussed in the House during next week.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): The unfortunate happenings at Patna on the 10th and 11th November are eye openers for all those who love democracy. Bihar should definitely be treated as a danger signal in so far as values of democratic way of life are concerned. I want a discussion over this matter in the next week.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : हरियाणा सरकार की दमननीति के कारण कुरूक्षेत्र में एक अन्य विश्वविद्यालय में खलबली मच गयी है ।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है । आप इसका जिक्र यहां क्यों करते हैं ?

श्री मधु लिमये (बांका) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय को अनुदान दे रहा है ।

श्री पीलू मोदी : यह नागरिक स्वतंत्रता का प्रश्न है जो सब देशवासियों का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें कहा है कि राज्य का विषय यहां न लायें ।

श्री पीलू मोदी : यह नागरिक स्वतंत्रता का प्रश्न है जो सारे देश से सम्बध रखता है।

अध्यक्ष महोदय : तो नियम बदल दीजिये ।

श्री पीलू मोदी : कौन से नियम ?

अध्यक्ष महोदय : जो आपके नियम हैं ।

श्री पीलू मोदी : 4 नवम्बर को हरियाणा के दस जिलों में श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के समर्थन में दस प्रदर्शन किए गये । इनमें से कुरुक्षेत्र में हुये प्रदर्शन में पुलिस ने लाठी प्रहार किया तथा गोली चलायी । विद्यार्थी संघ का अध्यक्ष कुलपति के कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन पर बैठा । कुलपति उस समय मास्को गये हुए थे। वहां से आने के बाद उन्होंने इन लड़कों को बिना दोष के ही गिरफ्तार कर लिया तथा जेल में डाला। इन लड़कों के विरूद्ध 'आंसुका' के अधीन वारंट जारी किये गये। 'आंसुका' राज्यों का विषय है अथवा केन्द्रीय विषय है ?

मैं शिक्षा मंत्री से इस संबंध में एक वक्तव्य देने के लिये कहूंगा ।

सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक
Customs Tariff Bill

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुत किये जाने के समय का बढ़ाया जाना

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा सीमा शुल्कों संबंधी विधि के समेकन तथा संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले बजट सत्र (1975) के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"कि यह सभा सीमा-शुल्कों संबंधी विधि के समेकन तथा संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले बजट सत्र (1975) के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 3 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen of the clock,

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3 बज कर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Five Minutes Past Fifteen of the cloek.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।**
Mr, Deputy Speaker in the Chair]

अध्यक्ष महोदय : अब हम भारतीय रिर्जव बैंक (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे ?

Re. Bhargava Commission report
भार्गव आयोग के प्रतिवेदन के बारे में

Shri Sarjoo Pundey (Ghazipur)

Bhargava Commission Report regarding suger has been published. Members should be given the copy of the same. It is a very important matter. Inspite of our repeated request the Government are not attending to it.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को बिना अपनी बारी के नहीं बोलना चाहिये।

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक
Reserve Bank of India Amendment Bill

Shri Madhu Limaye (Banka):Govrrnment has alsmost finished the autonomy of the Reserve Bank of India. The Governor of the Reserve Bank declined to give evidence before the Joint Parliamentary Committee. He lowered the prestige cf the Joint Parliamentary Committee. Government should give a statement regarding autonomy of the Reserve Bank of India.

I oppose the proposal of Government regarding retention of the old Directors till the appointment of new Directors.

Government has not so fartaken any policy decision segarding appointment of Reserve Bank Governors. Only persons having sufficient knowledge of the fiscal and monetary policies should be appointed Governors of the Reserve Bank.

I want specific assurance from the Minister regarding refinancing facilities on the basis of priorities fixed by Government.

Government should pay attention towards the illegal means adopted for earning money by those who carry on hundi-business. This business should be stopped.

Non-banking companies are taking deposits from the people. One Deokaran Nanji company emlizzled Rs. One crore. What is the reaction of the Reserve Bank on Nationalised Bank thereto ?

Two smugglers have purchased 30,000 and 15,000 shares respectively from the Maruti Ltd. Public money is being wasted in this way. I have been able to get a balance-sheet of the Maruti Ltd.

उपाध्यक्ष महोदय : मारूति लिमिटेड का रिज़र्व बैंक आफ इंडिया से क्या संबंध है ?

Shri Madhu Limaye : I am speaking about the scandles in the deposits taken by the Non-Banking companies. Maruti-Ltd., has obtained deposits of the value of more than double the share capital from the Agents and Distributions. I want a classification about the percentage of deposits by the Companies. There are so many bogus shares in the Maruti and biack money has been invested in it.

I have not been able to get replies to my questions regarding Maruti for the last 14 months. It is stated that the information is being collected and will be supplied as and when collected. But when this time will come ?

There is a good article about it in the 'Hindustan Standard. The hon. Minister should read it.

There are few directors who have no assests, and if 25 percent of the share capital will be borroned from the public on the guarantee of directors people will raise hue and cry if their deposits are not returned. In many companies the situation is same. The Reserve Bank or the Government is not keeping any sort of check on these things.

Similarly in regard to Chit funds several cases of bungling have come to light which involve crores of rupees that have been collected from law paid employees. The Minister should take some steps to control their offeris one of the objects of the Bill is to extend the scope of refinance primarily for agricultured purpose. Huge funds are being frittered away in the name of major and minor irrigation projects but due to leakages 30 percent of irrigation water goes waste. The estimates committee has stressed the need of installing more tubewells and Pump sets so that the control of water remains in the hands of farmers and the water will not go waste also. I hope the Government will pay some heed to my suggestions.

Shri M. C. Daga (Pali): While the amendments were being presented on the Reserve Bank Bill. I was trying to assess the achievements of the Reserve Bank during hese years. I submit that the Reserve Bank report should be taken up for discussion in this House.

In its report the Rural Credit Review Committee has said that the objects they wanted to lay down have not been achieved. By and large the credit level in all other states are relatively low. Only a few rich people are able to corner major share of the total credits given by the Reserve Bank.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
Committee on Private Members Bills and Resolutions

46 वां प्रतिवेदन

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 46वें प्रतिवेदन से, जो 12 नवम्बर, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सबंधी समिति के 46वें प्रतिवेदन से, जो 12 नवम्बर 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted,

विधेयक पुरःस्थापित
Bills introduced

(एक) तिलहन और खाद्य तेल उत्पादन विधेयक

Shri Madhu Limaye (Banka): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for measures to assist rapid expansion of production of oil-seeds and to facilitate a more effective extraction of edible oils and other oils from different seeds both for direct human consumption as well as for the manufacture of vanaspati, soaps and other products.

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है

"कि तिलहनों का उत्पादन तेजी से बढ़ाने में मदद देने और लोगों द्वारा सीधे उपभोग में लाये जाने तथा वनस्पति, साबुन और अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए विभिन्न बीजों से खाद्य तथा अन्य तेलों का और अधिक प्रभावी ढंग से निष्कर्षण सुगम बनाने के उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Madhy Limaye: I introduce the Bill.

(दो) संविधान संशोधन विधेयक

(अनुच्छेद 17 का प्रतिस्थापन)

श्री खेम चन्द चावड़ा (पाटन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री के० एस० चावड़ा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

(तीन) संविधान संशोधन विधेयक

(अनुच्छेद 366 का संशोधन और नये अनुच्छेद 371 च का अन्त: स्थापन)

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री नारायण चन्द पराशर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(चार) संविधान संशोधन विधेयक

(अनुच्छेद 56 और 156 का संशोधन)

Shri Madhu Limaye (Banka): I beg to move "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the constitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The mation was adopted.

Shri Madhu Limaye: Sir, I introduce the Bill.

(पांच) संविधान संशोधन विधेयक

(अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन)

Shri Madhy Limaye (Banka): I beg to move: "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the constitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Madhu Limaye: Sir, I introduce the Bill.

(छ) संविधान संशोधन विधेयक

(नये अनुच्छेद 83क का अन्तःस्थापन)

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम श्री सी०के० चन्द्रप्पन द्वारा 23 अगस्त, 1974 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सी०के० चन्द्रप्पन ने उस दिन अपना भाषण शुरू किया था अब वह उसे जारी कर सकते हैं।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैंने यह विधेयक लोकतंत्र को अधिक सार्थक बनाने के उद्देश्य से पेश किया है ताकि संविधान में यह व्यवस्था हो सके कि निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी वन सके। इस संदर्भ में मैं गुजरात की घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस राज्य में सत्तारूढ़ दल का बहुमत था फिर भी वहां उनकी सरकार नहीं चल सकी। वहां आन्दोलन हुआ और अन्त में गुजरात विधान सभा को भंग करना पड़ा। आज बिहार में वहां की विधान सभा को भंग करने की मांग का अन्दोलन चल रहा है। इन आन्दोलनों के पीछे चाहे कोई भी उद्देश्य हो, इन से हमारे संविधान की कुछ कमजोरियों का आभास होता है। हमारे संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे, कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक ढंग से जनता के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सके। आज यदि कोई पांच वर्ष के लिए चुन लिया जाता है तो वह स्वतंत्र रूप से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद पक्षपात आदि के द्वारा कुछ भी कर लेता है। श्री तुल मोहन राम जैसे व्यक्ति अभी भी हमारे साथ संसद् में बैठे हुए हैं अतः हमें एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया आरम्भ करनी है जिसके द्वारा यदि कोई सदस्य इस प्रकार कदाचार करता है और उन लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाता है जिन्होंने उसे चुना है तो जनता उसे संवैधानिक तरीके से वापस बुला सके। यदि संविधान में इस तरह का उपबन्ध सम्मिलित कर दिया जाएं तो हमारे राजनीतिक जीवन में सुधार हो जाए इसके लिए उस प्रतिनिधि को वापस बुलाना एक गारंटी का काम देगी। हमारी लोकतंत्रीय संस्थाएं अधिक मजबूत होंगी और जनता लोकतंत्र में अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग रहेगी।

कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बिहार में हो रहे आन्दोलनों का उद्देश्य राज्य विधान सभा के सदस्यों को इस कारण वापिस बुलाना है, क्योंकि वह भ्रष्ट हो गए हैं और ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है। आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य देश में अराजकता फैलाना और सामन्तवाद का मार्ग प्रशस्त करना है। जब एक निर्वाचन क्षेत्र से कोई प्रतिनिधि चुना जाता है तो उसे कुछ लोग मिल कर निर्वाचित करते हैं और उन लोगों को ही उस सदस्य को वापिस बुलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। चुनाव संबंधी सुधारों के बारे में मेरे दल की निश्चित स्थिति है। हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि हम देश में लोकतंत्र का प्रसार उस का आधार विस्तृत करके कर सकते हैं। इसीलिए हम मतदान की आयु 18 वर्ष रखने पर बल देते हैं। हम संविधान में आनुपातिक प्रतिनिधित्व रखने की भी मांग करते हैं और तभी प्रत्यावर्तन का हम सही अर्थों में उपयोग कर पाएंगे। वापस बुलाने के इस अधिकार से जनता को एक अतिरिक्त अधिकार प्राप्त हो जाएगा और जब जनता यह महसूस करेगी कि उनके द्वारा निर्वाचित सदस्य संसद अथवा राज्य विधान मंडल में जनता की पूर्ण संतुष्टि के लिए अपने कर्तव्य भली भांति नहीं निभा रहा तब वह इस अधिकार का प्रयोग करेगी। इससे जनता भी सतर्क रहेगी और निर्वाचित प्रतिनिधि भी। इस प्रकार हर सदस्य अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होगा। जब हम सदस्य के प्रत्यावर्तन की बात करते हैं तो हमारा आशय यह है कि एक उपबन्ध होना चाहिए जिसके अनुसार निर्वाचित सदस्य समय-समय पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर निर्वाचकों को अपनी गतिविधियों से अवगत कराएं ताकि निर्वाचक यह जान सकें कि उनके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। यह एक सुधारात्मक उपाय है। यदि हम इस प्रत्यावर्तन के अधिकार को संविधान में नियन्त्रित कर सके और इस संबंध में ठोस नियम बना सकें तो इससे देश में बेहतर वातावरण पैदा होगा।

यदि वापस बुलाने के इस अधिकार का उपबन्ध नहीं होगा तो इस प्रकार का आन्दोलन जो इस समय बिहार तथा गुजरात में चल रहा है और जो काफी पहले केरल में चला था, अधिक उग्र रूप धारण कर लेगा। जनता पर दोष लगाने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि उनके पास कोई अन्य संवैधानिक तरीका नहीं है जिससे कि वे अपने अधिकार का उपयोग कर सके। 1959 में केरल में उचित रूप से निर्वाचित सरकार की सत्ता थी उस समय उस सरकार के विरुद्ध एक आन्दोलन किया गया जिसका नेतृत्व कांग्रेस सरकार ने किया। उस समय कई लोगों ने कहा कि यह एक बुरा पूर्वोदाहरण बन जाएगा। इस प्रकार 1973 में गुजरात में लोगों द्वारा समान प्रक्रिया अपनाई गई और आज बिहार में लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है और लोगों का कहना है कि यह आन्दोलन देश के अन्य भागों में भी फैलेगा। हमारे संविधान में प्रत्यावर्तन का उपबन्ध न होने के कारण इस प्रकार के आन्दोलनों को बढ़ावा मिलेगा जिससे देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।

जब हम वापस बुलाने के अधिकार के बारे में बात करते हैं तो हमें साथ-साथ कुछ और बातों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए हमें देश में मूलभूत आर्थिक परिवर्तन करने होंगे। आज काले धन की जो समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है उसे समाप्त करना होगा। निर्वाचन में से जाति धर्म के भेद-भाव के प्रमाद को दूर करना होगा। यदि हम इन सब बातों को समाप्त नहीं करते तो चाहे कितने संशोधन हम कर लें या कितने ही परिवर्तन ले आएं तो भी देश के प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए वांछित परिवर्तन नहीं ला पाएंगे।

श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा जो आन्दोलन किया जा रहा है वह प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए नहीं है अपितु, प्रतिक्रियावादी है और सामन्तवाद का मार्ग प्रशस्त करता है हम इस संशोधन के द्वारा प्रजातंत्र, प्रजातांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना चाहते है। हम प्रजातंत्र को शत प्रतिशत सार्थक बनाना चाहते हैं। यही इस विधेयक का उद्देश्य है। मैं इसे सदन के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

एक संशोधन के बारे श्री मूलचन्द डागा ने नोटिस दिया है क्या वह उसे प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जी हाँ।

मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक को सदस्यों की राय 2 मार्च 1975 तक जानने हेतु परिचालित किया जाए"।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें, तो इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

Shri M.C. Daga: Mr. deputy speaker, sir the mover is not quite clear as to the object of the Bill. He is also not clear as to what methods should be adopted for recall of the Members.

In our Country election are held on the basis of party system. The parties who contest elections issue a manifesto is which the policies of the party are outlined. Therefore a Member should not be judged whether he has worked according to the wishes of the people but whether he has served according to the policies of his party.

Shri C.K. Chandrappan has given a suggestion but I don't understand have it can be implemented. India is a secular state. There are people of different caste and creed. If a candidate of a particular party does not succeed in wining the majority notes the supporter of that party will recall the elected member. In such circumstances a stable Government can never be formed. In this context I would like to refer to the recommendations of the Defection Committee. They have clearly stated that the demand for the right to recall should not be acceeded to.

In our country where majority of our people are illeterate and the electorate is very vast, the right to recall if acceeded to, might prove disastrous. It is most likely to be misused. It is true that some of the representative may prove unworthy of people's expectations or they may betray the trust reposed in them by the people. In such case the people can wait for some time and should not elect such candidates again.

With these words I oppose this resolution on right to recall.

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वापस बुलाने के प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूँ हमारे देश में मतदाताओं को निर्वाचित उम्मीदवारों को 5 वर्ष तक वापस बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। हम चाहते हैं कि मतदाताओं का निर्वाचित उम्मीदवारों पर किसी प्रकार का नियंत्रण रह ताकि यदि उम्मीदवार दिए गए वचनों को न निभाएं तो उसे उसके पद से हटाया जा सके। मतदाता इस बात को जानने के अधिकारी हैं कि क्या उनके प्रतिनिधियों ने वास्तविक रूप से उनकी इच्छानुसार कार्य किया है और क्या उनके हितों की रक्षा की है, अथवा नहीं।

अतः हमें देश में मतदाताओं को वापस बुलाने का अधिकार प्रदान करना चाहिए। यदि वापिस बुलाने का अधिकार होता तो बिहार और गुजरात में कुछ और ही स्थिति होती। गुजरात में यद्यपि बहुमत कांग्रेस की सरकार थी किन्तु भ्रष्टाचार, और बढ़ती कीमतों के कारण लोग निराश हो गए और उन्होंने विधान सभा के भंग करने और नए चुनावों की मांग की। इस प्रकार का अधिकार न होने के कारण जनता को बाध्य होकर इस तरह के आन्दोलन करने पड़ते हैं। बिहार में भी इसी प्रकार की स्थिति है। बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। श्री जयप्रकाश नारायण ने जनता

की इच्छानुसार सरकार बदलने के लिए इस प्रकार का आन्दोलन चलाया है। ऐसी स्थिति में यदि वापस बुलाने के अधिकार का उपबन्ध होता तो स्थिति कुछ ओर ही होती। जनता की मांग यह होती कि प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बलाया जाए। बिहार में बेकारी, भुखमरी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है यदि लोगों को वापस बुलाने का अधिकार दिया जाए तो वह प्रशासन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसको सुनिश्चित करने का यह सबसे उत्तम तरीका है यह अधिकार समाजवादी देशों में दिया जाता है। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि उनके प्रति पूरी कार्यावधि तक जिम्मेदार रहते हैं अतः यह एक अच्छा संशोधन है।

इस संशोधन के द्वारा वोटों को खरीदना या जबर्दस्ती दिलाना कठिन होगा क्योंकि यदि मतदाताओं को निर्वाचन के बाद यह महसूस होगा कि उनके साथ बेइमानी हुई है तो वह उस उम्मीदवार को वापस बुला सकते हैं।

हमारे देश की आर्थिक प्रणाली ऐसी है जिस पर बड़े बड़े जमींदारों, जमाखोरों तथा एकाधिकारियों का अधिकार है। यह बात उचित नहीं। लोगों को उनके विकास के लिए वास्तविक अधिकार दिया जाना चाहिए।

देश में वास्तविक लोकतंत्र के लिए एक मूलभूत बात यह है कि मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अतः मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): Mr. Deputy Speaker, Sir, if this Bill is passed it would create choas in the Political life of the country. It would be an open invitation for disrupting political stability and may sow the seeds of enarchy and lawlessness. In our country if the elections are held after fire years, is the voter not aware of the fact that he is electing a candidate for five year? So if once a candidate is elected for is full term, it is wrong to ask for his recall simply because he did not act according to the whims of the voter. They must be allowed to continue with their policies at least for five years.

The demand for recall has been categorically rejected by the Defection Committee. The Committee as a whole, however, is not convinced that this Provision would be desirable or Practical for this country. The electorate of our country is fully enlightened and responsible. It has given a fair testimony if its responsibility during the last four or five elections. They are worthy of our trust.

According to me, the demand for the right of recalling a member is a stunt started by the opposition. I, therefore. oppose this Bill.

श्री एम० कत्तामुत्तु (नागापट्टिनम)*: मैं अपने माननीय मित्र श्री सी० के० चन्द्रप्पन के संविधान (संशोधन) विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि देश में लोकतंत्र के विकास हेतु इस संशोधन को तुरन्त पारित करना आवश्यक हो गया है। सरकार को इसे पारित करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये।

चर्चा का उत्तर देते हुये माननीय विधि मंत्री ने बताया है कि संविधान सभा ने इस विषय के विभिन्न पहलूओं पर विचार करने के बाद यह महसूस किया कि ऐसा करना वांछनीय नहीं है। परन्तु आज की परिवर्तित परिस्थितियों में यह तर्क देना उचित नहीं लगता। आज़ादी के पिछले 27 वर्षों में देश की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है। इस बीच परिस्थितियों के अनुकूल हमारे संविधान में अनेक परिवर्तन किये जा चुके हैं। अब समय आ गया है जब सदस्य को वापिस बुलाने के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए हमें इसमें एक और संशोधन करना पड़ेगा।

*तमिल में दिय गय भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

English translation of such delivered in Tamil.

हमारे देश में आज स्थिति यह है कि जब एक बार कोई विधायक या संसद-सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो मानो उसे अपने क्षेत्र में पांच वर्ष तक मनमाने ढंग से काम करने की छूट मिल जाती है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों की अनदेखी करने लग जाता है। इतना ही नहीं; अनेक बार वह भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियों में भी पड़ जाता है परन्तु वह कुछ भी क्यों न करे, मतदाता उसे उसके कुकर्मों के लिए वापिस नहीं बुला सकता। इस स्थिति में भला यह आपका लोकतंत्र कैसा है? मैं समझता हूं कि यदि सदस्य को वापिस बुलाने की व्यवस्था संविधान में कर दी जाये तो इससे हमारा लोकतन्त्र और अधिक सुदृढ़ होगा। अतः मेरा विधि मंत्री तथा सरकार से निवेदन है कि उन्हें यह संशोधन विधेयक सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): It has been rightly said that the makers of our Constitution did not think it proper to make a provision for right of recall while framing the Constitution. But our constitution was framed 27 years hence and since then much water has flown down the Jamuna. Now the time has come when we will have to change our constitution according to the changed situation. In view of the changed situation 32 amendments have already been made in our Constitution.

Now, frankly sheakin፣, the principle of accountability of the elected representatives to their electorate is very important for the preservation of democracy. The people must be provided with the right to keep an active watch on the activities of their elected representative. But in the absence of such provision in the constitution the voters become passive for five years. They do not care to see what their representative one doing because they know that they are helpless. So, such aprovision will make the electorate vigilant more and the representative more responsible. Government should, therefore, accept this Bill which is in the larger interests of our democracy.

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : हमारे देश में लोकतंत्र को चलते-चलते आज 28 वर्ष हो गये हैं तथा अभी तक हम अपनी समस्याओं के समाधान में लगे हुये हैं। हम इस बात का पता लगाने के लिए सदा ही प्रयत्नशील रहे हैं कि हमारी बनाई गई लोकतन्त्रीय संस्थाएं कहां तक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाई हैं? अतः इन परिस्थितियों के सन्दर्भ में मैं अपने माननीय मित्र श्री चन्द्राप्पन, के संविधान संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं।

मेरा विचार है कि इस संशोधन को लागू करने सम्बन्धी व्यवस्था पर भी हमें पूर्ण रूप से गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। हमें इसके लिए जनता की राय लेनी चाहिये तथा तदनुसार हमें उचित विधेयक प्रस्तुत करके लोगों को उचित अधिकार देने चाहियें।

Shri T. Sohan Lal (Karol Bagh): I cannot support the Bill moved by Shri Chanderabhan as it is against the principles to the party to which he belongs. Is it not a fact that the peole of our country have not expressed their confidence in the opposition parties during the last 25 years. I think it is because of the frustration that opposition parties have come forward with Bill.

In our constitution too, there one specific provisions for the elected representatives of the people. This term is that of 5 years in case of Members of Parliament and Ligislature. Those who ore supporting the right of recall might as well plead for abolishing the provision regarding term of legislatons. In case this provision is accepted, the legislations whether they belong to opposition or the ruling party, will not be able to discharge their duties peacefully because they would always be apprehensive of a move for their recall. So there is every possibility that this right to recall might be misused by vested interest. It will lead to corrupt practices. I think this move is politically motivated. The opposition parties want to make use of it for propaganda with an eye on the ensuing elections.

प्रो० मधु दन्डवते (राजापुर) : संविधान का 24वां संशोधन प्रस्तुत करते समय यह तर्क प्रस्तुत किया गया था हमें संविधान को इस प्रकार से लचीला बनाना चाहिये ताकि उसके अन्तर्गत जनता की भावनाओं का आदर किया जा सके। आज इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जनता में असन्तोष फैला हुआ है। संविधान तथा संसद् को जनता की भावनाओं का परिमाप माना गया है। इन्हीं के माध्यम से लोगों की आकांक्षाएं व्यक्त होती हैं और इन्हीं के माध्यम से उनकी परिवर्तन की भावना स्पष्ट होती है । परन्तु हमें इसके लिए लोगों की गलीकूचों में निकल कर आन्दोलन करने के लिये मजबूर नहीं करना चाहिये । हमें उनकी भावनाओं का आदर करनें के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिये।

यह ठीक है कि प्रतिनिधियों की कालावधि पांच वर्ष की होती है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यदि लोगों के प्रतिनिधि सामूहिक रूप से से समुदाय के विरुद्ध जाये, उनके दिलों के विपरीत कार्य करें तो भी उन्हें वापिस बुलाने का अधिकार उन्हें न हो। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों से त्यागपत्र देकर पुनः चुनाव लड़ कर जनमत का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। विश्व के अनेक देश ऐसे हैं, जिनकी सामाजिक व्यवस्था तथा विचारधारा हमारे से भिन्न है । परन्तु फिर भी उनके लोगों को अपने प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार है। हमें किसी भी स्वस्थ परम्परा को अपनाने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये।

प्रायः यह देखने में आया है कि यदि कोई विधायक किसी विधान सभा के लिए चुन लिया जाता है तो वापिस बुला सकने की व्यवस्था के अभाव में वह मनमाने ढंग से कार्य करने लग जाता है और जनहितों की अवहेलना आरम्भ कर देता है । वह समझने लग जाता है कि उसे पांच वर्षों तक कुछ भी करने की छूट मिल गई है । अतः इन परिस्थितियों में अपेक्षित सुधार करना तथा जनता को प्रतिनिधि वापिस बुलाने का अधिकार देना न्यायोचित हो जाता है ।

मेरे कुछ माननीय सदस्यों ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि इस उपबन्ध का दुरुपयोग किया जायेगा । उनके इसी भय को दृष्टिगत रखते हुए ही तो विधेयक में यह व्यवस्था भी की गई है कि जिस चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की बहुत संख्या से जो सदस्य चुना गया हो, उसे उससे भी अधिक बहुमत पर वापिस बुलाने का अधिकार होना चाहिए । अतः यह कानून बनाते समय उसके आचरण आदि के बारे में राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किया जाना चाहिये ताकि इसका दुरुपयोग न किया जा सके ।

प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने के अधिकार को स्वीकार करने से, विधायकों पर उसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा । उनका आचरण जनता के नियंत्रण में आ जायेगा तथा वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कि संविधान, संसद या समुदाय के हितों के विरुद्ध हो । ऐसी व्यवस्था से हमारा लोकतन्त्र और सुदृढ़ होगा । अतः मैं सभी प्रकार की दलगत भावना से ऊपर उठकर तथा श्री चन्द्रप्पन द्वारा श्री जयप्रकाश नारायण तथा अन्य दलों के बारे में व्यक्त किये गये विचारों की ओर तनिक भी ध्यान न देते हुये, इस विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करता हूं । मुझे आशा है कि विधि और कम्पनी कार्य की नई मंत्री विधेयक की भावना का स्वागत करती हुई पूर्व परिपाटी से हटकर, अपनी नवीनता प्रदर्शित करती हुई, इस विधेयक को स्वीकार कर, नई परिपाटी आरम्भ करेंगी ।

श्री के० हनुमन्तैया (बंगलौर) : मैंने इस विधेयक के संबंध में अपने माननीय मित्रों के विचार सुने हैं । सदस्य को वापिस बुलाने के पीछे मुख्य रूप से यही बात है कि जो सदस्य भ्रष्ट हैं उन्हें सदस्य न रहने दिया जाये । परन्तु ऐसी व्यवस्था तो हमारे वर्तमान संविधान में भी है । अब भी किसी भी संसद सदस्य या विधायक पर अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है, उसे सजा दी जा सकती है तथा ऐसी सजा ही उसकी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता बन जाती है ।

आज तक वापिस बुलाने के अधिकार का उपयोग जनतांत्रिक देशों में नहीं किया गया है । स्विटरलैण्ड एक ऐसा देश है जिसका संविधान अपनी ही तरह का है । जो परिपाटी उस एक करोड़ की जनसंख्या वाले देश में अपनाई जा सकती है उसे भारत जैसे विशाल देश पर लागू करना काफी कठिन कार्य है ।

वापिस बुलाने के अधिकार के साथ अन्य अनेक प्रश्न भी जुड़े हुये हैं जो हमारे लिए आगे चलकर अनेक कठिनाइयां उत्पन्न कर सकते हैं । इसके माध्यम से सत्ताधारी दल के सदस्यों अथवा मंत्रियों पर ही नहीं अपितु विरोधी दलों के सदस्यों पर भी आक्रमण किया जा सकता है । एक समय ऐसा भी आ सकता है जब कि 3 दल एक दूसरे दल के व्यक्ति को वापिस बुलाने के लिए आपसी होड़ में लग जाये । ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण वातावरण दूषित हो जायेगा । अतः यह अधिकार त्रुटियों से रहित नहीं है और इसका उपयोग प्रगतिशील जनतंत्रों में नहीं किया जा सकता ।

इस सम्पूर्ण चर्चा के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारी चुनाव प्रक्रिया काफी त्रुटिपूर्ण है, उसमें अपेक्षित सुधार किये जाने चाहिये । इतने व्यापक देश में चुनाव सुधार कार्य काफी जटिल लगाता है तथा हमें इसके लिए एक ऐसा उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करना चाहिये जिसमें विरोधी दलों के सदस्य भी हों । इसमें चुनाव प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त किये हुए व्यक्ति भी रखे जाने चाहिये, मैं समझता हूं कि मेरा यह सुझाव अधिकांश लोगों को मान्य होगा ।

श्री जै० माता गौडर (नीलगिरि) : *मैं इस विधेयक के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करना चाहता हूं । वर्तमान विधेयक की एक विशेषता यह देखने को मिल रही है कि यह विधेयक साम्यवादी दल की ओर से लाया गया है । यह साम्यवादी दल वही है जो इसी प्रकार की जनआन्दोलन का बिहार में विरोध कर रहा है तथा वर्ष 1959 में जब केरल में साम्यवादी मंत्रिमंडल को गिराया गया तो उस समय इन्होंने ऐसे आन्दोलन का समर्थन करने की मांग की अब "दिसम्बर 1974" में तमिलनाडू मे इसी दल द्वारा "जनतंत्र बचाओ" आन्दोलन आरम्भ किया जा रहा है । यह विचित्र बात है कि अब यह लोग सदस्यों को वापिस बुलाने की बात भी करने लगे हैं । मुझे लगता है कि यह साम्यवादी दल वाले लोग कांग्रेस सरकार को ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति में डाल देगें जिसमें कि वह न तो इस संशोधन को स्वीकार ही कर सकेगी तथा उसे अस्वीकार करना भी उसके लिए कठिन हो जायेगा । इस अध्यादेश ने देश के अन्दर असंतोष पैदा कर दिया है । विधि-मंत्री ने कहा है कि चुनाव सुधार पर विरोधी दलों से बातचीत करने के लिए वे तैयार हैं ।

*तामिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तरण

*English translation of the speech delivered in Tamil.

जो कुछ सत्तारुढ़ दल ने 1959 में केरल में किया, उसका फल वह आज बिहार में भुगत रहे हैं। सरकार के आगामी चुनावों से पहले पहले चुनाव सुधार संबंधी कानून सदन में लाना चाहिये।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सोरोजिनी महिषी) : प्रस्ताव द्वारा कहा गया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के लिए अनुच्छेद 83 के बाद अनुच्छेद 83क जोड़ा जाये।

निर्वाचित सदस्य जनता का सच्चा प्रतिनिधि होता है। उसे वापिस बुलाने के लिये उपबंध करके हम उनका दर्जा घटाकर केवल एक प्रतिनिधि बनाकर रह जाते हैं। अतः वापिस बुलाने का प्रस्ताव करने से पहले इस बात पर पुनः विचार करना चाहिये।

इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि वापिस बुलाने का यह अधिकार कैसे कार्य करेगा ? यदि हमारे जैसे बड़े देश में वापस बुलाने का अधिकार दे दिया जाता है तो क्या फिर ऐसा करना संभव हो सकता है।

क्या यह उचित है कि जनता को अपने प्रतिनिधि को वापिस बुलाने का अधिकार दिया जाये ? हमने कई लोगों को कहते सुना है कि क्या लोगों के वयस्क मतदान का अधिकार देना उचित है। ऐसी स्थितियों में लोगों को प्रतिनिधि वापस बुलाने का अधिकार देना क्या उचित होगा विशेषकर जब कुछ लोग बचनों तथा आश्वासनों में कोई भेद नहीं समझते ?

यहां कुछ देशों में अपनाई जा रही प्रथाओं का उल्लेख किया गया है। किन्तु उन्हें जानना चाहिए कि कुछ संस्थाए केवल कुछ विशेष दशाओं या वातावरण में पनपती है। कुछ संस्थाएं जो किसी देश में विधि वातावरण में पलती हैं, अन्य देश में नहीं चल सकती क्योंकि वहां की स्थिति भिन्न होती है।

संयुक्त राज्य अमेरीका जैसे पश्चिमी राज्यों में वापस बुलाने का अधिकार न केवल राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए ही है बल्कि कार्यपालिका अर्थात अधिकारियों के लिए भी इसका परिणाम यह हुआ कि अधिकारी कोई निर्णय नहीं ले सके क्योंकि एक प्रकार से उनके सिरों पर सदैव यह तलवार लटकी रहती है। किसी राजनीतिक प्रतिनिधि के मामले में भी इस बात की क्या गारंटी है कि लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रतिनिधि कुछ भ्रष्ट कदाचारों का शिकार नहीं बनेगा। अतः हमारे जैसे देश में इस प्रकार का नियम लागू करना कठिन है।

इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कागजी बात कुछ और होती है और वास्तविकता कुछ और होती है। वह आशा करते हैं कि कागजी तौर पर तो यह अधिकार दे दिया जायेगा किंतु वास्तविक रूप से इसे प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। किंतु यह कहना कठिन तथा असंभव है कि यदि यह नियम बना दिया जाता है, तो इसका प्रयोग नहीं किया जायेगा। ऐसा नहीं किया जा सकत।

दल-बदल समिति द्वारा की गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया गया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं इसके लिए 32वां संविधान संशोधन विधेयक है। इसे संयुक्त समिति को भेजा गया है जो कि इस बारे में साक्ष्य एकत्रित कर रही है।

संयुक्त समिति में बहुत से उपायों पर विचार हो रहा है और एक व्यवस्था यह भी है कि जो सदस्य दल बदल करे, वह सभा का सदस्य भी नहीं रह सकता । अतः जब इस तरह के उपायों पर विचार हो रहा हो, तो फिर इस तरह के अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता । इन परिस्थितियों में प्रतिनिधि को वापस बुलाने के अधिकार की वर्तमान स्थितियों से कोई संगति नहीं है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेलीचेरी) : हम इस विधेयक के माध्यम से देश में लोकतांत्रिक प्रथा को यथासंभव शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तथा इसमें सुधार करना चाहते हैं । मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा, उससे उन शक्तियों को बढ़ावा मिलेगा जो जनता को आन्दोलन आदि करने के लिये प्रेरित करती हैं । संविधान में प्रस्तावित संशोधन से जनता अपना रोष, निराशा प्रकट कर सकती है और उस प्रतिनिधि का निरनुमोदन कर सकती है जिसने अपने निर्वाचकों के लिए संतोषजनक कार्य न किया हो । यदि यह विधेयक स्वीकार कर लिया जाये, तो इससे हमारे देश के लोकतंत्र में एक नए युग का जन्म हो जायेगा । किंतु मंत्री महोदय ने इस बारे में दृढ विचार अपनाकर इस तरह की संभावना को रोक दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मूल चन्द डागा का संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है, अतः मतदान मताविभाजन द्वारा होगा दीर्घायें खाली की जायें । मतदान से पता चल जायेगा कि गणपूर्ति है या नहीं । यदि गणपूर्ति नहीं होगी तो मतदान अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जायेगा और सभा विसर्जित हो जायेगी ।

प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति नहीं है । मतदान स्थगित किया जाता है और सभा विसर्जित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 18 नवम्बर, 1974/27 कार्तिक 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Manday, November 18, 1974/ kartika 27, 1896 (Saka)

MGIPRRND—42 LSS/74—Sec. VIII—14-1-75—200